लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1989/8 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
11	नीचे से 2	"(क) और (ख): एक" के स्थान पर "(क) से (घ): एक विवरण" पढ़िये।
17	नीचे से 1	"कुरूप" के स्थान पर "कुरूप" पढ़िये।
66	9	शीर्षक में "निर्मातोन्मुख" के स्थान पर "निर्यातोन्मुख" पढ़िये।
75	1	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
78	11	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
87	नीचे से 13	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंत:स्थापित करिये।
103	6	"आर्थिक" के स्थान पर "आर्थिक कार्य" पढ़िये।
107	3	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
118	16	"राज्य" के स्थान पर "राज्य मंत्री" पढ़िये।
121	नीचे से 8	"पी0जंगा रेड्डी" के स्थान पर "सी0जंगा रेड्डी" पढ़िये।
123	नीचे से 9	"वृद्धि चन्द्र जन" के स्थान पर "वृद्धि चन्द्र जैन" पढ़िये।
170	नीचे से 9	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
233	17	"अजित कुमार साहा" के स्थान पर "अजित कुमार साहा" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम ; खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 39 शुक्रवार, 28 अप्रैल 1989/8 वैसाख 1911 (शक)

वि			पृष्ठ
प्रश्नों के ...क उत्तर	...	...	1—20
*त...न्त प्रश्न संख्या : 779, 780, 782 से 784 और 786			
प्रश्नों के ...ित उत्तर	...	...	20—175
तार... प्रश्न संख्या : 781 और 787 से 799	...	....	20—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7363 से 7419, 7421 से 7448 और 7450 से 7594	...	...	38—172
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	175—176
प्राक्कलन समिति	....	....	176—177
73वां, 74वां 82वां और 83वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश			
लोक लेखा समिति	...	...	177
158वां, 163वां, 167वां, 168वां और 169वां प्रतिवेदन			
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	...	...	177
कार्यवाही सारांश			
पूर्व रेलवे के हावड़ा-कटवा सेक्शन के सुधार के बारे में याचिका	....	....	177
सभा का कार्य	...	...	177—181
वित्त विधेयक 1989			181—183 186—222
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	181—183
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	186—188

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	188—191
श्री अमल दत्त	...	...	191—197
श्री अनूप चन्द शाह	...	...	197—199
श्री पी० कुलनदईवेलू	...	...	199—200
श्री तरुण कांति घोष	...	...	200—203
श्री डी० बी० पाटिल	...	...	203—205
चौधरी लच्छी राम	...	...	206—207
श्री हेत राम	...	...	207—210
श्री शंकर लाल	...	...	210—212
श्री हरिहर सोरन	...	...	212—215
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	...	215—216
श्री राधाकांत डिगाल	...	...	216—219
श्री जी० भूपति	...	...	219—220
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	220—222
जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य	...	...	**183—185**
श्री राजीव गांधी			
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	...	...	**222—223**
65वां प्रतिवेदन			
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प	...	...	**223—252**
श्री सोमनाथ रथ	...	...	223—226
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	216—229
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	229—230
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	...	231—234
श्री नित्यानन्द मिश्र	...	...	234—236
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	...	236—239
श्री श्रीहरि राव	...	...	239—241
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	...	241—244
श्री के० पी० सिंह देव	...	...	244—249
श्री उत्तम राठौड़	...	...	249—251
श्री मानकूराम सोढी	...	...	251—252

लोक सभा

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1989/8 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी ऋण की स्थिति

[अनुवाद]

*779. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि सहित विदेशी ऋणों की स्थिति क्या थी;

(ख) इन ऋणों और जमा धनराशि पर कितना ब्याज अदा किया जाता है ;

(ग) विदेशी ऋण और अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि को देखते हुए वर्ष 1988-89 में ऋण की अदायगी का अनुपात क्या था; और

(घ) क्या सरकार का विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमा 1 निर्धारित करने के लिए संविधान के उपबंधों का सहारा लेने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) (क) से (घ)। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई जमाओं समेत वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में बकाया विदेशी ऋण का अनुमान 64779 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 1988-89 के अन्त तक की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 1988-89 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई जमाओं को छोड़कर बकाया विदेशी ऋणों पर देय ब्याज की रकम लगभग 2700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अनिवासी भारतीयों की जमाओं पर 1988-89 के दौरान देय ब्याज संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई जमाओं को छोड़ कर विदेशी ऋण संबंधी ऋण परिशोधन अदायगियां (अर्थात् मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी), 1988-89 में निर्यातों जमा सकल अदृश्य आय का लगभग 23-24 प्रतिशत होने का अनुमान है। अनिवासी भारतीय द्वारा की गई जमाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

प्रो. मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री से वित्तीय वर्ष 1988-89 तक की सूचना मांगी थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह सूचना देने में अपनी असमर्थता जाहिर की है क्योंकि उनका कहना है कि तत्संबंधी लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु अनुमानित आंकड़ों तो दिए ही जा सकते थे। जो भी हो, भाग (क) और (ग) में उनके द्वारा दी गई सूचना काफी चौंका देने वाली है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अनिवासी भारतीयों की बकाया जमा राशि सहित बाह्य ऋण 64,779 करोड़ रुपये हैं और आगे उन्होंने यह कहा है कि अनिवासी भारतीयों की जमा राशि को छोड़कर ऋण सेवा अनुपात 23 से 24 प्रतिशत स्वीकार किया गया है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा एक मत से स्वीकृत इस तथ्य को मानेंगे कि ऋण सेवा अनुपात की सुरक्षित सीमा बीस प्रतिशत है। इसलिए 23 से 24 प्रतिशत अनुपात स्वयं में ही खतरनाक और चौंका देने वाला है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा है या नहीं ? दूसरे, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने आर्थिक (इकोनोमिक) पत्रों (जर्नल में विभिन्न देशों में ऋण संकट पर निगरानी रखने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा गठित वित्त संस्थान के विश्लेषणों को पढ़ा है और क्या उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा राशि सहित बाह्य ऋणों की कुल देयता 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और तदनुरूप ऋण सेवा अनुपात 23 से 24 प्रतिशत नहीं होगा बल्कि यह अनुपात 30 प्रतिशत होगा और क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हम जितना निर्यात कुल करेंगे हमारे निर्यात की निवल आय का 30 प्रतिशत भाग केवल मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के पुनर्भुगतान में खर्च हो जाएगा और यदि ऐसा ही होता रहा तो क्या इससे हमारे विकासात्मक क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए भय को दूर करना मेरा कर्त्तव्य है। प्रथमतः ऋण सेवा अनुपात चौंका देने वाला नहीं है यद्यपि हम इसे नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सतर्क हैं। दूसरे, हमने जो ऋण लिया है, हमने जितना विदेशी उधार लिया है वह सारी राशि हमारी अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना को बनाने वाली परियोजनाओं, विशिष्ट रूप से हर परियोजना में, की जा चुकी है। सामान्य आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था इस समय अत्यधिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

ऋण का प्रयोग अच्छे, अत्यधिक अच्छे और उत्पादक कार्य के लिए किया गया है और इसलिए इस समय अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। मैं अनिवासी भारतीयों की जमाओं के प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं। सरकारी तौर पर जो आंकड़े दिए गए हैं वे वही आंकड़े हैं जो हमारे पास हैं मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हालांकि यह धन एफ० सी० एन० आर० बी० खाते के अधीन स्वदेश भेजा जा सकता है किन्तु जमाकर्ताओं ने कुछ अपवादों को छोड़कर अपना धन स्वदेश नहीं भेजा है। इसलिए इस मुद्दे को हमारे ऋण के पुनर्भुगतान में जोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि अनिवासी भारतीयों ने यह दिखा दिया है कि उन्होंने इस धन को स्वदेश नहीं भेजा है जिससे उनका हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास झलकता है। वे अपना धन यहीं रखते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत है और स्थिति भी यही है।

मैं इस निराधार भय के प्रश्न को थोड़ा और विस्तार दे दूं । मैंने इसे निराधार इसलिए कहा क्योंकि ऋण सेवा अनुपात विवेक की सीमा से अधिक नहीं है । मैं इसकी तुलना कुछ पड़ोसी देशों के साथ करना चाहूंगा । जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है वहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुसार ऋण 47.1 प्रतिशत है जबकि हमारी प्रतिशतता 18.8 है । सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुसार ऋण की प्रतिशतता 34.3 (प्रतिशत) है । जहां तक हमारी अपनी अर्थव्यवस्था का संबंध है यह केवल 18.8 प्रतिशत है जिसका मैंने उल्लेख किया है । इण्डोनेशिया में यह प्रतिशतता 79.7% है और अन्य देशों में भी इसी तरह है ।

प्रो० मधु दंडवते : आप क्यूबा को भी उद्धृत कर सकते हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जी नहीं । हम प्रश्न करने वाले सदस्य सहित माननीय सदस्यों को यह बताने के लिए ऐसे देशों को हमारी अर्थव्यवस्था के हितों, हमारे आर्थिक परिवेश में भागीदार हैं और दक्षिण कोरिया जैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत देशों को उद्धृत करना चाहते हैं । इसलिए मैं इस संबंध में, यह दोहराना चाहता हूं कि ऋण सेवा अनुपात के मामले में चौंका देने वाली बात कोई नहीं है जबकि साथ ही यह हमारी आर्थिक प्रबन्ध व्यवस्था की परम्परा रही है । हम अपनी इस परंपरा पर टिके हुए हैं कि हमें अपने बाह्य ऋणों पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें इस उधार का प्रयोग आधारिक संरचना के निर्माण के लिए करना चाहिए, हमें उन आयातों से बचना चाहिए जो कि पूर्णत: आवश्यक नहीं हैं । हम यही कर भी रहे हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सदस्यों के हित की ही बात है ।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वित्त राज्य मन्त्री के आत्म-सन्तोष पर आश्चर्य हो रहा है । उनका उत्तर सुनने के बाद मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जहां तक हमारे विदेशी वर्ष के कार्यनिष्पादन अर्थात मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज की अदायगी के संबंध में हमारी सभी देयताओं का सम्बन्ध है वे 70 प्रतिशत घाटे के वित्त पर आधारित हैं । क्या यह चौंका देने वाला संकेत नहीं है ? आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । क्या पूरे विश्व में यह स्वीकृत मानदण्ड नहीं है कि विशेषत: विकासशील देशों में इस अनुपात के लिए 20 प्रतिशत सुरक्षित सीमा है और आपके कहे अनुसार यह अनुपात 23 से 24 प्रतिशत तक चला गया है और यदि आप अनिवासी भारतीयों की जमा राशि को शामिल कर दें तो यह निश्चित रूप से अधिक हो जाएगा । आप 30 प्रतिशत को स्वीकार न करें किन्तु वह उससे अधिक हो जाएगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न के अन्तिम भाग पर आता हूं जिसका संबंध सार्वजनिक प्रावधान से है । क्या यह सच नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा ऋण (उधार) लिए जाने के बारे में यह कहा गया है ?

> "संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है ।"

इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्योंकि प्रो. रंगा सहित संविधान के निर्माताओं ने ऋण के मजबूत कन्धे का अनुभव लगाकर और हमारे बाह्य उधार पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता को समझकर पहले ही अनुच्छेद 292 बनाया है तो ऐसा क्या है कि आप अनुच्छेद 292 के प्रावधानों पर विचार नहीं करते हैं और बाह्य ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं सोचते हैं ताकि आप आत्मनिर्भरता और देश में आन्तरिक संसाधनों का निर्माण करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें ?

श्री एदुआर्डो फैलीरो । महोदय, आत्म-निर्भरता हमारी वार्षिक प्रबन्ध व्यवस्था का आधार है और यह हमेशा रहेगा । अनुच्छेद 292 में सशक्त प्रावधान है जिन्हें न तो लागू करना आवश्यकता है और न ही····

प्रो० मधु दण्डवते : आप उस प्रावधान से लाभ उठाते हैं ।

श्री एदुआर्डो फैलीरो : न तो उस प्रावधान से लाभ उठाना आवश्यक है और न ही उससे लाभ उठाना सम्भव है । महोदय, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं । यह संसद और विशेषकर यह सदन सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों (आय), जिसमें ऋण भी शामिल है, पर नियन्त्रण रखता है । हमारे बजटीय दस्तावेजों में यह शामिल है, हमने बजट पर वाद-विवाद किए हैं । आप पाएंगे कि बजटीय दस्तावेजों में ऋणों सहित प्राप्तियों और प्राप्तियों के स्रोतों को दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त हम हर वर्ष एक प्रकाशन परिचालित करते हैं जिसमें हर देश की विदेशी सहायता को दर्शाया जाता है । यह माननीय सदस्यों के लिए खुला है और सदन को इस विषय पर अपनी इच्छानुसार चर्चा करने का अधिकार है । इसलिए, यह आवश्यक नहीं है । इस सदन में यह बात पहली बार नहीं कही गई है । इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है । वर्ष 1982 में सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा था । महोदय, विनिमय दरों को ध्यान में रखते हुए, जो समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती रहती हैं, सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य भी नहीं है । या तो इसकी सीमा बहुत ऊंची निर्धारित की जानी चाहिए जो कि इस समय वास्तविक नहीं है या इसकी सीमा इस प्रकार निर्धारित होनी चाहिए जिसमें बार-बार परिवर्तन किया जा सके क्योंकि दरों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है । अब, हम जानते हैं कि अमरीकी डालर की तुलना में आज रुपये की कीमत क्या है । यह डॉलर की तुलना में बहुत ही कम है । हम यह भी जानते हैं कि ड्यूटसच मार्क और येन तथा पांड स्टर्लिंग की दर क्या है जिनका डॉलर की तुलना में काफी कम मूल्य हो गया है । इसलिए इस प्रकार की स्थिति है जो कि आवश्यक नहीं है और व्यवहार्य भी नहीं है । इसका उद्देश्य···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उनका उत्तर क्या है ? मेरा प्रश्न इससे अलग है । कभी कभी हम परीक्षा में प्रश्न कुछ पूछते हैं और विद्यार्थी उसका उत्तर कुछ और ही दे देता है । महोदय, वे भी ऐसा ही कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक प्रोफेसर हैं ।

श्री एदुआर्डो फैलीरो : महोदय, यह बात ठीक है । वे एक प्रोफेसर हैं और मैं एक मन्त्री और सांसद हूं । मैं एक सांसद और एक मन्त्री की हैसीयत से उत्तर दे रहा हूं ।

अतः यह व्यवहार्य नहीं है, इसका उद्देश्य सरकारी ऋण और सरकारी व्यय को नियन्त्रित करना है। यह उद्देश्य इस समय माननीय सदस्यों और सदन को उपलब्ध किए गए तरीकों से यही प्रकार पूरा हो जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या माननीय मंत्री अन्य राज्य मंत्री के मत से पूर्णतः सहमत है ? क्या आप इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने यह उल्लेख किया है कि भारत ऋण जाल के कगार पर है। अब आन्तरिक और बाह्य ऋण के भुगतान के लिए कुल कितने प्रतिशत राजस्व और कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ? क्या आन्तरिक और बाह्य ऋण के वापस भुगतान के लिए 30 प्रतिशत से अधिक राजस्व की आवश्यकता नहीं है। और क्या सरकार ने ऋणों से छुटकारा पाने के लिए कोई विशेष योजना निर्धारित की है अथवा उसके बारे में विचार किया है ? क्या 10 अथवा 15 वर्ष की कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित की गई है जब हम ऋण के वापस भुगतान से मुक्त हो जाएंगे ? क्या इस ऋण के वापस भुगतान से बाहर निकलने के लिए आपकी कोई विशेष योजना है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं—मैं विशेष रूप से विश्व बैंक का उल्लेख इसलिए करता हूं। क्योंकि उनकी रिपोर्टों में इस बारे में किए गए अध्ययन से उन देशों के बारे में पता चलता है जिन पर ऋण भार बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में वे देश जो कि ऋण जाल में फंसे हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि वे ऋण भुगतान के मामले में बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं हैं। फिर भी मैंने अपने भाषण के आरम्भ में ही कुछ ऐसे ऐशियाई देशों का उल्लेख किया है जिनमें जी. एन. पी. की प्रतिशतता भारत की जी. एन. पी. की प्रतिशतता से बहुत अधिक है और वे अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार ऋण जाल में फंसे हुए नहीं हैं अथवा उन पर बहुत अधिक ऋण नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, इस ऋण के वापस भुगतान के लिए कितने प्रतिशत राजस्व की आवश्यकता है। मैंने विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा था। क्या ऋण के वापस भुगतान के लिए 30 प्रतिशत राजस्व की आवश्यकता है अथवा उससे कम अथवा अधिक राजस्व की आवश्यकता है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, जब हम यह कहते हैं कि ऋण के वापस भुगतान का अनुपात 23% से 24% है तो इसका अभिप्राय यह है कि निर्यात और अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से होने वाली हमारी आय का 23 प्रतिशत से 24 प्रतिशत भाग ऋण के वापस भुगतान के लिए चला जाता है। अब मैं यह कहना चाहूंगा और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा। यहां तक कि दक्षिणी कोरिया पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे अन्य देश, भी जिनका मैंने उल्लेख किया है और जहां ऋण के वापस भुगतान के लिए भारत की अपेक्षा जी. एन. पी. का अनुपात अधिक है, ऋण जाल में नहीं हैं विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की रिपोर्टों के अनुसार उन पर ऋण भार बहुत अधिक नहीं है। मैं ऐसा आत्म सन्तुष्टि के भाव से नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, हम चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी इस बारे में हस्तक्षेप करें।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या देश को ऋण के वापस भुगतान से छुटकारा दिलाने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव रखा गया है अथवा क्या इस बारे में विचार किया गया है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं इस बात पर आऊंगा। मैंने ऐसा कहा है। यद्यपि हम बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हैं परन्तु फिर भी हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। भुगतान सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए हमारी एक विशेष योजना है। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और नियमित रूप से इसकी देख रेख की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, हम सार्थक बातें कर रहे हैं जबकि वे निरर्थक बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदस्य महोदय ने बाह्य ऋण के बारे में प्रश्न उठाया है तो आपने भी मुख्यतः इसी मुद्दे को उठाया है—उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। आपके लिए यह बेहतर है कि आप विशिष्ट विषय के अनुसार ही विशिष्ट प्रश्न पूछें। वे यही उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र की भांति इस बारे में वाद-विवाद खड़ा करना नहीं चाहता—सम्भवत उनके मन में अगले चुनाव की बात है। महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हम विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं को और अधिक ऋण देने के लिये नहीं कहना चाहते जबकि अन्य सभी देशों ने ऋण के लिए आवेदन किया है। क्या यह भी एक वास्तविकता नहीं है कि इन अप्रवासी भारतीयों की जमा राशियों को ऋण समझा जाता है वे जमाराशियां बाह्य ऋण नहीं हैं। जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है ये जमा राशियां देय नहीं हैं। उनका धन किसी न किसी दिन भारत आयेगा और उन्होंने अपने धन को उधार देकर और हमारी सरकार के पास अपने धन और जमा-राशियों को रखकर हमारी वित्त व्यवस्था को मजबूत बनाया है। महोदय क्या मुझे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल सकता है?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यह एक बाह्य ऋण है। अप्रवासी भारतीय भारत से बाहर हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, वित्त मन्त्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणों और व्यक्ति की कई आशंकाओं के सन्दर्भ में कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास ऋण लेने के लिए नहीं गए हैं और हम ऋण लेना नहीं चाहते हैं। फिर भी हमारा देश एक विकासशील देश है और विश्व में ऐसा कोई भी विकासशील देश नहीं है जिसे किसी समय ऋण की आवश्यकता न पड़ी हो। इसीलिए विकासशील देशों की अवधारणा में यह स्वभाविक है कि उन्होंने सहायता और ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इस बात की भी आवश्यकता है कि उत्पादक कार्यों के लिए इस ऋण और सहायता का उपयोग किया जाये। हम ऐसा ही कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय मैं अपने माननीय सहयोगी के उत्तर को अनुपूरित करना चाहूंगा। वह उत्तर उस सहायता के बारे में है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है—कि भारत विशेष सहायता के लिए विश्व बैंक और आई. एम. एफ. के पास पहुंचा है। सामान्य सहायता हमारे पास उपलब्ध है। मैंने अभी-अभी यह कहा है कि हम इसका प्रबन्ध करने में सक्षम होंगे, हमें किसी विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री एच. एम. पटेल : महोदय, माननीय मन्त्री ने यह उल्लेख किया है कि हम गम्भीर स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि वे इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करें कि वे अनुपात की कितनी प्रतिशतता को चिन्ताजनक समझेंगे ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां उस स्थिति को चिन्ताजनक समझती हैं जबकि अर्थव्यवस्था ऋण भुगतान को कायम रखने में असमर्थ रहती है । इसे विशेष रूप से तब चिन्ताजनक समझा जाएगा जब ऋण भुगतान हमारे आर्थिक विकास में भारी बाधा उत्पन्न करेगा । मैंने यह बात कही है और मुझे इस बात का स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि श्री पटेल ने इस प्रश्न को उठाया है ।

मुद्दा यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऋण स्थिति में बिलकुल भी नहीं है । हमारी अर्थव्यवस्था अत्यन्त मजबूत है और इसमें अभूतपूर्व मजबूती है । मैं माननीय सदन को सन्तुष्ट करने के लिए कुछ संकेतकों का उल्लेख करना चाहूंगा । वर्ष 1987-88 में भारी सूखे के बावजूद भी जी. एन. पी. में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई.....

प्रो० मधु दंडवते : वे इस प्रश्न को नहीं पूछ रहे हैं । साधारण प्रश्न यह है कि ऋण अनुपात के बारे में हमारे देश के लिए कितनी प्रतिशतता सुरक्षित है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऐसे कोई निर्धारित आंकड़े नहीं है, जिनमें इस प्रतिशतता का उल्लेख किया जा सके । इस बारे में संकेतकों की एक श्रेणी है । यह उनमें से एक श्रेणी है अर्थात अब तक कोई समस्या नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व मजबूती पकड़ रही है । ((व्यवधान)

गुजरात में वित्तीय तंगी

*780. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात सरकार को गम्भीर वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की वार्षिक योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अपनी वृहत वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता हेतु एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य सरकार की मांग की तुलना में उसे वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) पूरी सहायता उपलब्ध न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) गुजरात की 1989-90 की वार्षिक योजना को राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए सुझावों और विचारों पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया है । इस योजना का पूर्ण वित्त-पोषण राज्य के संसाधनों तथा 298.09 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से किया गया है । आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । उपर्युक्त को देखते हुए पूर्ण केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ साथियों ने बताया है कि मन्त्रालय गुजरात राज्य को अधिक वित्तीय सहायता नहीं देगा।

राज्य में तीन वर्षों के भयंकर सूखे के दौरान राज्य सरकार राहत कार्यों पर 1500 करोड़ रुपये पहले ही खर्च कर चुकी है। इसके बदले में चालू योजना में 299.9 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। सरकार ने 1500 करोड़ रुपये मुख्यत: सूखा प्रभावित किसानों पर खर्च हैं जिसमें बिजली के देय भुगतान का स्थगन और राजस्व के भुगतान में छूट भी शामिल है। इस तथ्य को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय विशेषत: श्री गढ़वी को बताना चाहता हूं क्योंकि वह गुजरात के निवासी हैं इसलिये वह राज्य की कठिनाइयों को जानते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार को अधिक धनराशि आवंटित करने के लिये समझा सकते हैं।

श्री बी के गढ़वी : महोदय, भारत सरकार पहले ही योजना और राहत कार्य के लिये अत्यधिक धनराशि पहले ही दे चुकी है। जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपये था तथा 1961.67 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी जो छठी पंचवर्षीय योजना से 75.7 प्रतिशत अधिक है। 1988-89 में वार्षिक योजना के लिए 253.05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी जो 1987 88 से 5.29 प्रतिशत अधिक है। 1989-90 में 298.09 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी जो 1988-89 से 17.8 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार यह प्रशंसनीय बात है कि जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, इसमें प्रति वर्ष वृद्धि की गयी है तथा सूखा और अन्य कार्यों के लिये भी केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की गयी है, बाजार ऋणों, अन्य ऋणों तथा छोटी बचतों को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में मूल लक्ष्य 1220 करोड़ रुपए का रखा गया परन्तु इसमें संशोधन करके 1760 करोड़ रुपये कर दिया गया उसमें से 75 प्रतिशत ऋण आपको मिल रहा है। बाजार ऋण 791 करोड़ रुपये था जबकि हमने 997 करोड़ रुपये की अनुमति दी है। 1052 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता दी गयी जिसमें अब वृद्धि करके अनुमानत: 1294 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि गुजरात सरकार को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है। जहां तक सूखे का सम्बन्ध है, यह सच है कि गुजरात और राजस्थान में भयंकर सूखे की स्थिति है। गुजरात देश का दूसरा राज्य है जिसे अतिरिक्त सहायता मिल रही है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : गुजरात को बहुत कम केन्द्रीय सहायता दी गयी है।

श्री बी० के० गढ़वी : 1987 88 में गुजरात को कुल धनराशि की 20 प्रतिशत सहायता मिली जो सम्पूर्ण देश के लिये थी।

1988 89 में गुजरात को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत सहायता मिली जो समूचे देश के लिये थी।

जितना गम्भीर सूखा था केन्द्र उतना ही उदार था।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप भी नहीं दिया गया है, क्या मुझे सरकार से आश्वासन मिल सकता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित की जायेगी।

श्री बी० के० गड़वी : आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु वित्त मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है और हमारा यह दृष्टिकोण है कि जहां तक देश के विकास सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है, हम बहुत इच्छुक हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिक सचेत हैं कि उन्हें सम्पूर्ण देश में उचित रूप से चलाया जाए।

[हिन्दी]

श्री शान्ति लाल पटेल : उपाध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आपने बताया कि गुजरात को अधिक सहायता देते हैं और गुजरात की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पिछले महीने में गुजरात ने अधिकारियों का पेट भरने के लिए पब्लिक अण्डरटेकिंग्स से 100 करोड़ रुपये का लोन लिया है, ये वे भी नहीं कर सकते हैं अभी भी पत्र निकालकर बताया है कि 10 लाख से ज्यादा पैसा गुजरात सरकार किसी को नहीं दे सकती है, गुजरात की आर्थिक स्थिति इतनी दुबली हो गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई कण्ट्रोल ही, नहीं है, चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। गुजरात की दुबेली आर्थिक स्थिति के बारे में केन्द्र के जो मन्त्री उधर जाते हैं वह कहते हैं कि हम इतना पैसा सूखे में देंगे लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता है। प्रधान मन्त्री उधर जाते हैं, भ्रमण करते हैं गुजरात के राजकोट में, कच्छ में, फिर भी पैसा नहीं देते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात गवर्नमेण्ट ने जो पैसा मांगा था उसमें से उसको कितना पैसा अब तक दिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री बी० के० गड़वी : मैं गुजरात राज्य के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि केन्द्र ने सब कुछ उदारता पूर्वक दिया है। यह सच है कि प्रत्येक राज्य को अपने प्रयास करने हैं तथा इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य का सम्बन्ध है, 1243 करोड़ रुपये के राज्य के निजी संसाधन थे। 1,295 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये गये। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि बिना किसी कारण के राज्य के निजी संसाधनों में 580 करोड़ रुपये की कमी आ गई जिसके फलस्वरूप 2,938 करोड़ के स्थान पर 1,249 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई उस स्थिति में केन्द्र ने छोटी बचतों के लिये ऋण, बाजार ऋण तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में 3,062 करोड़ रुपये की सहायता दी इस प्रकार कुल योजना में 700 करोड़ रुपये के लगभग कमी आयी इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल गुजरात ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों को भी संसाधन जुटाने और अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि वे कोई आर्थिक अभियान शुरू करें तो यह स्वागत योग्य बात है तथा मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त

*782. श्री एस० एम० गुरुड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो महंगाई भत्ता किस दर से देय हो गया है; और

(ग) इसे कब तक मंजूर किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) महंगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि 3500/- रुपए तक मूल वेतन पाने वालों, 3500/- रुपए से अधिक किन्तु 6000/- रुपए तक मूल वेतन पाने वालों और 6000/- रुपए से अधिक मूल वेतन पाने वालों के लिए क्रमशः 6%, 5% तथा 4% की दर से 1-1-1989 से देय हो गयी है ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : महोदय, पिछली बार भी मन्त्री महोदय ने ऐसा ही जवाब दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको संतुष्ट किया जायेगा कि कोई अन्तर्विरोध नहीं है ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : यह बताया है कि महंगाई भत्ते की किस्त देय है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है । चार महीने बीतने के बाद भी महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा करने में विलम्ब का क्या कारण है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बी० के० गढ़वी : यह बात सही नहीं है कि चार महीने व्यतीत हो गये हैं । सच तो यह है कि जब महंगाई भत्ते की किस्त जुलाई में देय होती है तो हम इसे सितम्बर में देते हैं और जब यह जनवरी में देय होती है तो मार्च में देते हैं । इस प्रकार केवल एक महीने बीतता है । मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : नियम समझना बड़ा कठिन है चौथे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो जाये तो सरकार को स्वतः ही महंगाई भत्ते की किस्त की घोषणा कर देनी चाहिए तथा यह कर्मचारियों को वर्ष में दो बार मिलनी चाहिए । यदि ऐसा है तो सरकार देय के संचयन से बचने के लिए महंगाई भत्ते की किस्त समय से क्यों नहीं दे रही है ? यदि देय संचयन लगातार बढ़ता रहेगा तो सरकार को इसे देने में कठिनाई होगी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में उस महीने में महंगाई भत्ते की किस्त की घोषणा करने का विचार कर रही है जिसमें यह देय है तथा क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ।

श्री० बी० के० गढ़वी : प्रश्न यह है कि जिस महीने में यह देय है इसे उसी महीने में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका हिसाब लगाया जाता है तथा इसे एक या दो महीने बाद दिया जाता है । यह हिसाब की प्राकृतिक प्रक्रिया है । परन्तु जहां तक महंगाई भत्ते में वृद्धि का सम्बन्ध है; हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि यह क्रमशः 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत देय है । तदनुसार महंगाई भत्ते का हिसाब लगाया जायेगा और इसका भुगतान कर दिया जायेगा । महंगाई भत्ते की कोई सी भी दो किस्तें एकत्रित नहीं हुई हैं । हमें एक वर्ष में महंगाई भत्ते की दो किस्तें देनी हैं । हम नहीं चाहते कि दो किस्तों को एक साथ मिलाया जाए । इसलिये मैंने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है ।

श्री एम० वाई० घोरपडे : महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं । जब केन्द्रीय सरकार केन्द्र स्तर पर महंगाई भत्ते को स्वीकृत देती है तो क्या यह राज्य स्तर पर पड़ने

वाले प्रभाव को ध्यान में रखती है, इसका इसके विकास सम्बन्धी प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि उचित प्रस्ताव है तो क्या सरकार राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने पर विचार करेगी और जहां तक महंगाई भत्ते का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्णय करेगी ? वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से भी यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है कि इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचार विमर्श किया जाए।

श्री बी० के० गड़ची : सच यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और महंगाई भत्ता उनका विषय है। राज्य सरकारें अपने वेतन आयोगों की निरंतर नियुक्ति कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये यह खुशी की बात है कि 11-12 वर्ष के बाद चौथे वेतन आयोग का गठन किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान राज्यों ने तीन या चार वेतन आयोगों की नियुक्ति की है। इसलिये हमें इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हम जानते हैं कि बाजार में मुद्रा चलन का मूल्यों और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किस्त देने में भी सम्पूर्ण पहल पर विचार कर रहे हैं। हम निश्चितरूप से अपने सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं। अपने मामलों को निपटाना राज्य सरकारों का कार्य है।

वित्त मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : महोदय, माननीय सदस्य ने यह बड़ा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है कि जब केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को अनुदान देती है तो इसका राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ता है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी प्रकार की नीति निर्धारित की जाए। हम निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। परन्तु अभी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते। जहां राष्ट्रपति शासन है वहां महंगाई भत्ता केन्द्र द्वारा दिया जायेगा।

निर्यात किये जाने वाले माल की कार्गो काम्पलेक्स से निकासी न होना

[हिन्दी]

*783. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री कमला प्रसाद सिंह } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्सपोर्टर्स फोर्स्ड टु कैंसल 20 करोड़ आर्डर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है। 2000 टन माल कार्गो काम्पलेक्स में रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और निर्यात व्यापार को इसके कारण कितनी हानि होगी; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) : एक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। लेकिन आदेशों को रद्द किये जाने के बारे में किसी विशेष मामले की सरकार की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) जनवरी से जून तक के व्यस्त मौसम के दौरान, निर्यात कार्यों में तेजी के कारण, हवाई मार्ग से माल के निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना तथा क्षमता पर दबाव रहता है। तथापि, अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था के लिए तथा संचित माल की निकासी के लिए मंत्रालयों तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से सघन उपाय किये गये हैं, जिनमें, नागरिक उड्डयन के महा-निदेशक, सीमा शुल्क, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण तथा एयरलाइन्स शामिल हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं : ओपन स्काइज नीति अपनाना, जिसमें अनुसूचित वायुयान तथा गैर अनुसूचित चालकों को अन्दर लदान के लिए अधिकार सहित अतिरिक्त उड़ान की व्यवस्था की अनुमति भी शामिल है, बैंटवे एयरपोर्ट पर गुड्स टर्मिनल में माल जमा करने की क्षमता बढ़ाना, चार्टर्स पर्यटक संचालकों को भारत से वापसी उड़ान पर निर्यात खेप को ले जाने की अनुमति देना, आई० ए० ए. आई के गोदाम में निर्यात खेप के लिए विलम्ब शुल्क मुक्त अवधि को 6 दिन से बढ़ाकर 11 दिन करना तथा सिले-सिलाए परिधानों के काटा की समाप्ति की तारीख 17 से 30 अप्रैल, 1989 तक बढ़ाना आदि।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट कार्गो कम्पलेक्स पर आए माल को न उठाये जाने के कारण 20 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात आर्डर रद्द कर दिये गये थे। तथ्य यह है कि ऐसा पहली बार नहीं किया गया है कि आर्डर रद्द किये गये हों लेकिन यह नियमित आर्डरों के लगातार रद्द किये जाने के फलस्वरूप किया गया है। न केवल 20 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर ही रद्द किये गये बल्कि शिपमेंट के लिए प्राइवेट निर्यातकों कौम एजेंटों के गोदामों में 30 करोड़ रुपये के मूल्य का माल पड़ा हुआ है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। समूचा देश अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, आर्डर रद्द किये जा रहे हैं और हम शिपमेंट के लिए प्रबंध करने में असफल रहे हैं। उत्तर में, मंत्री जी ने बताया है कि निर्यात आर्डरों को रद्द करने के बारे में नहीं बताया गया है। मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि वे रद्द किये गये थे। मंत्री जी को इसे स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें हमारे पक्ष में उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि उन्हें रद्द नहीं किया गया था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सरकारी तौर पर, न तो निर्यातकों द्वारा और न ही निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जिसे एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहा जाता है, ने मंत्रालय को बताया है कि कार्गो के उपलब्ध न होने के कारण आर्डर रद्द कर दिये गये थे। तथापि, हम माननीय सदस्य से सहमत हैं कि उसमें समस्या है और इस समस्या को एक तरफ से हमारे विभाग और कस्टम की सहायता से नागर विमानन मन्त्रालय द्वारा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई विशेष निर्यातक या कोई विशेष माल की खेप जो माननीय सदस्य जानते हैं, तो वह हमें बताएं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। लेकिन आमतौर से मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि तथ्य यह है कि देश में हवाई मार्ग से माल का निर्यात 35 प्रतिशत होता है जिसमें बम्बई और दिल्ली एयरपोर्ट का मुख्य रूप से योगदान है। दिल्ली 'गेटवे' होने के कारण फरवरी के अन्त से लेकर अर्थात् मार्च से जून तक जो निर्यात के लिए व्यस्त मौसम होता है, हवाई अड्डों पर इस

प्रकार के पिछले आर्डर इकट्ठे हो जाते हैं और हम इनका निपटान समय-समय पर सम्बन्धित एजेंसियों के साथ करते हैं। लेकिन अब हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि कार्गो के अलावा हम इसके लिए एक दीर्घकालीन नीति का निर्माण कर सकते हैं। हमारा मन्त्रालय इस विषय पर सक्रियता से विचार कर रहा है और इस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जायेगा। समय-समय पर अल्पकालिक उपाय के रूप में हम इस पर निगरानी कर रहे हैं। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की सहायता से और दैनिक माल जमा कराने की सुविधाओं के कारण, वहां पिछले आर्डरों का ढेर जमा हो जाता है, विलम्ब शुल्क जो छः दिनों बाद लिया जाता था, अब उसे 11 दिनों तक बढ़ा दिया गया है और सिले-सिलाये परिधानों के कोटा की समाप्ति की तारीख 17 से 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है यह उपाय किये गये हैं। आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हम चुपचाप नहीं बैठे हैं हम उनके सम्पर्क में हैं क्योंकि वे देश के लिए योगदान दे रहे हैं। हम जहां तक सम्भव हो सके समस्या निपटाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण एयरलाइनों को लाखों रुपये के बिल भेज रहा है क्योंकि एयरलाइन हवाई मार्ग से माल उठवाने में असमर्थ हैं। अब मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रश्न पूछने के बाद मन्त्री जी ने अपने उत्तर में एयरपोर्ट पर माल रखने की अवधि छः से 11 दिन तक बढ़ा दी है। लेकिन हाल ही की स्थिति के अनुसार इस अवधि में वृद्धि सहायक नहीं हुई है। स्थिति ऐसी है कि वहां पूर्णतया अव्यवस्था, भ्रान्ति और अनिश्चितता विद्यमान है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस अवधि को 6 से 11 दिन बढ़ाई गई अवधि को कम से कम 2 सप्ताह तक बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे जिससे कि एयरलाइनों को भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लाखों रुपयों के बिल न भेजें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि कोई सुधार नहीं किया गया है और हमने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। तथ्य यह है कि जब कि जनवरी से अप्रैल 1987 तक माल ढुलाई की क्षमता में अतिरिक्त भार केवल 4709 टन का था, हम जनवरी से अप्रैल 1988 तक 9308 टन तक की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। इस वर्ष यह उससे अधिक है। माननीय सदस्य प्रशंसा करेंगे कि हमने अतिरिक्त क्षमता लगभग 100% तक बढ़ा ली है।

जहां तक उड़ान संचालन का सम्बन्ध है, नियमित कार्गो संचालन के अलावा, हमने अतिरिक्त विशेष उड़ानों को स्वीकृति दी है। वास्तव में विकास दर 1986 में 143; 1987 में 159 उसके द्वारा 1·% विकास 1988 में 225। अतिरिक्त उड़ानों से 58% विकास दर से वृद्धि हुई और जनवरी से मार्च 1989 की अवधि के दौरान हमने 231 तदर्थ चार्टरों को स्वीकृति दे दी है यद्यपि वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अधिक छूट देने की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है। हम सम्बन्धित पार्टियों की इच्छाओं के आधार पर समय-समय पर विमान पत्तन प्राधिकरण से एक बार फिर इस बारे में बात करने के लिए तैयार है।

मैं माननीय सदस्य को फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निर्यातकों की समस्याओं पर नियमित रूप से ध्यान देते हैं और हम इसे दैनिक निगरानी के आधार पर करते हैं। अगर किसी

विशेष पार्टी की कुछ विशेष कठिनाई है तो माननीय सदस्य हमें विशेष रूप से उस मामले का हवाला दे सकते हैं। हम निश्चय ही इस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कारगो रुके हैं, पिछले साल भी हुआ था और उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था। आज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी जनवरी से लेकर मार्च के बीच अक्सर ऐसा होता है कि कारगो रुक जाते हैं, उसका नतीजा एक्सपोर्टर को भुगतना पड़ता है, उसको बैंक से पैसा नहीं मिलता, वह अगला माल तैयार नहीं कर सकता, उसकी अगली एल सी नहीं खुल सकती जो एल सी एक्सपायर हो गई वह बन नहीं सकती। इस तरह से उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले अनुभवों के आधार पर इस साल क्या कदम उठाए गए जिससे उनको दिक्कत न हो, फिर भी उनको दिक्कत हुई तो उसके क्या कारण थे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जहां तक कारगो द्वारा निर्यात का सवाल है, यह बात सही है कि हमारा निर्यात बढ़ा है, देश के लिए यह खुशी की बात है। हर साल करीब 100% निर्यात बढ़ रहा है सारा मिलाकर, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सामान तैयार किया हुआ निर्यात किया जाता है, इसमें ज्यादा मात्रा पेरीशिबल गुड्स की होती है जो जल्दी खराब हो जाता है और लेदर गुड्स होता है। इसका मैंडेटरी फ्रेट आर्डर है जो कि बहुत कम भाड़े पर ले जाना होता है, इसलिए जो कमर्शियल आपरेशन कारगो वाले करते हैं, वे नहीं चाहते कि इतने कम भाड़े में इतना सामान लेकर जाएं। जिसमें ज्यादा भाड़ा मिलता है उसमें हमारा जो हिस्सा एक्सपोर्ट में होता है. उसमें उनका हिस्सा 50% से कम होता है, यह एक प्राब्लम है। दूसरी प्राब्लम है कि एयर इंडिया द्वारा 20% हम कारगो आपरेट कर सकते हैं, बाकी हम नान शेड्यूल और शेड्यूल चार्टर्ड फ्लाइट्स द्वारा करते हैं। बढ़ते हुए एक्सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि शार्ट टर्म प्राब्लम्स जो हम हल कर रहे हैं यहां से चार्टर्ड करके या वहां से बुलाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिविल एविएशन प्लान का टोटल प्लान बना रहे हैं, उसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और आगे स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम योजना बना रहे हैं। कामर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ठोस कार्यक्रम हों, ताकि उनकी तकलीफ शार्ट टर्म सैटल करने का मौका मिले, लांग टर्म को भी ध्यान में रखते हुए कारगो आपरेशन के बारे में देश के अंदर कारगो बढ़ाया जाए इसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, बाहर के टूरिज्म के सिलसिले में टूरिस्ट अपने साथ कारगो में ले जाएं, इस तरह से योजना के बारे में सोच रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ-साथ अगर हम कारगो की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो इससे नुकसान होगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा। इसलिए सरकार इसके बारे में उचित कदम उठाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

श्री बी० तुलसी राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपोर्टर्स जो सामान भेजते हैं उसमें कई ऐसा माल होता है जो कच्चा माल होता है। यह माल नहीं भेजने से उनको लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। अतः क्या आप खास तौर से जल्दी से जल्दी सारे एयरपोर्टों में यह माल भिजवाने के लिये कोई उपाय करने जा रहे हैं? हमने एक्सपोर्टर्स से सुना है कि वहां कई गड़बड़ियां होती हैं। वह किसी का माल भेजते हैं और किसी का माल भेजते ही नहीं हैं। इसमें क्या कुछ चक्कर है यह आप हमें बतायें। मैं तुलनात्मक दृष्टि से तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह जानना चाहता

हूं कि क्या आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं ? अगर आई हैं तो क्या आपने उनकी इनक्वायरी करवाई है या फिर आप उन्हें करवायेंगे ? हैदराबाद से ऐसा सामान जो जाता है क्या उसके लिये कोई उपाय सोच रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने आदरणीय सदस्यों को प्रश्नों के जवाब में पहले ही कहा है कि कच्चा माल बहुत कम मात्रा में होता है। हम चाहते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल कैरी करें। हमारे पास कोई खास शिकायत कनसाइनमेंट के बारे में नहीं आई है। ऐसी कोई भी शिकायत अगर हमारे पास आयेगी तो उन पर जरूर कार्यवाही करेंगे। जहां तक कच्चे माल का सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसका निर्यात ज्यादा नहीं होता है। हमारे देश की कार्गो के अलावा जो बाहर की कार्गो होती हैं वह प्रेफरेंस दूसरी चीजों को देती है और वह कच्चे माल को लेकर जाना पसन्द नहीं करती हैं। वह कपड़ों को प्रॉयरटी देती है क्योंकि इसमें उसको ज्यादा माल मिलता है। कच्चे माल के बारे में हमने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एथॉरटी बनाई है। हम उसके साथ बैठ कर प्लान बना रहे हैं। कार्गो फैसिलिटी और स्टोरिंग फैसिलिटी एयरपोर्ट के नजदीक किस ढंग से बनाई जा सकती है इसका खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिल सकें।

केरल में रेल रोको आन्दोलन

[अनुवाद]

*784. प्रो० के०वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 मार्च, 1989 को केरल में रेल रोको आन्दोलन के कारण रेलवे को कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ख) क्या आन्दोलन के दौरान रेलवे की सम्पत्ति को नुकसान हुआ अथवा नष्ट की गई; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आन्दोलन के कारण कितनी रेल सेवाओं को रद्द किया गया अथवा स्थगित किया गया ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सही मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 39 यात्री गाड़ियों और 21 माल गाड़ियों को पूर्णतः रद्द कर दिया गया था। 44 यात्री गाड़ियों को अंशतः रद्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

प्रो० के०वी० थामस : महोदय, केरल में 28 मार्च, 1989 का 'रेल रोको' आन्दोलन मार्क्सवादी पार्टी और एल डी एफ सरकार का एक राजनीतिक 'टोरनेडो' (तूफान) था और वह रेलवे प्रवालों को ठप्प करना चाहते थे। वर्ष 1982-87 के दौरान जब उस राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में

थी तो मार्क्सवादी पार्टी ने एक आन्दोलन छेड़ा था कि···(व्यवधान) मैं उनकी सहायता करूंगा। वह कुछ समय बाद बेरोजगार हो जायेंगे (व्यवधान)

उपध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया प्रश्न पूछिये।

प्रो के०वी० थामस : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

वर्ष 1982-87 के दौरान जब केरल राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो मार्क्सवादी पार्टी ने एक आन्दोलन छेड़ा कि राज्य सरकार को बेरोजगार युवकों को रोजगार या बेरोजगार भत्ता देना चाहिए। अब वे उस राज्य में सत्ता में वापिस आ गये हैं। (व्यवधान) महोदय, मैं प्रासंगिक प्रश्न रख रहा हूं। अब राज्य सरकार और मार्क्सवादी पार्टी कहती हैं कि केन्द्र सरकार को रोजगार या बेरोजगार भत्ता देना चाहिए और इसी संदर्भ में यह रेल रोको आन्दोलन हुआ (व्यवधान) वह व्यवधान क्यों डाल रहे है ? मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। वह कुछ समय बाद बेरोजगार हो जायेंगे। अब राज्य सरकार और मार्क्सवादी पार्टी ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध केरल में रेलवे प्रणाली को ठप्प करने के लिए एक आन्दोलन किया। केरल राज्य खाद्यान्न, ईंधन और अन्य वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से रेलवे प्रणाली पर निर्भर करती है। जब कभी इस देश में राजनीतिक आन्दोलन होते हैं तो इससे रेलवे प्रणाली को नुकसान पहुंचता है।

एक तरफ हमारे विपक्षी दल के साथी बता रहे हैं कि विकास किया जाना चाहिए लेकिन, जब राजनीतिक आन्दोलन होते हैं जिससे रेल प्रणाली पर प्रभाव पड़ता हैं जो देश में विकास का मुख्य साधन है यह कैसे सम्भव है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी राजनीतिक पार्टियों की यह देखने के लिए एक मीटिंग बुलायेंगे जब राजनीतिक आन्दोलन होते हैं तो इससे देश के विकास का यह मुख्य साधन अकेला पड़ जाता है।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : माननीय सदस्य ठीक कह रहे है कि जब कभी लोगों के नाम पर ऐसे आन्दोलन होते हैं तो उससे उन क्षेत्रों में काफी नुकसान होता है तो जहां ऐसे आन्दोलन होते हैं वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है उन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और निम्न आय वर्ग के लोग जो इन रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। रेल रोको आन्दोलन जिसे माननीय सदस्य ने 104 गाड़ियों को आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द करने के बारे में पूछा है। यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां रेलवे को आधार बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि ध्यान आकर्षित करने का यह बहुत आसान तरीका है। वे आकर रेल लाइन में बैठ जाते हैं इन अनर्थकारी प्रयासों से, जो लोग इन गाड़ियों के द्वारा आते जाते हैं, उन लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है जिसे ये तथाकथित राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि वे उनकी सेवा कर रहे हैं।

मैंने लोक सभा तथा राज्य सभा में बार-बार यह अपील की है कि राजनीतिक दलों को विशेषकर ऐसे मामलों को जिनका रेलवे से सीधे सम्बन्ध नहीं है उन्हें यहां पर उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें रेल रोको आन्दोलनों से बचना चाहिए। असल में जनवरी से अप्रैल के महीनों के दौरान 947 रेल गाड़ियों के लिए बाधा खड़ी की गई। इसके कारण ही मुझे सम्बन्धित राज्य सरकारों से मिट्टी के तेल और खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहीं। मैं यह आश्वासन करूंगा कि इसका इस प्रश्न विशेष से पूरी

तरह सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने जनता की सेवा करने के लिए और यह देखने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास किये हैं कि वहां पर आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। वास्तव में हमारे बहुत से कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया है और उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई है। यही सेवा है जो कि वे गंभीर खतरों के बीच पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन प्रो. थामस की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे आन्दोलन यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए शुरू किये गए हैं वास्तव में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके पास कोई अन्य मामला नहीं है, यह बहुत ही आसान बात है कि आओ और रेल पटरी पर बैठ जाओ, और वे इसी का सहारा ले रहे हैं। कानपुर में, मेरे विचार में यह नुकसान 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच होगा।

वे राजनीतिक दल जो कि 'रेल रोको' आन्दोलनों का सहारा ले रहे हैं वे उस क्षेत्र विशेष के आम लोगों, मध्यम और कम मध्यम आय वर्गों के लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

प्रो० के० वी० थामस : ये केवल वे निराश लोग ही हैं जिन्हें जीवन में कोई कार्य नहीं रह गया है वे चलती रेल गाड़ियों के समक्ष कूद पड़ते हैं। इसी प्रकार वे राजनीतिक दल जो कि रेल व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, वे निराश हो गए हैं और उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। आपकी अनुमति से मैं उनमें अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछना हूं। पेरूमन दुर्घटना के बाद आयुक्त ने एक रिपोर्ट दी थी और उसमें यह कहा गया है कि यह दुर्घटना बवण्डर के कारण हुई है। केरल में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। क्या मन्त्री यह देखने के लिए कि वास्तव में यह दुर्घटना कैसे हुई थी और दूसरी दुर्घटनाओं में वास्तव में क्या हो रहा है, उसके लिए एक और स्वतंत्र और कुशल संस्था की नियुक्ति करेंगे इस प्रकार की रिपोर्टों से अधिक सहायता नहीं मिलती है।

श्री माधव राव सिन्धिया : इसका इस प्रश्न विशेष से सम्बन्ध नहीं है लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुक्त, रेलवे सुरक्षा पर मेरा अधिकार नहीं है। वह नागर विमानन मन्त्रालय के अधीन है। यह एक तकनीकी रिपोर्ट है आयुक्त, रेलवे सुरक्षा ने 99.99 प्रतिशत बार दोष रेलवे का ही बताया है और हमने इसे प्रायः स्वीकार किया है। अब जब उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी है हम उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें कुछ तकनीकी पहलू हैं। इससे पहले कि आप इसे खिड़की से बाहर फेंके, मेरा यह सुझाव है कि जो भी इस पर टिप्पणी करना चाहता है, यहां तक कि केरल में जो उच्च पदों पर हैं, उन्हें कृपया कम से कम इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें इन्जिनियरों द्वारा इसका अध्ययन कराना चाहिए और वह यह देखें कि इसका कुछ मतलब निकलता है और तब इस पर टिप्पणियां करें। किसी भी मामले में यह मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। यह प्रश्न नागर विमानन मन्त्रालय को भेजा जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केरल में गत एक वर्ष के दौरान बार बार रेल गाड़ियों के पटरियों से उतर जाने के कारण कितनी रेल गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे ने रेल गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में कोई अनुमान लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप 'रेल रोको' का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सुरेश कुरुप : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप 'रेल रोको' के बारे में पूछें तो ठीक है अथवा मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इसका इससे सम्बन्ध है, आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। रेल गाड़ी का पटरी से उतरना 'रेल रोको' नहीं है। आपका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : यह अप्रासंगिक कैसे हो सकता है ? मैंने मन्त्री जी से प्रासंगिक प्रश्न पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है। लेकिन इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैंने रेल गाड़ियों के पटरियों से उतरने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप 'रेल रोको' के बारे में पूछें तो यह ठीक है।

श्री सुरेश कुरुप : मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप अनुमति क्यों नहीं देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप 'रेल रोको' से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। लेकिन यदि आप अन्य बातों की ओर जाते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुरुप : आप यह प्रश्न कैसे अस्वीकार कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे पूछ सकते हैं ? इसका इसके साथ सम्बन्ध नहीं है। कृपया दबाव न डालिए। यह तरीका नहीं है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप 'रेल रोको' के बारे में पूछें मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं लेकिन रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने के बारे में अनुमति नहीं दे सकता। आपका प्रश्न पूरी तरह भिन्न है। इसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। समय नष्ट न कीजिए। जब मैंने अपना निर्णय दे दिया है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इसके लिए फेर नहीं दे सकते। इस तरह जोर न दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह गर्मी का मौसम है। मन्त्री जी ने आन्दोलन के बारे में लोगों से अभ्यावेदन के बारे में उल्लेख किया है। मेरा अनुमान है कि उन्हें वह अभ्यावेदन मिल गया है। गर्मी के मौसम के दौरान, यदि वह केरल और दक्षिण क्षेत्र के लिए भारी यातायात को देखते हुए नई रेलगाड़ी की अनुमति नहीं देते हैं तो उसके लिए एक और आन्दोलन हो सकता है। मैं इसके बारे में मन्त्री से जानना चाहता हूं···।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

कुछ संगठनों को निगमित एवं अन्य करों से छूट

*786. श्री रेणुपद दास
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ संगठनों को निगमित एवं अन्य करों से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों के ब्यौरों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी धन-राशि की छूट दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार को निगमित कर में छूट देने के लिए कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हाल ही में कुछ संगठनों को इस कर से छूट दी गई थी, यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. अनेकों संगठनों को निगम कर अथवा आयकर की अदायगी करने से छूट दी गई है । यह छूट या तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई है अथवा उस संगत अधिनियम में यथा-उपबन्ध के अनुसार सीधे दी गई है, जिस अधिनियम के अध्यधीन उक्त संगठन की स्थापना की गई है ।

2. निगम कर तथा आयकर से छूट के सम्बन्ध में धर्मार्थ कार्य-कलाप, वैज्ञानिक अनुसंधान, खेल-कूद का संवर्द्धन तथा पारस्परिक निधि कार्य-कलाप करने वाले विभिन्न संगठनों से अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । किसी संगठन को निगमकर अथवा आयकर से छूट प्रदान करने के मामले में कार्यवाही करना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है तथा यह छूट आयकर अधिनियम के संगत उपबन्धों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए दी जाती है तथा यदि इस अवधि के पश्चात् इसका पुनः नवीनीकरण नहीं करवाया जाए तो यह छूट समाप्त हो जाती है । छूट प्रदान करने वाली अधिसूचनाओं को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

3. सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली से निगमकर से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकार्य नहीं पाया गया ।

4. कुछेक संगठनों को अभी हाल ही में उनकी अपनी-अपनी संविधियों के अध्यधीन निगम-कर से छूट प्रदान की गई है । वे संगठन ये हैं :—

(1) द नेशनल हाऊसिंग बैंक (एन० एच० बी०) ।

(2) द हाउसिंग एंड अरबन डवेलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्योंकि समय थोड़ा है, मैं अपने पूरक प्रश्नों के लिए मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि कई संगठनों को कानून के अन्तर्गत अथवा उनके प्रत्यक्ष निर्णय के अनुसार कर में छूट दी गई है । इस कर छूट के लिए संगठनों के स्वरूप के बारे में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या वे धर्मार्थ संगठन हैं अथवा कुछ अन्य संगठन हैं । मैं यह

भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने संगठन इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और उनमें से कितने संगठनों का किसी न किसी तरीके से हमारे देश के बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध है।

श्री ए. के. पांडा : क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे उनके लिए स्पष्ट उत्तर देना चाहिए, जहां तक मुझे याद है सम्पूर्ण भारत में 110 से अधिक संगठन इस छूट का लाभ उठा रहे हैं। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर इस समय देना कठिन है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या दूसरे भाग का उत्तर आप बाद में देंगे ?

श्री ए. के. पांडा : यदि माननीय सदस्य मुझे पत्र लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप में सूचना एकत्र करूंगा और उन्हें दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं दूसरा पूरक प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, उनकी पृष्ठ भूमि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है, क्योंकि जब हम 1950-51 से 1987-88 तक की स्थिति की तुलना करते हैं, जबकि कुल कर राजस्व 90 गुणा बढ़ा है तो प्रत्यक्ष कर राजस्व में केवल 32 गुणा वृद्धि हुई। वित्तीय कानूनों में बहुत-सी रियायतों के कारण, यद्यपि कम्पनियां फल-फूल रही हैं। लेकिन कर ठीक तरह से एकत्र नहीं किया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट में अनियमितताओं के बारे में बहुत से उल्लेख किए गए हैं। जिन कम्पनियों के मामले में आप कुछ रियायतें देते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं, उनके लिए आप कोई उचित निगरानी किया विधि अपनाने जा रहे हैं ?

श्री ए. के. पांडा : वित्त विधेयक में संशोधन किये जाने के बाद कानून यह कहता है, जो कि अब विचाराधीन है —इससे पूर्व यह एक निश्चित अवधि के लिए अथवा अनिश्चित अवधि के लिए था—अब उसमें यह निर्धारित किया गया है कि तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा। अवधि समाप्त होने के बाद हर बार इसकी जांच की जाएगी कि क्या छूट प्राप्त करने के लिए जो शर्तें रखी गई थीं, वे उन शर्तों के अनुसार कार्य कर रही हैं। अगर किसी संस्था विशेष अथवा धार्मिक संस्था के खिलाफ कोई निश्चित शिकायत मिलती है, तो यदि वे किसी संविधि विशेष अथवा आय कर अधिनियम में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते, तो उस छूट को वापस लेने का हमारे पास अन्तर्निष्ठ अधिकार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुद्रेमुख लोह अयस्क का रुमानिया को निर्यात

[अनुवाद]

*781. श्री वी. कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया कुद्रेमुख से लोह अयस्क का आयात करने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो रुमानिया द्वारा दिये गये निर्यादेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कुद्रेमुख से उक्त देश को कितने लोह अयस्क का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वेश सिंह) : (क) से (ग) रुमानिया के मै० मिनरल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (एम. आई. ई.) ने वर्ष 1988 से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मे. टन लोह अयस्क

सान्द्रण तथा छर्रों की खरीद हेतु मै. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. के साथ वर्ष 1988 में एक दीर्घावधि संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। किन्तु रूमानिया ने वर्ष 1988 में कुछ भी मात्रा नहीं खरीदी थी। वर्ष 1989-90 में रूमानिया को लौह अयस्क सान्द्रण अथवा छर्रे सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन्य जीवों तथा पौधों का संरक्षण

*787. श्री एस० एम० गुरड्डी }
श्रीमती बसवराजेश्वरी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि पौधों और जन्तुओं को लगभग 60 लाख प्रजापतियों के प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान न किया गया तो उनके विलुप्त होने का खतरा है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और आर्थिक विकास कार्यक्रमों को दोषपूर्ण आयोजनों के कारण वनक्षेत्रों का विनाश हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में (आर्थिक कार्य विभाग में) राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) सरकार को विश्व बैंक की इस प्रकार की किसी विशिष्ट रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में चाय बागान लगाना

788. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चाय बागान लगाने की काफी सम्भावनाएं हैं और इस सम्बंध में एक परीक्षण भी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम रहा और उड़ीसा में चाय बागान के लिए कौन-कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं;

(ग) व्यापार को बढ़ावा देने और किसानों की सहायता करने के लिए उड़ीसा में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) चाय बोर्ड ने उड़ीसा राज्य सरकार के परामर्श से उड़ीसा के क्योंझर जिले में लगभग 400 हेक्टेयर चाय बागान की एक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर दिया है। कार्यक्रम के पहले चरण में क्योंझर जिले में अब तक 170 हेक्टेयर भूमि चाय बागान के तहत लाई गई है। वर्ष 1989-90 के दौरान जिले में पहले ही से रोपित 170 हेक्टेयर भूमि में और 100 हेक्टेयर भूमि जोड़ लिए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त चाय बोर्ड ने कालाहांडी जिले में 1640 हेक्टेयर और फूलबनी जिले में 805 हेक्टेयर चाय बागान के लिए उपयुक्त भूमि अभिज्ञात की है।

चाय बोर्ड अन्य योजनाओं के साथ-साथ नए चाय एकक वित्त पोषण योजना नामक एक योजना चला रहा है, यह योजना ऋण और अनुदान दोनों संघटकों से बनी है और देश के उड़ीसा आदि जैसे

केवल गैर परम्परागत क्षेत्रों के लिए है। इस योजना के तहत ऋण की दर 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और उत्पादन की दर 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही, चाय बोर्ड ने कालाहांडी जिले में 25 लाख पौधों की क्षमता वाली और फूलबनी जिले में 10 लाख पौधों की क्षमता वाली पौध-शालाएं स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलयात्री निवास

*789. डा. वी. एस. शेलेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आठ-मंजिले रेलयात्री निवास के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ तथा इसके खोले जाने से अब तक इसमें प्रतिदिन औसतन कितने यात्री ठहरते हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने इस भवन को अनधिकृत बता कर इसे गिराने के लिए रेलवे प्रशासन को नोटिस भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री निवास के निर्माण पर मार्च 1989 तक कुल 2.79 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे। 1988-89 के दौरान औसत उपयोग का प्रतिशत 99.9 था।

(ख) जी, हां।

(ग) रेलवे ने अक्तूबर, 1985 में नयी दिल्ली के रेल यात्री निवास का निर्माण "परिचालनिक" भवन के रूप में शुरू किया था जिसके लिए तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वर्तमान नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं था। पानी तथा बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को मई, 1987 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने जुलाई, 1987 में नक्शा पास किया था। लेकिन, दिल्ली नगर निगम की भवन आयोजना समिति ने सितम्बर, 1987 में प्रस्ताव को कुछ टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की थी। रेलों ने अधिकांश टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया था तथा रेल प्रशासन द्वारा दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के साथ अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करके मामले को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तिलहनों का निर्यात

[हिन्दी]

*790. श्री दिनेश गोस्वामी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान तिलहनों की अच्छी फसल को देखते हुए तिलहनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1989 तक तिलहनों का कितना निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तिलहन की अच्छी फसल को देखते हुए 1989-90 के दौरान कुसुम/कार्दी के बीजों के निर्यात की एक सीमा के अन्दर अनुमति दी गई है। मूंगफली, तिल तथा रामतिल के बीजों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) एच पी एस मूंगफली; तिल के बीजों तथा रामतिल के बीजों का निर्यात अप्रैल, 1988 जनवरी, 1989 के दौरान अन्तिम रूप से 25,740 मी० टन रहा गया है जिसका मूल्य 26.47 करोड़ रु० बैठता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

[अनुवाद]

*791. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कारोबार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सफल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कारोबार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्रों से कारोबार प्राप्त करने के लिए पिछले कई वर्षों से कड़े प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से वर्ष 1987-88 के दौरान अपने कुल नये कारोबार का 32·1 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त करके तथा बेची गई कुल नई पालिसियों में से 38.9 प्रतिशत पालिसियां ग्रामीण क्षेत्रों में बेचकर जीवन बीमा निगम ने नये कारोबार में अच्छी प्रगति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निगम द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों का सारांश निम्नलिखित है :

(1) जीवन बीमा निगम नगरेतर (मुफस्सल) केन्द्रों में अधिकाधिक शाखाएं खोल रहा है जिनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। पिछले 3 वर्षों, अर्थात् 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान खोली गई 256 नई शाखाओं में से 182 शाखाएं नगरेतर केन्द्रों में खोली गई हैं जिनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत काफी अधिक ग्रामीण इलाके सम्मिलित हैं।

(2) जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक नये विकास अधिकारियों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की गई हैं।

(3) जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण कैरियर एजेंटों हेतु एक विशेष वृत्तिका योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण पृष्ठ भूमि वाले उन व्यक्तियों को, जो बीमा कार्य को अपनी जीविका बनाने चाहते हैं, नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पहले वर्ष में 125/- रुपये प्रतिमाह तथा दूसरे वर्ष के दौरान 100/-रुपए प्रति माह की वृत्तिका प्रदान की जाती है ताकि जब तक कि उन्हें कमीशन आय के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होनी शुरू नहीं होती तब तक वृत्तिका के रूप में उन्हें कुछ वित्तीय सहायता मिलती रहे; तथा

(4) जीवन बीमा निगम ने "ग्राम सुरक्षा पालिसी" नामक एक विशेष योजना प्रारम्भ की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस योजना के अन्तर्गत, यदि कोई पालिसीधारक 2 वर्ष तक प्रीमियम की अदायगी करने के उपरान्त और आगे प्रीमियम की अदायगियां करने में समर्थ नहीं है तो उस पालिसी को आगामी 3 वर्षों की अवधि तक चालू माना जाता है।

बैंक प्रभार

*792. श्री कादम्बुर जनार्दनन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों द्वारा लिये जाने वाले बिल डिस्काउंट की दर कितनी थी तथा इनके द्वारा चेक और डिमांड ड्राफ्ट पर कितना कमीशन लिया जाता था;

(ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले कमीशन और इससे पूर्व वसूल लिये जाने वाले कमीशन की प्रतिशतता में कितना अन्तर है;

(ग) क्या छोटे तथा मध्यम वर्ग के व्यापारी और उद्योगपति, जिनकी संख्या वाणिज्यक क्षेत्र में अधिक है, वर्तमान बैंक प्रभार देने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने छोटे तथा माध्यम दर्जे के व्यापारियों और उद्योगपतियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गये तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बिल भुनाई की दर, चैकों और ड्राफ्टों को कमीशन आदि जैसे सेवा प्रभार प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग थे। वर्ष 1985-86 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सेवाओं के घटकों, लागत एवं अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न मदों के वास्ते प्रभारों की एक समान सूची स्वीकार की। निर्धारित किए गए समान प्रभार खण्ड (स्लैब) प्रणाली पर आधारित है जिसमें छोटे लेन-देनों के वास्ते अपेक्षाकृत कम दरें रखी गई हैं। 1985 से पहले एवं उसके बाद उपर्युक्त सेवाओं के वास्ते सेवा प्रभारों को प्रदर्शित करने वाला चार्ट संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए, बैंक इन प्रभारों में कटौती करने की स्थिति में नहीं हैं।

विवरण

	1985 में संशोधन से पूर्व		1985-86 में संशोधन के पश्चात्	
1.	बिल भुनाई की दर	डिमांड बिलों की खरीद चेक और ड्राफ्ट		
	—स्थानीय	25 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 2.50 रुपए	(क) डिमांड ड्राफ्ट खरीद (बिल)	35 पैसे प्रतिशत और सम्बद्ध खण्ड पर लागू बिलों की उगाही के लिए प्रभार।

	—शहरी	35 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 3.50 रुपये	(ख) डिमांड ड्राफ्ट खरीद (चैक)	35 पैसे प्रतिशत और सम्बद्ध खण्ड पर लागू चैकों की उगाही के लिए प्रभार।
	—अन्य निर्बन्ध और पलेखी डिमांड ड्राफ्ट	40 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 4 50 रुपए		

टिप्पणी

—जहां नगद ऋण खाता रखा जाता है वहां अतिदेय ब्याज	नगदी ऋण दर से 2 प्रतिशत अधिक	1. जबकि बिल/चैक की राशि के उगाही प्रभारों के वास्ते हुंडियों की अधिकतम राशि 1000/ रुपए तक होगी लेकिन ब्याज की दर 35 पैसे-प्रतिशत होगी।
—जहां नकद ऋण खाता नहीं रखा जाता है वहां अतिदेय ब्याज	19.50 प्रतिशत	2. यदि चैक/बिल अदत्त लौटा दिए जाते हैं तो खरीद की तारीख से वास्तविक प्रतिपूर्ति की तारीख तक 7 दिन से अधिक अवधि के लिए 17½ प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।
बिलों की भुनाई	नकद ऋण खाते के लिए 25 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 6.00 रुपए अथवा नकद ऋण खाता न होने की स्थिति में 17.50 प्रतिशत	3. डाक खर्च, तार प्रभार और तुरत देय अन्य खर्च पूरा वसूल किया जाता है।
		4. बिल भुनाई के मामले में बिलों के लिए उगाही प्रभारों के अलावा जैसे कि बैंक द्वारा निर्धारित संबद्ध खंड पर लागू होता है, भुनाई की तारीख से वसूली की तारीख तक निर्धारित दर से भी ब्याज वसूल किया जाएगा।

2. चैकों पर कमीशन	—20 पैसे प्रतिशत लेकिन 5000/-रुपए तक कम से कम 2 रुपये	1000/-रुपए तक की राशि के लिये : 3/- रु० प्रति चैक
		1000/-रुपये से अधिक 5000/-रुपये तक : 10/- रुपये प्रति चैक
	—5000/- रुपये और अधिक के लिये 15 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 10 रुपये।	5000/-रुपये से अधिक 10000/- रुपये तक : 20/- रुपये प्रति चैक
		10000/-रुपये से अधिक 1 लाख रुपये तक : प्रति हजार 2.50/-रु० या उसका हिस्सा।

	—उन स्थानों पर जहां समाशोधन गृह हैं, गैर-समाशोधन बैंकों पर आहरित चैकों पर कम से कम एक रुपया प्रति चैक की दर से प्रभार वसूल किया जाएगा।	एक लाख रुपये	प्रति हजार 2/- रु० या उसका हिस्सा लेकिन कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1000/- रुपये।
3. ड्राफ्टों पर कमीशन	—उन स्थानों पर जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय है।	टिप्पणी : डाक खर्च, तार प्रभार और अन्य व्ययों को पूरा वसूल किया जाना है।	
	—2000/-रुपये से नीचे 3 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 1 रु०	500/- रुपये तक की राशि के लिये : 2/- रु० प्रति ड्राफ्ट	
		500/- रुपये से अधिक 1000/-तक : 5/- रु० प्रति ड्राफ्ट	
		1000/-रु० से अधिक 5000/-तक : 10/- रु० प्रति ड्राफ्ट	
		5000/-रु० से अधिक 10000/-तक : 20- रु० प्रति ड्राफ्ट	
	20000/-रु० और उससे अधिक 2 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 6/- रुपये	10000/-रु० से अधिक प्रति हजार 2/-रु० या उसका हिस्सा लेकिन अधिक से अधिक 1,000/-रुपये	
जहां भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं	— 5000/- रुपये से कम की राशि के लिये 10 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम एक रुपया	टिप्पणी : तार और टेलेक्स प्रभार जैसे तार अन्तरण के लिये तुरत खर्च तथा ग्राहकों की ओर से ड्राफ्ट भेजने पर रजिस्ट्री प्रभार पूरा वसूल किया जाना चाहिए।	
	—5000/-रुपये से 10000/- रुपये तक के लिये 8 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 6 रुपये		
	—1.0000/- रुपये से अधिक के लिये 6 पैसे प्रतिशत लेकिन कम से कम 8 रुपये तथा वास्तविक तुरत देय खर्च		

खिलोन में मालगाड़ी का पटरी से उतरना

*793. श्री शान्ति लाल पटेल
श्री जी० एस० बासवराजू } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलोन जिले में 22 फरवरी, 1989 को एक माल गाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो डिब्बों के पटरी से उतरने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में गंगा जल का उपयोग

*794. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार बिहार में गंगा जल के उपयोग से सम्बन्धित किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पम्प द्वारा गंगा जल का उपयोग करने के लिए सात स्कीमे पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं जबकि बरारी, सुखसेनाघाट तथा जामनिया नामक तीन पम्प नहर स्कीमें राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते टिप्पणियों सहित लौटा दी गई है ।

बोफोर्स द्वारा नामनिर्दिष्ट कम्पनियों द्वारा निर्यात

*795. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रति व्यापार के लिए बोफोर्स द्वारा नामनिर्दिष्ट कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा अलग-अलग निर्यात की गई अथवा की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक मद के मामले में अब तक कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बोफोर्स तथा राज्य व्यापार निगम के बीच प्रति व्यापार समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट कम्पनियों की वर्तमान सूची विवरण I के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) प्रत्येक नाम निर्दिष्ट कम्पनी के सम्बन्ध में निर्यातों के एक ओ बी मूल्य सहित निर्यात की गई मदों की सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण I

बोफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट कम्पनियों की वर्तमान सूची

क्रमांक	नाम
1.	ए बी बोफोर्स विद सब्सीडेरिज ऐंड सबकान्ट्रेक्टर्स
2.	नोबल इण्डस्ट्रीज आफ स्वीडन विद सब्सीडेरिज
3.	कारनेगी विद सब्सीडेरिज
4.	साब स्केनिया विद सब्सीडेरिज
5.	स्वीडिश गवर्नमेंट पर्चेजिंग एजेन्सीज
6.	ए बी इलोफ हन्सन
7.	एलेक्जेन्डर क्रिस्टन
8.	डू रास्ता ए बी
9.	मन्ना इन्टर नेशनल
10.	लिमम ए बी
11.	जी. एक. वेजर इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ए बी
12.	स्मिथ ऐंड स्टेन्सन ए बी
13.	कायस ए बी
14.	ए बी सुकब
15.	हाव मर्केटर
16.	बरेक्स वर्ल्ड ट्रेड ए बी
17.	तिमू इन्टर एक्टर ए बी
18.	फोंड मिसासी
19.	स्केनिन्द ट्रेड डिवलपमेंट के बी
20.	एन्डरऐंड सी आई ई
21.	हैलम ए बी
22.	गोल्डमेन ट्रेडिंग सब्सीडेरी
23.	बैंक आफ अमरीका वर्ल्ड ट्रेड
24.	सेन्ड्रो बैंक

विवरण-2

बोफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निर्यात
31.3.1989 की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट
कम्पनी/मदवार ब्यौरे

(संचित आंकड़े)

		(करोड़ रु०)
हेक्स्म ए जी	रासायनिक/भेषजीय पदार्थ	46.54
ए बी सुकब	तम्बाकू	10.77
	पटसन माल	6.05
	पोलिप्रोपाइल बैग्स	0.60
	कालीन/नमदे	0.88
	शीरा	1.62
	औषधि	0.48
		19·30
एलोफ हैन्सन	यार्न/ड्रिल	0.30
	टैरी तौलिए	0.03
	दस्ती औजार	0.31
	काली मिर्च	0.19
		0.83
हाब मर्केंटर	गैलवेनाइज्ड पाइप	0.42
	आम की गुठली का तेल	3.11
	गुआर गोंद	5 67
	रासायनिक/भेषजीय पदार्थ	0.37
	सेलियम हुस्क	0.82
	नाइगर सीड	0.17
	सोयाबीन का आटा	1.02
	प्रेशर स्टोव	0.01
	साइकिल के पुर्जे	0.06
	सिलाई धागा	0.03
	हरी इलायची	0.05
	चावल	12.13

	तौलिए	0.03
	पापड़	0.04
	स्पिलेट चिक,पीजमेंटपे	0·35
	मसाले	0.04
	मैगनेशियम/एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड	0.02
	वाटर फिल्टर कैंडल	0.01
	मीनोफिलामेंट बैग्स	0.01
		24.36
बरेक्स वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन	काली मिर्च	4.43
	काफी	2.85
	पैकेट चाय	0.33
	जूट माल	0.14
	कम्प्यूटर संघटक	5.64
	दस्ती औजार	0.11
	स्टील ट्यूब	0.68
	अलौह मैगनीज	0.30
	बीज	0.51
	मांस	0.92
	सीरा	0.98
	तार के रस्से	4.92
	सोयाबीन का आटा	0.31
	चावल	0.20
	ज्वार तथा बाजरा	0.80
		23.12
स्केनिम्ब	शेविंग ब्लेड	0.18
	सोयाबीन का आटा	3.78
		3.96
एलैक्जेन्डर क्रिस्टन	काजू	16.91
	सूती चादर	0.26
	ग्यारगम	1.29
	सोयाबीन का आटा	5.52

	जमी हुई शिम्प	0.40
	स्टील के तार	0.32
	पुरुषों के कमीज	0.10
	पिसा हुआ टमाटर	0.49
	मूंगफली की गिरी	0.09
	बीज	0.42
	अरंडी का तेल	7.40
		33.20
एन्डर ऐंड सी आई ई	तम्बाकू	0.18
	पटसन की वस्तुएं	2.77
	पीपी बैग	0.46
	काली मिर्च	0.69
	चमड़ा	0.27
	मसाले	0.31
	चावल	2.06
	काजू	0.01
	आम की सुगंधी	0.01
	अचार	0.01
	कम्प्यूटर घटक	0.26
	बीज	0.07
		7.10
	कुल योग	158.71

27 मौर्य एक्सप्रेस को बरास्ता कतरासगढ़ और गोमो होकर चलाना

[हिन्दी]

796. श्री सरफराज अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतरासगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां से धनबाद और चन्द्रपुरा आदि स्थानों को जाने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को एक्सप्रेस गाड़ियों के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई पत्र अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 27 मौर्य एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन कतरासगढ़ और शेष तीन दिन बरास्ता गोमो चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

[अनुवाद]

*797 श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन-वार नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां तो ऐसे मजदूरों को कब तक नियमित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 1.10.1988 को क्षेत्रीय रेलों पर नैमित्तिक श्रमिकों की लगभग संख्या नीचे दी गई है :

रेलवे		नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या
मध्य	...	36133
पूर्व	...	18608
उत्तर	....	43929
पूर्वोत्तर	...	14245
पूर्वोत्तर सीमा	....	6674
पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण)	...	3249
दक्षिण	....	17712
दक्षिण मध्य	....	18382
दक्षिण पूर्व	....	13660
पश्चिम	...	20618
	जोड़	193210

(ख) और (ग) जी हां, धीरे-धीरे रिक्तियों के अनुरूप श्रेणियों में किया जायेगा बशर्ते कि ये पात्र और उपयुक्त पाये जायें ।

वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भारत द्वारा उठाये गये मुद्दे

*798. श्री शरद दीघे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 अप्रैल, 1989 को वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति निर्धारण समिति में भारत की ओर से उठाए गए मुद्दों एवं अपनाई गई बातों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) नीति-विधारण समिति तथा भाग लेने वाले अन्य राष्ट्रों ने इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड आफ गवर्नर्स की अंतरिम समिति की बैठक 3 से 4 अप्रैल, 1989 तक वाशिंगटन में हुई थी और इसमें विश्व की आर्थिक संभावनाओं, ऋण स्थिति एवं नीति, कोटों की नौवीं सामान्य समीक्षा, कोष की अतिदेय वित्तीय देयताओं और एस. डी. आर. के आवंटन के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। अन्तरिम समिति की बैठक के निष्कर्षों को एक प्रेस-विज्ञप्ति के रूप में दिया गया है, जो विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार करने, विशेष रूप से अधिकतर देशों के बीच बड़े विदेशी असंतुलनों को कम करने तथा विकासशील देशों के निर्यात की विकसित देशों के बाजार तक पहुंच सम्बन्धी क्षेत्रों में सुधार करने सम्बंधी आवश्यकता पर बल दिया। हमने विकासशील और निम्न आय वाले देशों के कोटे के हिस्से में वृद्धि करने, एस. डी. आर. के शीघ्र आवंटन, प्रभार-दर में कमी करने तथा विकासशील देशों को उपयुक्त शर्तों पर संसाधनों के पर्याप्त अन्तरण द्वारा विकास और निवेश की गति को तेज करने के महत्व पर भी बल दिया।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति की प्रेस विज्ञप्ति

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति की बत्तीसवीं बैठक 3-4 अप्रैल, 1989 को वाशिंगटन डी-सी, में नीदरलैण्ड के वित्त मन्त्री एच. ओन्नो रडिंग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री माइकिल केम्डेसस ने भी इस बैठक में भाग लिया। कई एक अन्तर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक संगठनों और स्विटजरलैंड के पर्यवेक्षकों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

2. समिति ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में औद्योगिक देशों के उत्पादन और निवेश में भारी वृद्धि हुई है; रोजगार के अवसरों में पूववर्ती वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और रोजगार की वृद्धि ज्यादा व्यापक रही है और खास तौर पर, वास्तविक आधार पर अपेक्षतया अधिक व्यापक वैदेशिक असंतुलन कम हो गया है। विश्वव्यापी व्यापार के क्षेत्र में तेजी के साथ होने वाले विस्तार के कारण बहुत से विकासशील देशों, खास तौर पर विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातकर्ता देशों के कर्ज का बोझ हल्का हो गया है।

किन्तु कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं, जिन पर अत्यन्त निकट से ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है। औद्योगिक देशों में, वैदेशिक समायोजनों की गति में हाल ही में शिथिलता आ गई है, कुछ एक देशों में मुद्रास्फीतिकारी दबावों में और ज्यादा उग्र और सघन हो जाने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं; कुछ देशों में ब्याज की दरों में तेजी से वृद्धि हुई है और बहुत से ऋणग्रस्त विकासशील देशों के ऋणशोधन का बोझ और भी ज्यादा हो गया है और मुद्रास्फीति की स्थिति विकट हो गई है।

समिति ने इस बात से सहमति प्रकट की कि वर्तमान विस्तार की स्थिति को कायम रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कीमतों पर बढ़ने वाले दबावों को दूर करने के लिए तुरन्त प्रभावपूर्ण कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति ने इस बात को भी नोट किया है कि बहुत से औद्योगिक देशों में इस दिशा में कार्रवाई भी की जा चुकी है। आर्थिक नीति के समन्वय की उभरती हुई प्रक्रिया, इन देशों के लिए एक उपयुक्त तंत्र का विकास कर सकने में सहायक आधार प्रस्तुत कर रही है, जिसके सहारे ये देश गैर-मुद्रास्फीतिकारी ढंग से वृद्धि और विकास की गति को कायम रख सकने और वैदेशिक असंतुलनों को दूर कर सकने के लिए आधारित नीतियों के समर्थन के द्वारा पर्याप्त रूप से सम्मिश्रित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का विकास कर सकते हैं। घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाले देशों मे, राष्ट्रीय बचतों को बढ़ाने के उपायों को तत्काल अपनाने की जरूरत है। खास जरूरत इस बात की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय बजट के घाटे को कम करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्रवाही की जानी चाहिए और ब्याज की दरों में वृद्धि किए बिना, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैदेशिक संतुलन की स्थिति में सुधार करने के उपाय किए जाएं। जर्मनी और जापान को व्यापक आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक उपायों का अनुसरण करना चाहिए जिसके आधार पर घरेलू मांग की वृद्धि के बावजूद भी मुद्रास्फीति के दबाव नहीं बढ़ेंगे और वैदेशिक समायोजनों की व्यवस्था सुगम हो जाए। अन्य अधिशेष सम्पन्न देश जिनमें एशिया के ऐसे देश भी शामिल हैं जिनमें हाल ही से औद्योगिकरण होने लगा है, अपने यहां के जीवनयापन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और घरेलू विनियमन की व्यवस्था को सही करके वैदेशिक उदारीकरण अपनाकर और आधारभूत मुद्रा-विनिमय दरों का समायोजन लेकर अन्तर्राष्ट्रीय शोधन के समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में और अधिक योगदान दे सकते हैं।

व्यापक आर्थिक आधार की स्थिरता को बनाए रखने, आर्थिक विकास की गति को कायम रखने और वैदेशिक संतुलन को सही रखने के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, समिति ने इस बात को जरूरी समझा है कि कार्यकारी बोर्ड राष्ट्रीय बचतों के मामले में और अनवरत आर्थिक विस्तार के लिए उपयोगी बचतों की व्यवस्था को बढ़ावा देने के नीति-विषयक उपायों के विषय में व्यापक अध्ययन करे। ऋण-शोधन के मामले में कठिनाइयों का अनुभव करने वाले अधिकतर देशों में आर्थिक वृद्धि और निवेश के क्षेत्रों में पर्याप्त पुनरुत्थान न होने से इसी बात का संकेत मिलता है कि इनको, घरेलू बचतों की वृद्धि करने, निवेशों को प्रोत्साहित करने, कार्यकुशलता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को कम में रखने और बाहर चली गई पूंजी को देश में प्रत्यावर्तित करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने चाहिएं। जहां तक ऋणदाताओं का सम्बन्ध है, उनको इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए कि सुधार के दृढ़ प्रयासों के लिए उचित वित्तीय समर्थन समय पर उपलब्ध हो सके।

बहुत ही कम मुद्रास्फीति के साथ औद्योगिक देशों में वृद्धि की सतत गति को कायम रखने की कोशिशें विश्वव्यापी आधार पर ब्याज की दरों में कमी, कृषि सहित पहले से ज्यादा खुली व्यापारिक प्रणाली की व्यवस्था न केवल औद्योगिक देशों के लिए ही सारवान महत्व रखती है, बल्कि ये सारी बातें विकासशील देशों के लिए भी महत्व रखती हैं और इनसे कर्ज की स्थिति में सुधार करने की व्यवस्था को बल मिलता है। इस संबंध में समिति ने संरक्षणवाद के दबावों का प्रतिरोध करने की सतत आवश्यकता का महत्व उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि पूरुग्वे राउंड के मध्यावधिक पुनरीक्षण की प्रगति के संबंध में हाल ही में चल रही बातचीत का सफलतापूर्वक पूरा होना अत्यधिक निर्णायक महत्व रखता है।

आर्थिक नीति के गहन समन्वय ने मुद्रा विनिमय की दरों में पहले से ज्यादा स्थिरता लाने और नीतियों के पहले से ज्यादा स्थिर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समिति ने कार्यकारी बोर्ड से आग्रह किया है कि बहुपार्श्विक अधीक्षण में अन्तर्निहित विश्लेषणात्मक तंत्र को दृढ़ बनाए जाने का कार्य बराबर जारी रखा जाए, संरचनात्मक उपायों के प्रभावों का परीक्षण किया जाए और मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में वांछनीय तथा संधारणीय नीतियों के सुनिश्चयन के मापदण्डों का विकास किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के प्रवर्तन के पर्यवेक्षण के निधि के दायित्व के संदर्भ में, समिति ने प्रणाली के संचालन में अन्तर्ग्रस्त आधारिक मामलों के कार्यकारी बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण का तथा अन्तर्राष्ट्रीय नगदी और नगदी जैसी परिसम्पत्तियों की अवधारणा, उनके परिमाणांकन तथा संवितरण से संबंधित प्रश्नों का स्वागत किया है। समिति ने एस. डी. आर. की मौद्रिक परिसम्पत्ति के रूप में प्रवर्तमान भूमिका की अभिवृद्धि करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न नीत्यात्मक विधाओं से संबंधित को भी नोट विचार-विमर्श किया है। समिति ने कार्यकारी बोर्ड को प्रोत्साहित किया है कि इन विषयों पर कार्य को जारी रखा जाना चाहिए। इसने इस विषय पर सहमति प्रकट की है कि 1989-91 से पांचवी आधारभूत अवधि के शेष काल के दौरान एस. डी. आर. के आवंटनों को पुनः निर्धारित करने की स्थापना पर बराबर विचार किया जाना चाहिए और इस विषय पर समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. समिति ने इस तथ्य का स्वागत किया कि फ्रांस और जापान सहित कई देशों ने तथा हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका के राजकोष सचिव ने ऋण नीति मंत्रणा को सुदृढ़ करने और ऋण तथा ऋण-शोधन में कमी करने पर अधिक बल देने के उद्देश्य से नए प्रस्ताव किए थे। यह प्रस्ताव सहभाग ऋण नीतिमत्ता, जैसा कि यह पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है, के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है। इस प्रकार समिति ने प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार करने की वैधता और वृद्धिकारी नीति विषयक सुधारों के निरन्तर कार्यान्वयन तथा ऋणदाता देशों में निवेश संबंधी वातावरण में सुधार किये जाने के प्रमुख महत्व की पुनः पुष्टि की। निजी तथा आधिकारिक स्रोतों से नए वित्तपोषण की प्राप्तियां, जो निश्चय रूप से महत्वपूर्ण रहेगी और बाहर गई हुई पूंजी की पुनः प्राप्तियां ऋणदाता देशों की उपयुक्त नीतियों पर निर्भर करती हैं। तथापि, आधिकारिक तथा निजी ऋणदाताओं को अपने वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करने चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण संबंधी समस्या के समाधान ढूंढने में जो प्रमुख भाग लिया जाता रहा, समिति ने उसकी महत्ता पर जोर दिया और विशेषकर, ठोस आर्थिक नीतियों को अपनाने और उन्हें बनाए रखने में उसकी भूमिका पर बल दिया।

समिति ने कार्यकारी बोर्ड के सम्मुख रखे गए प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों और कार्रवाईयों पर अविलम्ब विचार करने का अनुरोध किया। समिति ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्यों को उपयुक्त राशियों में साधनों की व्यवस्था करे ताकि ऐसे ठोस आर्थिक सुधार कार्य हाथ में लेने वाले देशों को अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समर्थित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सदस्यों के कर्मों के कुछ भाग को अलग रखकर ऋण में कमी करने के अभियानों में सुविधा दी जा सके। महत्वपूर्ण ऋण या ऋण शोधन में कमी संबंधी लेन-देन के लिए सीमित ब्याज समर्थन के लिए साधनों की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जाए। ऐसे अभियानों की महत्ता संबंधी कसौटी के बारे में

विशेष ध्यान दिया जाए। उन मुद्दों और कार्यों के स्पष्ट करने और विस्तार से प्रतिपादित करते समय करार के अन्तर्नियमों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिवेश तथा संस्था की वित्तीय स्थिरता का ठीक-ठीक जायजा लेना होगा। समिति ने इस बात पर भी बल दिया कि आधिकारिक ऋणदाता निजी ऋणदाताओं को प्रतिस्थापित न करें और ऋण में कमी करने से संबंधित प्रचालनों में निधि वित्तीय सहमागिता के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों से नयी धनराशि सहित, सुदृढ़ वित्तीय समर्थन भी मिले। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में, जिनमें सदस्य दृढ़ता से समायोजन संबंधी कार्यक्रम शुरू कर रहे हों, तत्संबंधी कार्यान्वयन को तेजी से सम्पन्न करने का बहुत महत्व है। इस संबंध में समिति ने सुव्यवस्थित ऋण संबंधी नीति के ढांचे के अन्तर्गत कोष द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ समानान्तरिक आधार पर अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के जापान के इरादे का हार्दिक स्वागत किया। समिति ने इस बात को भी महत्वपूर्ण माना कि विश्व बैंक इस नीति संबंधी व्यवस्था को पूरा करने में अनुरूप भूमिका निभाए और दोनों संस्थाओं को इन मामलों में निकट सहयोग से कार्य करना चाहिए।

वाणिज्यिक बैंकों के दावों की गुणवत्ता में सुधार की संभावना से उन बैंकों को विद्यमान संविदागत ऐसे उपबन्धों मे आवश्यक परित्यजन व्यवस्थाओं को अतिरिक्त करने के लिए बातचीत पूरी करने के मामले में शीघ्रता से काम लेना चाहिए क्योंकि संविदागत ऐसे उपबंध ऋण को कम करने मे बाधक सिद्ध होते हैं। समिति ने ऋणदाता देशो की सरकारों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहन दिया कि वे उस सीमा का भी पुनरीक्षण करें जिस सीमा तक सदस्य देशों की कराधान विषयक विनिवात्मक और लेखांकन प्रणालियां अनावश्यक रूप से ऐसे सम्प्रवर्तनों में वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग के रास्ते में बाधा उपस्थित करते हैं। समिति ने व्यक्त किया कि उन देशों के लिए जिन्होंने बाजार से सम्पर्क तो कायम रखा है परन्तु अपने सुदृढ़ प्रयासों के माध्यम से उनको उच्च उत्पत्ति दरों के बनाए रखने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अतः उनको समुचित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में कोष को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है जो कि नीति संबंधी सलाह माध्यमिक विदेशी वित्तपोषण तथा स्वयं वित्तीय सहायता की पेशकश के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है।

जहां तक अल्प आय वाले देशों का संबंध है समिति ने पेरिस क्लब के पुनः गरीब देशों को रियायती दरों पर सहायता प्रदान करने संबंधी बर्लिन करार के कार्यान्वयन का स्वागत किया तथा उसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अतिरिक्त रियायती सहायता प्रदान करने का भी स्वागत किया। समिति ने यह भी नोट किया कि विशेषकर इन समस्याओं के संदर्भ में जिनका कि उन देशो को विशेषकर सामना करना पड़ता है जो कि विशेषकर रियायत का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं परन्तु उनको बाजार की शर्तों पर अथवा स्वयं वित्तपोषण करने पर असमर्थता है। समिति ने जोर दिया कि नीति परामर्श संबंधी समन्वय की प्रक्रिया सुधार के पत्र के प्रयोग तथा विकासोन्मुख समायोजन कार्यक्रम जिसका कार्यान्वयन एस. ए. एफ तथा ई.एस. ए. एफ. पात्र देशों द्वारा अतिरिक्त विदेशी सहायता को जुटाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे सम्बद्ध हितों तथा सभी पात्र देशों, दातादेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ई. ए. एस. एफ. द्वारा प्रस्तुत किए गए अवसरों का लाभ उठाने तथा सम्बद्ध प्रबन्धों का तत्परता से पालन करने के लिए कहा। समिति के सदस्यों को

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई. एस. ए. एफ. ट्रस्ट को पूरे अंशदानों को उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्रस्ट को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया।

4. समिति ने अतिदेय वित्तीय देनदारियों को कम करने और समाप्त करने के संबंध में विशेष द्वारा प्रतिपादित सहयोग की पद्धति का विकास करने और उसे कार्यान्वित करने के संबंध में अपनी पिछली बैठक से लेकर अब तक की गई प्रगति का भी स्वागत किया। समिति ने इस बात को नोट किया कि अतिदेय देनदारियों वाले देशों की संख्या में तो कमी हो रही है परन्तु कुल मिलाकर बकाया रकमों में बराबर वृद्धि होती चली आ रही है। इस बात को भी अभिलिखित किया गया कि कई एक सदस्य देशों ने ऐसी आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ बनाने में काफी प्रगति की है। जो कि समर्थक समूहों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक विदेशी सहायता जुटाने के लिए एक आधार मुहैया कर सकते हैं समिति ने अतिदेय दायित्वों से ग्रस्त समस्त सदस्य देशों को कहा कि वे अपनी-अपनी व्यवस्थता में उचित समायोजन करने के लिए और कोष के साथ अपने संबंधों को विनियमित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करे और उसके पश्चात् ऋणदाताओं तथा अन्य दाताओं से आग्रह किया कि वे उन सदस्य देशों को पर्याप्त वित्तपोषण व्यवस्था उपलब्ध कराएं जो कि वास्तविक रूप में इस दिशा में सहयोग देने के लिए प्रयासशील हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक पद्धति को उसके तीनों मुख्य पार्श्वों अर्थात् निवारक, सहयोगात्मक और उपचारात्मक पार्श्वों में साफ और सीधे ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी। इस कोशिश में कोष को, जिसकी अधिमान्यता प्राप्त ऋणदाता की हैसियत को बर्लिन (पश्चिम) में सम्पन्न हुई अन्तरिम समिति की बैठक में पुन: सम्पुष्ट किया गया, समग्र सदस्य देशों का सम्पूर्ण समर्थन सदा के लिए प्राप्त होना जरूरी है।

5. समिति इस बात पर सहमत हो गई कि सदस्य देशों के कोटे में वृद्धि के परिमाण और उसके संवितरण की व्यवस्था सदस्य देशों के कोटे के संबंध में किए गए पिछले पुनरीक्षण के बाद से विश्व की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और विश्व की अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की सापेक्षिक परिस्थितियों को देखकर तथा देशों के विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता और अपनी क्रमबद्ध जिम्मेदारियों को निभाने में कोष की प्रभाविता को देखकर की जानी चाहिए, जिसमें सुदृढ़ ऋण विषयक नीति के क्षेत्र में कोष द्वारा निभाई गई भूमिका भी शामिल है तथा उधारों पर कोष के निर्भर रहने की प्रवृत्ति में कमी की जाए। समिति ने जोर दिया कि कार्यकारी बोर्ड नवीं समीक्षा सम्बन्धी अपने कार्य को समाप्त करे ताकि इस वर्ष के अन्त से पहले गवर्नर बोर्ड इस मामले पर अपना निर्णय ले सके।

6. समिति ने अपनी अगली बैठक 14 सितम्बर, 1989 को वाशिंगटन डी. सी. में आयोजित करने के विषय पर अपनी सहमति प्रकट की।

उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए परियोजनाएं

*799. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बिहार को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए अंतधारा

सनोह, बागमती और कमला बलान पर बांध तथा पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी सेवा नियम

7363. **श्री अनिल बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी सेवा नियमों के विनियम 10(2)(क) को निरंकुश और असंवैधानिक घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के मामलों पर कार्रवाई करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखने के अनुदेश दिए हैं।

नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना में संशोधन

7364. **श्री एच०बी० पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना में किए गए अनेक संशोधनों के पश्चात् इस योजना तथा उक्त प्रयोजन हेतु 1988-91 की अवधि के लिए बनाई गई पृथक् योजना के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकों को दिए जाने वाले अन्य लाभों की प्रयोज्यता को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 88-मार्च, 91 (खण्ड 1) के अध्याय 17 में दी गई निर्यात ठेकों के पंजीकरण सम्बन्धी नीति को ही उक्त नीति के अध्याय 17 के पैरा 208 में दिए गए लाभों में कुछ संशोधन करके नकद मुआवजा सहायता के मामलों में लागू किया गया है। उदाहरण के लिए पैरा 208 में दिए गए लाभ वहां लागू नहीं होंगे जहां नकद मुआवजा सहायता की दरें एक निश्चित तिथि तक लागू हैं।

कानपुर में जीवन बीमा निगम के एजेंट

7365. **डा० बी० वेंकटेश :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ अति महत्वाकांक्षी एजेंट अवैध तरीकों से कारोबार चला रहे हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम, कानपुर की शहरी शाखा संख्या 1,2 और 3 में बीमा पालिसियों को वापस करने की दर में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) क्या ये एजेंट पालिसीधारकों को, उनके पहले की पालिसियों को वापस करने के बाद शीघ्र ही नई बीमा पालिसियां जारी कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसी पालिसियों पर कितना खर्च किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। कानपुर प्रभाग की तीन शाखाओं, अर्थात् शहरी शाखा संख्या 1,2 और 3 में अभ्यर्पित पालिसियों की संख्या चालू वर्ष में बढ़ी नहीं है बल्कि वास्तव में इनमें कमी हुई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम न तो किसी पालिसी धारक को वर्तमान व्यपगत पालिसी के एवज में कोई नई पालिसी लेने के लिए और न ही किसी वर्तमान पालिसी का अभ्यर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन मामलों में जहां कोई पालिसी, पिछले तीन वर्षों तक प्रीमियम की अदायगी न किए जाने पर, व्यपगत हो गई हैं और अभ्यर्पण के मामले में छः महीने के अन्दर-अन्दर निगम व्यपगत/अभ्यर्पित पालिसी को नवीकरण/दोबारा चालू किए गए बगैर कोई नई पालिसी जारी नहीं करता है। वास्तव में निगम के नोटिस में जब यह बात आई कि कानपुर की शहरी शाखा संख्या 1 से सम्बद्ध एक एजेंट पालिसी धारकों को अपनी पुरानी पालिसियों को बन्द करने और भिन्न प्लानों के अन्तर्गत नई पालिसियां लेने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई शुरू की गई और सम्बद्ध एजेंट को निलम्बित कर दिया गया तथा उसे नया कारबार प्राप्त करने की मनाही कर दी गई थी।

मेट्रो रेल (एम० टी० पी०) द्वारा मुकदमों पर किया गया व्यय

7356. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीते तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों अथवा विधि निकायों में विभिन्न मुकदमों के प्रतिवाद के लिये मेट्रो रेल (एम. टी. पी.) कलकत्ता द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) उन मुकदमों का सम्बन्ध किन-किन विषयों से रहा है;

(ग) क्या इनमें से कुछ मामले संबंधित पार्टियों द्वारा नियुक्त विभिन्न मध्यस्थों द्वारा दिये गये पंचाटों से संबद्ध है; और

(घ) रेल विभाग को और देयताओं से बचाने के लिये न्यायालयों से बाहर माध्यस्थम-पंचाटों के मामले निपटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 3,67,000 रुपये।

(ख) भूमि का अधिग्रहण, मेट्रो निर्माण के कारण इमारतों को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के

दावे, कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किये गये सेवा सम्बन्धी मामलों, ठेकों, पंचाट निर्णयों से सम्बन्धित विवाद आदि।

(ग) जी हां।

(घ) न्यायालय से बाहर फैसला करने के लिए प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

गन्नन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
पर बकाया कर-राशियां

7367. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने गन्नन डंकरले एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता की और उसकी सहायक कम्पनियों अर्थात् गन्नन प्रेशर वैसल्स लिमिटेड और टेस्टस्टील्स लिमिटेड आदि की ओर कर की भारी बकाया राशि निर्धारित की थी;

(ख) क्या आयकर विभाग ने छापे भी मारे थे और भारी धनराशि तथा अघोषित धनराशि जब्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की बकाया धनराशि की वसूली के लिए इन कम्पनियों के निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभागों में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) गैनन डंकरले एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में दिनांक 31 जनवरी, 1989 को स्थिति के अनुसार 7.66 करोड़ रु० की आयकर की राशि बकाया थी। गैनन प्रेशर वैसल्स लिमिटेड तथा टेस्टस्टील्स लिमिटेड के मामलों में आयकर की कोई भी राशि बकाया नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गैगन डंकरले एंड कम्पनी के मामले में माँग अपील में विवादग्रस्त है और अपील पर निर्णय लिए जाने तक उसकी वसूली को स्थगित कर दिया गया है। आयकर आयुक्त (अपील) से अपील को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए अनुरोध किया गया है।

आंध्र प्रदेश में रेल पथों का विद्युतीकरण

7368. श्री सोडे रमैया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन रेल पथ सेक्शनों का विद्युतीकरण किया है; और

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित रेलवे क्षेत्रों में किन-किन रेल पथों का विद्युतीकरण करने का विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जित खण्ड

1. ग्वालियर-इटारसी
2. मझिरा-नागपुर
3. मुलायम-गांधुरा
4. कृष्णा कैनाल-गुंटूर-तैनाली
5. बेरवनया-बयाना-रूपबास
6. चम्पा-गैवरा रोड
7. कोरापुट-वामन बोड़ी
8. टुंडला-यमुना पुल
9. चन्द्रपुरा काम्पलेक्स जिसमें निम्नलिखित खण्ड शामिल हैं :—
9.1. गोमो-चन्द्रपुरा-बोकारो स्टील सिटी
9.2. महूदा-चन्द्रपुरा-फुसरो
9.3. भदारीदेह-राजाबेड़ा
9.4. गोमो-महूदा-मोनीडीह
9.5. तुपकाडीह-तालगढ़िया

(ख) आठवीं योजना में आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित खण्ड जिनका विद्युतीकरण किया जाना है

1. काजीपेट-सनतनगर
2. रायचूर-विजयवाड़ा

बोलारपट्टी बैंगलूर खण्ड के विद्युतीकरण के भाग के रूप में।

बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा डिबेंचर जारी करना

7369 श्री एन॰ डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान किन-किन बहुराष्ट्रीय फर्मों को डिबेंचर जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) इन डिबेंचरों में अनिवासी भारतीयों को कितना पूंजी निवेश करने की अनुमति दी थी ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) मैसर्स जोर्ज विलियमसन (आसाम) लिमिटेड को, जो कि एक ऐसी फेरा कम्पनी है जिसमें 70% शेयर अनिवासी भारतीयों के पास हैं वर्ष 1988 के दौरान निजी आधार पर एक घरेलू संगठन के साथ निजी नियोजन की व्यवस्था के आधार पर 100 लाख रुपये के ऋणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

उलुन्दुरपेट (तमिलनाडु) में ऊपरी पुल

7370. श्री पी॰ आर॰ एस॰ वेंकटेशन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर उलुन्दुरपेट के निकट ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) भूतल परिवहन और रेलवे के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा लखनपुरखेट में कि० मी० 198/14-15 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद इसे रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों पर लागू करना

7371 श्री अमरसिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी शेयर धारकों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों पर लागू नहीं होता जबकि इन एककों का 25 प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी बाजार में बेचा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) विदेशी शेयर धारिता के संबंध में निर्यात संसाधन जोन एककों पर लागू नहीं होता। डी टी ए में उत्पादन के 25 प्रतिशत की बिक्री की अनुमति एक ऐसी सुविधा है जोकि अलग-अलग मामले में कुछ संबीधा मदों को छोड़ने तथा उपयुक्त शुल्कों के भुगतान करने की शर्त पर दी जाती है। इस सुविधा को प्रदान करने का उद्देश्य जोन एककों की अर्थक्षमता में सुधार लाना, निर्यात बाजार की अनिश्चितताओं से उन्हें संरक्षण उपाय प्रदान करना तथा जोनों में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मदद करना है।

इण्डियन इनवेस्टमेंट सेन्टर द्वारा गोष्ठियों का आयोजन करना

7372. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इनवेस्टमेंट सेन्टर ने अपने कार्यक्रम में भारत में सहयोग करने के संबंध में भारत तथा विदेशों में अनेक गोष्ठियां आयोजित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) गोष्ठियों के आयोजन पर लगभग कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) गोष्ठियों में किन देशों द्वारा भाग लेने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इन गोष्ठियों का आयोजन, विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों को सरकार की अद्यतन नीतियों और भारत में पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सुअवसरों

की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। इन गोष्ठियों को, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया जर्मन संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विभिन्न देशों में, इन देशों के परिनिवत प्रतिनिधि आवकों के लिए आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि कुल मिलाकर इन गोष्ठियों पर 3.0 लाख रुपए की लागत आएगी।

सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा धनराशि
जमा करने की सुविधा

7373. श्री पलास बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी भूमि विकास बैंक में वाणिज्यिक बैंकों, केन्द्रीय सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि की तरह जनता को धनराशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भूमि विकास बैंक कम से कम एक वर्ष के लिए और अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं।

वेली विक्रम साराभाई रेलवे स्टेशन

7374. श्री टी० बशीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम जिले में वेली विक्रम साराभाई रेलवे स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) फिलहाल वेली रेलवे स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर को देखते हुए इस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है।

किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश)
द्वारा ऋण दिया जाना

7375. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश) धन की कमी के संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या 30 जनवरी, 1989 को बैंक के प्रबन्धकों को ऋण देने के सभी अधिकारों को स्थगित करने के निर्देश दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ताकि ग्रामीण लोगों को नुकसान न हो ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते

हुए किसान ग्रामीण बैंक (उ.प्र.) के अध्यक्ष ने जनवरी, 1989 में सभी शाखा प्रबंधकों को आगे ऋण न देने के निर्देश दिए थे। ताकि नकदी प्रारक्षित अनुपात/सांविधिक नकदी अनुपात में लगातार हो रही चूक से बचा जा सके। तदुपरान्त, अध्यक्ष ने शाखाओं को यह अनुदेश दिए कि जिन ऋणों का आंशिक भुगतान किया जा चुका है शाखाओं द्वारा उन ऋणों की विशेष राशि का भुगतान कर दिया जाए जहां तक वार्षिक कार्य योजना/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों का सवाल है लीड बैंक ने प्रायोजक बैंक के परामर्श से प्रायोजक बैंक की शाखाएं एवं भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को इन कार्यक्रमों की शेष राशि आवंटित कर दी है ताकि ऋणों के अभाव में सरकारी कार्यक्रमों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

किसान ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ग्रामीण बैंक से अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए वसूली के काम में तेजी लाने तथा जमा राशियां जुटाने के प्रयास तेज करने के लिए कहा है।

चाय बोर्ड द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव

7376. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड का विचार उत्तर बंगाल क्षेत्र के चाय बागानों में अपने स्कूल और कालेज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) बागान श्रमिक अधिनियम 1951 में चाय बागान श्रमिकों के सम्बन्ध में शैक्षिक सुविधायें देने की व्यवस्था है जिन्हें चाय बागान के मालिकों तथा संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्वित करना पड़ता है।

तम्बाकू उत्पादकों के लिये लाभप्रद मूल्यों के बारे में अभ्यावेदन

7377. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 28 मार्च, 1989 को तम्बाकू उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्यों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) तम्बाकू उपभोक्ताओं को लाभकारी कीमतें दिलाने के सम्बन्ध में दिनांक 28 मार्च, 1989 को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

दिनांक 30-3-89 को नई दिल्ली में उपभोक्ताओं निर्यातकों और विनिर्माताओं के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में व्यापारी तथा विनिर्माता भी एफ सी तम्बाकू के एफ-1 ग्रेड के लिए 20.50 रु० प्रति किग्रा और एफ-2 ग्रेड के लिए 19.50 रु० प्रति किग्रा की दर से भुगतान करने पर

सहमत हो गए थे। दिनांक 4 अप्रैल, 1989 तथा उसके बाद, व्यापारियों ने केवल उत्तम किस्म की तम्बाकू के सम्बन्ध में ही करार को क्रियान्वित करना शुरू किया। कुछ कम स्तर के वी एफ जी तम्बाकू के एफ-1 ग्रेड के लिए 18 से 20 रु० प्रति किग्रा और एफ-2 ग्रेड के लिए 17 से 19 रु० प्रति किग्रा के बीच की कीमतें मिलीं।

तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्यातकों तथा विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ 7 तथा 8 अप्रैल, 1989 को इस स्थिति की समीक्षा की गई और उन पर वचनबद्धता निभाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। निर्यातक विशेष रूप से 9 अप्रैल, 1989 के बाद से बाजार में सक्रिय नहीं रहे और इससे काली मिट्टी वाले नीलामी मंचों में प्रतियोगिता कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप, कीमतों में और गिरावट आ गई और अब यह एफ-1 तथा एफ-2 ग्रेडों के लिए लगभग 15 रु० से 17 रु० प्रति किग्रा है। अन्य ग्रेडों के सम्बन्ध में भी कीमतों में गिरावट आ गई है। तथापि, एफ-1 तथा एफ-2 ग्रेडों की चमकीली किस्मों के तम्बाकू की गांठों की अब भी क्रमशः 20.50 रु० तथा 19.50 रु० प्रति किग्रा कीमत मिल रही है लेकिन ये कीमतें चुकाने में व्यापारियों का रुख बहुत ही चुनिन्दा है।

23-4-1989 की स्थिति के अनुसार, लगभग 77.32 एम. किग्रा की फसल का विपणन किया गया, इस प्रकार लगभग 11 एम. किग्रा फसल शेष रह गई। 18-4-1989 की स्थिति के अनुसार, किसानों को 18 52 रु० प्रति किग्रा की औसत कीमत प्राप्त हुई जबकि पिछले वर्ष 16.33 रु० प्रति किग्रा औसत कीमत प्राप्त हुई थी यह पिछले वर्ष की तुलना में 2.19 रु० प्रति किग्रा अधिक है।

तथापि किसान कीमत अधिप्राप्ति से अब भी असन्तुष्ट हैं। कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) से अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल बाजार में प्रवेश कर लें और अपने वाणिज्यिक कार्यस्वरूप तंबाकू के ग्रेडों को खरीद करें।

नगर विकास प्राधिकरणों को विश्व बैंक ऋण

7378. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास परियोजनाओं तथा प्रयोजनों के लिए विभिन्न नगर विकास प्राधिकरणों को दिए जाने वाले विश्व बैंक ऋण की राशि में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की गई है;

(ख) क्या कानपुर और लखनऊ विकास प्राधिकरणों को अधिक मात्रा में विश्व बैंक ऋण प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त ऋण/सहायता का दुरुपयोग किये जाने और अन्य प्रयोजनों हेतु खर्च किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई हैं और लेखा परीक्षा विंग ने भी इस सम्बन्ध में त्रुटि किए जाने का उल्लेख किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति से इसकी जांच कराने के आदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) शहरी विकास क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ग्रुप सहायता सम्बन्धी वचनबद्धताओं में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ऐसी सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	परियोजना का नाम	करार की तारीख	सहायता की राशि (लाख डालर)
1984-85	बम्बई शहरी विकास	1-3-1985	1380
1986-87	गुजरात शहरी विकास	15-4-1986	620
1987-88	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	21-12-1987	1500
1988-89	तमिलनाडु शहरी विकास	16-9-1988	3002

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ और कानपुर नगरों में विकास सम्बन्धी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें स्थान तथा सेवाओं के विकास, गन्दी बस्तियों में सुधार, यातायात प्रबन्ध, नगरपालिका संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, सोलिड वेस्ट प्रबन्ध, बरसाती पानी की निकासी, जल मल निकासी तथा पानी की आपूर्ति के लिए सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

(अ) जी नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बिना टिकट यात्रा

7379. श्री मोहन भाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1787-88 और 1988-89 के दौरान कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनसे जुर्माने की कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) रेलवे द्वारा जनता को, विशेषकर ग्रामीण लोगों को, इस बुराई के विरुद्ध शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर इश्तहार/नोटिस प्रदर्शित करके, रेलवे समय सारणियों में सूचना प्रकाशित करके तथा समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर, सिनेमा घरों तथा दूरदर्शन पर लघु फिल्में प्रदर्शित करके तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाउडस्पीकर से बार-बार घोषणाएं करके बिना टिकट यात्रा की जोखिमों तथा परिणामों की जानकारी दी जाती है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (फरवरी 89 तक) के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या तथा उनसे वसूल किये गये अतिरिक्त प्रभार तथा जुर्माने की राशि इस प्रकार थी :—

1986-87

रेलवे	बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या (लाख में)	अतिरिक्त प्रभार की राशि (लाख में)	वसूल किये गये व्यावहारिक जुर्माने की राशि (लाख में)
1	2	3	4
मध्य	8.06	90.75	7.51
पूर्व	11.47	110.79	7.78
उत्तर	8.22	107.40	9.29
पूर्वोत्तर	3.50	35 01	7.72
पूर्वोत्तर सीमा	1.64	16.63	0.32
दक्षिण	3.79	46.72	1.11
दक्षिण मध्य	4.24	52.29	2.71
दक्षिण पूर्व	9.23	67.62	2.26
पश्चिम	9 44	100.41	3.95
जोड	59 59	627.62	42.65

1987-88

1	2	3	4
मध्य	9 61	108 76	8.54
पूर्व	12 19	119.65	7.40
उत्तर	9.35	117.68	9.69
पूर्वोत्तर	4.72	46.06	10.56
पूर्वोत्तर सीमा	1.79	18.48	6.09
दक्षिण	4.08	51.40	1.34
दक्षिण मध्य	4.49	54.75	4.12
दक्षिण पूर्व	10.57	81.50	3.31
पश्चिम	10.25	111.05	4.33
जोड	67.05	710.23	49.39

1988-89 (फरवरी 1989 तक)

1	2	3	4
मध्य	10.60	127.62	7.47
पूर्व	11.27	112.38	8.39

1	2	3	4
उत्तर	9.46	115.13	11.93
पूर्वोत्तर	4.79	48.16	9.17
पूर्वोत्तर सीमा	1.68	17.60	1.03
दक्षिण	3.45	46.18	0.48
दक्षिण मध्य	4.31	55.55	4.53
दक्षिण पूर्व	10.11	79.84	1.39
पश्चिम	9.97	112.55	5.33
जोड़	65.64	715.01	49.72

हिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा "एक्सटेंशन काउन्टर" खोलना

7380. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान शाखाओं के एक्सटेंशन काउन्टर खोलने हेतु लाइसेंस आवंटित करने के लिए मार्गनिर्देश और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बैंकों के कोई एक्सटेंशन काउन्टर खोले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनके एक्सटेंशन काउन्टर खोले गए हैं और उनसे सम्बन्धित जिलों के नाम क्या हैं और किन किन स्थानों के लिए एक्सटेंशन काउन्टर खोलने हेतु लाइसेंस दिए गए हैं किन्तु वहां अभी भी एक्सटेंशन काउन्टर खोले जाने हैं तथा इससे संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को विस्तार काउन्टर के खोलने सम्बन्धी ऐसा कोई मार्ग-निर्देशों को जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता, उन केन्द्रों में विस्तार काउन्टर खोलने का विचार है जहां बैंकिंग सुविधाएं सुगमता से सुलभ नहीं हैं, विस्तार काउन्टर के लिए आवेदन करते समय बैंकों को उनकी अर्थक्षमता सुनिश्चित करनी पड़ती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गुण-दोषों के आधार पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संगत सूचना प्रस्तुत करनी पड़ती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1986, 1987, 1988 और 1989 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त विस्तार काउन्टरों के बैंकवार नाम नीचे बताये गए हैं :—

बैंक का नाम	विस्तार काउन्टर का नाम
1	2
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	ए. एम. ओ. कैंप, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा

1	2
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जिला हमीरपुर
स्टेट बैंक आफ पटियाला	मिनि सक्रेटेरिएड, जिला ऊना
—तदैव—	एच.पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. जालीनी, जिला शिमला
—तदैव—	सरकारी पोलीटैक्निक महाविद्यालय, सुन्दरनगर, जिला मण्डी
पंजाब नेशनल बैंक	जूटोगढ़ केन्टोनमेंट, जिला शिमला
पंजाब नेशनल बैंक	तिब्बत चिल्ड्रन्स विलेज, जिला धरमशाला
यूको बैंक	बाबा बालकनाथ मंदिर, जिला हमीरपुर
—तदैव—	केन्द्रीय तिब्बतन सचिवालय, धरमशाला, जिला कांगड़ा
—तदैव—	मार्केट कमेटी यार्ड, निहाल, जिला बिलासपुर
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	एस.डी. विष्णु महाविद्यालय, भटोली गांव, जिला ऊना

ऊपर दिखाए गए केन्द्रों में से क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालज, हमीरपुर के अलावा सभी स्थानों पर विस्तार काउन्टर खोले जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में धोखाधड़ी

7381. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल मे कुछ राष्ट्रीयकृत बैंको में एक गिरोह का पता चला है जिसने इन बैंकों में विशेषकर कलकत्ता मे लाखो रुपए की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह का धोखाधड़ी करने का तरीका क्या है और इस धोखाधड़ी में कुल कितनी धनराशि की धोखाधड़ी की गई है; और

(ग) न केवल कलकत्ता मे बल्कि सभी जगह बैंकों में इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंक में कोई गिरोह काम कर रहा है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को लगभग 1.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बारे में विजया बैंक से सूचना प्राप्त हुई है। इसमें से 19.36 लाख रुपए की राशि बैंक की कलकत्ता (बड़ा बाजार) शाखा से सम्बन्धित है और शेष रकम उसकी

भुलेश्वर बम्बई, शाखा से सम्बन्धित है। इस मामले से संबंधित और ब्यौरा इस समय प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार सूचना प्रकट करने से केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसके पास विजया बैंक ने शिकायत दर्ज कराई है, द्वारा की जा रही जांच पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) प्राय बैंकों में धोखाधड़ी की वारदातें, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण नहीं होती है, बल्कि ये वारदातें निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का पालन न करने के कारण होती है। बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तकें होती हैं जिनमें उन सावधानियों/जांचों का उल्लेख होता है जिनका उनके कर्मचारियों को धोखाधड़ियों की वारदातों अथवा उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पालन करना चाहिए। बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण तन्त्र सहित नियंत्रण तंत्र को मजबूत और कारगर बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि धोखाधड़ी और कदाचार की गुंजाइश को समाप्त किया जा सके। वे विभागीय जांचों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपाय करते हैं। बैंकों ने अपने सतर्कता तंत्र की समीक्षा की है और उसे फिर से ठीक-ठाक किया है, नियंत्रण और पर्यवेक्षण को तेज करने, प्रबन्ध सूचना प्रणाली, अनुवर्ती कार्रवाई और निरीक्षण/लेखा परीक्षा प्रबन्ध को मजबूत करने और बही खातों के मिलान के बकाया काम को निपटाने और निरन्तर आधार पर अन्तर शाखा और अन्य खातों के मिलान के लिए उपाय किए हैं ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके।

केरल को जल संसाधनों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

7382. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान जल संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत केरल सरकार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य द्वारा धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जल संसाधनों के विकास के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य के वास्ते योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आबंटन 6989 लाख रुपए है। वर्ष 1988-89 के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया प्रत्याशित व्यय 7316 लाख रुपए है।

भारत-थाइलैंड संयुक्त आयोग

7383. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड और भारत ने प्राकृतिक गैस तथा तेल की खोज में सहयोग करने और राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संयुक्त आयोग गठित करने के लिए हाल ही में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) पी टी टी एक्सप्लोरेशन तथा प्रोडक्शन कम्पनी लिमिटेड आफ थाइलैंड और भारतीय तेल तथा प्राकृतिक

गैस आयोग के बीच दिनांक 29-3-1989 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य सहयोग के क्षेत्रों को अभिज्ञात करना तथा परामर्शी । प्रशिक्षण जैसी पैकेज सेवाओं की व्यवस्था करना है जो कि दोनों पक्षकारों को लाभप्रद और स्वीकार्य होंगे ।

दिनांक 29-3-1989 को दोनों सरकारों के बीच एक अन्य करार पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य संयुक्त आयोग स्थापित करना है ताकि द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर विचार किया जा सके तथा उसके निर्णयों पर उचित समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

उड़ीसा में बांधों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

7384. श्री के० प्रधानी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बांधो से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावो के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) क्या अनेक बांधों से भूकम्प आने की संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं तथा उनके सम्बद्ध क्षेत्रों के मौसम में विषमता उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बांधों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या अन्य राज्यों में भी बांधों के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार का अध्ययन किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) उड़ीसा में भारतीय मौसम विभाग द्वारा आयोजित अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि बांधों के निर्माण के कारण भू-कम्प शुरू होने की कोई सम्भावना नहीं है, जो बांध तथा उसके सम्बद्ध कार्यों को कोई महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सके । इसके अतिरिक्त, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हीराकुड बांध के पास के क्षेत्र में सूखे तथा बाढ़ों के आंकड़े से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, जिससे यह पता चले कि जलाशय का निर्माण करने के कारण जलवायु-सम्बन्धी विपथन हुआ है । उपयुक्त डिजाइन पैरामीटर को अपनाकर डिजाइन के स्तर पर तथा निर्माण के दौरान भी बांध की सुरक्षा की सावधानी बरती जाती है । इसके अलावा, जलाशय को भरते समय अथवा अन्य कारण से बांधों को पहुंचने वाली किसी क्षति के प्रति सावधानी बरतने के लिए बांध सुरक्षा संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किए जाते हैं ।

जीवन बीमा निगम द्वारा जल आपूर्ति योजना के लिए वित्तीय सहायता

7385. श्री हरिहर सोरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा कुछ राज्यों में कुछ जल आपूर्ति योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में ये योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हर राज्य में बड़ी संख्या में जल-आपूर्ति योजनाएं हैं जिनके लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिए गए हैं। नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों की जल आपूर्ति योजनाओं के लिए ऋण देने को निगम की स्कीमों के अन्तर्गत बीस राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्र (चण्डीगढ़) के 1525 शहरी स्थानीय निकायों को इस योजना से लाभ पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार छः राज्यों में 122 जिला परिषदों को उनकी ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति स्कीमों के लिए सहायता प्रदान की है। 31 मार्च, 1988 तक शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए ऋणों की कुल धनराशि 65,975 लाख रुपए और जिला परिषदों को दी गई धनराशि 15,135 लाख रुपए है। जीवन बीमा निगम ने कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ जल आपूर्ति स्कीमों के लिए वाणिज्यिक ब्याज दर पर भी ऋण दिए हैं।

योजना आयोग के कुल आवंटनों की सीमाओं के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1986-87, 1887 88 और 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों को उनकी जल आपूर्ति/मल निकासी योजनाओं के लिए कुल निम्नलिखित धनराशि के संवितरण किए हैं :

(लाख रुपए)

1986-87	1987-88	1988-89
4047.00	7898 00	8230.05

विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए विशेष विदेशी ऋण

7386. श्री महेश्वर तांती
श्री अब्दुल हमीद } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भारत का इस समय भारी विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संकट से उभरने के लिए बाहर के किसी देश से विशेष ऋण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी नहीं। तथापि मुख्य रूप से बढ़ते हुए व्यापार घाटे, वास्तविक सहायता प्राप्तियों में कमी और अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली वापसी अदायगियों में वृद्धि होने के कारण देश की भुगतान शेष स्थिति पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए भुगतान शेष की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाने, आयातों को कम करने और पर्यटन से होने वाली प्राप्तियों सहित निवेश एवं प्रेषणाओं के जरिए विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के लिए उपाय करना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास हेतु आंध्र प्रदेश को बैंकों से ऋण

7387. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को औद्योगिक विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के मामले में इस राशि में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क) से (ग) दिसम्बर 1984, दिसम्बर 1985 और दिसम्बर 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार में उद्योगों के नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम नीचे दिये गये हैं :

(रकम करोड़ रुपए)

(उद्योगों के नाम बकाया अग्रिम)

राज्य	दिसम्बर 1984	दिसम्बर 1985*	दिसम्बर 1986*
आंध्र प्रदेश	1006.52	1195.30	1702.88
उत्तर प्रदेश	1159.06	1465.09	1857.99
महाराष्ट्र	4661.00	6094.84	8177.28
गुजरात	1376.12	1649.01	2191.59
मध्य प्रदेश	563.15	681.75	867.16
बिहार	439.52	562.31	604.11

*आंकड़े अनन्तिम

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऋण के वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक विसंगतियों से बचा जाना चाहिए और कमी वाले क्षेत्रों में ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के वास्ते कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

काजू का मूल्य

7388. श्री के० मोहन दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार अपनी एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत किसानों को कच्चे काजू का प्रति किलोग्राम कितना मूल्य देती है; और

(ख) केरल और कर्नाटक में काजू का बाजार मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) केरल सरकार से दिनांक 18-4-89 को प्राप्त जानकारी के अनुसार, काजू गिरी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में

प्रचलित कीमत को ध्यान में रखते हुए तथा कच्चे काजू की एकाधिकार खरीदारी सम्बन्धी राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार वर्तमान कीमतें निम्नलिखित हैं :

स्थान	प्रति किग्रा० कीमतें
कसारगोड, कन्नानौर	13.00
वेनाड, कालीकट, मालापुरम, पालघाट त्रिपुर	12.50
एर्णाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की	12.00
अलेप्पी, पथनमथिट्टा, क्विलोन, त्रिवेन्द्रम	11.50

केरल सरकार ने यह भी सूचित किया है कि किसानों तथा संसाधकों के प्रतिनिधियों की एक समिति की आवधिक बैठक होती है तथा कीमत समीक्षा की जाती है।

काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जोकि मंगलौर क्षेत्र से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है, 19-4-89 को कर्नाटक में कीमतें निम्नलिखित थीं :—

1. मंगलौर तालुक साधारण क्वालिटी	—12.50 रु०—13.50 रु० प्रति किग्रा०
2. पुत्तूर तालुक	—13.50 रु० प्रति किग्रा०
3. सुल्लया तालुक	—13.80—14.00 रु० प्रति किग्रा०
4. अन्य केन्द्र	—13.50—14.00 रु० प्रति किग्रा० के बीच

बहुत बढ़िया किस्म का तथा गिरी की अच्छी पैदावार देने वाला काजू 15.00 रु० से 15.50 रु० प्रति किग्रा० खरीदा जाता है।

राजगीर और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

[हिन्दी]

7389. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा राजगीर, नालन्दा और पावापुरी जैसे अन्तरराष्ट्रीय महत्व के तीर्थ स्थलों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु राजगीर से दिल्ली के बीच एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु दिए गए सुझाव

[अनुवाद]

7390. श्री राज करन सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम के डिब्रुगढ़ क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की प्रचण्डता को नियंत्रित करने के लिये कोई सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन उपायों को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मुख्य ब्रह्मपुत्र धारा के लिये अपनी मास्टर योजना में तात्कालिक लघु अवधि उपायों के रूप में तटबन्धों, जल-निकास परियोजनाओं तथा तट-सुरक्षा कार्यों के निर्माण और दीर्घावधिक उपाय के रूप में अपर जल ग्रहण क्षेत्रों में मण्डारण जलाशयों के निर्माण और दीर्घावधिक उपाय के रूप में अपर जलग्रहण क्षेत्रों में मण्डारण जलाशयों के निर्माण के लिए सुझाव दिया है। रिपोर्ट को मूल्यांकन अभिकरणों को भेज दिया गया है।

खनिज और धातु व्यापार निगम की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

7391. डा० पी० वल्लल पेरुमल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम में पदोन्नति के सम्बन्ध में चालीस पौइन्ट रोस्टर का रख-रखाव 1 जनवरी 1987 से समाप्त कर दिया गया था;

(ख) क्या पदोन्नति नीति के ढांचे के अन्तर्गत चालीस पौइन्ट रोस्टर का रख-रखाव जारी करने के लिये खनिज और धातु व्यापार निगम का सरकारी उद्यम ब्यौरों द्वारा दिये गये निर्देश खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एम एम टी सी, लोक उद्यम ब्यूरो के वर्ष 1988 के इस आदेश के अनुदेशों का अनुपालन कर रहा है कि जब तक निम्नलिखित दो शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव का प्रश्न ही नहीं उठता :—

(1) समयबद्ध पदोन्नति योजनाओं के अन्तर्गत पदोन्नतियां रिक्तियों से पूरी तरह अलग होनी चाहिए; और

(2) ऐसी पदोन्नतियों में किसी प्रकार का वरीयता निर्णय अथवा अन्त: व्यक्तिगत वरीयता की तुलना सम्बन्धी कोई बात न हो।

तृतीय विश्व के देशों के समाचारपत्रों का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्तपोषण किया जाना

7392. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तृतीय विश्व के देशों के समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों का वित्तपोषण करता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भारतीय समाचार एजेंसियों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार से यह बात सुनिश्चित कर ली गई है कि वह विकासशील देशों के समाचार-पत्रों अथवा समाचार एजेंसियों को वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सीधी सहायता नहीं देती।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या

7393. श्रीमती डी० के० मच्चारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का मैदानी क्षेत्रों की शाखाओं में कर्मचारी फालतू हैं;

(ख) क्या बैंक की पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में उनकी आवश्यकताओं से कम कर्मचारी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार शाखा प्रबन्धक की सहायता के लिए स्थानीय भाषा को समझने वाला एक अतिरिक्त अधिकारी उपलब्ध कराने का है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से चलाए जा सकें; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मैदानी तथा पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में स्थित उसकी शाखाओं में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न शाखाओं के गठन/प्रबन्ध से सम्बन्धित मामला सम्बद्ध बैंकों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में एक अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बम्बई में हीरा निर्यातकों पर आयकर विभाग के छापे

7394. श्री अनूप चन्द शाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा बम्बई के हीरा निर्यातकों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हीरा निर्यातकों के प्रतिनिधि बम्बई में 13 मार्च, 1989 को महानिदेशक (खासन) से मिले थे;

(घ) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा बातचीत के दौरान हीरा निर्यातकों को क्या आश्वासन दिये गये थे;

(ङ) क्या बम्बई के हीरा उद्योग ने इन छापों के विरोध में हड़ताल की थी; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकारी रुख क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयकर विभाग ने हाल ही में बम्बई में हीरे के निर्यातकों के परिसरों की कोई तलाशी नहीं ली है। लेकिन, दिनांक 22 फरवरी, 1989 को बम्बई में पांच अंबड़ियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों के दौरान 11 करोड़ रुपये के हीरों का पता चला था तथा इनमें से 2.01

करोड़ रु० के मूल्य के हीरों का अभिग्रहण किया गया था। 10.45 लाख रु. की नकदी भी अभिगृहीत की गई थी।

(ग) और (घ) हीरे के निर्यातकों के प्रतिनिधियों ने आयकर महानिदेशक (जांच) (पश्चिम) बम्बई के साथ मुलाकात की थी। उन्हें सूचित किया गया था कि आयकर विभाग की मंशा हीरे के व्यापारियों को किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित करने की नहीं है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1989 को कुछ अंगड़ियों से हीरों के पकड़े जाने के परिणामस्वरूप हीरे के उद्योग में अल्पावधि के लिए हड़ताल हुई थी। उन्होंने, आयकर विभाग द्वारा पूर्व में की गई तलाशियों का भी विरोध किया था। सरकार का यह अभिमत है कि हीरे के उद्योग द्वारा आन्दोलनकारी रवैया अपनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वेक्षणों तथा तलाशियों के सम्बन्ध में हीरे के व्यापारियों को ही विशेष रूप से अलग से नहीं चुना गया है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 22 फरवरी 1989 को पांच अंगड़ियों के खिलाफ की गई विशिष्ट तथा चुनिन्दा कार्यवाहियों को छोड़कर जुलाई, 1988 से अब तक हीरे के व्यापारियों की कोई तलाशी नहीं ली गई थी। हीरे के व्यापारियों को आयकर विभाग द्वारा किए जाने वाले सामान्य जांच-पड़ताल कार्य से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

हेरोइन का जब्त किया जाना

7395. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री प्रकाश चन्द्र :
} : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि 12 मार्च 1989 को सीमावर्ती जिला फिरोजपुर में बगे के गांव के निकट पुलिस और सीमाशुल्क अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन (15 किलोग्राम) जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई;

(घ) क्या कोई जांच कराई गई है;

(ङ) गत चार वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने मामलों का पता लगा है; और

(च) सरकार ने इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्रवाही की है?

वित्त मंत्रालय में (राजस्व विभाग में) राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (च)। जी, हां। पकड़े गए नशीले ओषध द्रव्य का सही-सही मूल्य नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह इसकी शुद्धता, इसके उद्गम स्थान, स्थानीय मांग और पूर्ति, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

पहले से प्राप्त विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सीमाशुल्क और पुलिस अधिकारियों ने 11/12 मार्च, 1989 की रात्रि को फाजिल्का-जलालाबाद मार्ग पर बगेके मोड़ के निकट, ओपन पर

सवार, दो व्यक्तियों, नाम सः सतनाम सिंह और अमर सिंह से, जो पंजाब में फिरोजपुर जिले के घुरका मैनी गांव के रहने वाले हैं, देश में निर्मित दो पिस्तोलों और पांच कारतूसों सहित 14 880 किलोग्राम ब्राउन पाउडर (जिसके हेरोइन होने का विश्वास है) के 15 पैकेट पकड़े थे। ऊपर उल्लिखित दोनों दोनों व्यक्तियों को आवश्यक जांच-पड़ताल पूरी करने के पश्चात् कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिछले चार वर्षों के दौरान (वर्ष-वार-नशीले औषध-द्रव्य-वार) दर्ज किए गए मामलों की संख्या नियमानुसार है :—

नशीले औषध-द्रव्य का नाम	दर्ज किए गए मामलों की संख्या			
	1985	1986	1987	1988
1. अफीम	489	1,682	433	431
2. माफिन	78	45	38	18
3. हेरोइन	131	405	351	420
4. हशीश	192	374	301	366
5. गांजा	254	684	635	497
6. कोकीन	1	9	6	1
7, मेथाक्वालोन	42	19	59	36
8. अम्फेटामाइन	....	....	6	1

भारत सरकार ने अनेक जोरदार प्रत्युपाय शुरू किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं—नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ कठोर दण्ड की व्यवस्था, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषकर सीमा क्षेत्रों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में और सुगम्य क्षेत्रों में) अधिकारियों और मुखबिरों, दोनों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) मजबूत बनाना। स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक 2 वर्षों के निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अभी तक 279 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषध-द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसे संशोधित भी किया गया है। इसमें जो संशोधन किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध धन्धे से अर्जित धन से गैर-कानूनी रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति या उसके सिलसिले में इस्तेमाल की गई सम्पत्ति को जब्त करने, नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार हेतु वित्त-पोषण सम्बन्धी गतिविधि को आपराधिक करार देने और विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दूसरी बार दोषी सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड देने के उपबन्ध भी शामिल हैं।

उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इस मामले पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है।

पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से घूस का लिया जाना

7396. श्री राम बहादुर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के कुछ कर्मचारी, जिन्हें अवैध रूप से घूस लेने का दोषी पाया गया था अब भी सेवा में बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को उनके कदाचार की गंभीरता के अनुरूप दंडित किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उन सभी मामलों में जहां विभागीय कार्यवाहियों या अदालत में आरोप सिद्ध हो गए हों, बैंक निरपवाद रूप से कदाचार/आरोप की गम्भीरता के अनुरूप दण्ड देता है। अलबत्ता, बैंक ने बताया है कि एक मामले में जिसमें एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में बैंक सेवा से बर्खास्त किए जाने का दण्ड दिया गया था, पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर बहाल करना पड़ा जबकि एक दूसरे मामले में, अग्रिम को मंजूर करते समय घूस लेने के कथित आरोप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार बर्खास्तगी के दण्ड को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कानून का सहारा लिये जाने के कारण अन्ततः कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

ग्लेज्ड अखबारी कागज पर आयात शुल्क

7397. श्री वाई० एस० महाजन
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों ने ग्लेज्ड अखबारी कागज पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्लेज्ड अखबारी कागज पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि से होने वाली उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) ग्लेज्ड अखबारी कागज पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाए जाने के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर ध्यान-पूर्वक विचार किया गया है परन्तु सरकार ग्लेज्ड अखबारी कागज पर आयात शुल्क को घटाए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं पाती है।

भारतीय स्टेट बैंक में संदेशवाहकों की नियुक्ति

7398. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वित्त मन्त्री भारतीय स्टेट बैंक में संदेशवाहकों की नियुक्ति के बारे में 13 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) चपरासी/संदेशवाहकों के पद पर भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय से कुल कितने उम्मीदवारों को मांग की गई थी;

(ख) कुल कितने उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए गए थे;

(ग) पद के लिए कुल कितने उम्मीदवारों को पैनल में रखा गया था;

(घ) साक्षात्कार की तिथि के बाद से अब तक कुल कितने उम्मीदवार वास्तव में नियुक्त किए जा चुके हैं और नियुक्त गए व्यक्तियों में कितने उम्मीदवार पैनल से नियुक्त किए गए हैं;

(ङ) क्या पैनल में रखे गए सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है;

(च) यदि नहीं, तो क्या बैंक में, पैनल से बाहर के व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ज) भर्ती के लिए पैनल में रखे गए सभी उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :

भर्ती के लिए बैंक द्वारा रोजगार कार्यालय से मांगे गए उम्मीदवारों की संख्या	230
साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या (19 अस्थायी कर्मचारियों और निम्न श्रेणी के विभागीय कर्मचारियों सहित)	241
पैनल में शामिल किये गये उम्मीदवारों की संख्या (19 अस्थायी कर्मचारियों और निम्न श्रेणी के विभागीय कर्मचारियों सहित)	94

(घ) से (ज) बैंक ने सूचित किया है कि अब तक 14 उम्मीदवारों को, जो सभी पैनल में से हैं नियुक्त किया जा चुका है। रिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण पैनल का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका और पैनल के सभी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बैंक द्वारा कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े केन्द्रीय विधेयक

7399. श्री श्रीहरि राव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार संसद् द्वारा पारित कितने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इन विधेयकों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मतदाताओं का नाम दर्ज किया जाना

7400. श्री सोमनाथ रथ : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं के नाम दर्ज करने का काम पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो नाम दर्ज किए जाने संबंधी इस कार्य की यथावत स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। 1 अप्रैल, 1989 को अर्हक तारीख मानकर 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं का नामांकन करने के लिए घर-घर जाकर सगणना करने का कार्य असम को छोड़कर, जहां गणना पूरी करने की अन्तिम तारीख 30-4-1989 है, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 में संशोधन

7401. श्री बनवारी लाल पुरोहित
प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्रीमती बसवराजेश्वरी
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ (फिक्की) ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश में औद्योगिक रूग्णता पर नियंत्रण पाने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पर्याप्त अधिकार देने हेतु रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 में उपयुक्त संशोधन किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिक्की की सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधनों के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के सुझावों पर अन्य सुझावों के साथ विचार कर रही है।

औद्योगिक एककों को बन्द करने के लिए औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें

7402. डा० दत्ता सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने औद्योगिक एककों को बन्द करने की सिफारिश की गई थी; और

(ख) इन एककों की कुल देयताएं कितनी हैं और उनके बन्द होने से कितने मजदूर प्रभावित होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार उसने 16 मामलों में एककों को बन्द करने का सुझाव दिया है।

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि ऐसे एककों की कुल देयताओं और प्रभावित होने वाले मजदूरों की संख्या से सम्बन्धित सूचना बोर्ड द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

7403. श्री हुसैन दलवाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कितना प्रारम्भिक पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या सभी राज्यों में इस बैंक की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्य कार्य अलग अलग उधारकर्ताओं को आवास वित्त प्रदान करने के वास्ते पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना है और न कि निवेश करना।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और बम्बई में उसका एक शाखा कार्यालय खोला गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि सभी राज्यों में बैंक का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पोस्त की खेती

7404. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफीम की तस्करी को देखते हुए पोस्त की खेती का क्षेत्र कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कदम उठाने के बावजूद अफीम और स्मैक, जो कि अफीम का एक उत्पाद है, की तस्करी पूरे जोर-शोर से जारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इसकी तस्करी के कारण स्मैक-विष के इस्तेमाल की बढ़ती हुई लत की रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (घ) भारत में अफीम उत्पादन मुख्यत: निर्यात-मुखी होने के कारण, पोस्त की काश्त के रकबे को चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अफीम की अन्तर्राष्ट्रीय मांग में कमी होने और सरकारी कारखानों आदि में अफीम का स्टाक पड़े होने के कारण उत्तरोत्तर रूप से घटा दिया गया है। अत:, हालांकि पोस्त की काश्त का रकबा कम कर दिया गया है, परन्तु अफीम की तस्करी के कारण ऐसा नहीं किया गया है।

भारत, नशीले औषध-द्रव्यों, खासकर हेरोइन और हशीश का भारत के रास्ते अवैध व्यापार किए जाने की गम्भीर समस्या का लगातार सामना कर रहा है। इस बात का सबूत इस अवैध धंधे

में अभिगृहीत इन नशीले औषध-द्रव्यों की उन भारी मात्राओं से मिलता है जिन्हें मुख्यत: निकट एवं मध्य-पूर्व देशों से लाया जाता है और जिन्हें पश्चिमी देशों को ले जाया जाना होता है।

सरकार ने नशीले औषध-द्रव्य अवैध व्यापार और नशीले द्रव्य दुरुपयोग के विरुद्ध अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपबन्धों की व्यवस्था करके कानूनों को कारगर बनाना भी शामिल है – नशीले औषध-द्रव्य अवैध व्यापार करने के सिलसिले में निवारक सजा की व्यवस्था (जिनमें कतिपय मामलों में मृत्यु दण्ड की सजा की व्यवस्था भी शामिल है ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने और नशीले औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार से अर्जित अथवा हासिल संपत्ति के समपहरण की व्यवस्था और अवैध व्यापार में ग्रस्त व्यक्तियों की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करना है। अधिकारियों/मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को भी लागू किया गया है। निवारक तन्त्र को सुदृढ़ बनाया गया है।

कल्याण मंत्रालय, परामर्शदात्री और नशीले औषध द्रव्यों की लत हटाने के लिए केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 1988 में, ऐसे 91 केन्द्रों की स्थापना की गई थी। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय और अन्य सरकारी तथा स्वैच्छिक निकायों द्वारा नशीले औषध-द्रव्यों के कुप्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षाप्रद अभियान भी चलाए जाते हैं।

इस मामले पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सतत् निगरानी भी रखी जाती है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में गबन

7405 श्री मानवेन्द्र सिंह
श्री राज कुमार राय } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर में गबन करने के दोषी पाए गए कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ख) कितने मामलों में निलम्बन आदेश जारी किए गए किन्तु अब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के गबन के मामले अब भी पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन हैं, किन्तु उन्हें अभी तक चार्जशीट जारी नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि 1986, 1987 और 1988 के पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक में गबन का कोई मामला सामने नहीं आया है अत: इस अवधि के दौरान किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कानूनी खर्चों पर नियंत्रण

7406. श्री दौलतसिंह जी जडेजा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले कानूनी खर्चों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इन बैंकों द्वारा किए जाने वाले कानूनी खर्चों पर कोई नियन्त्रण है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को मुकदमें करने की बजाय पार्टियों से आपसी बातचीत अथवा समझौते करके मामले निपटाने के निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केवल ऋणों की वसूली के लिये किये गये कानूनी खर्चों से सम्बन्धित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विधि प्रभारों के अन्तर्गत 1987 में किया गया कुल व्यय वर्ष 1986 के व्यय की तुलना में 2.10 करोड़ रुपये अधिक था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कानूनी खर्चों में वृद्धि मुख्यत: परिचालनों के आकार में बढ़ोतरी, बकाया रकमों की वसूली के लिये दायर किए जाने वाले मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी और वकीलों की फीस और विधि सम्बन्धी अन्य प्रभारों में वृद्धि के कारण हुई है। कानूनी खर्च को देखते हुए मुकदमेबाजी से बचने के लिये, बैंक अपनी बकाया राशियों की वसूली के लिये, समझाने-बुझाने और अन्य सभी प्रकार के सम्भव उपाय करते हैं। बैंक मुकदमे का सहारा अपने हितों की रक्षा करने के वास्ते अन्तिम उपाय के रूप में ही लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय बैंकों से कहा है कि वे अग्रिमों पर कड़ी निगरानी और नियन्त्रण रखें तथा अवरुद्ध अग्रिमों पर भी नजर रखें ताकि मुकदमेबाजी की गुंजाइश को कम किया जा सके।

उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं और अन्य विचाराधीन मामले

[हिंदी]

7407. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं और अन्य विचाराधीन मामलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस समय रिट याचिकाओं की संख्या सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या से अधिक है;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों में अत्यधिक रिट याचिकाओं के कारण सभी मामलों पर निर्णय देने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ग) क्या जिन मामलों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, उन मामलों में भी रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं; और

(घ) सरकार का इस समस्या के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उच्च न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं और अन्य मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी उच्च न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं की संख्या सिविल और दांडिक मामलों से अधिक है।

(ख) विलम्ब के अनेक कारण हैं।

(ग) रिट, साधारणतया उन मामलों में ग्रहण नहीं की जाती है जिनमें वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

(घ) सरकार ने न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उसके समाधान के लिए सुझाव देने के लिए तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति हाल ही में गठित की है।

महिलाओं को बैंक ऋण

[अनुवाद]

7408. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी महिला द्वारा अपने स्वतन्त्र प्रयासों से जीविका कमाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने पर उसके पति की देयता ऋण प्राप्त करने में बाधक होती है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे कुछ मामलों का पता चला है जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चूककर्ताओं की पत्नियों को ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पत्नी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता लेने पर कोई रोक नहीं है, चाहे पति पर बैंक के प्रति कोई देनदारी हो। महिला ऋणी, किसी अन्य ऋणी की भांति, बैंक से किसी सक्षम उत्पादक धन्धे के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते बैंकों से सम्पर्क कर सकती है। परन्तु, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, यदि किसी परिवार के किसी सदस्य ने किसी पूर्व ऋण को चुकाने के मामले में जानबूझ कर चूक की हो तो परिवार और वित्तीय सहायता का पात्र नहीं रहता। इस प्रकार ऐसे मामले में जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पति ने ऋण चुकाने में जानबूझकर चूक की हो, तब पत्नी या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य सहायता का पात्र नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों के अंशदान

7409. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कोष पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व आने की सम्भावना और विश्व बैंक द्वारा "सेही योजना" के अन्तर्गत विकासशील देशों के ऋण में कटौती किए जाने के कारण सदस्य देशों से अपने सामान्य अंशदान से काफी मात्रा में अधिक अंशदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर विभाग के कर्मचारियों की मांगें

7410. डा० सुधीर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फालतू घोषित किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं। आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण से उसके कर्मचारी फालतू नहीं हो जाएंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शतप्रतिशत निर्मातोन्मुख एककों को घरेलू बाजार में अपने उत्पाद बेचने की अनुमति

7411. श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्मातोन्मुख एककों की कितनी शत प्रतिशत विदेशी शेयर धारक कम्पनियों को अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजार में बिक्री करने की अनुमति कब दी गई है; और

(ख) ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और यह किन-किन उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) किसी भी विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी को आर०ई०पी० परिपत्र सं० 17/88 दिनांक 2-5-88 के तहत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादों की बिक्री के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे गांवों के लिए बीमा योजना

7412. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे गांवों के लिए सामान्य लागत पर अग्नि बीमा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक योजना महाराष्ट्र के कितने जिलों में प्रारम्भ की गई है और शेष जिलों में प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए झोंपड़ी बीमा योजना पहली मई, 1988 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की झोंपड़ियां और सामान आग लगने से नष्ट हो जाने पर उन्हें राहत देने की व्यवस्था है। ऐसे गरीब परिवार, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 4,800 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना के अन्तर्गत शामिल

किए जाने के पात्र हैं। आग लग जाने के कारण हानि हो जाने की स्थिति में, बीमा कम्पनी बीमा कराने वाले व्यक्ति को झोंपड़ी के लिए 1000 रुपए तथा झोंपड़ी में मौजूद सामान के नष्ट होने के एवज में 500/-रुपए की राशि का भुगतान करेगी। यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अपनी चार सहायक कंपनियों, अर्थात् (i) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ii) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (iii) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (iv) यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है जिसमें राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र सक्रिय सहयोग देते हैं। इस योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रीमियम की राशि का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) पहली मई, 1988 से आरम्भ किये जाने के बाद से यह योजना महाराष्ट्र के सभी जिलों सहित देश के समस्त जिलों में चलाई जा रही है।

मैसूर में डीजल इंजन इकाई

7413. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने मैसूर में डीजल इंजन विर्माण कारखाने की स्थापना की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह ईकाई वाणिज्य उत्पादन कब तक प्रारम्भ करेगी;

(ग) इस कारखाने पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) इस कारखाने को स्थापित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में कमान क्षेत्र विकास सम्बन्धी परियोजनाओं का धीमी गति से कार्यान्वयन

7414. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मध्य प्रदेश में बरनाहलाली और कोलार सिंचाई परियोजनाओं का कमान क्षेत्र विकास के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है और यह निर्धारित समय से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अगले वर्षों के दौरान विभिन्न विर्माण कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) बरनाहलाली परियोजनाओं पर कमान क्षेत्र विकास कार्य समय-अनुसूची से पीछे हैं, कोलार सिंचाई परियोजना अभी निर्माणाधीन हैं। इसलिए परियोजना पर कोई कमान क्षेत्र विकास कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि अपर्याप्त वित्त पोषण तथा तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण बरनाहलाली परियोजनाओं में धीमी प्रगति हुई।

(ग) राज्य सरकार कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां और तकनीकी स्टाफ मुहैया कराने हेतु प्रयास कर रही है।

मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में अनियमितताएं

7415. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रायपुर जिले में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शाखाओं में धोखाधड़ी/अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) ऐसे धोखाधड़ी के कितने मामलों में स्वयं बैंक कर्मचारी शामिल पाए गए;

(ग) उनके मन्त्रालय ने ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की है और यदि कोई जांच की गई हो अथवा मुकदमें चलाए गए हों तो वह किस अवस्था में है; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने और इन धोखाधड़ियों में कर्मचारियों को शामिल न होने देने के लिए क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नलहाटी स्टेशन पर रेलवे भूमि का अतिक्रमण

7416. श्री गदाधर शाहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलहाटी स्टेशन क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां रेलवे भूमि को अनधिकृत कब्जे से खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) विगत में कई बार अतिक्रमण हटाये गये थे लेकिन पुनः अतिक्रमण किये जा रहे हैं। अतिक्रमणों को हटाने के प्रयास जारी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली-पुरी के बीच चलने वाली 915/916 और 175/176 गाड़ियों का देरी से चलना

7417. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और पुरी तथा पुरी-नई दिल्ली के बीच चलने वाली 915/916 और 175/176 एक्सप्रेस गाड़ियां नई दिल्ली तथा पुरी काफी देरी से पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों के समय की अनियमितता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"फ्री कम्पलीमेंटरी कार्ड पास"

7418. श्री जी० देवराय नायक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फ्री कम्पलीमेंटरी कार्ड पास" जारी करने का मानदण्ड क्या है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान जारी किये गये ऐसे पासों का श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेल मन्त्रालय द्वारा मानार्थ कार्ड पास प्रख्यात व्यक्तियों तथा अखिल भारतीय स्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों, आदि में समर्पित संगठनों को जारी किये जाते हैं। ये पास दिशानिर्देशों और प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर जारी किये जाते हैं।

(ख) वर्ष 1988 89 के दौरान कुल 51 मानार्थ कार्ड पास जारी किये गये हैं। चूंकि ये कार्ड पास प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर रेल मन्त्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं और सामान्यत: ये पास सभी भारतीय रेलों पर वैध होते हैं इसलिए जारी किए गए पासों की कोटि-वार,क्षेत्र-वार सूचियां प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

"डैमिंग दि नर्मदा" नामक पुस्तक

7419. श्री एच० ए० डोरा : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने "डैमिंग दि नर्मदा" नामक पुस्तक की प्रतियां जब्त कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांडा) : (क) से (ग) देहरादून के मै० नटराज पब्लिशर्स द्वारा आयातित छ: पार्सलों की एक खेप को, जिसमें क्लाडेअल्वारेस तथा रमेश बिल्लोरे द्वारा लिखित तथा वर्ल्ड नेटवर्क और एशिया पैसिफिक पीपल्स एन्वायरन्मेन्ट नेट-वर्क, मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित "डैमिंग दि नर्मदा" नामक प्रतियां थी, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली स्थित "विदेशी डाकखाने" में रोक लिया गया था क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह समझा था कि इस पुस्तक के आयात किए जाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11की उपधारा (टी) और (बी) के उपलब्ध लागू होंगे। यह प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था कि एक अधिसूचना जारी करके इस पुस्तक के आयात किए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। इस प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने यह विनिश्चय किया कि इस पुस्तक के आयात करने पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा तदनुसार इन पुस्तकों को छोड़ दिया गया था।

बिहार में रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

7421. श्री कुंवर राम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बिहार में कितनी रेल परियोज-नाओं पर निर्माण कार्य/विस्तार कार्य चल रहा था;

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी लागत कितनी है;

(ग) कार्य में इस समय तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान किन-किन अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) बिहार में जिन निर्माण परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बिहार के लिए सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के बजट में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल की गई हैं :—

आमान परिवर्तन

1. छपरा-औंबिहार मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव (171 कि०मी०) (अंशतः बिहार में)।

दोहरी लाइन बिछाना

1. सिहो-रामदयालुनगर-दोहरी लाइन बिछाना।

यातायात सुविधाएं

1. गया-मुगलसराय खण्ड फेंसिंग क्रास ओवर।
2. क्यूल-गया खण्ड-मानक 111 अन्तर्पाशन।
3. साहिबगंज-भागलपुर खण्ड-खण्डीय क्षमता में वृद्धि।
4. बोकारो-राजाबेड़ा-बुगल एकल लाइन कार्य प्रणाली।
5. हटिया-रांची से माल गोदाम को अन्यत्र ले जाना।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत प्रगति
1	2	3	4
	दोहरी लाइन बिछाना		
1.	पिर्तोंजिया-उजियारपुर तथा बछवाड़ा-बरौनी	23.43	84
2.	उजियारपुर-बछवाड़ा	16.19	5
3.	क्यूल-भागलपुर	26.19	60
4.	साहिबगंज लिंक केबिन-माल्दा टाउन (अंशतः पश्चिम बंगाल में)	37.73	1
5.	सिमांसिमी-बगहाविष्णुपुर	50.28	20

1	2	3	4
6.	गढ़वा रोड-सिमसिगी और सोननगर-बगहा विष्णुपुर	7.49	85
7.	बोकारो-पुंडाग	6.24	99
8.	बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तथा बोकारो स्टील सिटी (ए केबिन)	2.20	96
9.	कन्द्रा-गोम्हारिया	8.53	79
10.	कुमेदपुर-बरसोई तथा घूलाबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी (अंशत: पश्चिम बंगाल में)	56.85	55
11.	बरसोई-दलकोल्हा तथा घूलाबाड़ी-अलुवाबाड़ी (अंशत: पश्चिम बंगाल में)	24.39	25
	यातायात सुविधाएं		
1.	गया-मुगलसराय खण्ड-खण्डीय क्षमता में वृद्धि	8.41	35
2.	सोननगर-मुगलसराय खण्ड । अप तथा डाउन लूप लाइनें	3.01	80
3.	बड़वाडीह-डिपो यार्ड का विकास	31.44	7
4.	मोकामा-पटना-आरा-बक्सर : खण्डीय क्षमता में वृद्धि	11.99	1
5.	पटना-गया खण्ड : खण्डीय क्षमता में वृद्धि	6.35	1
6.	सोननगर-मुगलसराय खण्ड-सी टी सी	7.13	1
7.	गया-सोननगर खण्ड : अप लम्बी लूप लाइनें	2.07	13
8.	गढ़वा रोड-चोपन खण्ड : टोकन रहित ब्लाक प्रणाली	2.24	1
9.	बावे तथा छपरा कचहरी में बाईपास लाइनें	2.60	10

वाष्प इंजनों को बदलना

[अनुवाद]

7422. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा वाष्प इंजनों को डीजल अथवा विद्युत इंजनों में बदलकर गत तीन वर्षों में क्षेत्रवार, कितने कोयले की बचत की गई है;

(ख) डीजल और विद्युत इंजन शुरू करने से व्यय में हुई वृद्धि का, क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने अथवा रेलवे को लाभ होने की स्थिति में आम जनता को सुविधाएं देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें क्षेत्रीय रेलों पर वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक कर्षण के लिए कोयले की खपत दर्शाई

गई है। भाप इंजनों के बदलाव तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये अन्य उपायों के कारण घटते हुए स्तर से बचत परिलक्षित होगी है।

(ख) 1985-86 से 1987-88 तक के तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय रेलों पर कर्षण के लिए ईंधन ऊर्जा की खपत पर किये गये खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। खर्च में यह वृद्धि कच्चा डीजल तथा बिजली की कीमतों में वृद्धि, अतिरिक्त यातायात और भाप कर्षण को डीजल तथा बिजली कर्षण में बदले जाने के कारण डीजल तथा बिजली की अधिक खपत के कारण हुई है।

(ग) भाप कर्षण के डीजल/बिजली कर्षण में बदलाव के परिणामस्वरूप कोई क्षति नहीं हुई है। डीजल/बिजली कर्षण से गाड़ियों को अधिक डिब्बे लगाकर तेज रफ्तार से चलाने में सहायता मिली है।

विवरण

कर्षण प्रयोजनों के लिए कोयला खपत

(टनों में)

रेलें	1985-86	1986-87	1987-88
मध्य	963,336	893 983	794,886
पूर्व	1,233,562	1,141,690	1 042 626
उत्तर	1,741,025	1,457,788	1,428 071
पूर्वोत्तर	966 557	914,219	870,007
पूर्वोत्तर सीमा	309 890	274,677	219 165
दक्षिण	389 733	340.276	261 677
दक्षिण मध्य	783,725	672.433	646,561
दक्षिण पूर्व	702,194	626.753	597,134
पश्चिम	1,021 391	948 248	857,193
जोड़	8 111 413	7 271,067	6 717,5 0

कर्षण प्रयोजनों के लिए ईंधन/ऊर्जा पर किये गये खर्च का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

रेलें	1985-86	1986-87	1987-88
मध्य	187,95 44	212,94,79	215,49,21
पूर्व	142,03 49	158,97,25	162,44,11
उत्तर	183,63,28	203,30,44	215,76,78
पूर्वोत्तर	53,34 05	63 88.52	60 41,57
पूर्वोत्तर सीमा	29,96,64	37.30 93	36,27,86
दक्षिण	91,39,04	90 31,73	93,71 28
दक्षिण मध्य	109,81,38	117,05,47	127,45.40
दक्षिण पूर्व	145,64,37	162,67,32	180,25,72
पश्चिम	143,05,11	158,65,22	167,83 99
जोड़	10 86,82,80	12,05,07,67	12,59,65,92

लातूर-कुर्डुवाडी बरास्ता उस्मानाबाद छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

7423. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर से कुर्डुवाडी बरास्ता उस्मानाबाद तक छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत रेल लाइन को बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) कुर्डुवाडी और उस्मानाबाद के रास्ते मिरज-लातूर लाइन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने और इसे लातूर रोड तक बढ़ाने, जो कुल मिलाकर 359 कि. मी. होगा, के लिए 1975-76 में एक सर्वेक्षण किया गया था। तब इस परियोजना की अनुमानित लागत 43. 12 करोड़ रुपये आंकी गई थी और इसे वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाया गया था। अतः इस लाइन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्रप्रदेश में "लिफ्ट" सिंचाई से सिंचाई क्षमता

7424. श्री वी० तुलसीराम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में "लिफ्ट" सिंचाई की कुल क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1989 तक राज्य में इसके लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष "लिफ्ट" सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) आन्ध्रप्रदेश में मार्च, 1989 तक लिफ्ट सिंचाई स्कीमों सहित 42 लाख हेक्टयर का चरम लघु सिंचाई क्षमता के मुकाबले 27.07 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजित हो जाने की सम्भावना है। सतही-जल लघु लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तक सृजित सिंचाई क्षमता 1.11 लाख हेक्टेयर है।

(ग) से (ङ) लघु सिंचाई स्कीमों का वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने बजट संसाधनों से किया जाता है। उन्हें किसी भी स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा जाता। तथापि, लघु सिंचाई विकास की गति को त्वरित करने के लिये केन्द्रीय सरकार लघु तथा सीमान्त

कृषक स्कीम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एन. आर. ई. पी. आर. एल. ई. जी. पी. जैसी केंद्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश शामिल है।

पौड़ी और श्रीनगर में "आउट एजेन्सी"

[हिन्दी]

7425. श्री हरीश रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में पौड़ी और श्रीनगर में "रेलवे आउट एजेंसियां" बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन एजेंसियों को पुनः खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) गढ़वाल में पौड़ी और श्रीनगर की आउट एजेंसियों को ठेकेदारों के त्यागपत्र देने के कारण बन्द कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) इन आउट एजेंसियों को चलाने के लिए जैसे ही मानक शर्तों पर उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध होंगे, इन्हें खोल दिया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारोबार

[अनुवाद]

7426. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को अन्य देशों से काड़ी स्पर्धा में कारण विदेशों में कारोबार में हाल ही बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम की संचालन लागत में भी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप निर्यात मूल्य बढ़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण सदैव स्पर्धापूर्ण रहा है तथा राज्य व्यापार निगम को निश्चित रूप से निर्यात आदेश प्राप्त करने में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। राज्य व्यापार निगम को, कभी कभी, कुछ वस्तुओं के व्यापार में अन्य देशों के साथ स्पर्धा के कारण काफी घाटा उठाना पड़ता है।

(ख) और (ग) सामान्य मुद्रा स्फीति तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण निगम के ऊपरी खर्चे 1987-88 के 28 करोड़ रु० से बढ़कर 1988-89 में 30 करोड़ रु० (अनन्तिम) हो गए। तथापि राज्य व्यापार निगम अधिकांश व्यापार लाभ आयात से अर्जित करता है तथा जहां तक सम्भव होता है, निर्यात के लिए काफी प्रतियोगी पेशकश की जाती है।

(ग) राज्य व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी ढंग से स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए समय समय पर अनेक स्कीम बनाता है, जैसे उद्योग के आटे में भागीदार होना, विनिर्माताओं को आसान शर्तों पर ऋण देना, आदि ।

सहारनपुर, राजपुर और पठानकोट रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

7427. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहारनपुर, राजपुरा और पाठनकोट स्टेशनों पर उन बुक स्टालों ने किस-किस तिथि से कार्य करना शुरू कर दिया है जिन्हें 31 मई, 1988 के पश्चात् उचित जांच करके तथा विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार उन प्लेटफार्मों पर आवंटित किया गया था जो इससे पहले मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के पास थे;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के एक सक्षम अधिकारी ने इनके बारे में करार उन बेरोजगार स्नातकों से मिलकर या उनकी साझेदारी में किया था जिन्हें इन स्टेशनों पर बुक स्टाल आवंटित किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को समझौता किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 31 मई, 1988 के बाद सहारनपुर, राजपुरा और पठानकोट में बुक स्टालों का काय शुरू करने की तारीख नीचे दी गई है :—

सहारनपुर	—	5.9.1988
राजपुरा	—	10.9.1988
पठानकोट	—	5.9.1988

(ख) और (ग) सहारनपुर और पठानकोट में बुक स्टाल करार के निष्पादन की तारीख नीचे दी गयी है :—

सहारनपुर	—	6.2.1989
पठानकोट	—	12.10.1988

राजपुरा में बुक स्टाल ठेके के सम्बन्ध में करार अभी निष्पादित नहीं किया गया है ।

"सर्विस सेवा कनसेप्ट" का कार्यान्वयन

9428. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यक बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण की "सर्विस सेवा कनसेप्ट" योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कार्यान्वयन में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या सीड बैंकों ने अपने सेवा क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं के बारे में कम्प्यूटरीकृत सामग्री सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को पहले जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की सेवा क्षेत्र योजना 1 जनवरी, 1988 से लागू की जानी थी। लेकिन बैंककारी विनियमन अधिनियम में वाणिज्यिक बैंकों का लेखा वर्ष कैलेण्डर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष करने से सम्बद्ध संशोधन को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण के सन्दर्भ में सेवा क्षेत्र योजना 1 अप्रैल, 1989 से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

(ग) और (घ) बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटर और मशीनें चरणबद्ध ढंग लगाई जा रही है। विद्यमान व्यवस्था के अनुसार एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें शाखा स्तर पर मिनी कम्प्यूटर अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर और मेन फ्रेम कम्प्यूटर प्रधान कार्यालय स्तर पर लगाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990-94 के दौरान बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना तैयार करने के लिए पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है।

व्यावसायिक कलाकारों को आयकर से छूट

7429. श्री अरविन्द नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर में राहत/छूट के लिए "व्यवसायिक कलाकारों" की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या फिल्म कलाकार इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें आयकर में राहत/छूट न मिलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 में "व्यावसायिक कलाकारों" शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ब तथा 80 द द में "कलाकार" शब्द का उल्लेख किया गया है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ब तथा 80 द द में यथाउल्लिखित 'कलाकार" शब्द में "सिनेमा कलाकार" भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

काजू का निर्यात

7430. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के संसाधित काजू निर्यात किये गये;

(ख) वर्ष 1989-90 के लिये काजू निर्यात का क्या लक्ष्य है; और

(ग) केरल से निर्यात का क्या कोटा निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य राज्यमंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1988-89 के दौरान निर्यात की गई संसाधित काजू गिरी की मात्रा तथा मूल्य क्रमशः 34462 एम० टी० (अनन्तिम) तथा 279.41 करोड़ रु० (अनन्तिम) रहा।

(स्रोत : काजू निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए काजू गिरी का कोई निर्यात लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि काजू के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है अतः इसके लिए कोई निर्यात कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की कमी

[हिन्दी]

7431. श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार मे राष्ट्रीयकृत बेंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) उनमें से कितनी शाखाओं में पिछले कुछ वर्षों से अधिकारी नहीं हैं और कितनी शाखाओं में कर्मचारी कम हैं;

(ग) कर्मचारियों की कमी को कब तक पूरा कर लिया जायगा; और

(घ) सरकार द्वारा इन शाखाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की अविलम्ब नियुक्त सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 2577 शाखाएं थीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना

[अनुवाद]

7432. डा० ए० के० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए उदार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत किन ग्रेडों और श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ होगा उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1989 90 के लिए इस योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के सभी ग्रेडों और कोटियों के कर्मचारियों को, जो इस योजना का विकल्प देते हैं, इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1. .89 से पहले सेवारत सभी ग्रेडों और कोटियों के ऐसे कर्मचारियों को, जो इस योजना मे शामिल होना चाहते हैं और इस तिथि को या इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् इसमें शामिल होंगे।

(ख) अभी तक कोई अलग निधि निर्धारित नहीं की गई है।

चमड़े के सामान का निर्यात

7433. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान चमड़े के सामान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) निर्यात किये जाने वाले चमड़े के सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चमड़ा माल जिसमें परिधान शामिल हैं (चमड़ा फुटवियर और मंघटकों को छोड़कर), के निर्यात नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	निर्यात करोड़ रु० में
1986 87	1 6
1987 88	234
1988-89 (फरवरी 1989 तक)	277 (अनन्तिम)

(स्रोत—चमड़ा निर्यात परिषद्)

(क) निर्यात किए जा रहे चमड़ा माल की प्रमुख मदें हैं : हैंडबेग, बटुवे, पर्स, बेल्टें, परिधान जीनसाजी (सैडलरी) और साज (हार्नेस)।

(ग) इस उद्योग के विकास विशेषकर निर्यात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ- साथ जो उपाय किए गए हैं उनमें शामिल हैं : अतिरिक्त क्षमता सृजन पर बल देना, औद्योगिक साइसेंसिंग नीति को उदार बनाना, आयातित निवेशों का आसानी से प्रवेश सुकर बनाना, मशीनरी वृहद मदों पर रियायती सीमा शुल्क देना, विपणन विकास सहायता के तहत विपणन सहायता, मानव शक्ति प्रशिक्षण आदि।

पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों की मांगें

7434. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने 22 फरवरी, 1989 को "मांग सप्ताह" मनाया था और इसी दिन पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजन रेल प्रबन्धक कार्यालय, सोनपुर के समक्ष प्रदर्शन किया;

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांगें क्या है; और

(ग) सरकार का इन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार की प्राप्त हुई सभी मांगों की जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कारंवाई की जाती है।

विवरण

मांगें

1. ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती सम्बन्धी ट्रेड यूनियन ऐक्ट तथा औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन तथा अन्य काले कानून को पारित करने की साजिश बन्द की जाये।

2. संविधान की धारा 311(2) (बी) (सी) को संशोधित किया जाये और अनुशासन एवं अपील नियम (डी. ए. आर.) की धारा (14) (11) के अन्तर्गत नौकरी से हटाये गये लोको कैरिज सिगनल तथा अन्य विभागों के नौकरी से निकाले गए रेल कर्मचारियों को काम पर वापस लाया जाए।

3. रेल कर्मचारियों की संख्या घटाने, अन्धाधुन्ध कम्प्यूटराइजेशन, मशीनीकरण डीजलाइजेशन पर रोक लगाई जाए और रेल कर्मचारियों की नौकरी पर हमला करने की रेल मन्त्रालय की योजना पर रोक लगाई जाए।

4. सेवा निवृत्त तथा सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के एक लड़के या आश्रित को रेल सेवा में बहाल किया जाए।

5. पदों की कटनी-छटनी व्यापक पैमाने पर सरप्लस करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाये। सरप्लस कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर समुचित पदों पर समाहरण किया जाए।

6. नई नियुक्ति तथा नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्धों को शीघ्र वापस लिया जाए।

7. लोको, कैरिज, सिगनल, बिजली, ट्रैफिक इन्जीनियरिंग विभागों की सभी उच्च श्रेणी की जगहों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाए, अपग्रेडिंग आदेशों को पूरी तरह लगा दिया जाए।

8. कैरिज लोको समेत सभी विभागों के छटनी ग्रस्त एवजी आकस्मिक मजदूरों को काम दिया जाए, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूरा किया जाए।

9. 120 दिनों की सेवा वाले कार्यरत या छटनीग्रस्त सभी आकस्मिक तथा एवजी मजदूरों को अस्थाई दर्जा दिया जाए।

10. समयोपरि भत्ता के भुगतान में (लोको, फिटिंग स्टाफ तथा अन्य विभागों में) की जा रही कटौती को बन्द किया जाए। बिना आवासीय सुविधा वाले गेटमैनों, चौकीदारों तथा ट्रैफिक के 12 घण्टे ड्यूटी वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 2 दिन विश्राम या समायोपरि भत्ता का भुगतान किया जाए।

11. गैंगमैनों को ट्रेन मेन्टेनर का पदनाम तथा कुशल कारीगर का वेतनमान 950—1500 का वेतनमान दिया जाए। डी० डब्ल्यू० एम० की खाली जगहों को प्रोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जाए। गेटमैनों को सभी मौसम का पूर्ण यूनीफार्म दिया जाए। इन्जीनियरिंग विभाग के अस्थायी मजदूरों को जो रेल पथ निरीक्षकों के कार्यालयों से आठ कि० मी० दूर जाकर काम करते हैं, यात्रा भत्ता की सुविधा दिया जाए।

12. बी० जी० विभाग के अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। छटनी ग्रस्त मजदूरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार काम दिया जाए।

13. गढ़हरा टी० पी० टी० के सरप्लस घोषित मजदूरों को शीघ्र अन्य विभागों तथा अन्य मण्डलों में समाहरण हेतु भेजा जाए। सेवा निवृत्त, मृत टी० पी० टी० मजदूरों तथा उनके मृतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी पेंशन, पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाए जो 10.15.20 वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके थे।

14. निर्माणीय कामों को छटनीग्रस्त मजदूरों से ई० एल० आर० लेकर कराने के बदले ठेकेदारी प्रथा से कराने पर रोक लगाई जाए।

15. यात्रा भत्ता, रात्रि भत्ता, का एरियर, ट्रांसफर भत्ता तथा अन्य बकायों की लाखों रुपए के एरियर का शीघ्र भुगतान किया जाए।

16. सोनपुर में कैरिज का वाशिंग लाइन तथा डीजल शेड का शीघ्र निर्माण किया जाए। गढ़हारा में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाए।

17. यूनिफार्म तथा सुरक्षात्मक पोशाक की नियमित आपूर्ति की जाए।

18. सीजनल वाटरमैनों का भी स्क्रीनिंग मेडिकल शीघ्र कराया जाए।

19. सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को सभी देय राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। भ्रष्टाचार में रोक लगायी जाए।

20. क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय मुजफ्फरपुर एवं रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर को हटाने की साजिश बन्द की जाए।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की बहाली एवं पदोन्नति में आरक्षित कोटा पूरा किया जाए।

22. मण्डल रेलवे अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाई की कमी को पूरा किया जाए। मुजफ्फरपुर रेलवे अस्पताल का विस्तार किया जाए।

23. जनवितरण प्रणाली की दुकानों से रेल कर्मचारियों को सभी सामग्रियों को सस्ते दाम पर मुहैय्या कराया जाए।

24. सोनपुर मण्डल के सभी स्टेशनों पर आवास की संख्या बढ़ाई जाए। एवं रेल आवासों की मरम्मत एव कालोनियों की समुचित व्यवस्था की जाए।

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड द्वारा छोटे उद्यमियों की मत्स्यन नौकाओं के लिये उपकरणों हेतु वित्त की व्यवस्था

7435. श्री टी० बाल गौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड द्वारा मत्स्यन नौकाओं हेतु वित्त की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा इस स्थिति में भी ऋण जारी किए जाते हैं, जबकि मत्स्यन नौकाओं की मशीनों तथा उपकरण की गुणवत्ता के मामले में छोटे खरीददारों के गोदी अधिकारियों के साथ विवाद है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी मशीन और उपकरण की ठीक संचालन की जिम्मेदारी लेती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि मत्स्यन नौकाओं का निर्माण, शिपयार्ड और खरीदार के बीच निम्नांकित निर्माण-सुविदा के अनुसार किया जाता है और इस संविदा में आमतौर पर दोनों पार्टियों के बीच होने वाले विवाद की सूरत में उपचारों की व्यवस्था होती है। जहां तक नौवहन विकास निधि समिति/सरकार से सहायता प्राप्त कम्पनियों की ओर से शिपयार्डों को जारी किए गए ऋणों की किस्तों का सम्बन्ध है, ये संवितरण, शिपयार्डों, मत्स्यन कम्पनियों और नौवहन विकास निधि समिति/सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौतों के अनुसार किए जाते हैं। अन्य मामलों में, जिनमें ट्रालरों की खरीद के लिए, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड द्वारा सीधे ही वित्तपोषण किया जाता है, उक्त कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है कि शिपयार्डों को रकम का भुगतान मत्स्यन कम्पनियों तथा भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड के बीच हुए ऋण समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)

7436. श्री सुरेश कुरूप : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) को किसी गैर-सरकारी एजेन्सी को स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) 1-2-1989 से कार्य कर रहा है। सरकार इसका प्रबन्ध करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस शीतागार को 7 2-1989 से उसके प्रचालन और प्रबन्ध के लिए उधार पर छः महीने की अवधि के लिए कुछ शर्तों पर भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात संघ, कोचीन को सौंप दिया गया है ताकि विशेष रूप से जापान में समुद्री खाद्य की मांग में सामान्य मन्दी आने तथा उसके फलस्वरूप स्टाक जमा हो जाने को ध्यान में रखते हुए कोचीन के आसपास पर्याप्त प्रशीतन भण्डारन सुविधाएं न होने के कारण इस उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिन स्थिति से निबटा जा सके।

बम्बई-रतलाम-वाहोद-बड़ोदरा- दिल्ली रेलमार्ग पर नई रेलगाड़ी चलाना

7437 श्री सोमजीभाई डामर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के बीच कोई ऐसी नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है जो बड़ोदरा, वाहोद और रतलाम होकर जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामागुंडम-निजामाबाद रेलवे लाइन

7438. श्री जी० मूपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान करीमनगर होकर रामागुंडम और निजामाबाद को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का इस कार्य को कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) करीमनगर के रास्ते निजामाबाद-जगतियाल-रामगुंडम, पेद्दापल्ली-जगतियाल और करीमनगर के रास्ते उप्पल-जगतियाल के बीच बड़ी रेल लाइनों के लिए 1985 में सर्वेक्षण किया गया था। यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी थी। इस प्रकार, इसका निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में दंगों के सम्बन्ध में बीमा दावे

7439. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों को दिसम्बर, 1988 के आंध्र प्रदेश के दंगों पीड़ित व्यक्तियों को उसी प्रकार की सहायता देने के निर्देश दिये गए हैं जिस प्रकार नवम्बर, 1984 के दिल्ली के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में हुए दंगों के परिणामस्वरूप किये गये दावों के शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, साधारण बीमा उद्योग ने विभिन्न रियायतें प्रदान की हैं जैसे कि नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट/पुलिस रिपोर्ट/फायर ब्रिगेड रिपोर्ट के स्थान पर जिला अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र को स्वीकार करना, आर० सी० पुस्तिक के गुम होने तथा उसके परिणामस्वरूप द्वितीयक (डुप्लीकेट) आर. सी. पुस्तिका को प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब जैसे मामले में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अभिलेखों से लिए गए उद्धरणों को स्वीकार करना, जिन मामलों में लेखा-पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें जिला अधिकारियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक कर-विवरण/क्षति-प्रमाण पत्र जैसे स्रोतों से दिये गये प्रमाण को स्वीकार करना, क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अपने स्तर पर दावों के शीघ्र निपटान के लिए उनकी वित्तीय शक्ति में एक स्तर तक वृद्धि करना, आदि। जिन मामलों में दंगे की स्थिति के कारण बीमा पालिसियों का नवीकरण समय पर नहीं करवाया जा सका तथा जहां दावे पेश किए गए हैं, तो ऐसे दावों पर समाप्त प्राय; शर्तों के अनुसार विचार किया

जा सकता है बशर्ते कि प्रीमियम सहित, नवीकरण सम्बन्धी सूचनाएं स्थिति सामान्य होने के तुरन्त बाद प्राप्त हो गई हों। उपरोक्त रियायतें देने के साथ-साथ साधारण बीमा निगम ने बीमा कम्पनियों को आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में सर्वेक्षकों, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य से बाहर के सर्वेक्षक भी सम्मिलित हैं, को नियुक्त करने के लिए कहा है ताकि सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्टों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा सके।

जैसी रियायतें आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए दंगों के परिणामस्वरूप पेश किये गये दावों के निपटान के लिए दी गई हैं वैसी ही रियायतें दिल्ली में अक्तूबर/नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के कारण किये दावों के निपटाने के लिए प्रदान की गई थीं। तथापि, उस समय दंगा-जोखिम एक मानक विपत्ति के रूप में मान्य नहीं था बल्कि इसे अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर एक बाह्य जोखिम के तौर पर शामिल किया गया था। यह बात आंध्र प्रदेश के दंगों के मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि दंगों, हड़ताल और द्वेषपूर्ण दृष्टि से पहुंचाई गई क्षति जैसे जोखिमों को अब अग्नि और मोटर पालिसियों के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

दमोह-कटनी सेक्शन पर रेल दुर्घटनाएं और चोरी की घटनाएं

[हिन्दी]

7440. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दामोह-कटनी रेलवे सेक्शन पर कितनी मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई और माल डिब्बों तथा सामान के रूप में दुर्घटनाओं के कारण कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या सरकार को इस सेक्शन पर बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाएं और माल चोरी की घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इसी प्रकार की दुर्घटनायें सागर और दमोह के बीच भी हुई हैं यदि हां, तो माल डिब्बों और माल के रूप में कितनी क्षति हुई, और

(घ) इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार की परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

[अनुवाद]

7441. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में विश्व बैंक की सहायता से निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : विश्व बैंक की सहायता बिहार में चल रहे परियोजनाओं का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से बिहार में चल रही परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की रकम लाख अमरीकी डालरों में	करार की तारीख
1.	स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	1270	9-11-1982
2.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना	680	13-1-1987
3.	तीसरी राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एक बहु-राज्यीय परियोजना — जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और पंजाब राज्य शामिल हैं)	850	29-6-1987
4.	राज्य सड़क परियोजना (एक बहुराज्यीय परियोजना—जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल है)	2500	17-11-1988

संतरागाछी-पांसकुड़ा और पांसकुड़ा-खड़गपुर मार्गों पर अतिरिक्त लाइनें बिछाना

7442. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के संतरागाछी और पांसकुड़ा के बीच चौथी रेलवे लाइन तथा पांसकुड़ा और खड़गपुर के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए आरम्भ किया गया सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पांसकुड़ा और खड़गपुर के बीच तीसरी लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। संतरागाछी और पांसकुड़ा के बीच चौथी लाइन के लिए भी सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

(ख) पांसकुड़ा और खड़गपुर के बीच तीसरी लाइन (45 कि. मी.) की अनुमानित लागत 77.44 करोड़ रुपये है। चौथी लाइन से सम्बन्धित रिपोर्ट के संकलन में विलम्ब इस कारण हुआ क्योंकि व्यापक आंकड़े इकट्ठे करने थे। इसके अलावा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सर्वेक्षण भी इसके साथ-साथ ही किये जाने थे।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

[हिन्दी]

7443. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मोरेना जिले की क्यूनो आयासा और बरेहा सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जायगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्र में तकनीकी मूल्यांकन हेतु ऐसी कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

केटरिंग और वेंडिंग ठेके

7444. श्री जगदीश अवस्थी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में सहकारी समितियों को केटरिंग और वेंडिंग एवम् अन्य ठेकों के आवंटन सम्बन्धी मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या किसी स्थानीय सहकारी समिति को भारतीय रेल के सभी क्षेत्रों में अथवा दो या तीन क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति है;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर (बिहार) की एक ऐसी ही स्थानीय सहकारी समिति को गोरखपुर-बम्बई, वी. टी. गाड़ी में पेंट्री कार के संचालन हेतु नियमों के विरुद्ध ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उनसे पूछताछ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों पर किसी सहकारी समिति को कार्य आबंटित करने के बारे में विचार करने का सामान्य मापदण्ड यह है कि वह पंजीकृत वास्तविक और सदाशयी सहकारी समिति हो।

(ख) सामान्यतया स्थानीय सहकारी समिति का कार्य-क्षेत्र उस राज्य, जिसमें वह पंजीकृत है, के बाहर नहीं होता है। जब तक कि उपनियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो स्थानीय सहकारी समिति स्थानीय क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करेगी।

(ग) से (ङ) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 115/116 गोरखपुर-बम्बई वी० टी० एक्सप्रेस की पेन्ट्री कार का ठेका वास्तविक कर्मचारियों की सहकारी समिति को यथोचित सत्यापन तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद दिया गया है।

मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों को रियायत

[अनुवाद]

7445. श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों अथवा दलों को कुछ यात्रा रियायतें प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों/दलों की परिभाषा निर्धारित की गई है और एक दल में कम से कम कलाकारों की संख्या भी निर्धारित की गई है;

(ग) कलाकारों को दी जाने वाली यात्रा रियायत का ब्यौरा क्या है तथा क्या प्रत्येक दल के लिए प्रति वर्ष यात्राओं की संख्या भी निर्धारित की गई है; और

(घ) इन दलों द्वारा रेलगाड़ी से यात्रा रियायतों का दुरुपयोग करने से रोकने के क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दूसरे दर्जे में रियायत की मात्रा 50 प्रतिशत है। प्रति वर्ष फेरों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

(घ) रियायत केवल रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा नामित प्राधिकारियों से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमेय है।

इथोपिया के साथ संयुक्त उद्यम

7446. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इथोपिया के साथ कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित किये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पद

7447. डा० फूलरेण गुहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1989 के दौरान न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के कारण कितने पद रिक्त होंगे; और

(ख) सरकार का ऐसी सभी रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1989 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति के कारण पांच पद रिक्त हो जाएंगे।

(ख) उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए है।

यमन लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ व्यापार

7448. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमन लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ व्यापार समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व्यापार संधियां स्थापित की गई हैं अथवा की जाएंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा यमन जनवादी लोकतांत्रीय गणराज्य की सरकार के बीच अप्रैल, 1979 में हस्ताक्षरित व्यापार करार के अन्तर्गत संयुक्त समिति की स्थापना के लिए प्रावधान है। दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों में सुधार लाने तथा उनका विस्तार करने सम्बन्धी सुझावों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति स्थापित की गई है।

उड़ीसा में चाय और काफी बागानों के लिए भूमि की सीमा निर्धारित करना

7450. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी और फूलबनी जिलों में चाय और काफी के बागान लगाने के लिए भूमि के निर्धारण से स्थानीय जनता बेघर और बेरोजगार हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो स्थलों का चयन इस प्रकार करने के लिए कि लोग बेघर न हों; क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या पुनर्वास उपाय अपनाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जालंधर कैंट और जालंधर सिटी स्टेशन के बीच रेलवे फाटक पर सड़क ऊपरी पुल

7541. श्री कमल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि होशियारपुर की तरफ से आने वाली तथा ऊपर जाने वाली जनता का जालंधर सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच रामा मंडी चौक के समीप रेलवे फाटक के बार-बार बन्द होने के कारण बार-बार वाहन यातायात के जाम हो जाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे फाटक पर एक सड़क ऊपरी पुल का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : गाड़ियों के गुजरने के समय इस स्थान पर सड़क यातायात की कुछ रुकावटें हुई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार रेलवे के साथ मिलकर जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन के निकट राम मंडी चौक पर समपार सं० 68-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर रही है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद इसे रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में गुड़गांव में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को मकान किराए तथा नगर पूर्ति भत्तों की अदायगी

7452. श्री हेत राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव (हरियाणा) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर पूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या गुडगांव में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं दिए जाते है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ नगर पूर्ति और मकान किराया भत्तों की अदायगी में भेदभाव करने के क्या कारण हैं और इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) गुडगांव में जीवन बीमा निगम तथा बैंकों के कर्मचारियों को उनके अपने-अपने सेवा नियमों/द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है परन्तु उन्हें नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं मिलता।

(ग) केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर अलग-अलग सेवा शर्तें लागू होती हैं। उनके वेतन, अनुलाभ और मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता सहित अन्य भत्ते उनके अपने-अपने सेवा नियमों/द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार दिए जाते है और इसलिए यदि उन्हें मिलने वाली कुल परिलब्धियों, अनुलाभों आदि पर विचार किया जाए और उनकी सेवा शर्तों को देखा जाए तो ऐसे भत्ते की अदायगी के मामले में भेदभाव का सवाल पैदा ही नहीं होगा।

शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी

7453. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए ऋण के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तव में कुल कितने व्यक्तियों को राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार लाभ हुआ;

(ख) वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या में राज्यवार वास्तव में कुल कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ;

(ग) राज्यवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई और प्रत्येक लाभार्थी को औसतन कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) राज्य अधिकतम और न्यूनतम कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और एक विशेष लाभार्थी को कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 और 1987-88 के वर्षों में उन वास्तविक हिताधिकारियों की कुल संख्या जिन्हें ऋण संवितरित किए गए, 1981 की जनगणना के अनुसार प्रति एक हजार की जनसंख्या के पीछे वास्तविक हिताधिकारियों की संख्या, कुल स्वीकृत एवं संवितरित रकम और प्रति हिताधिकारी संवितरित औसत रकम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी एक हिताधिकारी को परियोजना की लागत और आवश्यकता के आधार पर अधिक से अधिक 5000/- रुपए तक का ऋण स्वीकृत एवं संवितरित किया जा सकता है।

विवरण

शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 और 1987-88 के वर्षों में वास्तविक हिताधिकारियों की कुल संख्या, 1981 की जनगणना के आधार पर प्रति एक हजार की जनसंख्या के पीछे वास्तविक हिताधिकारियों की संख्या, स्वीकृत एवं संवितरित कुल रकम और प्रति हिताधिकारी संवितरित औसत रकम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हिताधिकारियों संख्या (कुल)	1981 की जनगणना के आधार पर प्रति एक हजार की जनसंख्या के पीछे वास्तविक हिताधिकारियों की संख्या	(लाख रुपए) स्वीकृत रकम (कुल)	संवितरित रकम (कुल)	प्रति हिताधिकारी संवितरित औसत रकम (हजार रुपए)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	51281	4.10	1969.55	1754.64	3.4
असम	7090	3.46	324.48	273.81	3.8
बिहार	23657	2.71	1191.17	930.45	3.9
गुजरात	30886	2.91	1052.74	915.22	2.9
हरियाणा	14870	5.25	637.23	559.66	3.7
हिमाचल प्रदेश	999	3.06	44.35	41.46	4.1
जम्मू और कश्मीर	1565	1.24	64.81	48.52	3.1
कर्नाटक	49042	4.57	2068.82	1940.51	3.9
केरल	19927	4.17	915.50	855.40	4.2
मध्य प्रदेश	46820	4.42	1965.42	1543.87	3.2
महाराष्ट्र	64696	2.94	2561.79	2264.44	3.4
मणिपुर	832	2.21	37.75	33.24	3.9
मेघालय	632	2.61	33.48	28.98	4.5
नागालैंड	337	2.80	16.60	16.34	4.8
उड़ीसा	15468	4.97	690.12	610.74	3.9
पंजाब	22300	4.79	1042.78	903.88	4.0

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	32461	4.51	1548.77	1176.76	3.6
तमिलनाडु	70484	4.41	2128.23	1962.07	2.7
त्रिपुरा	804	3.56	35.34	30.15	3.7
उत्तर प्रदेश	72215	3.62	3501.22	2804.49	3.8
पश्चिम बंगाल	49157	3.40	1914.89	1519.81	3.0
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	307	6.18	13.17	12.94	4.2
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़		उपलब्ध नहीं			
गोआ, दमन और दीव	946	2.68	40.84	38.61	4.0
मिजोरम	105	0.86	6.00	5.12	4.8
पांडिचेरी	189	0.59	6.64	5.66	2.9
दिल्ली	32753	5.67	860.27	696.57	2.1

आंकड़े अनन्तिम   स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता

7454. श्री जायनल अबेदिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों से परिवहन हेतु धन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण-प्राप्ति हेतु दिए गए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, शाखा-वार, परिवहन वित्त-पोषण के लिए कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लीड बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम के तहत वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान प्रायोजित सभी 10 आवेदनों पर 22.34 लाख रुपए मंजूर किए गए थे।

सीमा शुल्क विभाग, बम्बई के अधिकारियों द्वारा विमानों को अपने कब्जे में करना

7455. श्री एस०जी० रामुलु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग बम्बई के अधिकारियों ने एयर इण्डिया द्वारा खरीदे गए दो नए विमानों को, एयर इण्डिया द्वारा सीमा शुल्क की अदायगी न किए जाने के कारण अपने कब्जे में कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विमानों को सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के कब्जे में लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान पहले ही विधिवत् रूप से सौंपे जा चुके हैं।

ठेकेदारों द्वारा "पैन्ट्रीकार" सेवा चलाया जाना

7456. श्री कैलाश यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियों में "पैन्ट्री कार" ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पैन्ट्री कार सेवा चलाने वाले खान-पान प्रबन्धकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस सेवा को प्राइवेट ठेकेदारों को देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सभी स्थानों अथवा गाड़ियों में रेलवे की खान-पान सेवा को विभागीकृत नहीं किया गया है।

विवरण

जिन गाड़ियों में लाइसेंसधारियों के माध्यम से पेन्ट्री यान सेवा की व्यवस्था की जा रही है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

911/912 —कोचिन गोरखपुर एक्सप्रेस
291/922 —पूर्वोत्तर एक्सप्रेस
155/156 —डिब्रुगढ़िया मेल
509/510 —अवध-असम एक्सप्रेस
945/946 —गुवाहटी—बम्बई एक्सप्रेस
59/60 —कामरूप एक्सप्रेस
5/6 —कामरूप एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
15 डाउन/16अप—गुवाहाटी—वाराणसी एक्सप्रेस (मीटर लाइन)
11 डाउन/12अप—गुजरात एक्सप्रेस
23अप/24 डाउन—फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस
15 अप/16 डाउन—सौराष्ट्र एक्सप्रेस
31अप/32 डाउन—अरावली एक्सप्रेस
167/168 —मालवा एक्सप्रेस
1 अप/2 डाउन —कालका मेल

801/802	—पुरी एक्सप्रेस
907/908	—हिमसागर एक्सप्रेस
	—रेक सं० 131 अप/132 डाउन से जुड़ी हुई ।
	—[illegible] एक्सप्रेस
265/266	—जोधपुर— अहमदाबाद एक्सप्रेस
93/94	—जोधपुर मेल
513/514	—मरुधर एक्सप्रेस
1/2	—समदड़ी—भिल्डी एक्सप्रेस
209/210	—लिंक एक्सप्रेस
251/252	—फुलेरा—जोधपुर एक्सप्रेस
1/2 बी०एम	—रतनगढ़—मेड़ता रोड
89/90	—बीकानेर एक्सप्रेस
1/2 बी.एम.	—बाड़मेर—मुनाबाव
947/948	गोरखपुर हावड़ा एक्सप्रेस

ऐसे 26 लाइसेंसधारी हैं जो इन सेवाओं की व्यवस्था करते हैं ।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पदोन्नति सम्बन्धी नीति

7457. श्री सीताराम जे० गावली
डा० पी० वल्लभ पेरुमन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की राज्य सेवा के अन्तर्गत चण्डीगढ़ तथा पटना जोनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर क्षेत्रवार, वर्षवार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और कितने रिक्त पद बकाया थे;

(ख) क्या बैंक द्वारा उपर्युक्त जोनों में राज्य सेवा के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को बुलाने तथा शामिल करने के लिए पदोन्नति नीति समझौता के खंड 1.14 का कार्यान्वयन किया गया, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बकाया आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए बैंक ने अब तक क्या उपाय किए हैं;

(ग) इस बैंक में आज की स्थिति के अनुसार राज्य सेवा के अन्तर्गत क्षेत्रवार, वर्षवार और श्रेणीवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और इनके लिए आरक्षित कितने पद बकाया हैं; और

(घ) अन्य जोनों के नाम क्या हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित वर्तमान पदों तथा बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति नीति सम्बन्धी समझौता के खण्ड 1.14 को लागू किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंक के पटना और चण्डीगढ़ अंचलों में, गत तीन

वर्षों में राज्य सेवा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में चयन क्षेत्रवार बकाया का ब्योरा नीचे दिया गया है :

चयन क्षेत्र	1986				1987				1988			
	उपलेखाकार		मुख्य रोकड़िया		उपलेखाकार		मुख्य रोकड़िया		उपलेखाकार		मुख्य रोकड़िया	
	अ. जा.	अ. जजा.	अ. जा.	अ. जजा.	अ. जा.	अ. जजा.	अ. जा.	अ. जजा.	अ. जा.	अ. जजा.	अ. जा.	अ. जजा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पटना अंचल												
पटना	—	4	1	1	1	4	1	1	—	2	1	1
रांची	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	—
मुजफ्फरपुर	8	5	3	6	13	6	3	6	12	5	3	6
चंडीगढ़ अंचल												
चंडीगढ़	1	4	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2
अम्बाला	2	2	1	1	—	3	1	1	—	3	1	1
अमृतसर	1	2	1	—	1	2	1	—	1	2	1	—

(ख) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि पदोन्नति नीति सम्बन्धी समझौते के खंड 1.14 का सभी मामलों में अपेक्षानुसार पालन किया जाता है।

(ग) यद्यपि क्षेत्र-वार ब्योरा अब तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन राज्य सेवा के अन्तर्गत उपलेखाकारों और मुख्य रोकड़ियों के सम्बन्ध में बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1988 को बकाया की स्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
उप-लेखाकार	28	75
मुख्य रोकड़िया	47	43

रेलवे में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या

7458. श्री शान्ति धारीवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में ग्रेड-वार, विभाग-वार और रेलवे/यूनिट-वार प्रथम श्रेणी के कुल कितने अधिकारी हैं और इनमें से कितने अधिकारियों का पदोन्नति द्वारा और कितने अधिकारियों का सीधी भर्ती से चयन किया गया;

(ख) उपर्युक्त में ग्रेड-वार, विभाग-वार और रेलवे/यूनिट-वार ग्रेड-बी से कुल कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई ;

(ग) नियमानुसार ओ.बी.-एक के संवर्ग में अधिकारियों की पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा क्या है; और

(घ) क्या इस कोटे का अनुपालन किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवास प्रयोजनार्थ बैंक ऋण

7459. श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों के नाम क्या हैं जो लोगों को आवासीय यूनिट खरीदने, मकान निर्माण करने और विद्यमान आवासीय यूनिटों में फेरबदल करने के लिए ऋण देते हैं;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान, राज्यवार कितने लोगों को ऐसे ऋण दिए गए; और

(ग) ऋण चाहने वाले व्यक्ति को क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को इस आशय के निदेश दे दिए गए हैं कि मकान निर्माण/मकान की मरम्मत करने और उसमें परिवर्तन करने के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करें । बैंकों से आवास निर्माण ऋण प्राप्त करने के वास्ते मुख्य शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(एक) आवास निर्माण ऋण की वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है ।

(दो) ऋण पर अधिकतम मार्जिन 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(तीन) आवास निर्माण ऋणों पर ब्याज दर में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है :—

ऋण की राशि	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
20,000/-रुपए तक	12.5
20,000/-रुपए से अधिक और 50000/ रुपए तक	13.5
50,000/-रुपए से अधिक और एक लाख रुपए तक	14.0
एक लाख रुपए से अधिक	14.5—16.00

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वास्ते 5000/-रुपए तक और उसके सहित आवास निर्माण ऋणों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है ।

(चार) जहां सम्पत्ति को बंधक रखना या सरकारी गारंटी सम्भव नहीं है वहां बैंकों को जमानत के अन्य तरीके स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।

(पांच) बैंकों को यह भी विवेकाधिकार होगा कि वे आवास निर्माण ऋणों की वापसी अदायगी की किस्तों को इस प्रकार निर्धारित करें कि निम्न आय वर्ग के लोग उन्हें आसानी से अदा कर सकें और सामान्यतः वापसी अदायगी की किस्तें ऋणकर्ता की आय का 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

(छः) उन व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने अन्य स्रोतों से राशियां प्राप्त की हैं बैंकों को पूरक वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(सात) मकान में अतिरिक्त निर्माण करने, मरम्मत करने और परिवर्तन करने के वास्ते भी ऋण दिया जाएगा।

(आठ) मकान निर्माण के लिए बैंक से एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए का अधिकतम ऋण दिया जाएगा।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन लोगों की राज्य-वार कुल संख्या से सम्बन्धित सूचना, जिन्हें 1988 के दौरान ऐसे ऋण दिए गए उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता वर्ष 1987 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने आवास निर्माण के अन्तर्गत 194.43 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की। जून, 1988 को समाप्त छमाही के दौरान 111.54 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। "आवास निर्माण वित्तीय सहायता" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वास्ते 225 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। दिसम्बर, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए यह राशि बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है।

बैंकों में जमा धनराशि

7460. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986, 1987 और 1988 को भारत के अग्रणी 50 शहरों में बैंकों में जमा धनराशि कितनी थी;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत धनराशि चार महानगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में थी; और

(ग) उक्त अवधि में इन शहरों में कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1986, दिसम्बर, 1987 और सितम्बर, 1988 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त में 50 अग्रणी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां क्रमशः 55452 करोड़ रुपए, 62775 करोड़ रुपए और 69570 करोड़ रुपए थीं।

(ख) दिसम्बर, 1986-87 और सितम्बर, 1988 के अन्त में 50 अग्रणी शहरों की कुल जमाराशियों में से चार महानगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों का प्रतिशत क्रमशः 59.5, 59.4 और 60.4 था।

(ग) दिसम्बर, 1986, दिसम्बर, 1987 और सितम्बर, 1988 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत में 50 अग्रणी केन्द्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम क्रमश: 38811 करोड़ रुपए, 42224 करोड़ रुपए और 46263 करोड़ रुपए थे।

बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को दैनिक भत्ते की सुविधा

7461. श्री अनिल बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धकों ने स्थानान्तरण की स्थिति में मिलने वाले दैनिक भत्ते की वर्तमान सुविधा को वापस ले लिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने मील दूरी भत्ते की दरें घटा दी हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रबन्धकों ने 1 जनवरी, 1987 से 1 अगस्त, 1988 तक की अवधि के लिए जनजाति क्षेत्र भत्ते की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी अनुमति कब तक दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण बैंक ने स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के लिए उसी पैटर्न पर दैनिक भत्ता देने की प्रथा का अनुसरण किया था जैसाकि प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों पर लागू होती थी। चूंकि ग्रामीण बैंकों पर लागू कर्मचारी सेवा विनियमन, 1980 में इसका प्रावधान नहीं था अत: उसे वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार मील भत्ते को 40 पैसे प्रति कि० मी० से घटा कर 35 पैसे प्रति कि० मी० करना पड़ा ताकि उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय दर के अनुरूप लाया जा सके।

(ग) बताया गया है कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ते की बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

विदेशी साम्य पूंजी वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

7462 श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक भारत में विदेशी साम्य पूंजी वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें कितने प्रतिशत साम्य पूंजी का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बहु-राष्ट्रीय कम्पनी की कोई स्वीकृत परिभाषा विद्यमान नहीं है। तथापि व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक ऐसी कम्पनी को बहु-राष्ट्रीय कम्पनी (जिसे आमतौर पर "फेरा" कम्पनी भी कहा जाता है) की संज्ञा दी जाती है, जिसके 40 प्रतिशत से ज्यादा शेयर हिताधिकार अनिवासियों के पास हों। दिनांक 30 नवम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारत में 102 "फेरा" कम्पनियां कार्यरत थीं। इन कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(30 नवम्बर, 1988 के अनुसार) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाली फेरा कम्पनियां

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	अनिवासी इक्विटी की प्रतिशतता
1	2	3
1.	ऐक्को इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	50.00
2.	ए.पी.ई. बैलिस इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता जिसे कि पहले बैलिस एंड मरकोम (ई) के नाम से जाना जाता है	49.00
3.	अंगेलो चेन प्रिंटस प्राइवेट लिमिटेड	100.00
4.	एसोसिएटिड बियरिंग कम्पनी लि., बम्बई	51.00
5.	एटिक इण्डस्ट्रीज लि., अतुल	50.00
6.	आर्क इन्वेस्टमेंट लि., मद्रास	99 90
7.	एन्ड्रयू कम्पनी लि., कलकत्ता	97.54
8.	दि असम कम्पनी फ्रन्टीयर टी लि., कलकत्ता	74.00
9.	दि असम कम्पनी (इण्डिया) लि., कलकत्ता	74 00
10.	बेक्स इण्डिया लि., बम्बई	49.00
11.	बेयर इण्डिया लि., बम्बई	51 00
12.	बंगाल लिनन (इण्डस्ट्रियल फर्मस) लि.	50 00
13.	डा० बेक एंड कम्पनी (ई) लि., पूना	49 00
14.	बैंकाऊ बुल्क न्यू इंडिया ड्रग वर्कस लि., पूना	49.87
15.	बी०ए०एस०एफ० (इण्डिया) लि., बम्बई	50.00
16.	क्रेगमोर प्लान्टेशन्स (ई) लि.	73.99
17.	क्लोराइड इण्डिया लि., कलकत्ता	50.70
18.	कैमिन्को बिनानी जिन्क लि., बम्बई	40.02
19.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि., सिकन्दराबाद	47.00
20.	सी०ए० विलनर एंड कम्पनी प्रा० लि., बंगलोर	99.20
21.	सिमिन्डिया कम्पनी लि., बम्बई	51.00
22.	क्रेटन ग्रीव्ज लि., बम्बई	49.00
23.	डूम डूमा इण्डिया लि., कलकत्ता	74.00
24.	दार्जिलिंग प्लान्टेशन इण्डस्ट्रीज लि., कलकत्ता	74.00
25.	ई० हिल एंड कम्पनी प्रा.लि., मिर्जापुर	74.00
26.	इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लि., मद्रास	66.67
27.	एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि., नई दिल्ली जो कि पहले एसबेस्टौस सीमेंट के नाम से जानी जाती थी	49.46

1	2	3
28.	एम्लोट फाउन्डरीज लि., मद्रास	59.08
29.	आयर स्मेल्टिंग प्रा.लि., कलकत्ता	74.00
30.	एम्पायर प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लि., कलकत्ता	73.33
31.	फलेण्डर मैक्नील गियर्स लि., कलकत्ता	50.00
32.	फिक इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद	51.00
33.	फ्लाक्ट इण्डिया लि., कलकत्ता	
	जो पहले एस०एफ० इण्डिया लि. के नाम से जारी की जाती थी	51.00
34.	फर्म एसोसिएट्स प्रा.लि., गाजियाबाद	50.00
35.	फैडोर टूल्ज (इण्डिया) प्रा.लि., नई दिल्ली	51.00
36.	फोज बैकर्ट सैम्बों लि., चण्डीगढ़	60.00
37.	गेस्ट कीन विलियम्ज लि., हावड़ा	46.82
38.	जैनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया, लि., कलकत्ता	66.66
39.	गीब्ज फोसेको लि., बम्बई	50.00
40.	गुडइयर इण्डिया लि., नई दिल्ली	59.93
41.	जैम्मन नोटन मैटल एण्ड डायमण्ड डाइज लि., बम्बई	41.60
42.	गुडरिक ग्रुप लि., कलकत्ता	74.00
43.	जोर्ज विलियमसन (असम) लि., कलकत्ता	70.00
44.	हिन्दुस्तान फैरोडो, लि., बम्बई	60.00
45.	हील लेहमैन (इं) लि., कलकत्ता	49.00
46.	हिन्दुस्तान लिवर लि., बम्बई	51.00
47.	हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्ज लि., भिवानी (हरियाणा)	50.00
48.	हिन्दुस्तान होर ओलिवर, बम्बई	66.67
49.	इण्डियन कार्ड क्लोथिंग कम्पनी प्रा.लि., पूना	74.00
50.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि., कलकत्ता	53.10
51.	इन्गरसोल रैन्ड (इण्डिया) प्रा.लि., बम्बई	73.99
52.	इण्डियन जैओग्राफिक सिस्टम्ज प्रा.लि., बम्बई	49.00
53.	जोन्सन एण्ड जोन्सन लि०, बम्बई	75.00
54.	जोकाई (इंडिया) लि०, कलकत्ता	74.00
55.	किर्लोस्कर क्यूमिन्स लि०, पूना	50.00
56.	केरल बालसं लि०, केरल	49.00
57.	ल्यूकस टी वी एस, मद्रास	51.00
58.	एल.एम. वैन मोप्स डायमण्ड टूल्ज इंडिया लि., कुन्नूर	49.00
59.	लक्ष्मण आइसोला लि०, बंगलौर	50.00
60.	मोन्सैन्टो केमिकल्ज आफ इण्डिया प्रा०लि०, बम्बई	73.97
61.	मोटर इण्डस्ट्रीज कं०लि०, बंगलौर	51.00
62.	महिन्द्रा सिन्टर्ड प्रोडक्टस लि०, पूना	49.00
63.	मैथर एण्ड प्लैट (आई) लि०, बम्बई	60 00

1	2	3
64.	माल्वा प्रोपर्टीज लि०, कलकत्ता	50.00
65.	मोरन टी कं० (ई) लि०, कलकत्ता	74.00
66.	नौरिन्डिया लि०, बम्बई	50.00
67.	नौरोसजी वाडिया एण्ड सन्स प्रा०लि०, बम्बई	95.72
68.	एन.जी.ई. एफ-ए एन.जी. इन्जीनियरिंग कं०लि०, बंगलौर	50.00
69.	ओ.ई.एन. इण्डिया लि०, कोचीन	45.00
70.	ओटीस एलिवेटर कं० (ई) लि०, बम्बई	56.06
71.	पोन्टिस एण्ड स्वैन्सर (एशिया) लि०, नई दिल्ली	59.20
72.	पासटैनो तेजारची कं० (इण्डिया) प्रा०लि०, अमृतसर	100.60
73.	प्लास्सर (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली	74.00
74.	आर.एच. बिडसर (ई) लि०, बम्बई	49.00
75.	रोज प्रोडक्टस लि०, बम्बई	74.00
76.	स्टोन प्लैट इलैक्ट्रिक (ई) लि०, कलकत्ता (जो पहले जे. स्टोन एण्ड कं० के नाम से जानी जाती थी)	60.00
77.	स्पाइरेक्स मार्शल लि०, पूना	51.00
78.	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल्ज इण्डस्ट्रीज लि०, रानावर	50.25
79.	सैन्डविक एशिया लि०, पूना	54.86
80.	सिंगलो (इण्डिया) टी०क०लि०, कलकत्ता	73.33
81.	स्टिवर्ट होल (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	74.00
82.	श्रेडर स्कोविल डन्कन लि०, बम्बई	50.00
83.	सीमैन्स इण्डिया लि०, बम्बई	51.00
84.	संसार मैसन्स लि०, नई दिल्ली	49.55
85.	सैन्डोज (इण्डिया) लि०, बम्बई	60.00
86.	टाटा एक्सोकनर इण्डस्ट्रियल प्लान्ट्स लि०, बम्बई	50.00
87.	त्रिवेनी टिशूज लि०, कलकत्ता	51.00
88.	ट्रैक्टर इन्जीनियर्स लि०, बम्बई	50.00
89.	टी एस्टेट्स (ई) प्रा०लि०, कुन्नूर	74.00
90.	टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लि०, नई दिल्ली	50.00
91.	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, कलकत्ता	50.92
92.	यूवे इंडिया लि०, बम्बई	74.00
93.	वैस्टर्न थोम्सन (ई) लि०, मद्रास	49.00
94.	वाडिया इंडिया लि०, बंगलौर	50.99
95.	वारन टी लि०, कलकत्ता	73.47
96.	वाइथ लेबोरेटरीज लि०, बम्बई	74.00
	भागीदारी कम्पनियां	
1.	मैटलिक्स इंडिया, कलकत्ता	74.00

1	2	3
	शाखाएं	
1.	ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस	इन शाखाओं का भारत में कोई पूंजी आधार नहीं है। अतः इनके बारे में कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
+2.	सामनगर जूट फैक्ट्री कं०लि०, कलकत्ता	
3.	ट्रैवल बर्ड्स इंक	
+4.	टीटागर जूट फैक्ट्री कं० कलकत्ता	
+5.	विक्टोरिया जूट कम्पनी लि०, कलकत्ता	

टिप्पणी :

इस सूची में 30 नवम्बर, 1988 की स्थिति दर्शाई गई है :—

2. इसमें कम्पनियों की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल नहीं हैं :—

(i) जहां पर कम्पनियों ने अपनी गतिविधियां रोक दी है तथा उनको बन्द किया जा रहा है।

(ii) जहां पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत पूंजी तथा आय के अप्रत्यावर्तन के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है।

(iii) जहां पर भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास अनिवासी हिताधिकार 40 प्रतिशत से अधिक है।

(iv) कम्पनियां जिनको मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया है।

+ कम्पनियां जिनको विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत अनिवासी शेयरों को कम करके 40 प्रतिशत तक करने के आदेश दिए गए हैं।

मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के लिये विश्व बैंक की सहायता

7463. श्री एन० डनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) विश्व बैंक ग्रुप ने तमिलनाडु में तीन शहरी विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। मद्रास महानगरीय विकास प्राधिकरण इन परियोजनाओं में शामिल कार्यान्वयन अभिकरणों में से एक है। पहली और दूसरी मद्रास शहरी विकास परियोजना का काम पूरा हो गया है और विश्व बैंक की सहायता पूर्ण रूप से संवितरित कर दी गई है। तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना का कार्य फिलहाल चल रहा है। परियोजनाओं सम्बन्धी ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	सहायता की राशि (लाख डालर)	करार की तारीख
पहली मद्रास शहर विकास परियोजना	240	1-4-1977
दूसरी मद्रास शहरी विकास परियोजना	420	14-1-1981
तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	5002	16-9-1988

जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभ

7464. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1988 के अन्त तक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों के रूप में कुल कितनी धनराशि निवेश की है; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम गैर-सरकारी आवास समितियों में भी पूंजी निवेश करता है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनमें किन शर्तों पर पूंजी निवेश करता है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जीवन बीमा कम्पनियों के संबंध में लाभ का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। वैसे आधिशेष, अर्थात् जीवन निधि और पालिसीधारकों के प्रति देयताओं के बीच के अन्तर का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। 31-3-88 को 956.51 करोड़ रुपये थी। 31-3-1989 तक की अधिशेष राशि बीमांकिक मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करेगी जिसका पता सितम्बर, 1989 में चल पाएगा।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा 31-3-1989 तक सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों की राशि निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपए)
सरकारी संस्थाएं	5088.73
गैर-सरकारी संस्थाएं	2483.74

(ग) जीवन बीमा निगम ने 30 सितम्बर, 1988 तक निजी आवास समितियों में निम्न प्रकार से निवेश किया है :

योजना	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपए)
1. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियां	23.90
2. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियां	2.35
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियां	0.11

भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियों के साथ-साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी आवास समितियों को भी आवास ऋण प्रदान करता है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में समिति को ऋण नियोक्ता की गारंटी पर स्वीकृत किया जाता है। ब्याज की दर सामान्यतः प्रतिशत वार्षिक होती है। ऋण को अधिक से अधिक पन्द्रह वर्षों की अवधि के भीतर समान मासिक किस्तों में वापस करना होता है। किसी एक नियोक्ता की सभी कर्मचारी समितियों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि 40 लाख रुपए है और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कर्मचारी को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को विदेशी मुद्रा स्वीकृत न किया जाना

7465. श्री अतीशचन्द्र सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इस्पात वस्तुओं के अपने अतिरिक्त आयात हेतु और विदेशी मुद्रा की मंजूरी को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापार घाटे की कठिन स्थिति को देखते हुए विदेशी मुद्रा व्यय कम करने हेतु और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "सेल" को आयातित इस्पात की मदों सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा मांग तथा घरेलू उपलब्धता की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने के बाद, आयात-निर्यात नीति के सम्बद्ध उपबंधों के अनुसार जारी की जाती है।

जीवन बीमा निगम के सेन्ट्रल जोन द्वारा पालिसियों को पुनः प्रवर्तित करना

7466. डा० वी० वेंकटेशन
श्री के० प्रधानी
श्री सोडे रमैया
: क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के सेंट्रल जोन तथा अन्य विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकांश पालिसीधारकों को उनके कार्यालयों द्वारा विशेष पुनः प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत उनकी व्यपगत पालिसियों को पुनः प्रवर्तित करने से इन्कार करने के कारण नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के सेंट्रल जोन ने उन पालिसीधारियों को भारी राशि में चैक भी भेज दिये हैं जो जीवन बीमा निगम की इस योजना के अन्तर्गत अपनी पालिसियों को पुनः प्रवर्तित करने का लाभ पाना चाहते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जीवन बीमा निगम के सेंट्रल जोन द्वारा स्वीकार न किये जाने वाले चैकों की धनराशि कितनी है;

(ङ) विशेष पुन: प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत पालिसीधारकों के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या जीवन बीमा निगम का व्ययगत पालिसियों को पुन: प्रवर्तित करने हेतु एक नई योजना की घोषणा करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक से अधिक पालिसीधारक अपनी पालिसियां पुन: प्रवर्तित करा सकें ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्ययगत पालिसियों के नवीकरण के लिए पहली दिसम्बर, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक एक विशेष मुहिम चलाई गई थी। यदि पालीसीधारकों ने आवश्यक अपेक्षाएं पूरी कर दी थीं और पालीसी अन्यथा नवीकरण के लिए पात्र थी तो किसी भी पालीसीधारक को नवीकरण से लिए इन्कार नहीं किया गया था।

(च) चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभी हाल ही में, अर्थात् पहली दिसम्बर 1988 से 28 फरवरी 1989 तक, जिसे बाद में 31 मार्च 1989 तक बढ़ा दिया गया था, विशेष नवीकरण अभियान चलाया था, इसलिए फिलहाल इस प्रकार की कोई नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता राशि का कोटा

7467. डा० वी० वेंकटेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नीति निर्धारण निकाय को विकासशील देशों के लिए सहायता राशि के कोटे में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया है;

(ख) क्या सम्बन्धित निकाय ने इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों को अनुकूल नहीं पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और अब तक कितनी धनराशि वापस की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटों में अप्रैल, 1988 से संशोधन किया जाना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इस मामले पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।

(घ) विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत, नवम्बर, 1981 से अप्रैल, 1984 तक की अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 390 करोड़ एस० डी० आर० उधार लिये गये थे। इस उधार में से 31.3.1989 तक 207.085 करोड़ एस० डी० आर० की वापसी अदायगी की जा चुकी है।

नई लेखा प्रणाली

7468. डा० वी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 से लागू होने वाले समान लेखा वर्ष की मुख्य बातें क्या है;

(ख) इस नई प्रणाली से, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र, स्टाक एक्सचेंज, मार्केट कर वसूली, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सरकारी क्षेत्रों के क्षेत्र में क्या वित्तीय सुधार हुए हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय में कुछ समय के लिए इस नई प्रणाली के कार्य की निगरानी करने तथा सरकारी लेखा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में वास्तविक व्यवहार में आने वाली खामियों को दूर करने के लिये कोई तन्त्र गठित किया गया है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) एक समान लेखा-वर्ष की विशिष्ट बातें निम्नानुसार हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा आयकर अधिनियम में दिनांक 1 अप्रैल, 1989 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 1989 90) से सन्निविष्ट किया गया है :—

(i) अब से सभी कर-निर्धारितियों के लिए वित्त वर्ष (31 मार्च को समाप्त वर्ष) ही लेखा वर्ष होगा;

(ii) इससे पूर्व प्रत्येक कर-निर्धारिती अपनी इच्छानुसार लेखा-वर्ष रख सकता था तथा आय के विभिन्न स्रोतों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न लेखा वर्ष अपना सकता था। लेखा-वर्षों के सम्बन्ध में इस विविधता को समाप्त कर दिया गया है तथा 1989 90 के कर-निर्धारण वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लिये सभी कर-निर्धारितियों तथा आय के सभी स्रोतों के लिए लेखा-वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

(ख) वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न के इस भाग में सूचना क्या मांगी गई है। वस्तुतः इस प्रकार की कोई नई लेखा-पद्धति लागू नहीं की गई है। एक-समान लेखा वर्ष को मात्र आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ ही लागू किया गया है। सरकारी लेखों का लेखा-जोखा पहले से ही वित्त वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर रखा जा रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के वित्तीय सुधार की घोषणा किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बैंकिंग, शेयर-बाजार तथा संयुक्त शेयर कम्पनियों के मामले में प्रभाव यह पड़ेगा कि अब से इन सभी क्षेत्रों को आयकर के प्रयोजनार्थ अपना लेखा-वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के अनुसार ही रखना पड़ेगा।

जहां तक आयकर विभाग का सम्बन्ध है, एक-समान लेखा-वर्ष के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने तथा सुधार होने की सम्भावना है:—

(i) इससे, कर-निर्धारितियों द्वारा अपनी सुविधानुसार तथा अपने लाभ के लिए आय के विभिन्न स्रोतों के लिए विभिन्न लेखा-वर्ष अपनाकर तथा अपने-अपने लेखा वर्षों में परिवर्तन कर के किये जाने वाले करके परिहार को रोका जा सकेगी।

(ii) इससे विभिन्न कर-निर्धारितियों के बीच होने वाले लेन-देनों का प्रति-सत्यापन करने में सुविधा होगी।

(iii) इससे, एक-समान श्रेणी के सभी कर-दाताओं पर उनके द्वारा एक ही अवधि के दौरान अर्जित की गई आय के सम्बन्ध में एक ही समय में तथा एक-समान दरों पर कर लगाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(ग) जी, नहीं। चूंकि सरकारी लेखे-जोखों अथवा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नई लेखा-पद्धति लागू नहीं की गई है, इसलिए इस पद्धति के कार्य करण पर निगरानी रखने के लिए किसी भी तन्त्र की स्थापना किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रेलवे का आधुनिकीकरण

7469. डा० बी० एल० शैलेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हुई रेल विभाग के शीर्ष कार्य दल की और इंजीनियरी उद्योग परिसंघ दोनों की पहली वार्षिक बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने रेलवे के आधुनिकीकरण में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने का आह्वान किया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव है और स्वदेशी रेलवे उपकरण और प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा रेलवे के लिये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या भूमिका सौंपी जाएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 27.3.1989 को आयोजित बैठक में रेलों के आधुनिकीकरण में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों सहित देशी इन्जीनियरी उद्योग की भूमिका पर बल दिया गया था।

(ख) भारतीय रेलों की प्रौद्योगिकी विकास योजना में प्रस्तावित उपस्करों और प्रणालियों के देशी विकास के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा सार्वजनिक और निजी दोनों उद्यमियों को सहायता तथा सहयोग के लिए प्रेरित किया गया था।

विधि अधिकारियों/ सलाहकारों की नियुक्ति

7470 श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास में केन्द्रीय सरकार के लिये अनेक व्यक्तियों को विधि अधिकारियों/सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) इनका चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) इन नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तमिलनाडु मद्रास में, केन्द्रीय सरकार के लिए विधि अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के लिए ज्येष्ठ काउंसेल, केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्थायी काउंसेल, केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेल नियुक्त किए गए हैं।

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति उनकी अर्हताओं अनुभव, न्यायालय में विधि व्यवसाय की अवधि, उनकी सक्षमता और सत्यनिष्ठा के आधार पर करता है।

(ग) I. ज्येष्ठ काउंसेल

1. श्री एस० गोविन्द स्वामीनाथन
2. श्री एम० आर० नारायणस्वामी
3. श्री आर० षण्मुगम्

II. केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्थायी काउंसेल

श्री पी० नरसिंहमन

III. केन्द्रीय सरकार के अवर स्थायी काउंसेल

1. श्री टी० सोमसुन्दरम्
2. श्री एस० वीरराघवन
3. श्री सी० कृष्णन्
4. श्री एन० ज्योति
5. श्री आर० जमाल मजीम
6. श्री ए० पी० सूर्य प्रकाशम्
7. श्री ए० आर० नागराजन
8. श्री टी० श्रीनिवासमूर्ति
9. श्री के० पी० शिव सुब्रह्मण्यम

रेल परियोजनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

7471. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक से भारतीय रेल व्यवस्था के बारे में तथा विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के वितरण की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही कुछ अड़चनों को दूर करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उक्त ऋणों का शीघ्र वापस भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । वितरण संतोषजनक ढंग से चल रहा है और क्रियान्वयन में कोई बाधा ही नहीं है जिसे दूर करने के लिए विश्व बैंक द्वारा सुझाव दिया जा सके ।

रेलवे पर सामाजिक दायित्व

7472. प्रो० मधु दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कौन-कौन से सामाजिक दायित्व निभाये गये;

(ख) क्या रेलवे ने इन सामाजिक दायित्वों को रेलवे द्वारा निभाने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में इसके लिए दी जा रही सहायता की भांति सरकार के सामान्य राजस्व से सहायता करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1986-87 और 1987-88 के सम्बद्ध आंकड़े क्रमशः 1311.23 करोड़ और 1653.31 करोड़ रुपये थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार में आए अन्तर की प्रतिशतता

7473. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए आयात व निर्यात का ब्योरा क्या है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इस आयात और निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़त अथवा घटत हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) आयात और निर्यात के कुल आंकड़े परिमाणों के आधार पर संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि परिमाणों की इकाइयां एक समान नहीं होती हैं। फिर भी, मूल्य की दृष्टि से वर्ष 1987-88 और अप्रैल-फरवरी, 1988-89 के दौरान भारत के निर्यात क्रमश: 15741 करोड़ रुपए तथा 17876 करोड़ रुपये मूल्य हुए जो कि पिछले वर्षों की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में क्रमश: 26.4% तथा 28.2% अधिक थे। इसी प्रकार, वर्ष 1987-88 और अप्रैल-फरवरी, 1988-89 के दौरान भारत के आयात क्रमश: 22399 करोड़ रुपए मूल्य के हुए जो पिछले वर्षों की उसी अवधि के दौरान हुए आयातों की तुलना में 10.9% तथा 27.6% अधिक थे।

चाय बोर्ड का व्यय

7474. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड का वर्ष-वार और मद-वार, कर्मचारियों के वेतन, मकान किराया और परिवहन भत्ता तथा इसी प्रकार के प्रशासनिक व्यय पर क्या खर्च हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी)

चाय बोर्ड का प्रशासकीय व्यय निम्नलिखित है :

(लाख रु०)

वर्ष	अधिकारियों का वेतन	स्थापना सम्बन्धी वेतन	मकान किराया तथा अन्य भत्ते	अन्य खर्चे आकस्मिक खर्चे आदि	योग
1985-86	8.11	31.59	108.88	44.32	192.90
1986-87	9.05	59.17	96.51	63 05	227.78
1987-88	23.30	106.46	74.33	70.49	274 58

पश्चिम बंगाल की तीस्ता बराज परियोजना के लिए अधिक राशि आबंटित करने हेतु अनुरोध

7475. श्री पीयूष तिरकी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण विभाग

योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष वार कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर-बंगाल में तीस्ता बराज परियोजना के लिए अधिक राशि मंजूर करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सहायता कब तक उपलब्ध कराई जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणो/अनुदानो के रूप म दी जाती है और यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा किसी परियोजना से जुडी नहीं होती है ।

(ख) से (घ) तीस्ता बराज परियोजना को 1986-87 में 15 करोड़ रु० और 1987-88 में 10 करोड़ रु० की आग्रिम योजना सहायता प्रदान की गई थी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ता

7476. श्री रघुपद दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार कमचारी तथा कामगार, पूर्वोत्तर क्षेत्र शिलांग की क्षेत्रीय समन्वय समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ता न दिये जाने पर रोष व्यक्त किया गया है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारत भर में स्थानांतरित किये जा सकने वाले सिविल कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कई वर्गों के कर्मचारियों के साथ इस भेदभावपूर्ण रवैये को समाप्त करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विशेष (कार्य) भत्ता पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करने तथा उन्हें वहां बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मंजूर किया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह भत्ता अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व रखने वाले सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा द्वीपसमूहो के क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने के लिए मंजूर किया गया है । इस प्रकार, विशेष (कार्य) भत्ता चुनाव किए जाने में पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा द्वीप समूह के क्षेत्रान्तर्गत कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के प्रति कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है ।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार

7477. श्री मोहनभाई पटेल क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष वार भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच गत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) डी जी सी आई ऐंड एस कलकत्ता द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा यू एस ए के बीच हुए व्यापार का अनुमान निम्नलिखित है :

(मूल्य: करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत के निर्यात	भारत के आयात	योग
1985 86	1994.48	2085.86	4080.34
1986.87	2357.26	1963.01	4320.27
1987 88	2906.24	2015.12	4921.36

(ख) यू एस ए को निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ समय पहले बनायी गयी योजना में अभिज्ञात किए गए प्रमुख क्षेत्र हैं : इंजीनियरी उत्पाद, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रानिक उत्पाद, रसायन चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, हीरे, रत्न एवं आभूषण, सिलेसिलाए परिधान, गलीचे तथा दरियां, समुद्री उत्पाद काजूविरी तथा संसाधित खाद्य यू एस उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए उत्पादों और उत्पाद-अनुकूलन की क्वालिटी को उन्नत बनाने पर बल दिया गया है । विनिर्दिष्ट विपणन तथा प्रचार कार्यक्रमों में शामिल है : क्रेता-विक्रेता बैठकें, विशिष्ट और सामान्य मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, विभागीय स्टोर संवर्धन कार्यक्रम तथा प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान ।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

7478 श्री मोहनभाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में कितनी-कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गईं;

(ख) इन रेलगाड़ियों को रद्द करने के क्या कारण थे;

(ग) इनमें से कितनी रेलगाड़ियों को पुन: चलाना आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन रेलगाड़ियों को पुन: चलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फ्रांस से प्रौद्योगिक सहायता

7479. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने फ्रांस के साथ अपने 180 करोड़ रुपयों के प्रस्तावित सौदे को अन्तिम रूप दे दिया है जिसके अन्तर्गत 30 मालवाड़ी तथा 10 यात्री गाड़ी के इन्जनों की सप्लाई की जाएगी, यदि हां, तो इन इंजनों का फ्रांस में परीक्षण किसने देखा था;

(ख) क्या फ्रांसीसी कम्पनी अलस्थांम ने इस ठेके के लिये पश्चिम जर्मनी की सीमेन्स कंपनी में समझौता किया है, यदि हां, तो सीमेन्स को क्या कार्य सौंपा गया है और इसमें पूंजी परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में किसी स्टेशन को विशेष फ्रांसीसी तकनीक से आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है, यदि हां तो इस उद्देश्य के लिए, किन स्टेशनों का विशेषकर पूर्वी रेलवे में पश्चिम बंगाल में चयन किया गया है; और

(घ) भारतीय, रेलवे कार्यशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए जापान से कौनसी नई तकनीक ले रहा है और पूर्वी रेलवे में किन-किन कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) पूर्व रेलवे का जमालपुर कारखाना, जहां डीजल रेल इंजनों का ओवरहाल किया जाता है, लोहा और इस्पात की ढुलाई, उ स्करों और स्प्रिंगों की गढ़ाई, जैसे निर्माण सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं, के आधुनिकीकरण का कार्य जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता से शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

7480. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का कर अपवंचन किया गया है और इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा क्या कार्य प्रणाली अपनायी गयी है; और

(ग) कर अपवंचन किए गए धनराशि की वसूली के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने के लिये मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड को हाल ही में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कारों की पुनः बिक्री से काले धन की उत्पत्ति

7481. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कर-अपवंचकों को सजा देने, काले धन का पता लगाने और उच्च-तम स्तर पर कर जाल का विस्तार करने के बारे में क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारों, विशेष कर मारुति, की पुनः बिक्री से काले धन की उत्पत्ति हो रही; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कारों, स्कूटर आदि कारों के मालिकों के काले धन/छिपी आय का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) कर की चोरी की रोकथाम का काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आयकर विभाग लेखा-बाह्य आय तथा धन का पता लगाने के लिए यथोपयुक्त मामलों में सर्वेक्षण की सुव्यवस्थित कार्यवाहियां करने, तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करने के साथ-साथ चुनिन्दा मामलों में गहन छानबीन भी करता है, जो कर की चोरी करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 133-ख (दिनांक 13.5.1986 से लागू) के उपबन्धों के अध्यधीन आयकर विभाग के प्राधिकारी कारोबार अथवा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में सहायता मिलती है, जिनकी आयकर योग्य है लेकिन वे कर की अदायगी नहीं करते हैं।

(ख) और (ग) मारुति कारों सहित अन्य कारों की पुनः बिक्री से अवैध धन के उत्पन्न होने की घटनाएं जानकारी में आई हैं। आयकर निदेशकों (जांच) के अध्यधीन कार्यरत केन्द्रीय सूचना शाखाएं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से तथा कारों के डीलरों से कारों के क्रय-विक्रय किए जाने से सम्बंधित सूचना एकत्र करती हैं। तत्पश्चात् कारों की खरीद में निवेशित लेखा-बाह्य धन अथवा कारों की पुनः बिक्री से मुनाफा अर्जित करने आदि से सम्बन्धित मामलों का पता लगाने के लिए इस सूचना का सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात् लेखा-बाह्य आय पर कर लगाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाती है।

आतिशबाजी और दियासलाइयों पर उत्पाद शुल्क की चोरी

7482. श्री कमला प्रसाद सिंह। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न निर्माताओं आदि द्वारा आतिशबाजी और दियासलाइयों पर उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामलों का सरकार को पता लगा है और ये मामले इससे पहले के तीन वर्षों के उत्पाद शुल्क की चोरी के मामलों से कितने अधिक अथवा कम हैं; और

(ख) उत्पाद शुल्क की चोरी करने वाले निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में आतिशबाजी और दियासलाइयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के 86 मामलों का पता लगाया गया था। इन मामलों में ग्रस्त अपवंचन की राशि लगभग 5.02 लाख रुपये है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1985-86 86-87 और 87-88 की अवधियों के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की संख्या 55,49 और 48 थी जिसमें ग्रस्त शुल्क अपवंचन क्रमशः 17,000 रु० 10,000 रु० और, 56 000 रु० के लगभग है।

वर्ष 1988-89 के दौरान जिन मामलों का पता लगाया गया उनमें से अधिकांश मामले न्याय निर्णयन के लिए बकाया पड़े हुए हैं। इन मामलों पर न्याय निर्णयन करते समय, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी प्रत्येक मामले में लगाए जाने वाले जुर्माने और अर्थदण्ड की मात्रा के बारे में भी निर्णय लेंगे। जिन मामलों पर न्यायनिर्णयन किया जा चुका है उन में जुर्माने और अर्थदण्ड के रूप में लगभग 4,000 रु० वसूल किए जा चुके हैं।

ऋणों पर ब्याज की दर

7483. श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री एस० बी० सिदनाल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डल संघ के महासचिव ने टिप्पणी की है कि ऋण की पुर्नअदायगी पर ब्याज की ऊंची दरों के कारण भारत के गरीबी निवारण प्रयासों को आघात पहुंचा है;

(ख) क्या उन्होंने यह टिप्पणी भी की है कि कार्यक्रमों में कोई खामियां नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रमण्डल के महासचिव द्वारा हाल ही में इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मादक पदार्थों की तस्करी में महिलाओं का शामिल होना

7484. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मादक पदार्थों की तस्करी में पुरुषों के अलावा महिलाओं के शामिल होने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों में महिलाओं के शामिल होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) नशीले औषध-द्रव्यों की तस्करी में ग्रस्त पाई गई महिलाओं की संख्या के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, नशीले-औषध-द्रव्यों के अभिग्रहणों सम्बन्धी रिपोर्टों से महिलाओं के और अधिक संख्या में औषध-द्रव्यों की तस्करी में ग्रस्त होने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है।

सरकार ने नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी तथा उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन कठोर दण्डों के अलावा, जिनकी नियम के तहत व्यवस्था की गई है, उन उपायों में नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोगों के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षाप्रद प्रचार करना भी शामिल है जिसका उद्देश्य लोगों को, चाहे वे पुरुष हो अथवा महिलाएं, नशीले औषध-द्रव्यों के सेवन न करने तथा नशीले औषध-द्रव्यों का व्यापार न करने का परामर्श देना है।

चाय उद्योग में पूंजी निवेश

7485. श्री महेश्वर तांती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चाय उद्योग निवेशित पूंजी पर सभी उद्योगों की तुलना में सर्वाधिक ब्याज अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की इस बेहतर स्थिति का लाभ असम की जनता को भी प्राप्त होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वर्ष 1986-87 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये बड़ी सरकारी लिमिटड कम्पनियों के वित्त सम्बन्धी सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 के बाद से चाय बागान के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर-पश्चात लाभ में गिरावट आ रही है। उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में चाय बागानों में कर्मचारियों का पारिश्रमिक वर्ष 1986-87 में 33.1 प्रतिशत था जबकि सूती वस्त्र के लिए यह 14.4 प्रतिशत और चीनी उद्योग के लिए 9.7 प्रतिशत था।

चाय उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाएं

7486 श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग तथा व्यापार के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) चाय बोर्ड चाय रोपणकर्ताओं तथा चाय फैक्ट्रियों के विकास के प्रयोजन के लिए भारत में सभी वर्गों के उपजकर्ताओं को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करता है। चाय फैक्ट्रियों के निर्माण तथा चाय गोदामों जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अभी तक जो वित्तीय सहायता दी गई है उसका संबंध केवल उपजकर्ताओं की छोटी सहकारी समितियों से है।

मुद्रास्फीति दर

7487. श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की राष्ट्रीय औसत दर क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की राज्य-वार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार दरें क्या थीं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपए की तुलना में मुद्रास्फीति की राज्य-वार दर क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग-अलग राज्यों के लिए संकलित नहीं किये जाते हैं। यह महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों के लिए संकलित किए जाते हैं, पुरानी श्रृंखला के अन्तर्गत 50 (1960=100) और नई श्रृंखला के अन्तर्गत 701 अनुमानक में प्रत्येक राज्य में एक (प्रमुख) केन्द्र के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि रुपये की क्रय शक्ति इस अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में आकलित की जाती है। इस प्रकार, दिसम्बर, 1988 का

अखिल भारतीय सूचकांक 818 होने का अर्थ यह है कि रुपये की क्रय शक्ति, 1960 में 100 पैसों की तुलना में, उक्त माह में 12·22 पैसे थी। इसी प्रकार, विभिन्न अवधियों/केन्द्रों में रुपए की क्रय शक्ति का हिसाब लगाया जा सकता है।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 1960 = 100)

केन्द्र/राज्य	सूचकांक				वार्षिक मुद्रास्फीति दर (बिन्दु प्रति बिन्दु)		
	दिसम्बर,	दिसम्बर,	दिसम्बर	दिसम्बर			
	1985	1986	1987	1988	1986	1987	1988
हैदराबाद (आ. प्र.)	641	705	770	847	10.1	9.2	10.0
डिगबोई (असम)	604	664	724	803	10.0	9.0	10.9
जमशेदपुर (बिहार)	595	638	695	800	7.2	8.9	15.1
अहमदाबाद (गुजरात)	605	675	749	779	11.6	11.0	4.0
यमुनानगर (हरियाणा)	622	683	783	863	9.8	14.6	10.2
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	648	734	818	897	13.3	11.4	9.7
बंगलौर (कर्नाटक)	694	744	826	900	7.2	11.0	9.0
एलिप्पी (केरल)	681	794	809	910	16.6	1.9	12.5
भोपाल	711	784	834	890	10·3	6 4	6.7
बम्बई (महाराष्ट्र)	658	728	802	865	10.6	10.8	7.9
सम्बलपुर (उड़ीसा)	634	701	731	801	10.6	4·3	9.6
अमृतसर (पंजाब)	627	670	758	851	6.9	13.1	12.3
जयपुर (राजस्थान)	662	674	780	848	1.8	15.7	8.7
मद्रास (तमिलनाडु)	651	696	782	843	6.9	12.4	7.8
कानपुर (उत्तर प्रदेश)	625	676	746	802	8.2	10.4	7.5
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	623	694	713	811	11.4	2.7	13,7
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	652	711	802	870	9.0	12,8	8.5
अखिल भारतीय	630	688	752	818	9.2	9.3	8.8

* अक्तूबर, 1988 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला 1982 को आधार मानकर आरम्भ की गई है। दिसम्बर, 1988 के लिये आंकड़े 1960 आधार पर परिवर्तित कर दिये गये हैं।

बंगलादेश में छूट गई सम्पत्ति के लिये
क्षतिपूर्ति दावे

7488. श्री जी०एस० बासवराजू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में भारतीयों के स्वामित्व वाली छूट गई सम्पत्ति के लिये शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के गई, 1971 के सार्वजनिक नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त क्षतिपूर्ति के अनेक दावों का निपटान किया जाना अभी शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दावाकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है; और

(घ) दावों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सी ई पी) द्वारा दिनांक 7-5-1971 में जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में दावा करने की अन्तिम तारीख 15-7-1971 तक 3944 दावे पंजीकृत किए गए थे। इन दावों को अधिकांशतः निपटा दिया गया है।

दावेदारों को पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से दावा दायर करने की तारीख को तीन बार अर्थात् 31 दिसम्बर, 1976, 30 अप्रैल, 1977 और अन्ततः 31 जुलाई, 1977 तक बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप 53,000 से अधिक दावे पंजीकृत किए गए। इनमें से अब तक 29561 दावे निपटाए गए हैं और 20100 दावा मामलों में दावेदारों ने पूरी जानकारी नहीं भरी है और इसीलिए ये निष्क्रिय पड़े हैं। शेष बचे 7832 दावा मामलों पर कार्रवाई की जानी बाकी है।

(घ) दावों के शीघ्र प्रमाणीकरण के लिए स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और लम्बित पड़े दावों को निपटाने के लिए विविध कदम उठाए जा रहे हैं।

अब तक किए गए उपाय हैं :—

(1) पैनल के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 करना।

(2) भुगतान कार्यालय बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरित करना।

(3) पैनल के सदस्यों को मानदेय में वृद्धि।

(4) समाचार पत्रों में विज्ञापन जिसमें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दावेदारों के दैनों को आमन्त्रित किया जाता है।

(5) अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान आदि।

लाख का उत्पादन

[हिन्दी]

7489. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाख के उत्पादन, बिक्री और निर्यात करने वाली सरकारी एजेन्सियों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार लाख के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा लाख उत्पादकों के लिए उधार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने और उनके लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; जिससे उसका आर्थिक उत्थान हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) लाख से सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों के नाम हैं :— निर्यात संवर्धन के लिए वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद लाख की फसल उत्पादन के लिए पर्यावरण और वन मन्त्रालय के अन्तर्गत लाख विकास निदेशालय तथा अनुसन्धान उद्देश्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अंतर्गत भारतीय लाख अनुसन्धान संस्थान।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाख के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

1986-87	रु० 25.77 करोड़
1987-88	रु० 16.61 करोड़
1988-89 (अनन्तिम)	रु० 19.00 करोड़

(ग) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने पिछले चार वर्षों के दौरान जरूरतमन्द उपभोक्ताओं को निःशुल्क लगभग 250 क्विंटल ब्रूड लाख वितरित की है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के तत्वावधान में लाख से सम्बन्धित एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है जोकि संस्थागत वित्त, सुलभ ऋण की व्यवस्था कराने पर विशेष बल देते हुए लाख के व्यापार की समस्याओं का अध्ययन करेगा और लाख उपभोक्ताओं के आर्थिक विकास के लिए उपायों का सुझाव देगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में सुधार

7490. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी नीतियों एवम् संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः निर्यातों पर और विशेष रूप से गैर-सरकीबद्ध निर्यातों पर बल देते हुए धातु एवं खनिज व्यापार निगम ने अपने संगठनात्मक ढांचे की पुनर्संरचना की है। निगम के समूचे गैर-सरकीबद्ध निर्यात क्रियाकलापों को एक ही समूह के अन्तर्गत रखा गया है।

हैदराबाद-बंगलौर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

7491. श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-बंगलौर सीधी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) क्या इस लाइन से इन दोनों शहरों के बीच दूरी 350 किलोमीटर कम हो जाएगी, विशेषकर कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए जो दिल्ली और बंगलौर के बीच चलती है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बेंगलूर और गुन्तकल के बीच एक बड़ी लाइन पहले से मौजूद है। सिकन्दराबाद से गुन्तकल तक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसके निर्माण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सलेम-बंगलौर रेल लाइन को अपेक्षाकृत बड़ी रेल लाइन में बदलना

7492 श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सलेम बंगलौर रेल-लाइन को अपेक्षाकृत बड़ी रेल लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सेलम-बेंगलूर लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए 1982 में सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि परियोजना अलाभप्रद पाई गई इसलिए इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि, अब इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करने और यातायात की सम्भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय किया गया है।

इंजीनियरी उद्योग परिसंघ को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना

7493 श्री एस०एम० गुरुड़ी
श्री जी०एस० वासवराजू } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग परिसंघ ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ औद्योगिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय को किए जाने वाले निर्यात में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) सरकार को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी) के साथ औद्योगिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए इंजीनियरी उद्योग परिसंघ से कोई विशिष्ट कार्य योजना या करार, प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) ई ई सी को होने वाले निर्यातों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती रही है। ई सी सी आई एण्ड एस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान

ई ई सी को 3355.10 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये निर्यात 2721.63 करोड़ रु० के थे। इस समय यह बता पाना सम्भव नहीं है कि 1989-90 के दौरान निर्यातों में कितनी वृद्धि होगी।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता

7494. श्री एस०एम० गुरड्डी
श्री जी० एस० वासवराजू } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि अमरीका के साथ व्यापार सम्बन्धी मुद्दों का दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर की बातचीत में उठाया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या कोई ऐसी समिति गठित की गई है जो व्यापार के क्षेत्र में ऐसी योजना का सुझाव दे जो दोनों देशों को स्वीकार्य हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1989-90 में दोनों देशों के बीच व्यापार में कितना सुधार होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में स्थिर वृद्धि हो रही है जैसा कि डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता द्वारा रखे गये निम्नलिखित आंकड़ों से परिलक्षित होता है। वर्ष 1989-90 में भी इस प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है।

(मूल्य करोड़ रु०)

वर्ष	यू एस ए को निर्यात	यू एस ए से आयात	कुल
1986-87	2357.26	1963.01	4320.27
1987-88*	2906.24	2015.12	4921.36
1988-89* (अप्रैल-दिसम्बर)	1759.16	1395.86	3155.02

*अनन्तिम

अट्टारांडा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

7495. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जनवरी, 1988 को 104 डाउन कानपुर-कासगंज जाने वाली गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे में अट्टारांडा रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त, जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की थी, के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर प्रारूपिक समझौता

7496. श्री एस० एम० गुरुडी। क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी के अन्तरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय माध्यस्थम परिषद् द्वारा कोई प्रारूपिक समझौता तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसलिए मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्य योजना कब तक तैयार कर ली जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय माध्यस्थम परिषद् ने माध्यस्थम सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना और विदेशी सहयोग करारों के एक भाग के रूप में प्रौद्योगिकी अन्तरण करारों के प्रारूपण के लिए मानक करार के निर्धारण का कार्य शुरू किया है। प्रस्तावित करार की मुख्य विशेषताएं, प्रौद्योगिकी अन्तरण करारों के कार्य निष्पादन के दौरान सामान्य कानूनी खामियां निर्दिष्ट करना तथा ऐसी संविदाओं के प्रारूपण में प्रयुक्त होने वाली मानक शर्तों और माध्यस्थम धाराओं का सुझाव देना होगा। इस अनुसंधान अध्ययन के दिसम्बर 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है।

पूर्वी राज्यों के कृषि विकास के सम्बन्ध में अध्ययन

[हिन्दी]

7497. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री दिनेश गोस्वामी } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ खोजकर्ताओं तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग ने पूर्वी राज्यों के कृषि विकास के बारे में एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) इस रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन निष्कर्षों पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादकता के स्तर और उर्वरकों, ट्रैक्टरों और नलकूपों जैसे आधुनिक निवेशों के प्रयोग के बीच सकारात्मक सह-सम्बन्ध है, सुनिश्चित सिंचाई वाले जिलों के उत्पादन स्तरों में अधिक स्थिरता है और बहुत से जिलों में उत्पादकता का स्तर बढ़ गया है।

(घ) इन निष्कर्षों के आधार पर पूर्वी राज्यों में विशेष सघन उत्पादन कार्यक्रम चलाने, कृषि के लिए कार्य योजना तैयार करने और कृषि-मौसम क्षेत्रीय आयोजना परियोजना तैयार करने जैसे उपयुक्त कदम उठाए जा चुके हैं। भावी नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने में भी इनका लाभ उठाया जाएगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टरों की शक्तियां और कृत्य

[अनुवाद]

7498. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलैक्टरों की शक्तियों और अधिकारों का क्षेत्र स्पष्ट न होने के कारण वहां रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का केरल में वर्तमान दो सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरों के बजाय केवल एक ही कलक्टर रखने का विचार है; और

(घ) क्या केवल कोचीन पत्तन क्षेत्र के संदर्भ में ही सीमा शुल्क कलक्टरों के कृत्यों और प्रशासनिक शक्तियों को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) (ख और (घ) छोटे पत्तनों, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, त्रिवन्द्रम से सम्बन्धित कार्य और कोचीन सीमा शुल्क गृह के क्षेत्राधिकार से बाहर केरल राज्य में तस्करी-रोधी कार्य को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारी देखते थे । कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कोचीन को सौंपा हुआ था और कार्यात्मक नियंत्रण सीमाशुल्क समाहर्ता, कोचीन के पास था ।

दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने और समग्र देश में सामान्य तौर पर अपनायी जाने वाली रीति के समरूप नीति अपनाने की दृष्टि से, हाल ही में यह निर्णय किया गया था कि कोचीन सीमा शुल्क गृह और कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन, जो कोचीन की निगम सीमाओं से बिल्कुल बाहर ही स्थित है, सीमा शुल्क समाहर्ता, कोचीन के क्षेत्राधिकार में आएंगे और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कोचीन का केरल राज्य केरल के शेष भाग में सीमा शुल्क और निवारक कार्य पर कार्यात्मक तथा प्रशासनिक नियंत्रण होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन अपीलें

7499. डा० जी० विजय रामा राव : क्या वित्त मंत्री अपीलीय न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े मामलों के बारे में दिनांक 13 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में 30 सितम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन 26544 अपीलों में से कुल कितनी अपीलों को निपटाया गया, कितनी रद्द की गई हैं और कितनी अपीलें स्वीकार की गई हैं;

(ख) 1 अक्तूबर, 1987 के पश्चात् कितनी अपीलें दर्ज की गई; और

(ग) कुल कितनी अपीलें विचाराधीन हैं तथा ये अपीलें कितनी धन राशि से सम्बन्धित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 30-9-1987 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय अधिकरण की

विभिन्न पीठों में विचाराधीन पड़ी 26,544 अपीलों में से निपटाई गई, रद्द की गई और स्वीकार की गई अपीलों की संख्या एकत्र की जा रही है।

(ख) 1 अक्तूबर, 1988 के पश्चात् और 31 मार्च, 1989 तक दायर की गई अपीलों की संख्या 16,730 है।

(ग) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन पड़ी अपीलों की संख्या 33,376 है। इन अपीलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है यह आंकना कठिन है क्योंकि ये अपीलें अलग-अलग मदों से सम्बन्धित हैं जैसे वर्गीकरण, मूल्यांकन, गैर-कानूनी निकासी, सीमा शुल्क सम्बन्धी धोखाधड़ियां, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क का अपवंचन, आयात व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी उल्लंघन आदि। इन अपीलों में से वर्गीकरण और मूल्यांकन से सम्बन्धित कुछ अपीलों का राजस्व पर आवर्ती प्रभाव पड़ा सकता है।

रेलवे को विश्व बैंक से ऋण

7500. डा० वी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि वह भारतीय रेलवे को समयबद्ध कार्यक्रमानुसार थोड़ा-थोड़ा करके ऋण देगा, जो इस समय की तरह परियोजनाबद्ध नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा थोड़ा-थोड़ा करके ऋण देने तथा बैंक द्वारा अतिरिक्त शर्तें लगाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रेलवे के आधुनिकीकरण और इसके स्तर में सुधार करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशी मुद्रा की भारी मांग को देखते हुए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा ऋण देने हेतु लगाई गई इन शर्तों से उत्पन्न स्थिति से उनका मंत्रालय किस प्रकार निपटेगा तथा रेलवे का ऋण वितरण में तेजी लाने तथा उपलब्ध धनराशि का लोक प्रकार से उपयोग करने हेतु क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (घ) रेलवे क्षेत्र में और बैंक सहायता दिए जाने सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ कुछ प्रारम्भिक बातचीत की गई है।

ऋण एकरों के लिए स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

7501. श्री पी० अंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने कितने ऋण एकरों को ऋण दिए;

(ख) क्या ऋण एकरों को और बैंक की बकाया धनराशि में वृद्धि होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने गत 3 वर्षों के वास्ते ऋण एकरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़ों की सूचना दी है :—

वर्ष	एककों की संख्या	(रकम लाख रुपए) बकाया राशि
1986	164	3397.46
1987	169	3964.98
1988	166	4494.55

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण एककों के नाम बैंकों की बकाया रकमों में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार किए जाने तक आगे की कार्रवाई स्थगित रखते हुए, सहायता जारी रखना है। इसके अलावा, पुनरुद्धार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी बैंकों से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पहले ही अर्थक्षमता अध्ययन शुरू करने और समयबद्ध रीति से अर्थक्षम लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के वास्ते पोषण कार्यक्रम तैयार करने के लिए आदेश दे दिए हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भी अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले एककों के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन कार्रवाई कर रहा है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में जमा राशि

7502. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर में क्रमशः 23 दिसम्बर, 1988, 31 दिसम्बर, 1988, 13 जनवरी, 1989 और 31 मार्च, 1989 में कुल कितनी जमा राशि थी;

(ख) क्या इन तारीखों में जमा राशि में अत्यधिक कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या बैंक ने खाते बन्द करने की तारीख के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) दिनांक 23-12-88, 30-12-88, 13-1-89, 31-3-89 को स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कुल जमाराशियां निम्नानुसार थी :—

(रकम करोड़ रुपए)

दिनांक	जमा राशियां
23-12-88	810.46
30-12-88	824.96
13-1-89	806.05
31-3-89	848.21

(आंकड़े अनन्तिम)

(ख) से (घ) जमाराशियों में कुछ उतार चढ़ाव होना बैंकों के कारबार की एक सामान्य प्रक्रिया है। जमाराशियों में विभिन्नताएं मुख्यत: इक कभी-कभी उपचित ब्याज का क्रेडिट देने, अल्पाधिक जमाराशियां स्वीकार करने तथा जनवरी के महीने में संस्थाओं द्वारा खाते से बहुत बड़ी रकमें निकालने जैसे बैंकिंग लेन-देनों के कारण होती है।

बोकारो से हावड़ा के लिए सुपर फास्ट गाड़ी

[अनुवाद]

7503. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोकारो और हावड़ा के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावनाएं है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों में गरीबों को कम खर्च में न्याय दिलाना

[हिन्दी]

7504. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करने के लिये एक याचिकादाता को वकील को फीस न्यायालय फीस और टाइपिंग खर्च आदि के रूप में कम से कम 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं जो कि एक गरीब व्यक्ति मुश्किल से जुटा पाता है; और

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों में गरीब लोगों को कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क)और(ख) विधि आयोग "मुकदमों का खर्च" नामक विषय पर अपनी 128 वीं रिपोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने की दृष्टि से विभिन्न सिफारिशें की हैं जिनमें न्यायालय फीस से सम्बन्धित सिफारिश सम्मिलित है। विधि आयोग के सुझावों की समीक्षा करने और उनके कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

मीटर-गेज लाइनों की गाड़ियों की गति बढ़ाना

7505. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किन-किन मीटर-गेज लाइनों की गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) इस गति को प्राप्त करने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उपर्युक्त योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) रेलें मीटर खामान की निम्नलिखित गाड़ियां पहले ही 90/100 कि० मी० प्रति घंटे की अनुमेय अधिकतम रफ्तार से चला रही है :—

गाड़ी का नाम	जिस खंड पर 90/100 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं
1. मद्रास-एग्मूर-मदुरै वैगई एक्सप्रेस	मद्रास एग्मूर-मदुरै
2. मद्रास एग्मूर-तिरुचिरापल्ली पल्लवन एक्सप्रेस	मद्रास-तिरुचिरापल्ली एग्मूर
3. दिल्ली-जयपुर पिंक सिटी	दिल्ली-जयपुर
4. दिल्ली उदयपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस	दिल्ली-अजमेर
5. दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस	दिल्ली-अहमदाबाद
6. दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस	दिल्ली-फुलेरा
7. जोधपुर-अहमदाबाद सूर्य नगरी एक्सप्रेस	अहमदाबाद-मारवाड़

इन मौजूदा गाड़ियों को छोड़कर मीटर लाइन की गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाकर 100 कि० मी० प्रति घंटा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य सरकारों का बजट घाटा

[अनुवाद]

7506. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जानकारी में हाल कुछ सप्ताहों में पेश किये गये राज्य सरकारों के बजटों की एक अप्रचलित बात ध्यान में आई है कि लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने बजट घाटे को कराधान माध्यम से कम करने के बजाय उसे अधूरा छोड़ने का विकल्प अपनाया है;

(ख) किन-किन राज्यों के बजटों में व्यय और प्राप्तियों के बीच बढ़ते हुये अन्तर को कम करने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने सम्बन्धी व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान जैसा कि उनके मन्त्रालय द्वारा विश्लेषण किया गया है अतिरिक्त ससाधनों को जुटाने के बाद इस वर्ष सभी राज्यों के बजटों में कितना समग्र घाटा होने का अनुमान है; और

(घ) राज्यों द्वारा बजट घाटे को अपूरित छोड़ने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) जिन 16 राज्यों के अब तक बजट दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में बजटीय स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) अपने बजटीय घाटों को पूरा करने के लिए कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

वर्ष 1989-90 के लिए बजट में यथा प्रस्तुत राज्यों के बजटीय अधिशेष/ घाटे तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राज्य	1989-90 के लिए राज्य के बजट में यथा प्रस्तुत अधिशेष (+)/घाटा (—)	राज्यों द्वारा अपने 1989-90 के बजट भाषण में यथा प्रस्तावित जुटाए जाने वाले अतिरिक्त संसाधन	अतिरिक्त संसाधन जुटाने का समायोजन करने के बाद राज्यों का अधिशेष/घाटा
1	2	3	4
I. वे राज्य जिन्होंने अपने 1989-90 के बजट में घाटे दिखाए			
(i) अरूणाचल प्रदेश	(—) 184.43	सूचित नहीं	(—) 184.43
(ii) बिहार	(—) 145.56	49.49	(—) 96.07
(iii) गोवा	(—) 43.11	2.06	(—) 41.05
(iv) गुजरात	(—) 248.10	68.50	(—) 179.60
(v) हरियाणा	(—) 16.47	50.00	(+) 33.53
(vi) जम्मू व कश्मीर	(—) 97.49	3.87	(—) 93.62
(vii) मणिपुर	(—) 11.72	सूचित नहीं	(—) 11.72
(viii) मेघालय	(—) 35.58	"	(—) 35.58
(ix) सिक्किम	(—) 14.21	"	(—) 14.21
(x) तमिलनाडु	(—) 149.68	50.00	(—) 99.68
(xi) उत्तर प्रदेश	(—) 57.77	सूचित नहीं	(—) 57.77
		जोड़	(—) 780.20

II. राज्य जिन्होंने 1989-90 के लिए अपने बजट में अधिशेष दिखाया अथवा अपना संतुलित बजट पेश किया

(i) हिमाचल प्रदेश	1.21
(ii) राजस्थान*	48.79
(iii) पश्चिम बंगाल**	325.79
(iv) उड़ीसा	—
(v) पंजाब	—

—सूचित नहीं—राशि बजट प्रस्तावों में सूचित नहीं की गई है।

*—राजस्थान के मामले में बजट-भाषण में 104 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रतिबद्धता बतायी गयी है।

**—पश्चिम बंगाल के मामले में, बजट-भाषण में 404.79 करोड़ रुपए की व्यय की अतिरिक्त प्रतिबद्धता तथा 79 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने का उल्लेख किया गया है।

सिंडिकेट बैंक में सफाई कर्मचारियों को "अटेन्डेन्ट" के रूप में स्थायी करना

7507. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सफाई कर्मचारियों को "अटेन्डेन्ट" के रूप में स्थायी करने के बारे में सरकार के कोई दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंडिकेट बैंक में इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):(क) से (घ) सरकार सिंडिकेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंकों को कहा है कि अधीनस्थ स्टाफ कैडर में अटेण्डरों/चपरासियों की होने वाली रिक्तियों में से 25 प्रतिशत स्थान कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्वीपरों कराकों, चौकीदारों आदि के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने के लिये आरक्षित होने चाहिये। सिंडिकेट बैंक ने बताया है कि इस स्कीम पर मामूली संशोधन के साथ अमल किया जा रहा है और वह भी इस विषय पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुरूप स्कीम में परिवर्तन कर रहा है।

सांविधिक नकदी अनुपात

7508. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान सांविधिक नकदी अनुपात न बनाए रखने के लिए कोई जुर्माना अदा किया है;

(ख) क्या दोषी अधिकारियों को कोई दण्ड दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक नकदी अनुपात और धारक्षित नकदी अनुपात नहीं बनाए रख सके थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने

आपे बताया है कि उन अलग-अलग बैंकों के कार्यकरण का ब्योरा देना वांछनीय नहीं होगा, जो सांविधिक नकदी अनुपात या प्रारक्षित नकदी अनुपात नहीं बनाए रख सके।

बम्बई के उपनगरीय रेल स्टेशनों पर "स्टालों" का आवंटन

7509. श्री हुसैन दलवाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सभी उपनगरीय रेल स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफार्म पर चाय के "स्टाल" हैं;

(ख) क्या प्रत्येक प्लेटफार्म पर चाय के स्टाल लगाने की अनुमति देने के लिए उपनगरीय रेलवे ने कोई प्रक्रिया विर्धारित कर रखी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सम्भाले जाने वाले यातायात की मात्रा और स्थान की उपलब्धता मुख्य आधार हैं।

स्वीकृति के लिए निर्णयाधीन महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

7510. श्री हुसैन दलवाई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से अनेक बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई पयियोजनाएं स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि "सेन्ट्रल एजेन्सी" के एक अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि स्वीकृति एक या दो वर्षों की अवधि के अन्दर दे दी जानी चाहिये;

(घ) यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान कौन-कौन सी तथा कितनी परियोजना स्वीकृत की जाएंगी और प्रत्येक पारयोजना पर कितनी लागत आएगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 23 जिलों में स्थित 26 बृहत तथा 46 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं।

(ग) अध्ययन दल ने केन्द्र में मूल्यांकन हेतु एक संशोधित प्रकिया का सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा शेष मामलों के निपटाने तथा योजना में उन्हें शामिल करने पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान-सहायता

7511. श्री कमल नाथ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए 25000 उथले नलकूपों/खुदाई कुओं के निर्माण के वास्ते केन्द्रीय हिस्से के रूप में 375 लाख रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है। जल संसाधन, कृषि तथा समाज कल्याण मंत्रालय की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सहित राज्यों को लघु सिंचाई स्कीमों के वास्ते केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

डेनमार्क द्वारा सहायता

7512. श्रीमती वसवराजेश्वरी : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की सरकार वर्ष 1989-90 के दौरान भारत को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों से कुल कितनी राशि की सहायता के लिए समझौता हुआ है; और

(ग) उपर्युक्त सहायता से किन-किन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि दोनों सरकारों के बीच कोई औपचारिक समझौता निष्पन्न नहीं किया गया है तथापि वार्षिक सहायता सम्बन्धी अनुमान दाता देश द्वारा सूचित की गई वार्षिक संवितरण सीमाओं पर आधारित हैं। वर्ष 1989 90 के लिए डेनमार्क ने 40 करोड़ डेनिश क्रोनर (लगभग 80 करोड़ रुपए) की संवितरण सीमा सूचित की है।

(ग) मुख्य परियोजनाएं हैं :—आपटिक फाइबर, तीन नए टूल-रूमों की स्थापना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में तीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य परियोजनाएं, उड़ीसा में ग्रामीण पेयजल परियोजना, कर्नाटक और तमिलनाडु में एकीकृत पेयजल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम तथा तटीय क्षेत्रों में पवन-मिल फार्मों की स्थापना।

आयात को कम करने हेतु कार्य-योजना

7513. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निरन्तर बढ़ते आयात पर अंकुश रखने हेतु तीन सूत्री कार्य-योजना तैयार करने का है, ताकि देश में भुगतान संतुलन की स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस योजना को किस प्रकार क्रियान्वित करेगी तथा इससे आयात को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भुगतान शेष की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सामान्य रूप से आयातों को कम से कम करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। कल-पुर्जों और औद्योगिक कच्चे माल का आयात करने के सम्बन्ध में, उत्पादन एककों के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों का बारीकी से परिवीक्षण करके और इस प्रकार स्वदेशीकरण

की प्रक्रिया की गति तेज करके परिहार्य आयात में कटौती करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। जहां भी संभव होगा, उन मामलों में शुल्क समायोजनों और किसी एक के आयातों के साथ उसके निर्यात कार्य-निष्पादन को जोड़ने से भी आयात मांग को कम करने जैसा प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली-चंडीगढ़, हावड़ा-जमशेदपुर और कूच बिहार-हावड़ा के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाना

7514. श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-चंडीगढ़ और हावड़ा-जमशेदपुर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार कूच बिहार और हावड़ा के बीच में भी सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) भविष्य में सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने के लिए अभी तक केवल दिल्ली-चंडीगढ़ तथा हावड़ा-टाटानगर खंडों की पहचान की गयी है।

(घ) उपर्युक्त खण्डों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य खंडों की पहचान की जायेगी।

महाराष्ट्र के गांवों में बैंक की सुविधाएं

7515. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के गांवों में बैंक की सुविधाएं हैं और यदि हां, तो कितनी-कितनी दूरी पर;

(ख) इस दूरी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसे कब तक कम कर दिया जाएगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे-सीधे ग्रामीण व्यक्तियों का शोषेदारों द्वारा शोषण न किया जाए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्दो फलेरो) : (क) से (ग) 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय और प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार महाराष्ट्र शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों को 499 ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किये थे। तत्पश्चात्, ग्रामीण ऋणों के वास्ते सेवा क्षेत्र योजना को अपनाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में 42 और ग्रामीण केन्द्र आवंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी आवंटित केन्द्रों में शाखाएं खोल दिए जाने से आशा है कि गांवों को उचित दूरी के अन्दर-अन्दर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से आवंटित केन्द्रों में शीघ्र शाखाएं खोलने के लिए कहा है।

बम्बई उच्च न्यायालय में निर्वाह भत्ते से सम्बन्धित लम्बित मामले

7516. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उच्च न्यायालय में निर्वाह भत्ते से सम्बन्धित कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन मामलों के निपटान में कभी-कभी लगभग सात/आठ वर्ष लग जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन मुकदमों की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नागपुर में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

7517. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय दल द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने और क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने नागपुर जिले में लगभग 7150 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में भू-विज्ञानी सर्वेक्षण किये हैं। नागपुर जिले के वार्षिक पुनः पूर्तियोग्य भू-जल संसाधन अनन्तिम रूप से 2110 मिलियन घन मीटर आंके गये हैं।

(घ) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड नागपुर जिले के कटोल, कमलेश्वर और महोपा क्षेत्रों में अन्वेषण कर रहा है ताकि गहरे जल स्तरों से भूजल आपूर्ति प्राप्त करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।

भोपाल और रायपुर स्थित रेलवे कोच फैक्टरियों को सहायता

[हिन्दी]

7518. श्री महेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को भोपाल और रायपुर स्थित रेलवे कोच फैक्टरियों में सहायक औद्योगिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु उद्योग मन्त्रालय से सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास हवाई अड्डे पर सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

[अनुवाद]

7519. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने विमान यात्रियों से उनके बालों

में छुपाकर रखे हुए सोने के बिस्कुट पकड़े हैं जैसाकि दिनांक 26 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) सरकार का, सोने की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पांजा) : (क) और (ख) जी हां। मद्रास सीमा शुल्क गृह के अधिकारियों ने श्रीलंका के 13 राष्ट्रिकों की तलाशी ली थी जो कोलम्बो से मद्रास हवाई अड्डे पर 23 मार्च, 1989 को पहुंचे थे। तलाशी के परिणामस्वरूप, 13.61 लाख रुपये मूल्य की 4.162 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद की गई थीं तथा पकड़ी गई थीं जिन्हें उन्होंने शिरोवस्त्र (स्कैल्प) में छिपाया हुआ था। सोने की छड़ों को काले रंग के सिलोटेपों में लपेटा हुआ था। तथा उन्हें विशेष रूप से तैयार किये गये सरेश से शिरोवस्त्र में चिपकाया हुआ था। इसके अतिरिक्त, यात्रियों में से एक ने लगभग 58,000/-रुपये मूल्य के 180 ग्राम के तीन सोने के गोलों को भी निगल रखा था, उन्हें भी बरामद किया गया तथा अभिगृहीत किया गया था। सभी 13 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तथा उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। सभी 13 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमे चलाये गये हैं।

(ग) सोने की तस्करी में ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों पर विभागीय न्यायनिर्णयन में अर्थ-दंड लगाया जा सकता है तथा उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमे भी चलाये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत निरुद्ध भी किये जा सकते हैं।

अपर इण्डिया एक्सप्रेस को पुनः लूप लाइन से चलाना

7520. श्री गदाधर साहा
श्री राम पूजन पटेल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली अपर इंडिया एक्सप्रेस को लूप लाइन से होकर चलाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को इस गाड़ी के न चलने के कारण काफी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बहाल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्ववर्ती अपर इंडिया एक्सप्रेस अब इस लूप लाइन पर 33/34 सियालदह-वाराणसी एक्सप्रेस के रूप में चलती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया। थोड़े से थ्रू यात्री पटना/मुगलसराय/भागलपुर में गाड़ी बदलकर यात्रा कर सकते हैं।

बांध सुरक्षा के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति

7521. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मन्त्रालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह सुझाव दिया था, कि प्रत्येक दस वर्ष के बाद विशेषज्ञों के एक स्वतन्त्र पैनल द्वारा बांध सुरक्षा की पुनरीक्षा की जानी चाहिए जिसमें उन बांधों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो अथवा जिनकी पानी की संचित क्षमता 50,000 एकड़ फीट अथवा उससे अधिक हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार किया है और बांधों की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा की गई है;

(ग) अब तक निर्मित अथवा निर्माणाधीन बांधों में से कौन-कौन से बांध ऊंचाई तथा पानी भण्डारण क्षमता, दोनों मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं और इनमें से किन-किन बांधों के लिए पुनरीक्षा के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा और चालू वर्ष के दौरान कितने बांधों के लिए सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा शुरू की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारत में सभी बांधों के लिए बांध सुरक्षा की विद्यमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने तथा एकीकृत प्रक्रिया बनाने हेतु भारत सरकार ने अगस्त, 1982 में एक स्थायी समिति गठित की थी। जुलाई, 1986 की अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि राज्य दस वर्ष में एक बार विशेषज्ञों के स्वतन्त्र पैनल द्वारा उन बांधों की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का प्रबन्ध करेंगे जो 15 मीटर से अधिक ऊंचे हैं अथवा जिसमें जल भंडारण क्षमता 6165 हेक्टेयर मीटर (50,000 एकड़ फुट) अथवा अधिक हो। इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों ने अब तक लगभग 2000 बांधों को अभिज्ञात किया है, जिनकी सुरक्षा सम्बन्धी पुनरीक्षा की आवश्यकता होगी। इसकी पुनरीक्षा उन राज्यों/संगठनों द्वारा की जानी है, जिनके स्वामित्व में ये बांध हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई स्थायी समिति की सिफारिशों को राज्यों द्वारा क्रियान्वयन का प्रबोधन करने के लिए भारत सरकार ने स्थायी समिति को राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित किया है।

निगमित योजना

7522. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री आगामी 20 वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के बारे में पूछे गये दिनांक 25 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे कार्यक्रमों को दर्शाने वाली 1986-2000 की अवधि की

कोई निर्गमित योजना तैयार की गई है; तथा 31 मार्च, 1989 को इसे ब्योरेवार अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी क्षेत्रीय रेलों में शामिल 3000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाने का भी निर्णय किया गया है तथा तत्सम्बन्धी जोन-वार, ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निगमित योजना कब तक तयार की जायेगी तथा तत्संबंधी विशेष रूप से, प्रत्येक जोन में नई लाइनें बिछाने के संबंध में ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) समवेत योजना में 3000 कि० मी० की नयी लाइनें चालू करने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें खंडों का ब्योरा नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर 637.6 कि. मी. लम्बी नई लाइनें चालू की गई थीं।

इनके अलावा 1-4-1989 को हाथ में ली गई नई लाइन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

क्र.स.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	क्षेत्रीय रेलवे
1	2	3	4
1.	सतना-रीवा	50	मध्य
2.	गुना-इटावा	348	,,
3.	मथुरा-अलवर	120	,,
4.	लक्ष्मीकांतापुर नामखाना	47	पूर्व
5.	नंगल डैम-तलवाड़ा तथा मुकेरियां-तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण	113	उत्तर
6.	जम्मू तवी-ऊधमपुर	53	,,
7.	भटिंडा बाईपास	8	,,
8.	ब्यास-गोइंदवाल	27	,,
9.	रामपुर-न्यू हल्द्वानी	84	पूर्वोत्तर
10.	कमहा-खिरौनी (पुनः चालू करना)	28	,,
11.	धर्मनगर-कुमारघाट	33	पूर्वोत्तर सीमा
12.	बालीपाड़ा-भालुकपोंग	35	,,
13.	सिल्चर-जीरीबाम	49	,,
14.	ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल सहित जोगीघोपा-गुवाहाटी	143	,,
15.	आमगुड़ी-तुली	15	,,

1	2	3	4
16.	लालाबाजार-भैराबी	48	"
17.	एकलाखी-बालुरघाट	91	"
18.	गुवाहाटी-बर्नीहाट	27	"
19.	त्रिचुर-गुरुवायूर	24	दक्षिण
20.	एर्नाकुलम-अलेप्पी	57	"
21.	अलेप्पी-कायनकुलम	43	"
22.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	100	"
23.	करूर-डिंडीगुल-मणियाची-तुतिकोरिन/		"
	तलेयुतु	328	"
24.	मंगलोर-उडिपी	69	"
25.	तेजापुर-पाटनचेरू	8	दक्षिण मध्य
26.	अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	21	"
27.	तालचेर-सम्बलपुर	172	दक्षिण पूर्व
28.	हावड़ा-आमता/चम्पाडांगा	74	"
29.	तामलुक-दीघा	87	"
30.	कोरापुट-रायगडा	164	"
31.	कपडवंज-मोडासा	60	पश्चिम
32.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच	222	"
33.	गोधरा-दाहोद-इंदौर तथा देवास-मक्सी	316	"
	जोड़	3064	

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करना

7523. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के दौरान किन्हीं निर्माणाधीन परियोजनाओं (नई रेलवे लाइनें बिछाने तथा रेल लाइनें बदलने) को पूरा करने/आंशिक रूप से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेष निर्माणाधीन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्द्ध के दौरान पूरा किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्द्ध में किन्हीं नई परियोजनाओं को आरम्भ करने की तुलना में निर्माणाधीन परियोजनाओं में से प्रत्येक की लागत कितनी होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) शेष चालू परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम सं.	कार्य का ब्यौरा	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमोदित/ नवीनतम लागत (करोड़ रु.)	89-90 में चालू करने का लक्ष्य (किमी. में)
1	2	3		4	5
	नई लाइनें				
1.	गुना-इटावा	85-86	348	158.77	
				———	47
				176.06	
2.	नंगल डैम-तलवाड़ा	81-82	84	33.49	
			+29	———	11
				90 00	
3.	मटिंडा बायपास	82-83	8	2.96	
				———	2
				5.49	
4.	धरमनगर-कुमारघाट	78-79	33	29 50	
				———	11
				41. 4	
5.	बालीपारा-भालुकपोंग	78.79	35	9.47	
				———	21
				14 18	
6.	सिलचर-जिरीबम	78-79	49	12.13	
				———	49
				39.57	
7.	तालाबाजार-भैरबी	78-79	48	10.76	
				———	18
				36.18	
8.	एर्णाकुलम-एलेप्पी	79-80	57	15.07	
				———	57
				60.92	
9.	तालचेर-सम्बलपुर	84-85	172	57.97	
				———	18
				100.00	
10.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच	80-81	222	53.51	
				———	64
				135.00	
					———
				जोड़	298
					———

1	2	3	4	5	6
	आमान परिवर्तन				
1.	वाराणसी-भटनी	77-78	161	13.91 / 70.75	71
2.	गुंटूर माचेर्ला	74-75	130	8.15 / 66.38	130
				जोड़	201

चेतावनी उपकरण

7524. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री रेल फाटकों के लिये नया उपकरण के बारे में 3 दिसम्बर, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मामले में सड़क के रास्ते रेल फाटक को पार करने वाले व्यक्तियों को श्रव्य दृश्य चेतावनी देने के लिए देश में ही बनाए गए गाड़ी आने की सूचना देने वाले विद्युत परिचालित चेतावनी उपकरण का परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इस प्रणाली को उत्तर रेलवे में रेल फाटकों पर स्थायी उपाय के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है; और इस प्रणाली को इस्तेमाल करने का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी उपस्कर की विश्वसनीयता कम है और उपस्कर में कई खामियां हैं जिसके लिए अभिकल्प में संशोधन करना अपेक्षित है। निर्माता द्वारा अभिकल्प में आवश्यक संशोधन कर दिये जाने के बाद व्यापक परीक्षण किये जायेंगे।

(ग) इस प्रणाली का स्थायी रूप से इस्तेमाल करने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब यह प्रमाणित हो जाये कि अभिकल्प की खामियां दूर कर दी गई हैं।

कृष्णा नदी के जल का राज्यों द्वारा उपयोग

7525. श्री वी० एस० बासवराजू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार को बछावत न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित कृष्णा नदी के जल का कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकारों द्वारा अधिक उपयोग किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो बछावत पंचाट के अन्तर्गत उन्हें कितनी मात्रा में जल आवंटित किया गया था तथा इस समय कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों द्वारा कितनी मात्रा में कृष्णा नदी के जल का उपयोग किया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पंचाट के अनुसार इन राज्यों के बीच जल के बंटवारे पर निगरानी रखने के लिये एक स्वतन्त्र केन्द्रीय प्राधिकरण नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक का आवंटित हिस्सा क्रमश: 560 टी एम सी और 700 टी एम सी है इनके मुकाबले, वर्षवार उपयोग लगभग 519 टी एम सी तथा 594 टी एम सी है।

(ग) इस मामले में बेसिन राज्यों के विचारों का पता लगाने का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

7526. श्री दाता राम सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी, चमोली, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक तथा इससे संबद्ध बैंकों की जिला-वार और बैंक-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन जिलों में इन बैंकों में जिला-वार वार्षिक लेन-देन कितना हुआ;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान पौड़ी और चमोली जिलों में कितनी नई बैंक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) इस क्षेत्र में सही तथा एक समान बैंकिंग नैटवर्क सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में कार्यरत शाखाओं की संख्या दर्शाने वाली बैंकवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, वर्ष 1985 1686 और 1987 के दौरान उक्त जिलों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां और अग्रिम राशियां निम्नानुसार थीं :—

(करोड़ रुपए)

जिले का नाम	1985		1986		1987	
	जमाराशियां	अग्रिम	जमाराशियां	अग्रिम	जमाराशियां	अग्रिम
चमोली	15.18	3.24	17.74	3.28	24.89	4.03
टिहरी गढ़वाल	23.27	7.73	33.10	8.16	46.35	9.66
पौड़ी गढ़वाल	47.47	10.36	62.58	11.59	78.45	15.91
नैनीताल	165.66	92.65	201.02	111.04	242.45	118.37
अल्मोड़ा	46.38	10.94	57.99	13.35	72.49	16.50

(ग) और (घ) 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खंड के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय और प्रत्येक गांव से 10 कि०मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना है । छिट-पुट आबादी वाले पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या मानदण्ड में ढील देकर उसे 17000 से 12000/10000 कर दिया गया है । वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत और ग्रामीण ऋणों के वास्ते सेवा क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चमोली जिले में 16 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्र और पौड़ी गढ़वाल जिले में 38 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किए हैं ।

विवरण

अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में कार्यरत बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या

जिले का नाम	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
अल्मोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक	29
	बैंक आफ इंडिया	1
	केनरा बैंक	8
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2
	पंजाब नेशनल बैंक	2
	यूको बैंक	5
	आरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
	न्यू बैंक आफ इंडिया	1
चमोली	भारतीय स्टेट बैंक	25
	पंजाब नेशनल बैंक	1
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
नैनीताल	भारतीय स्टेट बैंक	32
	इलाहाबाद बैंक	5
	बैंक आफ बड़ौदा	26
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	6
	पंजाब नेशनल बैंक	14
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
	यूको बैंक	5
	पंजाब एंड सिंध बैंक	3
पौड़ी गढ़वाल	भारतीय स्टेट बैंक	37
	बैंक आफ इंडिया	1
	केनरा बैंक	7

1	2	3
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
	पंजाब नेशनल बैंक	8
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
	न्यू बैंक आफ इंडिया	1
टिहरी गढ़वाल	भारतीय स्टेट बैंक	26
	केनरा बैंक	2
	पंजाब नेशनल बैंक	5
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8

थाइलैंड के साथ व्यापार

7527. श्री एच०ए० डोरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और थाइलैंड के बीच व्यापार में चौगुनी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में थाइलैंड को हुए भारत के निर्यात, थाइलैंड से हुए आयात तथा दोनों देशों के बीच कुल व्यापार निम्नलिखित रहा :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	थाइलैंड को हुए निर्यात	थाइलैंड से हुए आयात	कुल व्यापार
1986-87	65.42	63.72	129.14
1987-88	81.61	63.89	145.50
1988-89* (अप्रैल-दिसम्बर)	122.17	199.88	322.05

*अनन्तिम

पाकिस्तान के साथ व्यापार

7528. श्री एच० ए० डोरा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान भारत से पाकिस्तान को निर्यात पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में दुगना हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जनवरी-मार्च 1989 अवधि के सम्बन्ध में देशवार आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। अतः इस अवधि के दौरान हुए निर्यातों की पिछले वर्ष के दौरान हुए निर्यातों से तुलना करना सम्भव नहीं है। तथापि अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के बीच पाकिस्तान को हुए भारतीय निर्यात 26.13 करोड़ रु० के रहे जबकि अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 की अवधि में वे 20.12 करोड़ रु० के थे।

कर्ज राहत सम्बन्धी ब्रेडी योजना

7529. श्री एच० ए० डोरा
श्रीमती किशोरी सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत ने सभी विकासशील देशों के लिये कर्ज राहत सम्बन्धी ब्रेडी योजना का विस्तार करने के लिए 3 अप्रैल, 1989 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की बैठक में पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तरिम समिति ने 3 अप्रैल, 1989 को वाशिंगटन में आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न देशों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार किया, जिनमें ऋण सम्बन्धी नीति को मजबूत बनाने तथा ऋण परिशोधन और ऋण म्यूनीकरण पर अधिक बल देने के सम्बन्ध में सेक्रेटरी आफ यू० एस० ट्रेजरी श्री ब्रेडी का प्रस्ताव भी सम्मिलित था । इस बैठक में हमने इस बात पर बल दिया था कि ऋण समस्या को कारगर ढंग से सुलझाने के लिए हमें विकासशील देशों को उचित शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों के अन्तरण द्वारा विकास और निवेश की गति को तेज करने की आवश्यकता है। हमने सबल देशों को सहायता देने के बारे में वस्तुनिष्ठ मानदण्ड अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था तथा इस बात के बारे में चेतावनी दी थी कि किसी ऋण आयोजना के अपनाने से बहुपक्षीय संस्थानों के सामान्य परिचालनों द्वारा संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । समिति ने कार्यपालक बोर्ड से इन प्रस्तावों से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने का अनुरोध किया ।

जयानगर (बंगलौर) में आरक्षण कार्यालय

7530. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलोर में जयानगर स्थापित में प्रथम श्रेणी रेलवे आरक्षण कार्यालय खोलने का है जहां शुरू में ही नई दिल्ली, मद्रास, बम्बई और हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बंगलोर सिटी और बंगलोर छावनी स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं । स्थान की सीमित उपलब्धता के कारण जयनगर को ऊंचे दर्जे का कोटा आवंटित करना कठिन है ।

बंगलौर से कलकत्ता तक दूध की ढुलाई

7531. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग बंगलौर से कलकत्ता तक दूध की ढुलाई सप्ताह में एक दिन करता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की एक बार में कितने लीटर दूध की ढुलाई होती है और कितना भाड़ा प्राप्त होता है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने सप्ताह में दो बार दूध की ढुलाई की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । सप्ताह में 40,000 लीटर दूध ढोया जा रहा है । दूध के प्रत्येक टैंकर के लिए 23,000 रुपये वसूल किये जाते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

चामराजनगर और गुंडलूपेट के बीच रेल लाइन

7532. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर और गुंडलूपेट के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

हुबली-शोलापुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7533. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और शोलापुर के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए इस कार्य के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शोलापुर-हुबली (357 कि० मी०) मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की अनुमानित लागत 73 करोड़ रु० थी । परियोजना घाटे वाली होने के कारण इसे निर्माण के लिए निर्माण के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली-अहमदनगर-बम्बई मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ियां

7534. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बम्बई के बीच अहमदनगर होकर कुछ और गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण। इसके अलावा, अहमदनगर के रास्ते यह मार्ग लगभग 500 कि० मी० लम्बा होगा।

विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र में ट्यूबवैल लगाने के लिए सर्वेक्षण

7535. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने महाराष्ट्र में और विशेषकर अहमदनगर जिले में सिंचाई के प्रयोजन के लिए ट्यूबवैल लगाने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में क्या वित्तीय सहायता दी जायेगी;

(घ) राज्य में गहराई पर लगाये जाने वाले ट्यूबवैलों सहित कितने ट्यूबवैल लगाये जायेंगे; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी कृषि भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य और पश्चिम जोनों में विद्युत इंजनों से चलने वाली गाड़ियां

7536. श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री डी० तुलसीराम } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम और मध्य जोनों में जोनवार कितनी-कितनी गाड़ियां भाप, डीजल और विद्युत इन्जनों से चलाई जा रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी लोकल और पैसेन्जर गाड़ियां विद्युत इन्जनों द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र से गुजरने वाली लोकल और पैसेन्जर गाड़ियों को चलाने के लिए विद्युत इन्जनों की व्यवस्था की गई है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र को लोकल और पैसेन्जर गाड़ियों तथा लम्बी दूरी की गाड़ियों को चलाने के लिए कब तक विद्युत इन्जनों की व्यवस्था हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) मध्य तथा पश्चिम रेलों पर चल रही निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस/पैसेन्जर जोड़ी गाड़ियां भाप, डीजल तथा बिजली इन्जनों द्वारा खींची जाती हैं :—

रेलवे	आमान	भाप	डीजल	बिजली	जोड़
मध्य	ब० ला०	59	85	72	216
पश्चिम	ब० ला०	31	26	46	103
	मी० ला०	90	42	—	132

(ख) मध्य रेलवे पर 18 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां तथा पश्चिम रेलवे पर 25 जोड़ी पैसेंजर/शटल गाड़ियां बिजली रेल इंजनों द्वारा खींची जाती हैं।

(ग) मध्य रेलवे के विद्युतीकृत खण्डों पर सभी पैसेंजर गाड़ियों के लिए बिजली इंजन मुहैया कराये गये हैं। पश्चिम रेलवे पर राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर पूर्णतः विद्युतीकृत खंड पर चल रही सभी गाड़ियों के लिए बिजली रेल इंजन मुहैया किये गये हैं। राजधानी एक्सप्रेस के लिए अपेक्षित किस्म के बिजली इंजन अभी उपलब्ध नहीं हैं गैर-विद्युतीकृत खण्डों से चलने वाली अथवा उन पर समाप्त होने वाली या इससे सम्बद्ध 5 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां भी बिजली रेल इंजनों से नहीं चलायी रही हैं। ऐसा परिचालनिक सुविधा के कारण है।

(घ) पश्चिम रेलवे पर राजधानी एक्सप्रेस को 1989-90 में नयी दिल्ली-रतलाम के बीच बिजली इंजन से चलाने की योजना है। परिचालनिक दृष्टि से लाभप्रद होने अथवा निकटवर्ती खंडों के विद्युतीकृत होने पर अन्य पैसेंजर तथा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को बिजली रेल इंजनों द्वारा चलाये जाने के लिए विचार किया जायेगा।

किसानों को "क्रेडिट कार्ड" जारी करना

7537. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को "क्रेडिट कार्ड" जारी किये जा रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की किन-किन शाखाओं ने किसानों को "क्रेडिट कार्ड" जारी करना आरम्भ किये हैं / करने का विचार है; और

(ग) सरकार का प्रत्येक किसान को "क्रेडिट कार्ड" जारी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित बैंकों ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ की है। (1) देना बैंक (2) केनरा बैंक (3) आन्ध्रा बैंक (4) पंजाब नेशनल बैंक (5) इंडियन ओवरसीज बैंक (6) सिंडिकेट बैंक और (7) इलाहाबाद बैंक। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला देना बैंक और केनरा बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत आता है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय की सर्किट/स्थायी पीठ

7538. श्री सोमनाथ रथ : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उच्च न्यायालय की सर्किट या स्थायी पीठ स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बरहामपुर या राज्य में कुछ अन्य स्थानों पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की सर्किट/स्थायी पीठ स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ की स्थापना, राज्य सरकार के अनुमोदन से कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित कर सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बुडन स्लीपरों के स्थान पर कंकरीट स्लीपर लगाना

7539. श्री बी० तुलसीराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीव्र गति वाली रेलगाड़ियों को सुरक्षा के लिये वुडन स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट स्लीपर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस कार्य पर जोन वार कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। कंक्रीट एवं इस्पात जैसे अन्य किस्म के स्लीपरों सहित लकड़ी के स्लीपर तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। बहरहाल, लकड़ी के स्लीपरों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के कारण जब हालत के आधार पर उनका बदलाव आवश्यक हो जाता है तो सामान्यतः अन्य किस्म के स्लीपरों से उनका बदलाव कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाष्प इंजनों के स्थान पर डीजल/विद्युत इंजन चलाना

7540. श्री बी० तुलसीराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी भारतीय रेल जोनों में कितने वाष्प इंजनों के स्थान पर डीजल अथवा विद्युत इंजन चलाये गए;

(ख) प्रत्येक जोन में इस प्रकार वेज वार कितने वाष्प इंजन फालतू हो गए हैं;

(ग) ऐसे वाष्प इंजनों का ब्यौरा क्या है जिनका या तो निर्यात कर दिया गया था या अन्य प्रकार से निपटान किया गया है; और

(घ) बेकार खड़े वाष्प इंजनों के कारण रेलवे को कितना घाटा होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) किसी रेल इंजन का निर्यात नहीं किया गया है। वर्षवार स्थानीय बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	बेचे गए रेल इंजनों की संख्या
1986-87	381
1987-88	669
1988-89 (अनन्तिम)	553

(घ) कुछ नहीं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान डीजल/बिजली रेल इन्जनों से बदले गए तथा रेलवे-वार फालतू हो गए भाप रेल इन्जनों की संख्या

रेलवे	निम्न वर्षों के दौरान डीजल अथवा बिजली रेल इंजनों से बदले गए भाप इंजनों की संख्या			निम्न वर्षों के दौरान फालतू हो गए इंजनों की संख्या											
				1986-87				1987-88				1988-89			
	1986-87	1987-88	1988-89	ब०ला०	मा०ला०	छो०ला०	कुल	ब० ला०	मा० ला०	छो० ला०	कुल	ब० ला०	मी० ला०	छो० ला०	कुल
मध्य	21	104	136	21	—	—	21	93	—	11	104	125	—	11	136
पूर्व	71	80	32	63	—	8	71	78	—	2	80	32	—	—	32
उत्तर	207	71	74	183	18	6	207	64	7	—	71	39	35	—	74
पूर्वोत्तर	31	30	20	—	31	—	31	3	27	—	30	3	17	—	20
पूर्वोत्तर सीमा	18	20	63	14	4	—	18	5	15	—	20	19	44	—	63
दक्षिण	21	94	51	—	19	2	21	—	94	—	94	—	51	—	51
दक्षिण मध्य	114	21	122	61	53	—	114	6	15	—	21	79	43	—	122
दक्षिण पूर्व	75	48	30	57	—	18	75	20	—	28	48	29	—	1	30
पश्चिम	57	55	59	24	33	—	57	15	27	13	55	28	17	14	59
जोड़	615	523	587	423	158	34	615	284	185	54	523	354	207	26	587

आन्ध्र प्रदेश में रेल परिवहन सुविधाएं

7541. श्री वी० तुलसीराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में, खनिजों और अन्य उत्पादों को राज्य से बाहर ले जाने के लिये परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेल परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक आफ इंडिया द्वारा वाराणसी में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना

7542. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया है, जिससे जौनपुर, वाराणसी' गाजीपुर, और आजमगढ़ के आस-पास के गांवों में रहने वाले लोगों को सामाजिक-आर्थिक, स्थितियों के सम्बन्ध में विस्तृत और परिवार-वार आंकड़े रखे जा सकें;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आंकड़े एकत्र करने से क्या महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा होने की आशा है; और

(ग) जौनपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले गांवों से एकत्र किये गये आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पान के पत्तों का निर्यात

7543. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान के पत्तों को निर्यात सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार पान के पत्तों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का है;

(ग) पान के पत्तों के निर्यात सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार का पान के पत्तों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) पान के पत्तों के निर्यात की अनुमति है। वाणिज्य मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न कृषि उत्पाद मदों के निर्यात संवर्धन में सहायता

करता है, जिसमें पान के पत्ते भी शामिल हैं। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1987-88 में पान के पत्तों का निर्यात लगभग 17 लाख रुपये का था।

पान की बुकिंग

7544. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पान की रेलवे द्वारा बुकिंग से रेलवे को भाड़ा-प्रभार के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ख) इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल से पान की बुकिंग से रेलवे को भाड़ा-प्रभार के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई है; और

(ग) देश में लम्बी दूरी की तीव्रगामी गाड़ियों द्वारा पान की पर्याप्त बुकिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पार्सल यातायात से प्राप्त आमदनी के आंकड़े पण्यवार तथा राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा पान के पत्तों सहित जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं के यातायात को तरजीह के आधार पर बुकिंग और लदान के प्रबन्ध मौजूद हैं। लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां चलाकर समय-समय पर इनमें वृद्धि की जा रही है।

केरल में रबड़ की खेती के अन्तर्गत भूमि

7545. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितनी एकड़ भूमि में रबड़ की खेती की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में वर्षवार कितने एकड़ भूमि में रबड़ की खेती की गई है;

(ग) केरल में लघु और मध्यम रबड़ कृषकों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार केरल में लघु तथा मध्यम कृषकों को मदद देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू कर रही हैं और उन योजनाओं से योजनावार कितने कृषकों को लाभ मिला है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1988 के अन्त तक 3.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ की खेती होने की अनन्तिम तौर पर अनुमान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में जितने अनुमानित क्षेत्र पर रबड़ की खेती की गयी वह निम्नलिखित है :—

वर्ष	क्षेत्र (अनन्तिम)
1986-87	12,000 हेक्टेयर
1987-88	11,000 हेक्टेयर
1988-89	9,000 हेक्टेयर

(ग) केरल में छोटे और मध्यम रबड़ कृषकों की संख्या 3.6 लाख होने का अनुमान है।

(घ) रबड़ बोर्ड छोटे और मध्यम रबड़ कृषकों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। इस उद्देश्य के लिये रबड़ बोर्ड द्वारा चलायी गयी योजनाओं में शामिल हैं :—

योजना	सामान्वित छोटे और मध्यम उत्पादकर्ताओं की अनुमानित संख्या
1. रबड़ रोपण विकास योजना के अन्तर्गत नए रोपण और पुनर्रोपण को प्रोत्साहित करना तथा सहायता देना।	1,45,000
2. अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण।	1,800
3. शीटिंग रोलरों की इमदादी सप्लाई	644
4. धूम्र गृहों के निर्माण के लिए उपदान।	240
5. सिंचाई को लोकप्रिय बनाना।	440
6. विशेष संघटक सयंत्र तथा जनजातीय उप-योजना	200
7. वैज्ञानिक कृषि और उत्पादन को लोकप्रिय बनाना जिसमें शामिल हैं :	
(क) परामर्शी दौरे	5,200
(ख) टैपिंग में प्रशिक्षण	1,100
(ग) टैपिंग के सम्बन्ध में प्रदर्शनी	11,000
(घ) भूमि तथा पत्तों विश्लेषण	10,000
(ङ) स्प्रेयर/स्प्रेयर सह डस्टर का वितरण 6 रबड़ उत्पादकर्ताओं तथा 39 उत्पादकर्ता-समितियों के सप्लाई की गयी।	
(च) बरसात से सुरक्षा प्रदान करने वाली सामग्रियों का वितरण	7,800

केरल की वामनपुरम सिंचाई परियोजना

7546. श्री टी० बशीर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वामनपुरम सिंचाई परियोजना का परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(च) इस परियोजना पर अब तक किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है तथा इस समय कार्य किस चरण में है;

(छ) इस सिंचाई परियोजना से कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी; और

(ज) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) योजना आयोग ने दिसम्बर, 1982 में यह परियोजना अनुमोदित की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 36.40 करोड़ रुपए।

(च) यह परियोजना निर्माण के प्रारम्भिक स्तरों पर है। मार्च 1988 तक 1.87 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे।

(छ) लगभग 18 हजार हेक्टेयर वार्षिक।

(ज) 1994-95

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ

7547. श्री टी० बशीर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सेब के निर्यात संबंधी कार्यकारी दल

[हिन्दी]

7548. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेब के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मन्त्रालय ने एक कार्यकारी दल गठित किया है;

(ख) क्या सेब निर्यात का कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं और इसका निर्यात किन-किन देशों को किये जाने की सम्भावना है और उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सेबों के निर्यात के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि सरकार ने सेबों सहित फलों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे कि उनके निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति देना, नकद मुआवजा सहायता देना तथा आयात प्रतिपूर्ति की मंजूरी, नए बाजारों का पता लगाना आदि।

उत्तर प्रदेश में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना

7549. श्री हरीश रावत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जोनल रेलवे के अन्तर्गत बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान उनमें से कुछ फाटकों पर चौकीदार विमुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) । (क) 2694 समपार ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बिना चौकीदार वाले 7 समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाने की संभावना है ।

हिन्दी कार्य के लिए अधिकारियों के पद मंजूर करना

7550. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी कार्य हेतु अधिकारियों के पद मंजूर करने तथा प्रयोजन के लिए वित्तीय मंजूरी देने के लिए उनके मंजूरी देने के लिए उनके मन्त्रालय में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 से आज तक ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूर कर लिया गया है और कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) ऐसे कितने प्रस्ताव रद्द किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) नए पदों के सृजन के बारे में 8-6-88 से पूर्व लागू मार्ग-निर्देशों के अनुसार सांविधिक पद जैसे कि राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित पद वित्त मन्त्री की स्वीकृति से सृजित किए जा सकते थे । तथापि, 8-6-88 से प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के प्रभारी सचिवों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई थीं कि वे अपने वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिन्दी पदों का सृजन कर सकते हैं । इस मामले में वित्त मन्त्रालय को लिखना अब आवश्यक नहीं रह गया है । राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पदों सहित विभिन्न पदों के सृजन हेतु वित्त मन्त्रालय को प्राप्त हुए प्रस्तावों के विस्तृत रिकार्ड इस मन्त्रालय में नहीं रखे जा रहे हैं ।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन

7551. श्री हरीश रावत : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से कुछ नदी घाटी जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक किए गए मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में हिमालयी जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । इस परियोजना में आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करने की परिकल्पना है जो उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली विश्लेषण द्वारा किया जा रहा है । सभी जल विभाजकों के बेंचमार्क सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं और

दो जल विभाजकों नामशः श्रीनगर और मचलाव के सम्बन्ध में प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट पूरी हो गई है। मूल्यांकन के फलस्वरूप, परियोजना कार्यक्रम को आशोधित किया गया है और अब बिखरे क्षेत्रों के स्थान पर चुनिंदा मिनी जल विभाजक के रूप में सकेन्द्रित किया जा रहा है।

बिहार में वैशाली जिले में सेवा क्षेत्र योजना आरम्भ करना

[अनुवाद]

7552. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वैशाली जिले में अग्रणी बैंक द्वारा इस क्षेत्र के लिए ग्रामीण ऋणों हेतु सेवा क्षेत्र योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वैशाली जिले में सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 95 बैंक शाखाओं को 1560 गांव आबंटित किए गए हैं और ऋण संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए सभी 1560 गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। बैंकों की सभी 95 शाखाओं द्वारा गांवों के लिए ऋण योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

राज्य व्यापार निगम का कारोबार

7553. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 और 1988 के बीच राज्य व्यापार निगम के वार्षिक कारोबार में आयात के अनुपात में निर्यात में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम के आयात कारोबार की अपेक्षा निर्यात कारोबार का अनुपात वर्ष 1980-81 में 36% से घटकर वर्ष 1988-89 में 26% रह गया।

(ग) निगम के आयातों में मुख्यतः ऐसी मदें शामिल हैं जिन्हें सरकार उसके द्वारा सरणीबद्ध करती है। ऐसे आयात की मात्रा का निर्णय सम्बन्धित मदों, की मांग और घरेलू उपलब्धता पर निर्भर होता है। चूंकि ऐसे सरणीबद्ध आयात की मात्रा में बराबर वृद्धि हो रही है इसलिए आयात की अपेक्षा निर्यात के अनुपात में गिरावट आई है।

इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं पर नगद प्रतिपूर्ति सहायता

7554. श्रीमती किशोरी सिंह : : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगद प्रतिपूर्ति सहायता योजना से निर्यात की जाने वाली विभिन्न इलैक्ट्रॉनिकी वस्तुओं को अलग कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा अमरीका की पेंशन निधि योजनाओं की बजाए भारत में ही ऐसी योजनाओं में पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहित करना

7555. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीका में रहने वाले अनेक अनिवासी भारतीय अमरीका में चल रही विभिन्न पेंशन निधि योजनाओं में पूंजी निवेश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को अमरीका की ऐसी पेंशन निधि योजनाओं में निवेश करने की बजाए भारत में ही ऐसी योजनाओं में पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए यदि कोई योजना तैयार की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे निवेश आयकर से मुक्त होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन विधियों का निवेश भारत में खुले अनिवासी (बाह्य) खातों/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में किए जाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी गई है कि बैंक इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि पेंशन निधियों को शासित करने वाले नियमों विनियमों का पालन किया गया है।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में अनिवासी भारतीयों की इन निधियों को, ऐसी दशा में जबकि उनका विनेश विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों/अनिवासी बाह्य खातों में किया जाए, आयकर अधिनियम की धारा 10(4)(11) के अन्तर्गत इस शर्त पर छूट दी जा रही है कि जमा के रूप में रकम स्वीकार करने वाले अधिकृत व्यवसायी, इन पेंशन निधियों में निवेश करने वाले वास्तविक निवेशकर्ताओं की जिनाक्त स्पष्टत: एकल अनिवासी भारतीयों के रूप में करें।

खाद्यान्न और तिलहनों के उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा सहायता

7556. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन के विशेष कार्यक्रम और तिलहनों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता देने में बैंकिंग संस्थाओं ने विशेष दिलचस्पी ली है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा इस प्रयोजनार्थ ऋणों आदि के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसने बैंकों से किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के वास्ते कहा था। जहां तक तिलहनों के उत्पादन का सम्बन्ध है, यद्यपि वर्ष-वार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथापि बैंकों से तिलहनों के उत्पादन के वास्ते और अधिकार ऋण देने के लिए विशेष उपाय करने के वास्ते कहा गया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने तिलहनों के उत्पादन के वास्ते 36 वाणिज्यिक बैंकों और 6 राज्य सहकारी बैंकों के कंसोर्शियम के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की ऋण सीमा मंजूर की है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया गया राज्य-वार संवितरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये)

राज्य	कुल संवितरण	
	निम्नलिखित तारीख को	राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	दिसम्बर 1988	3788.82
असम	दिसम्बर 1988	38 19
बिहार	फरवरी 1989	2635.73
गुजरात	दिसम्बर 1988	915.00
हरियाणा	दिसम्बर 1988	1185.12
कर्नाटक	अक्टूबर 1988	1244.83
मध्य प्रदेश	सितम्बर 1988	2134.00
महाराष्ट्र	दिसम्बर 1988	848.00
उड़ीसा	अगस्त 1988	747.51
पंजाब	जनवरी 1989	907.45
राजस्थान	फरवरी 1989	1374.26
तमिलनाडु	फरवरी 1989	4836 56
उत्तर प्रदेश	दिसम्बर 1988	5077.37
पश्चिम बंगाल	जनवरी 1989	1488 92
	(आंकड़े अनन्तिम)	

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तिलहनों के उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा किए गए संवितरण के सम्बन्ध में वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना प्राप्त नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्राक्कलित 100 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 70 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित राज्य सहकारी बैंकों का कुल हिस्सा 30 करोड़

रुपए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि तिलहनों की खरीद के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना के अन्तर्गत स्थापित राज्य स्तरीय तिलहन उत्पादकों के परिसंघ को राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 117 करोड़ रुपए की ऋण सीमाएं मंजूर की गई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिलाधिकारियों को राज्य-वार संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

केरल में कृषि क्षेत्र के लिए स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर द्वारा दिए गए ऋण

7557. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में कृषि क्षेत्र के लिए स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर द्वारा कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए;

(ख) उक्त राज्य में इस बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए ऋणों से कुल कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने सूचित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार 436 लाख ऋण खातों के तहत उसके बकाया कृषि अग्रिम की राशि 171.16 करोड़ रुपए थी।

(ग) बैंक ने आगे सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 की अवधि के दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते 110 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

केरल में औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

7558. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान केरल स्थित औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) यह सहायता किन-किन औद्योगिक एककों को दी गई तथा प्रत्येक एकक को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने जुलाई, 1988 से मार्च, 1989 के दौरान केरल के 16 औद्योगिक एककों को 21.59 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मंजूर की थी।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के उपबन्धों तथा बैंकरों में विश्वास प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के खातों से सम्बन्धित विवरण प्रकट नहीं किये जा सकते।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किसी भी राज्य में अपने विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमियों की वित्तीय क्षमता, तकनीकी सम्भाव्यता, प्रबन्धन क्षमता और अन्य तत्सम्बन्धी बातों के आधार पर सहायता प्रदान करता है। किसी राज्य विशेष को सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय या अन्य सीमाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्धारित नहीं करता है।

नर्मदा घाटी विकास परियोजना द्वारा विस्थापित
लोगों को दिया गया मुआवजा

7559. श्री विजय एन० पाटिल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी विकास परियोजना के कारण, राज्यवार, कितने लोगों के विस्थापित होने की सम्भावना है;

(ख) सरकार द्वारा विस्थापित लोगों को किस प्रकरण का मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह मुआवजा उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त है और उनके रहन-सहन और उनकी आय के अनुरूप है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है :—

मध्य प्रदेश	131572
महाराष्ट्र	11082
गुजरात	10593
	1,53,247

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तगत मुआवजा के अतिरिक्त उन्हें मानदण्ड के अनुसार पुन: स्थापन हेतु पर्याप्त पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

जल आपूर्ति तथा मल निकासी व्यवस्था सम्बन्धी परियोजनाओं
हेतु विश्व बैंक से सहायता

7560. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान कितने राज्यों और केन्द्रीय सरकार के विभागों ने जल आपूर्ति तथा मल-निकासी व्यवस्था सम्बन्धी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु विश्व बैंक से समझौते किये हैं;

(ख) क्या इन समझौतों को लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं पर विश्व बैंक सहायता से कितनी धनराशि व्यय की जावेगी ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) शहरी विकास परियोजनाओं समेत जल आपूर्ति क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा पिछले चार वर्षों में वचनबद्ध सहायता का ब्यौरा, जिसमें जल आपूर्ति और सफाई के लिए भी निवेश शामिल है, नीचे दिया गया है :

वर्ष	परियोजना का नाम	राज्य	सहायता की राशि (लाख डालर)	करार की तारीख
1985-86	केरल जल आपूर्ति और सफाई	केरल	410	24-9-85
1986-87	गुजरात शहरी विकास	गुजरात	620	15-4-86
1987-88	तीसरी बम्बई जल आपूर्ति और मल निकासी	महाराष्ट्र	1850	12-5-87
	मद्रास जल आपूर्ति और मल निकासी	तमिलनाडु	690	21-12-87
	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	उत्तर प्रदेश	1500	21-12-87
1988-89	तमिलनाडु शहरी विकास	तमिलनाडु	5002	16-9-88

इन परियोजनाओं पर फिलहाल काम चल रहा है और इनका काम करार की तारीख से सौ वर्षों तक की अवधि में पूरा हो जाने का अनुमान है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की संख्या

7561. श्री सुरेश कुरुप : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई०डी०ए०) में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की मंजूरी प्राप्त किये बिना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में किसी पद का सृजन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सृजित किये गये पदों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) में कर्मचारियों की संख्या 473 है। इन पदों का सृजन सरकारी की स्वीकृति से अथवा एम्पीडा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार अपनी निजी शक्तियों के तहत एम्पीडा द्वारा किया गया था।

वस्त्र फर्मों से बकाया उत्पाद शुल्क की वसूली

7562. श्री मोहनभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र फर्मों से उत्पाद-शुल्क की कितनी राशि की वसूली बकाया है;

(ख) वस्त्र फर्मों ने कब से उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(घ) ऐसी कितनी कपड़ा मिलें हैं जिन पर उत्पाद-शुल्क बकाया है और वे बन्द हो गई हैं;

(ङ) इन कपड़ा मिलों से उत्पाद-शुल्क की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) वस्त्र उद्योग से उत्पाद-शुल्क की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) लगभग 160 करोड़ रुपये।

(ख) 1964 से विभिन्न तारीखों से।

(ग) लगभग 112

(घ) और (ङ) उत्पादन शुल्कों को वसूल करने के लिए विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं।

बिहार में गंगा में स्टीमर सेवा शुरू करना

[हिन्दी]

7563. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने बिहार में गंगा के किनारे के किन-किन स्थानों पर स्टीमर सेवा प्रदान की है;

(ख) क्या भागलपुर और महादेवपुर घाट के बीच तथा मुंगेर और मुंगेर घाट के बीच पिछले कई दिनों से स्टीमर सेवा बन्द कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) इस समय रेलवे द्वारा बिहार में गंगा नदी के तटों पर कोई स्टीमर सेवा नहीं चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) यातायात की कमी, पुराने स्टीमरों के रखरखाव की ऊंची लागत परिचालन के लिए स्टीमरों के असुरक्षित हो जाने तथा शीघ्र और सुविधाजनक सड़क परिवहन के उपलब्ध होने के कारण भारी नुकसान हो जाने से 8-7-1986 से बरारी घाट (भागलपुर) और महादेवपुर के बीच स्टीमर सेवा बन्द कर दी गई है। मुंगेर और मुंगेर घाट के बीच रेलवे द्वारा कोई स्टीमर सेवा परिचालित नहीं की जा रही थी।

सहरसा और मानासी सेक्शन के बीच स्थित पुलों की सुरक्षा

7564. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सहरसा और मानासी स्टेशनों के बीच स्थित सभी रेल पुल सुरक्षित स्थिति में हैं; और

(ख) इन दो स्टेशनों के बीच स्थित पुलों का गत निरीक्षण किस दिन किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस खण्ड में सभी पुलों का पिछली बार निरीक्षण नवम्बर, 1988 और फरवरी, 1989 के बीच किया गया था।

बारास्ता मालाबार क्षेत्र में रेलगाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

7565. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली अथवा किसी अन्य उत्तरी राज्य से मंगलौर के लिए एक विशेष रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ के आयात के बारे में केरल का अनुरोध

7566. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह रबड़ का आयात करने के बारे में अपने निर्णय बदल दें;

(ख) केरल सरकार द्वारा अपने अनुरोध के समर्थन में क्या कारण बताया गया है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) केन्द्रीय सरकार को रबड़ का आयात बन्द करने से सम्बन्धित केरल सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) केरल सरकार द्वारा कारण बताये गये हैं कि इससे रबड़ की कीमतों में गिरावट आएगी जिसके परिणामस्वरूप रबड़ की खेती करने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि रबड़ की केवल उतनी ही मात्रा का आयात किया जाए जितनी कि मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

कनिष्ठ वेतनमान और ग्रुप "ए" के अधिकारी

7567. श्री शान्ति धारीवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे विभाग-वार कनिष्ठ वेतनमान में कुल कितने अधिकारी कार्यरत थे;

(ख) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर विभाग-वार ग्रुप "ए" में कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे थे; और

(ग) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार कुल कितने पद रिक्त थे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में बैंक शाखा खोलना

7568. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ ऐसे ब्लाक मुख्यालय हैं जहां सम्बन्धित जिले के लीड बैंकों की शाखायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके जिलेवार नाम क्या हैं; और ऐसे ब्लाक मुख्यालयों मे जिले मे लीड बैंक के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा कब तक खोल दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में 92 ऐसे ब्लाक मुख्यालय है जहां संबद्ध जिलों के लीड बैंकों की अपनी शाखाएं नहीं है। इन ब्लाक मुख्यालयों जिला वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि ब्लाक मुख्यालयों में लीड बैंक की शाखा होना, अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने की पूर्व शर्त नहीं है।

विवरण

इन ब्लाक मुख्यालयों के जिले-वार नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां राजस्थान में अग्रणी बैंकों की संबद्ध जिलों में अपनी शाखाएं नहीं है

जिले का नाम	ब्लाक का नाम (*)	जिले का नाम	ब्लाक का नाम (*)
1	2	3	4
1. अजमेर	1. श्रीनगर	11. जैसलमेर	43. सम
2. अलवर	2. उमरैन		44. संकेरा
	3. रामगढ़	12. जयपुर	45. आम्बेर
	4. किशनगढ़बास		46. बास्सी
	5. तिजारा		47. जम्वा रामगढ़
	6. बेहरोर		48. गोविंदगढ़
	7. नीमराना		49. फागी
	8. मुंडावर		50. कोटखावदा
	9. कोटकासिम		51. सांगानेर
	10. बानसुर		52. सिकराय
	11. थानागाजी		53. सम्भार
	12. लक्ष्मणगढ़		54. विराटनगर
	13. कठूमर	13. झालावाड़	55. खानपुर
	14. राजगढ़		56. डुग
	15. रैनी		57. पिरावा
3. बांसवाड़ा	16. बागीडोरा	14. झुंझुनू	58. बुहाना
	17. कुशलगढ़		59. खेतड़ी
4. भरतपुर	18. वैर		60. सूरजगढ़
	19. रूपवास		61. उदयपुरवाटी
	20. सेवर	15. जोधपुर	62. शेरगढ़
5. भीलवाड़ा	21. आसींद		63. ओसियां
	22. बनेरा		64. लूनी

1	2	3	4
	23. हरवा		65. बिलारा
	24. कोटरी	16. कोटा	66. छाबड़ा
	25. मंडल		67. इटावा
6. बुन्दी	26. हिंडोली		68. किशनगंज
	27. केशोरायपाटन		69. संगोद
7. चित्तौड़गढ़	28. बड़ी सदरी		70. शाहबाद
	29. बदेसर		71. शाहपुरा
	30. भोपाल सागर	17. नागौर	72. देगाना
	31. छोटी सदरी		73. जयाल
	32. डूंगला		74. मुंडवा
	33. रश्मि		75. परबतसर
8. धौलपुर	34. बसेरी		76. रियानवारी
	35. राजाखेड़ा	18 पाली	77. रानी
9. डूंगरपुर	36. बासपुर	19. सीकर	78. धोद
10. श्री गंगानगर	37. सूरतगढ़		79. दाता रामगढ़
	38. सादुलशहर		80. खंडेला
	39. भादरा		81. लक्ष्मणगढ़
	40. अनूपगढ़	20. टोंक	82. टोडारायसिंह
	41. पदमपुर		83. ओनियारा
	42. करनपुर	21. सवाई माधोपुर	84. सपोतरा
			85. खण्डर
			86. महोटी
			87. बामनवास
			88. सवाई माधोपुर
			89. टोडाई भीम
		22. उदयपुर	90. गिरवर
			91. झडोल
			91. कोटरा

(*) कुछ मामलों में सम्भव है कि खण्ड एवं मुख्यालय के नाम भिन्न हों।

विश्व बैंक द्वारा राजस्थान में ट्यूबवैल लगाने हेतु सर्वेक्षण

7569. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही और नागौर जिलों जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेय जल के लिए ट्यूबवैल लगाने हेतु विश्व बैंक राजस्थान सरकार अथवा किसी अन्य केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने मरू क्षेत्र सहित राजस्थान में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की है। राज्य में भूजल सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं।

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गये अन्वेषणों की रिपोर्टें अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभागीय पदोन्नति के अवसर

7570. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में पदोन्नति के लिए अपने अलग नियम हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने और विभागीय पदोन्नति तथा एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरण हेतु समान नियमावली बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में कोई विभागीय पदोन्नति नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) । (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की पदोन्नति अधिकारी सेवा विनियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार की जाती हैं। ये विनियम इन सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं। लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में तथा अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नतियां प्रबन्धन तथा संघों के बीच बैंक स्तर पर हुई सहमतियों/हुए समझौतों द्वारा नियन्त्रित होती हैं। अन्तर-बैंक स्थानान्तरण नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सामान्यतया बैंकों में लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति के सम्बन्ध में खाली पदों की संख्या तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अदालती आदेशों द्वारा बैंक पर लगाई गई रोक के मामलों को छोड़कर सर्किल कार्यालयों द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता चैनल के अन्तर्गत पदोन्नतियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। योग्यता चैनल के अन्तर्गत पदोन्नतियों के लिए 1988 की लिखित परीक्षाएं तथा साक्षात्कार आदि भी अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए जा चुके हैं।

मिस्र के साथ व्यापार संधियां

7571. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत मिस्र के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापार संधियां की गई हैं और ये संधियां कब से की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) । भारत का मिस्र के साथ व्यापार दो करारों द्वारा अधिशासित होता है अर्थात् 1953 के पिछले करार के स्थान पर किए गए व्यापार करार 1973 तथा भारत युगोस्लाविया और मिस्र के बीच 1967 में किए गए त्रिपक्षीय करार, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया और अब 31-3-93 तक वैध है । सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं : व्यापार संयुक्त उद्यम आदि । व्यापार के क्षेत्र में, भारत के निर्यातों में चाय, मसाले, तम्बाकू, जूट वस्तुएं जैसी न केवल परम्परागत वस्तुएं हैं बल्कि डीजल इंजिन, कटिंग टूल्स, मैकेनिकल पम्पस, रेलवे ट्रैक मैटीरियल जैसी इन्जीनियरिंग मदें भी शामिल हैं । मिस्र से हमारे आयात की मुख्य मद तेल है । होटल प्रबन्ध और चाय ब्लेंडिंग और पैकेजिंग दोनों में संयुक्त उद्यम पहले ही विद्यमान हैं ।

उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रणाली प्रारम्भ करना

7572. श्री फूलरेणु गुहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रणाली प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उच्च न्यायालयों से परामर्श करके उच्च न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटान सुकर बनाने के लिए, कम्प्यूटर लगाए जाने कि सम्भाव्यता पर विचार करें ।

जापानी सहायता के लिए भेजे गये प्रस्ताव

7573. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जापानी सहायता से चलाये जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों को जापान सरकार के विचार हेतु भेजा है;

(ख) वर्ष 1989 में जापान सरकार को भेजे गये ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों में से प्रत्येक प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या उपर्युक्त प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव उड़ीसा के लिए भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान मिलने वाली सहायता के लिए जापान सरकार को कोई परियोजना का ब्यौरा औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है ।

सम्बलपुर और झारसुगुडा के बीच लोकल रेलगाड़ी चलाना

7574. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत सम्बलपुर और झारसुगुडा के बीच शाम के समय कोई लोकल रेलगाड़ी चलाने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

7575. डा० कृपासिंधु भोई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से सम्बलपुर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस मुख्यालय को किस तारीख तक सम्बलपुर स्थानान्तरित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिक्किम के लिए केन्द्रीय कराधान कानूनों
का क्रियान्वयन करना

7576. श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में केन्द्रीय कराधान कानूनों को और दस साल तक लागू न करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस मांग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के नकली प्रमाण पत्र धारी कर्मचारी

7577. डा० पी० वल्लभ पेरूमन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में जोनवार और संवर्गवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने कर्मचारी सेवा में स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ख) वर्ष 1986, 1987, 1988 और 1989 में 31 मार्च तक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में जोनवार, संवर्गवार और श्रेणीवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने कर्मचारी नकली प्रमाणपत्र धारी पाये गये और प्रत्येक मामले में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नकली प्रमाणपत्र धारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के बाद भी उस पर न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चलाना जरूरी होता है; यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में जोनवार, संवर्गवार और श्रेणीवार ऐसे कितने मामलों का पता लगा, जिनमें सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अभी तक कोई अपराधिक कार्यवाही/प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि दायर नहीं की गई और ऐसा किन कारणों से नहीं किया गया ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1986 से 31.3.1989 तक की अवधि के दौरान पता लगाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जाली मामलों की संख्या का संवर्ग-वार और अंचल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अंचल	अधिकारी संवर्ग	लिपिक संवर्ग	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		1986		
आगरा	—	1	—	चूंकि तथ्य नहीं छुपाए गए थे इसलिए उसे सामान्य वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया।
चण्डीगढ़	—	1	—	विभागीय जांच के बाद छुट्टी कर दी गई।
लखनऊ	1	—	—	विभागीय जांच चल रही है।
मद्रास	2	6	—	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने पर विभागीय जांच स्थगित करनी पड़ी।
अन्य अंचल	—	—	—	—
		1987		
मद्रास	—	1	—	—तदैव—
अन्य अंचल	—	—	—	—
		1988 और 1989 (31.3.1989 तक)		
सभी अंचल	—	—	—	—

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि उसने अब तक इन मामलों में शामिल किसी व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज नहीं कराया है।

बैंकों में पदोन्नति/स्थानान्तरण नीति के बारे में वार्ता के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि

7578. डा० पी० वल्लभ पेरुमल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पदोन्नति, स्थानान्तरण नीति इत्यादि के सम्बन्ध में मजदूर संघों से वार्ता करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक प्रतिनिधि को शामिल करने का निदेश दिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इस प्रतिनिधि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों अथवा मजदूर संघों द्वारा मनोनीत किया जायेगा;

(ग) यदि प्रतिनिधि को मजदूर संघों द्वारा मनोनीत किया जाता है तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे;

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के संपर्क अधिकारी को भी शामिल किया जा सकता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंचाट कर्मचारियों तथा अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी वार्ता में क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को शामिल कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो किसकी सिफारिश से तथा यदि नहीं, तो कितनी बार शामिल नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार सम्बन्धी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अपनी 37वां रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कर्मचारी यूनियनों के साथ पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में नए समझौते करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। समिति की यह सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई थी और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि बैंक द्वारा गठित समझौता टीम में या तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के एक सदस्य को शामिल किया जाए या उसकी अनुपस्थिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी को शामिल किया जाए।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि अवार्ड स्टाफ और अधिकारियों की पदोन्नति/स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में होने वाले समझौतों के सभी अवसरों पर बैंक द्वारा गठित समझौता टीम में वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्पर्क अधिकारी को शामिल करता है।

जाम्बिया के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करना

7579. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया सरकार ने भारतीय व्यापारियों को अपने देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उस देश में प्रारम्भ किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस देश के साथ व्यापारिक समझौतों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (ख) हाल ही में व्यापारियों के एक जाम्बियाई प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया है। उसने कुछ क्षेत्रों में भारतीय सहयोग में रुचि दिखाई है।

(ख) और (ग) सरकार को अभी तक जाम्बिया में संयुक्त उद्यम की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) दौरों का आदान-प्रदान, आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों को अभिज्ञात करना, आदि जैसे सामान्य संवर्धन उपाय किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

7580. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो वेतन में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) संशोधित वेतन का भुगतान किस तिथि से किया जायेगा; और

(घ) इस वृद्धि से देश के राजस्व पर कितना बोझ पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) दिनांक 10 अप्रैल, 1989 को बैंक प्रबन्धनों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय बैंक संघ तथा कर्मकार कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कर्मचारी यूनियनों के बीच बैंकों के एवार्ड स्टाफ के वेतन संशोधन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अन्तर्गत कर्मचारी दिनांक 1 नवंबर, 1987 से संशोधित वेतनमानों के हकदार होंगे। भारतीय बैंक संघ के अनुमानों के अनुसार, इस संशोधन से बैंकिंग उद्योग पर प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा तथा प्रति लिपिकीय कर्मचारी पर 375/- रुपए और प्रति अधीनस्थ कर्मचारी पर 230/- रुपए प्रति मास अतिरिक्त खर्च आएगा।

इटली से सहायता

7581. डा० कृपासिंधु भोई
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने भारत को ऋण और अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इटली ने किस उद्देश्य के लिए अनुदान और ऋण मंजूर किया है;

(ग) क्या सरकार ने इटली से नया ऋण मंजूर किए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कितने नए ऋण की मांग की है और यह किस प्रयोजन के लिए मांगा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1988 में इटली की सरकार के साथ 25 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के एक ऊर्जा क्षेत्र विषयक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले

तीन वर्षों में इटली की सरकार ने भारतीय परियोजनाओं के लिए इटली के उपस्करों इटली की सेवाओं के आयात के वित्तपोषण के लिए लगभग 13 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के नरम ऋणों और करीब 80 लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के अनुदानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सहमति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

1. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी.पी.आर.आई.) बंगलौर के लिए ट्रांजिएंट नेटवर्क एनेलाइजर;
2. हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच.बी.जे.) पाइप लाइन के लिए लाइन पाइप;
3. केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर के लिए शार्ट सर्किट टैस्टिंग ट्रांसफार्मर;
4. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की दक्षिण बेसीन गैस विकास परियोजना के लिए एक प्रासैस कम्पलैक्स का निर्माण;
5. राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के फरक्का सुपर थर्मल स्टेशन के लिए बायलर;
6. दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र स्विचिंग तकनीक;
7 क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, श्रीनगर में अनुरक्षण केन्द्र।

(ग) जी हां।

(घ) जिन परियोजनाओं के लिए नए ऋण मांगे जा रहे हैं उनमें ये परियोजनाएं सम्मिलित हैं, अर्थात् : केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, भोपाल में अतिरिक्त स्विचगीयर टैस्टिंग तथा विकास स्टेशन विषयक सुविधाएं; रेल-डिब्बों की सप्लाई; नेवेली लिग्नाइट निगम के लिए डबों-खनित्रों की सप्लाई; अबूध्य चमत्कृत लचीले पैकेज बन्धनों का विनिर्माण; हैदराबाद में अल्ट्रा हाई वोल्टेज सुविधाओं की व्यवस्था और बम्बई में स्वचल डाक छंटाई (सार्टिंग) केन्द्र। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए लगभग 690 लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, ऋण की सही रकम इटली सरकार की सहमति से ही तय होगी।

पंजाब को अल्पावधि ऋण

7582 श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को अल्पावधि ऋणों के अन्तर्गत आबंटन में गत कुछ वर्षों से कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन में कमी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब को आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होशियारपुर और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी

7583. श्री कमल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने होशियारपुर से दिल्ली/नई दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीधी सेवा परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाई गई है। तथापि, मई, 1989 से अमृतसर-नयी दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट सेवा चलाई जा रही है जिसमें होशियारपुर और जालन्धर सिटी के बीच लिंक सेवा होगी।

पंजाब में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

7584. श्री कमल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई बाढ़ नियन्त्रण योजना इस समय चल रही है या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पंजाब में बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें केवल राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं तथा उस राज्य में कोई केन्द्र प्रायोजित बाढ़ स्कीमें नहीं हैं।

(ग) तथापि, केन्द्र सरकार ने भारत की तरफ के नदी तट का कटाव रोकने तथा बाढ़ के व्यपवर्तन से बचाव करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों में प्रतिरक्षात्मक सुरक्षा उपाय शुरू करने के वास्ते पंजाब सरकार को निधियां प्रदान की हैं।

इस सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता (लाख रुपए में)	सहायता अनुदान (लाख रुपए में)
1986-87	250.00	—
1987-88	100.00	440.84
1988-89	225.00	58.91

पंजाब में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

7585. श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितनी परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और और (ख) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III, जिसके अन्तर्गत पंजाब सहित चार राज्यों में विशेष

करने के लिए व्यवस्था की गई है, इस समय विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 717 लाख एस०डी०आर० का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधार वचनबद्ध किया है। यह परियोजना 31 मार्च, 1994 तक पूरी हो जाने की आशा है।

देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए रेल सम्पर्क

7586. श्री श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के बाद अभी तक भी पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों को रेल लाइनों से नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य अभी रेल से नहीं जुड़े हैं।

कलकत्ता में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

7587. श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का कलकत्ता में क्षेत्रीय कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्रीय कार्यालय के बोर्ड में सिक्किम राज्य हेतु शुरू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं में इस राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए सिक्किम का कोई प्रतिविधि है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय भारतीय स्टेट बैंक के कलकत्ता स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय से है।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्डों के सदस्य, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में निहित उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार मनोनीत किए जाते हैं/निर्वाचित होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कलकत्ता स्थित स्थानीय बोर्ड के किसी भी वर्तमान सदस्य का रिहायशी पता सिक्किम में नहीं है बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समूचे क्षेत्र के हितों का, बैंक के स्थानीय बोर्ड द्वारा ध्यान रखा जाता है।

बचत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय
यूनिट ट्रस्ट की योजना

7588 डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट शीघ्र ही बचत बढ़ाने की एक योजना शुरू कर रही है जिसमें सोने के बदले "मास्टर गोल्ड यूनिट" जारी किए जाएंगे जिनको भुनाते समय एक अंश सोने का भी मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो सोना बांटने की इस नई बचत योजना की सामान्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस नई योजना पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80ठ के अन्तर्गत छूट प्राप्त की जा सके; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस नई योजना में पूंजी लगाकर काले धन को सोने में बदलने की सम्भावना से बचने के लिए कोई सावधानी बरती गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) को उनकी स्वर्ण यूनिट योजना शुरू करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है ।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्वर्ण यूनिट योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) यह स्कीम निवासी भारतीयों के लिए खुली होगी । एक अभ्यर्थी कम से कम 6,000 रुपए और अधिक से अधिक 30,000 रुपए तक का निवेश कर सकेगा ।

(ii) 6,000 रुपए के प्रत्येक निवेश के लिए, एक यूनिट धारक को 3 वर्ष के पश्चात् 10 ग्राम स्वर्ण दिया जाएगा ।

(iii) पांचवें वर्ष की अवधि पूरी होने पर, निवेशक 6,000 रुपए की न्यूनतम राशि वापस ले सकेगा ।

(ग) स्वर्ण यूनिट योजना को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एक यूनिट योजना होने के कारण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ठ के अन्तर्गत कर से रियायतें प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होगी ।

(घ) से (च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इस योजना में ही हेराफेरी अथवा दुरुपयोग से बचने के लिए संरक्षणों की व्यवस्था है ।

भारत के संविधान का हिन्दी अनुवाद

7589. डा० ए०के० पटेल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद किस तारीख को अन्तिम रूप से तैयार हो गया था;

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का इसे जनता के उपयोग के लिए कब तक जारी करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) संविधान का प्राधिकृत पाठ तारीख 23 अगस्त, 1988 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1-क में प्रकाशित हो चुका है । उसी तारीख को यह पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया गया था और जनता को विक्रय के लिए उपलब्ध करा दिया गया था ।

सिंचाई क्षमता

9590. श्री हुसैन दलवाई : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की औसत सिंचाई क्षमता निर्धारित करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र की विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य के लिए कितनी सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (घ) परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक राज्य के लिए सिंचाई क्षमता के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1987-88 तक महाराष्ट्र में 3966 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो जाने की आशा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

रेलमार्गों के विद्युतीकरण में हेलीकाप्टरों का प्रयोग

7591. डा० वी० वेंकटेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा हेलीकाप्टरों की सहायता से रेलमार्गों के विद्युतीकरण का आरम्भ किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी नहीं। यातायात को रोके बिना मस्तूल निर्माण की व्यावहारिकता सिद्ध करने के लिए हेलीकाप्टरों के इस्तेमाल से किये गये सीमित परीक्षण सफल सिद्ध हुए हैं। लागत से प्राप्त होने वाले लाभ के विस्तृत विश्लेषणों के लिए और परीक्षण किये जाने आवश्यक समझे गये थे। देश में उपयुक्त क्षमता वाले हेलीकाप्टर उपलब्ध होने पर आगे और परीक्षण किये जायेंगे।

प्रतिभूति के सार्वजनिक निर्गम का उत्तरदायित्व लेना

7592. डा० वी० वेंकटेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रतिभूति के सार्वजनिक निर्गमों दिशानिर्देशों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दलालों के विचार आमन्त्रित किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) स्टाक एक्सचेंजों, चुने हुए वाणिज्यिक बैंकरों, और भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड आदि से विचार मांगे गए हैं।

प्रेस कर्मचारियों के लिए अन्तर्विभागीय समिति का गठन

7593. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकारी प्रेस कर्मचारियों के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों तथा विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति में एक अध्यक्ष, तीन सदस्य और एक सदस्य-सचिव थे। समिति के विचारार्थ विषय थे—(i) विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्रेसों में विभिन्न कार्यों का पुनर्वर्गीकरण तथा उनके पारिश्रमिक पर मोटे तौर पर चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कीम के अनुसार विचार करना; और (ii) पदोन्नति चैनलों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों सहित इस विषय के सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करना ताकि विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत कार्यरत मुद्रण कर्मचारियों के वर्गीकरण और वेतनमानों में एकरूपता रहे।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

मिर्च का निर्यात

7594. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मिर्च की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मिर्च का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत से मिर्च के मुक्तरूप से निर्यात की अनुमति है।

(ग) मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए प्रचार कार्यक्रमों, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आयोजन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता जैसे उपायों में मिर्च को भी भारत से निर्यात हेतु उपलब्ध मसालों में शामिल किया गया था।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मेरा बहुत ही उचित मुद्दा है। महिलाओं पर अत्याचारों में हर रोज वृद्धि हो रही है। चार हरिजन महिलाओं के साथ हाथापाई की गई है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : पिछली बार माननीय अध्यक्ष ने हमें कहा था कि वह इस पर एक चर्चा की अनुमति देंगे। जयललिता के साथ विधानसभा के अन्दर हाथापाई की गई।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : जी हां, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है।

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा चार हरिजन महिलाओं के साथ हाथापाई की गई है। बिहार, उड़ीसा और असम····

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। महिलाओं पर अत्याचार के आप द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हम पहले ही कार्यमन्त्रणा समिति में चर्चा कर चुके हैं। इसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि हम नियम 193 के अन्तर्गत शीघ्र ही इस पर चर्चा करेंगे।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : महोदय, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने सभा को विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। यह काफी बड़ी रिपोर्ट है और इसमें शहरीकरण से सम्बन्धित अनेक मामलों के बारे में कहा गया है। इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह शहरीकरण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, केरल से अनेक सदस्यों ने इस मसले को अनेक बार इस सभा में उठाया है। जब केरल में आइलैंड एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना हुई तब रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट सभापटल पर नहीं रखी गई है लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ अंश समाचारपत्रों में छप रहे हैं। निःसन्देह वह नागर विमानन मन्त्रालय के अधीन है, आप रेल मन्त्रालय को निदेश दे सकते हैं कि इसे सभापटल पर रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस पर कार्यवाही कर चुके हैं। हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : पंजाब के राज्यपाल ने कहा है कि श्री प्रकाश सिंह बादल का रिहा करने से शांति को कोई खतरा नहीं है। श्री प्रकाश सिंह बादल एक माने हुए राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। राज्यपाल कहते है कि यदि उन्हें रिहा किया जाता है तो इससे शांति को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें खालिस्तान के बारे में अपना मत स्पष्ट करना होगा। वर्ष 1922 से आज तक किसी भी अकाली नेता ने खालिस्तान की मांग नहीं की है। श्री प्रकाशसिंह बादल पर कुछ शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं? यह अन्याय है। सरकार को उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए। सभा मेरे इस मत से सहमत होगी कि ऐसे महान देशभक्त पर ऐसी शर्तें लगाना अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं से मंत्री महोदय को अवगत करा दिया जाएगा और हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह मामला सभा में अनेक बार उठाया गया है और इसे सभा का एकमत समर्थन मिला था। अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के कार्यकर्ता 16 अगस्त, 1988 से संघ लोक सेवा आयोग के सम्मुख धरना दे रहे हैं। वे संविधान में निहित अन्य भारतीय भाषाओं के लिए समान अधिकार और सम्मान की मांग कर रहे हैं। वे आज से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं पता लगाऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने भी इसका समर्थन किया था। मैं आशा करता हूं कि आप मन्त्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वह उनसे सम्पर्क करें। आमरण अनशन एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दें। मैं इसे मन्त्री महोदय के पास भेज दूंगा और तथ्यों का पता लगाऊंगा।

डा० वत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैंने चर्चा के लिए अनेक नोटिस दिए हैं। कर्नाटक में हाल की घटनाओं के कारण····

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लिखित में दीजिए। मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

डा० वत्ता सामन्त : हाल की घटनाओं के बाद अब कर्नाटक इस सरकार के अन्तर्गत है और यह हमेशा ही कहा जाता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कल भी यही मुद्दा उठाया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कल भी यही मुद्दा उठाया था। हम इस पर विचार करेंगे।

डा० वत्ता सामन्त : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अब सही समय आ गया है जबकि हम दोनों राज्यों के बीच वार्ता करके मामले को हल कर सकते हैं। यह मसला हल नहीं हुआ है। सरकार ने महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। मामला अभी भी विचाराधीन है और हल करना सरकार का दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस मसले को उठाया है, यही काफी है। वे आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इसी मुद्दे को दुबारा न उठाए।

डा० वत्ता सामन्त : उन्हें अन्तर्राज्य परिषद गठित करने के बारे में राय जाननी चाहिए। कम से कम इस पर सभा में तो चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा। यदि समय रहा तो मैं अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, उड़ीसा और देश के अन्य भागों में पेयजल की अनुपलब्धता की गंभीर समस्या है। यह गंभीर मामला है और इस पर सभा में चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर हम 4 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में चर्चा कर रहे हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (इडुक्की) : मैंने कल माननीय अध्यक्ष महोदय को एक नोटिस दिया था और उन्होंने यहां पर कहा भी था कि वह इस पर विचार कर रहे हैं। माननीय मन्त्री ने भी इसका उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यही मुद्दा पुनः क्यों कह रहे हैं ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैंने एक नोटिस दिया है, मैं यही कह रहा हूं। मुद्दा यह है कि रेल मन्त्री ने कहा है कि रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते ने भी यह मामला उठाया है। इस बारे में तथ्य प्राप्त करने के लिए हम पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं। आप द्वारा उठाये गए मुद्दे को पहले ही मन्त्रालय के पास भेज दिया गया है और हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिंदी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : श्री सैफुद्दीन चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है, और आपने कहा है कि लिखकर दीजिए, आपसे निवेदन है कि यह बात मैंने परसों उठाई थी और स्पीकर साहब ने भी अपनी बेचैनी प्रकट की थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल एक विशेष मुद्दा उठाया था लेकिन आप तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : आज से उस सिलसिले में इन-डैफिनिट हड़ताल चल रही है, सारे देश में आज से वह आन्दोलन शुरू कर रहे हैं, मूल हड़ताल पर जा रहे हैं, आप बीच में हस्तक्षेप करें, सरकार से बातचीत करें।

प्रो० मधु दण्डवते : जो यह कह रहे हैं, ठीक है।

श्री बालकवि बैरागी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको इस प्रकार टालने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, नेपाल में भारतीय मूल के लोगों को अत्यधिक परेशान किया जा रहा है। यह अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है और मेरा निवेदन है कि इस मामले पर यथाशीघ्र सभा में चर्चा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव ने पहले ही विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के उत्तर में इन मुद्दों का उल्लेख किया है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरा निवेदन है कि इस विषय पर इस सभा में वाद-विवाद हो। यह अत्यन्त गंभीर विषय है।

12.07 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (सचिव की शक्तियां और कर्तव्य) नियम, 1988

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं इस औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (सचिव की शक्तियां और कर्तव्य) नियम,

1988, जो 18 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 463 (अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० 7810/89]

भारतीय विदेशी निर्यात परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (1) मैं (एक) भारतीय विदेशी निर्यात परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेशी निर्यात परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7811/89]

12.07½ म० प०

प्राक्कलन समिति

73वां, 74वां, 82वां और 83वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री आशुतोष लाहा (बमबम) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय—आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 82वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही-सारांश।

(2) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय—फिल्म प्रभाग के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 83वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(3) पर्यावरण और वन मन्त्रालय—वायु तथा जल प्रदूषण-निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 61वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 73वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पर्यावरण और वन मन्त्रालय—गंगा परियोजना निदेशालय-गंगा कार्य योजना के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 62वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 74वां प्रतिवेदन।

12.8 म०प०

लोक लेखा समिति

158वां, 163वां, 167वां 168वां और 169वां प्रतिवेदन

श्री आर०एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सिलिकान सुविधा के बारे में एक सौ अठावनवां प्रतिवेदन।

(2) अनुसन्धान रिएक्टर "ध्रुव" के बारे में एक सौ तिरेसठवां प्रतिवेदन।

(3) "उर्वरकों के आयात और वितरण" के बारे में एक सौ सड़सठवां प्रतिवेदन।

(4) शस्त्र प्रणाली एवम के विकास के बारे में एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन।

(5) भारी पानी संयंत्र तुतिकोरिन के बारे में एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

12.08½ म०प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से चौबीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.08¾ म०प०

पूर्व रेलवे के हावड़ा-कटवा सेक्शन के सुधार के बारे में याचिका

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं पूर्व रेलवे के हावड़ा-कटवा सैक्शन के सुधार के बारे में श्री सिबु मुखर्जी, सचिव, हावड़ा-कटवा सबर्बन पैसेन्जर्स एसोसिएशन कालियागढ़ (पश्चिम बंगाल) तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करना हूं कि इस सदन में 2 मई, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्य किया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित किया जाना :—

क. संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, 1989।

ख. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1989।

ग. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में रेल विधेयक, 1986।

(3) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

क. वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)

ख. वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

(4) चण्डीगढ़ विक्रय क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1989 पर चर्चा एवं पारित किया जाना।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुरैना जिला नदियों से घिरा हुआ है। यहां पर अनेकानेक नदियां बहती हैं—जैसे चम्बल, कुवारी, आसन, सांक, वेसुली, पार्वती, काली व अन्य नदियां बह रही हैं। इन नदियों के बहाव से लाखों हेक्टर जमीन कटाव में आ चुकी है तथा इस क्षेत्र की जनता को आवागमन की भी सुविधा नहीं है। पुल या रपटा अभी तक नहीं बनाये गये हैं। इसी कारण किसानों का गल्ला मंडी तक नहीं आ पाता है तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी आवागमन नहीं खुला है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त नदियों के पुल या रपटा बनाये जाएं। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को आदेशित किया जाये तथा केन्द्रीय सरकार इन पुलों के बनाने हेतु तत्काल धनराशि देने की कृपा करे।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

भारत सरकार को एन० सी० टी०—I के नाम से विदित चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विद्यालयों के अध्यापकों की परिलब्धियों और पदों में अन्य सुधारों और वेतनमानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए भी एन० सी० टी०—II द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा लागू किए गए वेतनमानों सहित इन परिलब्धियों को शुरू करने के लिए उन विभिन्न राज्यों तथा विश्वविद्यालयों, जिन्होंने अभी तक इन्हें क्रियान्वित नहीं किया है, को राजी करने की पहल करनी चाहिए।

अध्यापकों में फैले रोष, नाराजगी और तनाव को देखते हुए यह अति आवश्यक है।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें :

केन्द्रीय पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने जनवरी, 1989 में भारत-अमरीका सहयोग के अन्तर्गत संरक्षण और प्रबन्ध के लिये उड़ीसा राज्य में भितरकनिका-कुकुंगा संगत परिस्थितिकी प्रणाली सहित परिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 भिन्न-भिन्न स्थानों का पता लगाया है जो परिस्थितिकी

प्रणाली को बनाए रखने में बहुत सहायक होंगे। किन्तु मंत्रालय उनके शीघ्र विभ्याकरण के लिए कार्यवाहीं नहीं कर रहा है जिसके कारण हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हो रहा है।

उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में कोआपरेटिव सोसाइटियों को सरकार द्वारा अपर्याप्त और कम मात्रा में लाभ कमाने की अनुमति दिए जाने के कारण उर्वरक व्यापार में भारी घाटा हो रहा है और नियंत्रित कपड़े के बिक्री मूल्य में असामान्य वृद्धि से कुल बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा समाज के कमजोर वर्गों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला) । उपाध्यक्ष महोदय, जब से वन संरक्षण अधिनियम 1980 बना है, तब से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में एक बड़ी बाधा आ गई है। इनके क्षेत्रों में पहले से चल रहे विकास कार्यों से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सड़क, पुल, बांध, स्टापडैम, तालाब, नहरें, विद्युत प्रदाय जैसे आवश्यक विकास कार्य जहां के तहां ठप्प पड़ गये हैं। इन पर शासन द्वारा अरबों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सब के सब व्यर्थ हो गए हैं। इन क्षेत्रों का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय हो गया है।

अतः उपरोक्त अधिनियम को वहां जंगलों की अवैध कटाई को रोकने के लिए अधिक से अधिक कड़ा बनाने की जरूरत है वहां दूसरी ओर इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए उसे लचीला भी बनाना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये :

कृत्रिम तंतुओं और धागे से सम्बन्धित मूल्य निगरानी समिति को प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए और उत्पादकों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली मूल्य वृद्धि की निरन्तर निगरानी करनी चाहिए। जैसा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है उत्पादन शुल्क में 241 करोड़ रुपये की दी गई रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। इसके बजाय मजबूत तंतुओं के सूत धागे का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि विद्युत चालित करघों का उपयोग करने वाले उत्पादक मजबूत तंतुओं के धागे से बने हुए अपने उत्पादों को बेचने में असमर्थ हैं। मजबूत तंतुओं के धागे से विद्युत चालित करघों कपड़ा बुनने वाले बहुत से उत्पादकों ने कपड़ा बुनना बन्द कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को कृत्रिम तन्तु और धागा उत्पादकों द्वारा निर्धारित किये गये अत्यधिक मूल्य को नियन्त्रित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय का समावेश करवाना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान किश्त काफी समय पूर्व देय हो चुकी है। इस किस्त के भुगतान में हो रहे विलम्ब के प्रति उनमें असन्तोष पैदा हो रहा है।

अतः इस किस्त के तत्काल भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : संविधान द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक क्षेत्र में हो सके। परन्तु खेद है कि आरक्षण का प्रतिशत बहुत ही कम है और चालीस वर्ष की आजादी के बाद भी दलितों को संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि सरकार बराबर प्रयत्नशील है।

अभी हाल में सरकार ने इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की नियुक्ति में अनारक्षित न करने की घोषणा की है, परन्तु पदोन्नति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जबकि पदोन्नति में ही अधिकांश पद अनारक्षित किये जाते हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह सभी विभागों में आरक्षण सुनिश्चित करे।

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : प्रतिवर्ष अप्रैल से जून माह के बीच ग्रामों में भीषण अग्निकांड पिछले कई वर्षों से बराबर हुआ करता है जिससे गरीब किसान एकाएक तबाह हो जाता है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अहंतुक सहायता काफी कम होती है जिसके प्रभावित किसान, मजदूर न तो अपने घर का निर्माण करा पाता है, न कपड़ों राशन का प्रबन्ध। आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार इस सिलसिले में अग्निकांड से प्रभावित किसानों को वास्तविक क्षति की सहायता देने का बिल प्रस्तुत करे व आवश्यक प्रावधान करे।

[अनुवाद]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलिलाबाद) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये :

सन्त कबीर इस देश के एक महान सन्त थे, जिनका साम्प्रदायिक और अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों, जो कि उन दिनों साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भारी बाधायें थी, के विरुद्ध लड़ने के कारण समाज के सभी वर्ग सम्मान करते हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र खलिलाबाद (जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश) में मघर में सन्त कबीर की समाधी स्थल है। संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार ने उस स्थल के विकास और सुन्दरता के लिए जो उससे बन पड़ा थोड़ा बहुत कार्य किया है।

मैं माननीय पर्यटन मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे मघर में सन्त कबीर के समाधी स्थल को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : भारत की आजादी के 42 वर्ष बाद भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मल अपने सर पर उठाये चला जाता है। ऐसा किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मुख्य कारण प्राय: नगरों में सीवर व्यवस्था का न होना है। मेरा संसदीय क्षेत्र टोंक तथा उसमें आने वाले अन्य कस्बों में भी यही हालत है। सीवर की व्यवस्था न होने के कारण शहर का सारा कूड़ा कचरा व मल सड़कों पर एवम् नालियों में बिखरा रहता है। जिससे पूरा शहर गन्दगी एवम् दुर्गंध से भरा रहता है। इसी कारण से प्राय: महामारी फैलने का अंदेशा सदैव रहता है।

अत: मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि मल सर पर उठाने की प्रथा को तुरन्त समाप्त किया जाये। यह तभी सम्भव होगा जब छोटे बड़े शहरों में सीवर की व्यवस्था कर दी जाये। अत: सभी

प्रान्तीय सरकारों को सीधर की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय कोष से अथवा हुडको द्वारा वित्तीय सहायता दिलाई जाये ।

[अनुवाद]

श्री एच. के. एल. भगत : मैं माननीय सदस्यों द्वारा किये गये इन निवेदनों को कार्यमंत्रणा समिति के ध्यान में ला दूंगा ।

12.20 म०प०

वित्त विधेयक, 1989

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा 27 अप्रैल 1989 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि वित्तीय वर्ष 1989 90 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

हमारे पास सीमित समय है । अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें । अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन भाषण देंगे । मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और अभी तो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । बजट जो प्रस्तुत किया गया है वह 7,460 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है, लेकिन फिर भी संतुलित बजट है । कितना भी प्रयास किया जाए घाटे के बजट के बिना काम नहीं चल सकता है । यदि हम हमारी योजनाओं में कमी करें तो वह हम किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते । टेक्सेज सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच चुका है और हम टैक्स लगाने की स्थिति में भी नहीं है । यदि हम कमी कर सकते हैं तो प्रशासन के व्यय में कमी कर सकते हैं । उसमें कमी करने का प्रयास केन्द्रीय सरकार ने किया है । हम चाहते हैं कि उसमें और कमी की जाए, क्योंकि जिस प्रकार प्रशासन में चोपों का दुरुपयोग हो रहा है, कारों का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें कमी की जा सकती है और उसमें कमी करने का प्रयास करना चाहिए । इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने 123 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में बहुत ही रियायत देने का जो निणय लिया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं । परन्तु एक निर्णय लेने की बहुत आवश्यकता है और वह यह है कि मध्यम श्रेणी के लोगों की मांग है कि 18 हजार की जो इनकम टैक्स एग्जैम्पशन की लिमिट है, उसको बढ़ाकर 25 हजार कर दिया जाए । क्योंकि स्थिति यह है कि कीमतों में वृद्धि होने के कारण और रुपए के अवमूल्यन के कारण अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि हम 25 हजार रुपए का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दें । इस सम्बन्ध में हमारे दूसरे मित्रों ने भी यह राय प्रकट की है और मैं भी उनकी इस राय का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में आपको ठोस कदम उठाने चाहिए ।

गत साल केन्द्रीय सरकार ने फैमिन का मुकाबला करने के लिए, सूखे का मुकाबला करने के लिए जो ठोस कदम उठाए, वह वास्तव में सराहनीय कदम हैं । गत साल इस शताब्दी का भयंकर अकाल था और राजस्थान में सबसे भयंकर सूखा था । राजस्थान में भी सबसे भयंकर सूखा मेरे क्षेत्र

में बाड़मेर, जैसलमेर में और जोधपुर जिले में था। विशेषतौर से केन्द्रीय सरकार द्वारा मदद देने के कारण हमारे यहां के पशु भी बच गए और लोगों को बहुत ही राहत मिली। यहां तक कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सिंचाई के कुंवें भी हारे हमारे निर्माण हुए। हमारे यहां पीने के पानी की समस्या को भी हल किया गया। हम विकास की ओर बढ़े और प्रगति की ओर बढ़े। परन्तु इस वर्ष भी मेरे क्षेत्र में भयंकर सूखा है। पहले वर्ष के बाद फिर भयंकर से भयंकर सूखा हो गया है। राजस्थान सरकार ने इस सूखे का मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राजस्थान सरकार ने 20 फरवरी, 1988 को केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने अध्ययन दल नहीं भेजा है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार अध्ययन दल भेजे और केन्द्रीय सरकार अध्ययन दल भेजने से पहले यह निश्चित करे कि हमें अन्तरिम सहायता दी जाए। यदि अन्तरिम सहायता नहीं मिली तो राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी। पहले साल भी उन्होंने 208 करोड़ रुपए खर्च किया है फैमिन पर और केन्द्रीय सरकार से उनको 58 करोड़ रुपये नवम्बर, 88 से लेकर मार्च, 89 तक के ड्यू हैं। वे भी केन्द्र सरकार ने नहीं दिये हैं। राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इस फैमिन का मुकाबला कर सके और जो मार्जिन मनी फिक्सड है, वह मार्जिन मनी बहुत ही कम है। 16 75 करोड़ रुपये की जो मार्जिन मनी है, उससे इस भयंकर अकाल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये किया जाए। इसके अलावा अन्तरिम रिलीफ देने की भी आवश्यकता है और 100 करोड़ रुपये इसमें दिये जाएं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 100 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दी जाए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मई और जून, सबसे संकट का समय हमारे लिए होता है और उसके अन्दर एक-एक लाख मजदूर लगाने की आवश्यकता होती है। अगर आपने एक लाख मजदूर काम पर नहीं लगाए, तो भुखमरी की स्थिति वहां पर हो जाएगी। अभी केन्द्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और राजस्थान की सरकार मदद देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, बीमारी पैदा हो जाएगी और पीने के पानी का संकट पैदा होगा। जब इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और बीमार होकर लोग मरने लगेंगे, तब जा कर अगर आप कदम उठाएंगे, तो यह सही बात नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि अभी से इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठा कर हमारी मदद की जाए। राजस्थान में 35 हजार गांव हैं, जिनमें से 4,506 गांव अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वे मेरे क्षेत्र में हैं। पीने के पानी के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और उसमें इसके लिए 54 करोड़ रुपये मांगे गये हैं और फैमिन के बारे में जो मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया है, उसके लिए 168 करोड़ रुपये मांगे हैं। ये जो दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, इसके बारे में ठोस कदम उठाए जाएं।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो गाडगिल फार्मूला है, उस फार्मूले के अन्दर जनसंख्या पर विशेष जोर दिया गया है और क्षेत्रफल पर जोर नहीं दिया गया है। मेरे खुद का बाड़मेर का पार्लियामेंटरी क्षेत्र पंजाब प्रदेश के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत ज्यादा है। गाडगिल फार्मूले में क्षेत्रफल को दृष्टि में नहीं रखा गया है और जब तक इसको दृष्टि में नहीं रखेंगे, तब तक राजस्थान सरकार को मदद नहीं मिल सकेगी, रेगिस्तानी क्षेत्र को मदद नहीं मिल सकेगी। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि क्षेत्रफल को दृष्टि में रखकर पूर्ण मदद की जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता की दृष्टि से हमारा राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है और बाड़मेर जिले में केवल 12 परसेन्ट साक्षरता है और महिलाओं की 3 परसेन्ट साक्षरता है और जैसलमेर में 16 परसेन्ट साक्षर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बना है, उसके अन्तर्गत हमें कुछ मदद मिल रही है। पहले साल मदद मिली थी लेकिन हमारे क्षेत्र की मांग बहुत ज्यादा है। हमारे यहां के लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए जितने प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, उनसे हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जो गत साल गया है, उसमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है हालांकि प्राइमरी स्कूल कुछ में सैंक्शन हुए हैं। कांस्टीट्यूशन की आर्टीकिल 45 में कम्पलसरी एजूकेशन के लिए जोर दिया गया है लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था जरूर की जाए। एजूकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाएं और जो पढ़ना चाहते है उनके लिए बाड़मेर में 300 प्राइमरी स्कूलों की और जैसलमेर में 150 प्राइमरी स्कूलों की मांग है। हमारी यह भी मांग है कि हर पंचायत में एक मिडिल स्कूल खोला जाए और स्कूलों के टीचरों के लिए जो क्वार्टर्स की मांग है, उसकी पूर्ति की जाए।

साथ ही साथ डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने प्लानिंग की कन्सलटेटिव कमेटी में आश्वासन दिया था और इसके लिए योजना में 245 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है परन्तु 166 करोड़ रुपये ही रिलीज किये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर जो राशि दी गई है, वह भी पूरी खर्च नहीं हुई है और प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्ट्री इसमें रुकावट डाल रही हैं। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर एनीमल हस्बैण्डरी का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है, एक्सप्लोरेशन ऑफ टयूबवैल्स का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है, पावर का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है तो इन प्रोग्रामों को हम करटेल करें और उन को प्रायोरिटी नहीं दें तो यह हमारे लिए उचित नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और उसके अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दो बार निवेदन किया है लेकिन अभी तक सौ करोड़ रुपये की इण्टरिम रिलीफ राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से नहीं मिली है इसलिए हमें मदद दी जाय और स्टडी टीम वहां भेजी जाय। इसमें तुरन्त स्टैप उठाये जायें, कदम उठाये जायें, यही मेरी विशेष तौर से मांग है।

इसी बात को लेकर मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार से बढ़कर और कोई विकट समस्या नहीं है। हमारी जनता का कोई भाग ग्रामीण गरीबों से ज्यादा सुविधाहीन नहीं है। हमारी जनता का कोई तबका ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं विशेषकर भूमिहीन महिलाओं से ज्यादा जरूरतमन्द नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू से ही हमने यह बात सीखी थी कि गरीबी दूर करने के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू से ही हमने सीखा कि ग्रामीण भारत की

बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है।

इसलिए, हमारे आधुनिक राष्ट्र के आदि-निर्माता के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि उनके जन्म-शताब्दी समारोहों को ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के प्रति समर्पित करें।

अध्यक्ष महोदय, हम आज जवाहर रोजगार योजना शुरू करने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण पंचायतों के हाथों में पर्याप्त धनराशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में, जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं चला सकें। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश भर की 55 प्रतिशत ग्राम-पंचायतों तक ही पहुंचे हैं। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना है।

इसका 80 प्रतिशत कार्यक्रम केन्द्र की वित्तीय सहायता से चलाया जाएगा। इसके संचालन के प्रथम वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में ही इस कार्यक्रम के लिए 21.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। हम इस प्रकार का वित्तीय ढांचा बना रहे हैं जिससे राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की जाएगी। यह धनराशि आगे जिलों को सौंपी जाएगी, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा, जैसे जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर। भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली तथा द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हमें उम्मीद है कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 80,000/- रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। हम यह आशा करते हैं कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से लेकर सौ दिनों तक का रोजगार दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि खानाबदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इससे जितना रोजगार पैदा होगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने से, लोगों को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे। अब तक, ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और बिचौलियों पर खर्च हुई है। अन्य भी काफी अपव्यय हुआ है। इसके अलावा, प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।

पंचायतों को वित्त-व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से, हम आशा करते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम पर ही खर्च की जायेगी।

हम यह आशा भी करते हैं कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिए कितनी रकम उपलब्ध है और कौन-कौन सी योजनाओं पर यह रकम खर्च की जाएगी। वह यह भी जानकारी रखेगा कि इन योजनाओं पर कौन-कौन उसके गांव वाले काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने

वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि वह कितना पारिश्रमिक ले रहा है और अन्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे यह भी मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का काम दिया जा रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है या वंचित रखा जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सम्भवतः मांग कर सकेंगे, बल्कि उनके हाथ में मत का वह आखिरी हथियार भी होगा जिससे वे उस पंच या सरपंच को उसके पद से हटा भी सकें, जो उसे सौंपी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करता है। लोकतन्त्र गांव वाले के दरवाजे पर ही, जहां वह रहता है और काम खोजता है, कल्याणकारी राज्य को लाने का अवसर सुदृढ़ करेगा।

क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :—

"पंचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिएं। हम अब केवल शीर्ष स्तर से ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों को मिलकर संगठित करना है और इन महान कार्यों में उन लोगों को हिस्सेदार एव साझीदार बनाना है।"

पंडित जी ने हमको यह बात याद रखने के लिए जोर दिया था कि :

'हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं, को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होने चाहिएं।"

उन्होंने आगे कहा था :

"बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और यह हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर सकते ···। परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं कार्य की गारंटी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार है और हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझता।"

यही हमारा अब भी आखिरी लक्ष्य है। फिलहाल, हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ हम अपने संसाधनों से कर सकते हैं। सभी मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिये गये हैं। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत के 440 लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य है कि इनमें से प्रत्येक परिवार इसका लाभ उठायें। हमारा उद्देश्य इन परिवारों की कठिनाइयों में कुछ कमी लाने का है। खास कर हमारा लक्ष्य इन परिवारों की महिलाओं की कठिनाई में कमी लाने का है, जिन्होंने सदियों से अपने असीम साहस और सहनशीलता से उसका सामना किया है। हमारा लक्ष्य इन महान उद्देश्यों को पंचायतों की उत्तम संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने का है।

महोदय, जवाहरलाल नेहरू, जो एक महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे, के नाम पर हम अपने आपको बेरोजगारी का अभिशाप मिटाने, गरीबी का कलंक हटाने, महिलाओं के प्रति भेद-भाव समाप्त करने और अपने सभी देशवासियों को पूर्ण एवं समृद्ध जीवन निर्वाह करने में सुअवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुनः समर्पित करते हैं। धन्यवाद। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.40 म०प०

वित्त विधेयक 1989—जारी

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं वित्त विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष का बजट गरीबों और जनता का समर्थक बजट है। इस बजट को अन्तिम चरण में चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष केवल तीन मांगों पर चर्चा हो सकी। इसका दोष विपक्ष पर किया जाए क्योंकि वे महत्वहीन और तुच्छ मामलों की चर्चा पर जमे रहे। उन्होंने कम महत्व के उन मामलों के लिये सम्मानित सभा का कीमती समय बर्बाद किया जिन्हें बजट सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उठाया जा सकता था। इसके कारण ही अनेक महत्वपूर्ण मन्त्रालयों, उनके कार्यों, उनके बजटों आदि पर चर्चा न हो सकी। इसलिये अब समय है कि ग्रेट ब्रिटेन की तरह हमें समितियों के माध्यम से बजट की जांच तथा विभिन्न मन्त्रालयों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में मुख्य रूप से बल बेरोजगारी का मुकाबला करने पर दिया गया। वास्तव में बेरोजगारी राष्ट्र की एक नम्बर की दुश्मन है। यह सबसे बड़ी समस्या है जो केवल ग्रामीण गरीबों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों में भी है।

12.42 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं वित्त मन्त्री को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कल उन्होंने वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए कुछ रियायतों की घोषणा की है। उत्पाद और सीमा शुल्क में 124 करोड़ रुपये की रियायतों की घोषणा की गई थी। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार जनता की टिप्पणियों, सुझावों और आलोचना के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है।

वित्त मन्त्री ने बजट भाषण में एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० के एकीकरण का उल्लेख किया गया है। इन दोनों योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया है जिसका विवरण किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं प्रधानमन्त्री ने स्वयं दिया है। इससे ग्रामीण बेरोजगारी का काफी हद तक सामना किया जायेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण देश के गरीब लोगों को सहायता और राहत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री को इन योजनाओं के एकीकरण के बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने चाहिएं क्योंकि राज्य सरकारों और जिला एजेंसियों के पास विवरण उपलब्ध नहीं है। हाल ही में उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में डी०आर०डी०ए० की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मैंने देखा कि आगामी वर्ष के लिए संगठन के बजट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। हमने केन्द्रीय सहायता की प्रत्याशा में एक अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया क्योंकि अभी तक केन्द्रीय सहायता के आधार दिखाई नहीं दिये हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यदि ऐसे संकेत पहले से दिखाई नहीं देंगे तो जिला स्तर पर आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने में कठिनाई होगी।

विगत वर्ष अर्थव्यवस्था ठीक रही, इसके इस वर्ष भी ठीक रहने की आशा है। वित्त मन्त्री महोदय को विश्वास है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करके सन्तोषजनक ढंग से घाटा पूरा किया जायेगा।

यद्यपि निर्यात में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, उनमें 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु व्यापार घाटा बढ़ गया है। यह चिंताजनक बात है। मुद्रास्फीति की दर 6.3 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष यह 10 प्रतिशत थी। यह बहुत अच्छे आसार हैं परन्तु साथ ही अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के लिये कड़े उपाय किये जाने चाहिएं।

मेरे दिमाग में एक दिलचस्प बात आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में जब मैगस्थनीज भारत आया तो उस समय चाणक्य या कौटिल्य वित्त मन्त्री के पद पर थे। जब मैगस्थनीज उनसे शिष्टाचार से मिलने गए तो उनके कमरे में दो मोमबत्तियां थीं। उन्होंने उस समय जो मोमबत्ती जल रही थी उसे बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जला दी। इससे मैगस्थनीज को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा उन्होंने ऐसा क्यों किया। कौटिल्य ने कहा, जब तक मैं राज्य का कार्य कर रहा था, यह राज्य की मोमबत्ती जल रही थी। परन्तु अब आप मेरे पास व्यक्तिगत अतिथि के रूप में आये हैं और यह मेरा व्यक्तिगत मामला है इसलिये मुझे राज्य की सम्पत्ति बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।" देखिये उस समय क्या स्तर था और आज क्या स्तर है। आज हर जगह अधिकारी तन्त्र सरकारी सम्पत्ति, सरकारी कारों तथा अन्य वस्तुओं का खुलेआम बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहा है। आप जानते हैं कि आज ये चीजें कितनी महंगी हैं। अधिकारी अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को स्कूलों तथा बाजारों में भेज रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक कॉन्वेंट स्कूल है। रोजाना सुबह जब मैं टहलने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सरकारी वाहन अधिकारियों के बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक जगह कारों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अर्थव्यवस्था की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं?

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बुरी तरह से बढ़ रहा है। यह अधिकारी तन्त्र में भी बढ़ रहा है। यह लोकतन्त्र का दूसरा बड़ा दुश्मन है और इसे प्रभावी ढंग से समाप्त किया जाए।

दूसरी बात मैं वेतन वृद्धि के बारे में कहना चाहता हूं। हर जगह भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग में या सरकारी उपक्रमों में वेतन वृद्धि की गई है। मैं वेतन वृद्धि का विरोध नहीं करता परन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाए कि सामान्य अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार, विशेष रूप से वित्त मन्त्री को स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। अब केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का न्यूनतम मासिक वेतन 1000 रुपये से अधिक है। इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की न्यूनतम वार्षिक आय 12000 रुपये है। परन्तु अनेक मध्यम श्रेणी के किसानों तथा सम्पन्न किसानों की उनके कृषि व्यय के अतिरिक्त वार्षिक आय क्या है? अतः, इस असंतुलन की तरफ ध्यान दीजिए जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। उन लोगों के लिये हमारे पास कोई जवाब नहीं है। यह बड़ी गम्भीर बात है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए कि हम उनके कृषि उत्पादों के लिये कितना लाभकारी मूल्य निर्धारित कर सकते हैं तथा उन्हें कितने अन्य लाभ दे सकते हैं।

मैं आवास और बिजली की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने इन समस्याओं के बारे में पहले ही सुझाव दिये हैं। जहां तक अप्रवासी भारतीयों का सम्बन्ध है, उनके पास धन है तथा उनका बैंकों में धन जमा है। मेरा यह भी विचार है कि इसके साथ-साथ काला धन बाहर निकाला जाना चाहिए। वित्त मन्त्री को कुछ रियायतें देनी चाहिएं ताकि काला धन बाहर आ सके

और इस धन का इस उपयोगी क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सके महोदय, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र अर्थात आवास निर्माण में उन लोगों के सामने विकट समस्या है जो भूमिहीन तथा निराश्रय हैं इसके अतिरिक्त ऊर्जा की भी समस्या है जो उन्नति और समृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है, देश के अनेक भागों में बिजली की भारी कमी है। देश के विभिन्न भागों में पीने के पानी की सप्लाई की भी गम्भीर समस्या है। विगत अक्टूबर से विशेष रूप से उड़ीसा के सभी, जिलों में वर्षा न होने के कारण पानी की अत्यधिक कमी है। ऐसा केवल उड़ीसा में ही नहीं है बल्कि अन्य बहुत से राज्यों में भी पानी की अत्यधिक कमी है, यह बात अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान कही है तथा इसे नियम 377 के अधीन मामलों के माध्यम से भी उठाया गया है। सरकार की यह नहीं सोचना चाहिए कि यह राज्य की समस्या है। पीने के पानी की सप्लाई की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को, विशेषत: वित्त मन्त्री को शीघ्रता से निर्णय करना चाहिए तथा ट्यूबवैलों को गहरा करने तथा नये ट्यूबवैल लगाने के लिये कुछ धनराशि आवंटित करनी चाहिए ताकि देश में हर जगह लोगों को पीने का पानी मिल सके।

जहां तक कृषि और सिंचाई का सम्बन्ध है, इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों, जिनकी राष्ट्रीय आय बहुत कम है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्त में···

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित मत कीजिए।

(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला (पौन्नानी) : महोदय, मैं प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित 'जवाहर रोजगार योजना' का स्वागत करता हूं। यह व्यापक योजना बेरोजगारी और गरीबी की अतिविशाल योजना से निपटने के लिए है यह बेरोजगारी को नियंत्रित करने वाली योजना है मैं योजना की सफलता की कामना करता हूं। उससे हमें अपनी सफलता का अहसास होगा। अत: वित्त मन्त्री जी ने कई रियायतों और उत्पाद शुल्कों की घोषणा करके अच्छा कार्य किया है ये रियायतें नितान्त आवश्यक है। मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं। 'सेवियों' पर उत्पाद शुल्क की रियायत देने से हमारी 'ईव' और अच्छी तरह बनाई जायेगी। हमारी अप्रत्यक्ष कर पर अधिक निर्भरता है और यह निर्भरता 19,844 करोड़ रुपये के कुल राजस्व से अधिक है 1980-81 में हम पाते हैं कि 13,927 करोड़ रुपये में से 17.18 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों द्वारा दिये गये। 1987-88 के बजट प्राक्कलनों में यह प्रतिशत 74% के स्तर पर पहुंच गया था। यह बहुत चिन्ता की बात है। आवश्यक वस्तुओं पर करों से फायदा नहीं होता है। मैं निवेदन करता हूं अप्रत्यक्ष करों या आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने से प्रत्यक्ष करों को अधिक मात्रा में कर-चोरी से हमारी आय-कर प्रणाली न्याय संगत नहीं रख सकती है।

महोदय, इस स्थिति से आय के वितरण में सामाजिक अन्याय हो सकता है महोदय, कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की वृद्धि की हुई है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मैं इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी से मध्यम वर्ग को कोई सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई है। मध्यम वर्ग को मुश्किल से ही कोई राहत दी गई है। प्रत्यक्ष करों के मामले में छूट सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जबकि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा। यहां मैं एक और अन्याय की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुद्रास्फीति के बारे में कहते हुए, विशेष उत्पाद शुल्कों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि की गई है लेकिन कर दाताओं के साथ वही दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है वर्तमान मुद्रास्फीति को देखते हुए छूट सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, पूंजी बाजार में सुधार की आवश्यकता है। मैं यहां बता सकता हूं कि 'बचत' की दर 24 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत रह गई है। अगर इस बचत की दर को नहीं बढ़ाया गया तो इससे निश्चय ही हमारे संसाधन गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा। पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए अंशधारियों को होने वाली लाभांश आय को आयकर से छूट दी जानी चाहिए। औद्योगिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए वित्तीय नीतियों में और अधिक छूट की भी आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूं कि तकनीकी जानकारी पर शुल्क को 30% से घटाकर 20 प्रतिशत किया जाना चाहिए। महोदय जल्दी ही बैंक अपनी जमा राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में कठिनाई महसूस करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बैंकों के अलावा अन्य कहीं अपना रुपया जमा करता है तो उसे ब्याज भी अधिक मिलता है तथा उसे आयकर से भी छूट मिलती है। इसलिए भविष्य में बैंकों को जमा के लिए जनता को आकर्षित करने में कठिनाई होगी। मैं सुझाव देता हूं कि बैंक में जमा की गई राशियों में भी वही छूट दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों पर दी जाती है और आय-कर की भी छूट दी जानी चाहिए इसके अतिरिक्त, बैंकों को जमा खातों पर ब्याज की दर निश्चित करने की अनुमति होनी चाहिए इससे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की शक्ति में वृद्धि होगी।

मैं कुछ अन्य क्षेत्रों का हवाला दे सकता हूं जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत गम्भीर है। हमारी विदेशी मुद्रा जमा 6000 करोड़ से कम है और यह प्रवासी भारतीयों की स्वदेश भेजी गई जमा राशि को ध्यान में रखने के बाद 13000 करोड़ रुपये है चालू वर्ष में व्यापार घाटा भी लगभग 8000 करोड़ रुपये हो सकता है।

मैं सुझाव देता हूं कि ऐसी सभी योजनाओं की उचित जांच की जानी चाहिए जिसका हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहां मैं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य उपबन्ध के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो लोग नौकरियों के लिए विदेशों में जाते हैं उनके आने जाने का खर्चा विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाना चाहिए।

इससे विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी कमी आई है तथा बाहर से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में भी कमी हुई है।

1.00 म०प०

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। हमारे पड़ोसी प्रतियोगी अच्छी शर्तें रखते हैं तथा उनके यहां ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि आने-जाने का जिसके फलस्वरूप हमारे अधिक अधिक संख्या में विदेशों में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं। यहां भी रोजगार उपलब्ध नहीं है तथा हम उन्हें विदेशों में नौकरी पाने से भी वंचित कर रहे हैं। इससे विदेशों से भेजी हुई रकम में भी कमी आयेगी। मैं वित्त मन्त्री जी से इस मामले को श्रम मन्त्रालय से जांच करने का अनुरोध करूंगा जिससे कि स्थिति

में सुधार हो और आने जाने का खर्च विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भेजने के इस अनिवार्य उपबंध को भी शीघ्र वापिस लिया जाये।

मैं यहां खाड़ी के देशों में कार्यरत केरल के लोगों द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा का उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले 10 वर्षों के दौरान, केरल के लोगों द्वारा जो विदेशों में कार्यरत हैं, 5000 करोड़ रुपये से अधिक रकम भेजी गई है। इन दिनों विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों के वापस देश लौटने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अप्रवासियों के लौटने में वृद्धि हुई है। इन वापिस लौटने वालों में 70 प्रतिशत लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। केरल में भी बहुत कठिन स्थिति है और मैं सरकार से खाड़ी के देशों से लौटने वाले लोगों के लिए जो काम के लिए वहां गये थे, के पुनर्वास के लिए कोष स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। यह धन पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल 5000 करोड़ रु० से अधिक राशि भेजी गई है तथा कुल प्रेषित राशि के 50 प्रतिशत से यह कोष स्थापित किया जाए।

मैं सरकार से एक ऐसी योजना बनाने का अनुरोध करता हूं जिसमें प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के कार्यनिष्पादन के आधार पर आबंटन और पर्याप्त प्रोत्साहन दिये जाये। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय निर्यातोन्मुखी उत्पादों और निर्यात उत्पादों के वित्तीय विकास के लिए निर्यात से अर्जित कुल आय के 15 प्रतिशत से एक उत्पाद विकास निधि स्थापित की जाये।

सभापति महोदय, निर्माण न करने वाली गति विधियों और निर्माण न करने वाले उद्योगों को केन्द्र निवेश राजसहायता योजना बंद कर दी गई है। इससे काफी कठिन स्थिति हो गई है विशेष रूप मेरे माल्लापुरम जिले में जहां पर लघु उद्योग अधिक मात्रा में बन्द पड़े हैं। स्वीकृति प्राप्त राजसहायता का भी भुगतान नहीं किया गया था। अब उन्हें बताया जा रहा था कि नये नियमों के अनुसार उन्हें भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् राजसहायता बन्द कर दी गई है। मैं सरकार से लघु उद्योगों की इस दुर्दशा पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं विशेषतया केरल में माल्लापुरम में जहां हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निर्माण न करने वाले उद्योगों को केन्द्र विवेक राजसहायता पुनः दी जाए।

महोदय, हज यात्रा के उद्देश्य से की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर से कर हटाने के लिए हम सरकार के आभारी है। ऐसी विदेशी मुद्रा पर विदेशी मुद्रा कर नहीं लगता है जो हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को दी जाती है। यह अच्छी बात है। लेकिन यहां थोड़ी अनियमितता है बहुत से लोग उमरा और जियारात जाते हैं। उनके लिए विदेशी मुद्रा पर कर लगाया जाता है। मैं सरकार से इस अनियमितता को दूर करने का अनुरोध करता हूं। जिस तरह हज यात्रा के लिए जाने वालों के लिए विदेशी मुद्रा पर कर छूट है उसी तरह जो लोग पवित्र स्थानों जैसे मक्का, उमरा और जियारात जाने वालों के लिए भी विदेशी मुद्रा पर कर से छूट दी जानी चाहिए। अन्यथा यह अनियमितता बरकरार रहेगी।

अभी मुझे काफी कुछ कहना है। लेकिन मैं आपके द्वारा बजाई गई घंटी का सम्मान करता हूं इसलिए मुझे अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। लेकिन भाषण समाप्त करने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण मामले—शिक्षा के बारे में कहना है। शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी यह गिलोटिन था। वास्तव में मैं हिस्सा नहीं ले सका और न ही अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सका था। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे मस्तिष्क में उठ रहा है और उस पर मैं सरकार से विचार करने के लिए कहूंगा।

हिन्दी पढ़ने वालों के लिए एन सी ई आर टी ने दिल्ली में छठी तथा सातवीं कक्षाओं के लिए 'संक्षिप्त रामायण' और 'संक्षिप्त महाभारत' आवश्यक कर दी गई है। मैं समझता हूं कि ये पुस्तकें भारत की सांस्कृतिक परम्परा के रूप में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि, तथ्य यह है कि पुस्तकों में श्री रामचन्द्र जी को विष्णु और कृष्ण जी ईश्वर के अवतार के रूप में दिखाया गया है। ये सब धार्मिक विश्वास हैं। उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों को इसे जरूर पढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता और इसके 12 श्लोकों को कण्ठस्थ करना आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए। भारत बहु समाज देश होते हुए मैं सरकार से धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के अनुसार इस सम्बन्ध में सभी विद्यार्थियों के लिए निर्धारित अनिवार्यता को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : यह चुनाव वर्ष होने के कारण स्वभाविक रूप से इस वर्ष के बजट में हम कुछ नया किए जाने एक नये की आशा कर रहे थे और जो बजट के साथ-साथ वित्त विधेयक में दिया भी गया है। लेकिन कल वित्त मन्त्री द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय दिये गए अभिभाषण से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें देश की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति के बारे में पूर्णतः जानकारी है।

वित्त मंत्री के अभिभाषण से स्पष्ट होता है कि देश ऋण के जाल में फंस चुका है। निर्यात से वृद्धि के बावजूद इस सम्बन्ध में हम वर्ष दर वर्ष, दिन प्रति दिन यह सुनते हैं कि गत वर्ष के 6000 करोड़ रु० की अपेक्षा इस वर्ष व्यापार में घाटा अनुमानतः 8000 करोड़ रु०) के करीब है। यह उस नीति का ही परिणाम है जिसका प्रयास सरकार अभी तक करती आ रही है और अभी भी इसी नीति का पालन किया जा रहा है और अपने अभिभाषण में वित्त मंत्री का यह कथन कि व्यापार में घाटे को कम किया जायेगा, कोई मायने नहीं रखता है और हम वर्ष के अन्त में इसे महसूस करेंगे। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा।

वर्ष 1985 के शुरूआत से ही यह सरकार एक नया रूख अपना रही है, एक नयी छवी, बहुत आधुनिक सरकार की छवि बनाना चाह रही है और इसके विचार से आधुनिक होने का अर्थ यह है कि 5% धनी और सम्पन्न लोग, जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिनके लिये सरकार काम कर रही है उनके पास संसार के धनी व्यक्तियों के पास पायी जाने वाले सभी सुख सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए तथा इस आशय, उद्देश्य और लक्ष्य के लिये उन्होंने यहां उद्योगों की स्थापना के लिए एक नयी आर्थिक नीति की शुरूआत की जिसके बारे में अब वित्त मंत्री कहते हैं कि वे निहायत उम्दा किस्म के सामान बनाने वाले उद्योग हैं। लेकिन यह बात हम 1985 से ही कहते आ रहे हैं और अभी तक उस हद तक इसे मान्यता नहीं मिल पायी है जितनी कि इसे मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, अपितु इसके विपरीत सिर्फ बातें ही बनायी जा रही है। यह सरकार एक गरीब देश की धनी सरकार है और यह इस गरीब देश के धनी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः इसकी नीति आधुनिक गैजिट के निर्माण हेतु निहायत उम्दा किस्म के उत्पादों के लिये है जिसे कि थोक रूप में अथवा एस के डी की स्थिति में आयात किया जाता है और उन सब पुर्जों को समवेत करके यहां निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार निर्यात प्रयास जिसमें कि सरकार ने वृद्धि की है स्वदेशीय तकनीक पर आधारित निर्यात प्रयास नहीं है। जिसमें कि स्वयं 40 प्रतिशत आयात किया गया है। इस प्रकार जब कभी यह सरकार 1000 करोड़ रु०) या अधिक मूल्य के सामान का निर्यात करने का प्रयास करती है तो अपने आप ही उस निर्यात को करने के लिए यह 400 करोड़ रु.) के सामान का आयात करती है। यदि यही स्थिति रही तो यह सरकार कभी भी

इस असन्तुलन को पाटने में समर्थ नहीं होगी। घाटे का अन्य कारण निर्यात करने वाले लोग हैं, वे लोग जिनकी आमदनी निर्यात द्वारा हो रही है ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की मांग करेंगे जिनका या तो आयात करना पड़ेगा या फिर जिन्हें तैयार करने के लिए उनके अवयवों का आयात करना पड़ेगा। इस प्रकार 1985 से ही सरकार की यही छवि बन रही है। लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने अपना रवैया बदलना होगा और कहना होगा" नहीं, हम धनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के भी प्रतिनिधि या फिर ऐसा कहें कि हम सिर्फ गरीब लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ समय के लिये धनी व्यक्तियों पर ध्यान मत दीजिए।" आगामी कुछ महीनों के लिए सरकार यदि गरीब जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकी तो चुनाव के समय यह बात इस सरकार के हित में होगी। अतः रंगीन टेलीविजन, मारुति गाड़ियों, बड़े-बड़े होटलों, विमान भाड़ा, विदेश यात्रा पर लगे करों में कमी कर दी गयी थी और जैसा कि कल मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि कुछ उपभोक्ता सामग्रियों को ओपन जनरल लाइसेंस सूची से हटा लिया गया है और उन्हें निबंद्ध सूची में रखा गया है। चुनाव जीतने के उद्देश्य से तथा गरीबों के पक्ष में, धनी व्यक्तियों के विरुद्ध इसे एक नया रूप देने के उद्देश्य से यह सरकार की एक हथकंडे बाजी है लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है क्योंकि अर्थव्यवस्था अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि यह उन सभी अवयवों उन सभी मशीनरियों, उन सभी कच्चे माल के आयात को नहीं रोक सकती है जिसके लिए पहले से ही सुविधायें स्थापित की जा चुकी हैं।

महोदय, वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार इस आश्वासन से पीछे नहीं हट रही है कि इन आधुनिक कारखानों के लिये संघटक उपलब्ध होंगे, उनके आयात की अनुमति दी जायेगी, सरकार इस बात से पीछे नहीं हट सकती है। अतः अब पेट्रोलियम और थोक माल का बड़े पैमाने पर आयात नहीं होता है लेकिन तथाकथित आधुनिक उद्योगों के लिए मशीनों के कल पुर्जों और कच्चे माल का आयात हो रहा है और जैसे-जैसे दिन बीतते जाएंगे, यह आयात बड़े पैमाने पर जारी रहेगा और इससे धनी वर्ग की आय भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार मांग बहुत बढ़ जायेगी और व्यापार असन्तुलन बहुत बढ़ता जायेगा।

महोदय, अब हम यह सुनते हैं कि इनकी अधिक बेरोजगारी का क्या कारण है, वे उद्योग जो कि काफी समय से वहां हैं क्यों नहीं ठीक ढंग से चल रहे हैं। हम यह सुनते हैं कि इसका कारण यह है कि इनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। आधुनिकीकरण में क्या लगत आयेगी? वे थोक रूप से मशीनों को नष्ट कर देते हैं तथा नयी मशीनें खरीदते हैं, विदेशों से नयी मशीनों का आयात करते हैं, मशीनों को यहां लाते हैं और मजदूरों को निकाल देते हैं और तब उन मशीनों पर अपने आप काम चलने लगता है। सरकार की यह नयी आर्थिक नीति है। यह एक बेहतर स्थिति में आ चुका है अथवा आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप कि किसी भी उद्योग को चलाने तथा सामानों के उत्पादन के लिए श्रमिकों की बिलकुल जरूरत नहीं है इसका अर्थ यह है कि आय का वितरण जो कि पहले से ही असमान था, आज और अधिक असमान हो गया है। आय के वितरण में इस असमानता का अन्य कारण यह माग है जो कि समाज के सिर्फ छोटे वर्ग की है।

भारत के सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, वे कृषि पर निर्भर करते हैं। प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में कम से कम 2.5 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक आय में वृद्धि प्रतिवर्ष सिर्फ 1.6 प्रतिशत होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पिछले बीस वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आय में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की कमी हुई है। और अब

इसमें और भी गति आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना भोजन, अपनी अन्य मूल आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाते हैं। वे अपने कपड़े तक नहीं खरीद पाते है। यही कारण है कि इस चुनाव वर्ष में उन्हें साड़ियां आदि दिए जाने की योजना चलायी गयी है। वे लोग धन नहीं कमा सकते हैं और मुख्य आय पांच प्रतिशत लोगों के पास ही जमा होती है। वे स्वदेशी उद्योग जिनमें की पूरे समय अपितु, अधिक समय तक उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए थी और फिर भी जो 800 मिलीयन लोगों की मांगे भी शायद पूरा नहीं कर पाते, आज बन्द पड़े हैं। इसका कारण यह है कि इन 800 मिलीयन लोगों मे से 70 प्रतिशत के पास सिर्फ भोजन पर खर्च करने के अतिरिक्त अन्य खर्च के लिए कोई भी आय नही है। यहां तक भी उस खर्च के लिए भी पर्याप्त आय नहीं है। सिर्फ एक छोटा वर्ग ही धन कमा पाता है और उनकी आमदनी इतनी होती है कि उनकी आवश्यकताएं भारत में निर्मित साधन से उनकी आवश्यकताएं पूरी ही नहीं होती है। वे भारत-निर्मित हुए विदेशी सामानों से या फिर आयात किये गये विदेशी सामानों से सन्तुष्ट होते हैं। विगत चार वर्षों से यह सरकार यह सब कुछ समझ-बूझ कर कर रही है। अब यह इससे पीछे हटना चाहती है। और यह कह कर अपनी छवि सुधारना चाहती है, "अब हमने विमान यात्रा पर कर लगाकर धनी व्यक्तियों पर कर लगाना शुरू किया है।' विमानयात्रा के लिये कर का भुगतान कौन करता है? विमान यात्रा तथा इन सब वस्तुओं के लिए धनी व्यक्ति स्वयं करने का भुगतान नहीं करते है। प्रत्येक वस्तु का निर्यात या सरकारी क्षेत्रों में अथवा गैर सरकारी निगम क्षेत्रों में होगा।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : या फिर संसद में।

श्री अमल दत्ता जिन लोगों पर आप कर लगाने जा रहे हैं उन पर न ही विमान भाड़े का कोई प्रभाव पड़ेगा। आपने उन पर कर नहीं लगाया है। दूसरी ओर उत्पाद शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि ने उन गरीब लोगो को नुकसान होगा जो कि अपनी जरूरत की वस्तुए भी नहीं खरीद पाते है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या ऐसा जानबूझ कर किया है अथवा यह सरकार द्वारा किया जाने वाला सामान्य गोलमाल है।

अब इस 903 करोड़ रु०) में से, जो सरकार कहती है कि उन्हें उत्पादन शुल्क से वसूल होगा उन्होंने 118 करोड़ रु०) की बड़ी रकम छोड़ दी है। यह बहुत अच्छी बात है। यदि यह गरीब लोगों की मदद करने जा रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार द्वारा शुल्कों में रियायत देने मे गरीबों को हमेशा मदद मिलती है। मैं समझता हूं पिछले वर्ष बजट अभिभाषण में पोलिस्टर सूत और हाथों से बुने हुए कपड़े जैसे एकरेलिक नायलोन आदि के सन्दर्भ में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क में भी रियायत दी गयी थी।

प्रो. मधु दण्डवते : यह अल्पसंख्यकों की सरकार है।

श्री अमल दत्ता : फिर हम लोगों से यह कहा गया था कि राजस्व में जो भी रियायत दी जा रही थी वह गरीब लोगों के हित से उद्देश्य से दी गयी थी। तत्कालीन वित्त मन्त्री ने ऐसा आश्वासन दिया था और सरकार इसके लिए पूरी तरह आशान्वित है कि इन रियायतों को उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। और सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ये रियायतें उन्हें दी जा रही हैं अथवा नहीं। यदि उन्हें वास्तव उन्हें नहीं दी जा रही है तो सरकार इन रियायतों को वापस ले सकती है। अप्रैल में बजट अभिभाषण के दौरान ये तीन बातें कही गयीं थी। 1987-88 के दौरान 241 करोड़ रु.) की रियायत दी गयी थी। अब इनका पता लग गया है और यह मदद भी दी गई रिपोर्ट में है। 1988-89 अवधि में यह उससे कहीं अधिक होगा। इसमें किन को लाभ हुआ है? उपभोक्ता

को नहीं हुआ है। यह देखने के लिए कि ये लाभ उपभोक्ता को दिए जाएं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? व्यवहारिक रूप में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। नाममात्र के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसकी दो-एक बार बैठकें हुईं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने इसे छोड़ दिया है। यदि ऐसा मामला है, तो सरकार इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकती कि इन रियायतों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए ये दी गई हैं। इस रियायतों को देने का क्या प्रयोजन है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को धनी बनाया जो कि सरकार के समर्थक हैं अथवा हो सकता है जो उनकी चुनाव धनराशी के लिए तिजोरी भरते हैं?

हमने यह भी देखा है कि सरकार ने बजट अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले अथवा यहां तक कि अधिवेशन शुरू होने के बाद बहुत-सी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए हैं। इस्पात और कोयले के नियंत्रित मूल्य बढ़ा दिए गए थे और एल्युमीनियम जैसी कुछ मदों पर से नियंत्रण हटा लिया गया था। मेरे विचार में एल्युमीनियम बाजार से गायब हो गया है, इस समय उपलब्ध नहीं है। नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि तथा नियंत्रण हटाए जाने से सैकड़ों करोड़ रुपया निजी क्षेत्र को दिए गए। यदि यह धनराशि केवल सरकारी क्षेत्र में जाती तो मुझे इसका दुख न होता क्योंकि कम से कम यह सरकार के पास रहती, यह एक जेब से निकलकर दूसरी में चली जाती। लेकिन अब यह धनी लोगों की जेबों में चली गई है। इसमें सन्देह नहीं है कि वे विभिन्न तरीकों से और आर्थिक रूप से सरकार का समर्थन करेंगे।

सरकार का यही चरित्र है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं वे अपना भेष बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि लोग अब जान जायेंगे कि वे क्या हैं और उनको जो समर्थन मिलता था उन्हें अब वह प्राप्त नहीं होगा। संसद में गत पांच वर्षों के दौरान बजट और उसके बाद सैकड़ों योजनाओं की घोषणा की गई है। आज मुझे यह भी बताया गया है कि प्रधान मन्त्री ने एक योजना की घोषणा की है। हम सभी योजनाओं का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आप इन योजनाओं को पूरी तरह, उचित तरीके से और सही ढंग से योजनाओं की भावना के अनुसार कार्यान्वित कर सकते हैं अथवा किया है? क्या किसी एक योजना के मामले में ऐसा किया गया है? क्या वित्त मन्त्री हमें इसके बारे में बताएंगे। मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार सही ढंग से कार्य करे—सरकार चाहे जो भी हो अर्थात् सरकार को कोई भी चलाए उसमें कोई बात नहीं है। देश को नुकसान तब होता है यदि सरकार कार्य नहीं कर सकती, यदि यह पूरी तरह बेकाम है। यही कुछ होता रहा है। योजनाओं की एक के बाद एक घोषणा की गई लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

अब, मैं फिर व्यापार सन्तुलन की स्थिति के विषय पर आता हूं। भारत में क्या होता रहा है कि आधुनिकीकरण के लिए विलासिता के उपयोग की वस्तुओं और मशीनरी का आयात किया गया है। इसकी वजह से विदेशों से सामान की मांग पर्याप्त रूप से बढ़ती जा रही है। इससे अब हमारे लिए यह स्थिति हो गई है—कि आज हमें यह बताया गया कि 800 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा है। जैसाकि मैंने कहा यह घाटा बढ़ता जाएगा। सरकार ने एक बार इस घाटे को निर्यात बढ़ाने के प्रयास द्वारा कम करने की कोशिश की थी। निर्यात बढ़ाने के प्रयास में उनके हिसाब में यह बात है वे इसके लिए प्रोत्साहन देंगे, और इसके लिए नकदी राज सहायता देंगे और लोग निर्यात करेंगे। अब यह नीतियां कार्य नहीं कर रही हैं। सरकार ने ये नीतियां काफी देर तक जारी रखी थीं। ये अब काम नहीं कर रही हैं। वित्त मन्त्री के भाषण में दिए गए कारणों में से एक कारण यह है कि इस

प्रोत्साहनों और नकदी राज सहायता के प्रशासन के लिए कोई मशीनरी नहीं थी अथवा वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही थी। अत: उनका कहना है कि मुख्य समस्या यह है कि इस मशीनरी को कार्य साधक बनाया जाए जिससे वह समय पर सही तरीके से कार्य कर सके। लेकिन जब सरकार में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है क्या यह मशीनरी विशेष कार्य करेगी ? लेकिन वास्तव में भारत में क्या चीज कार्य करेगी और किसने कार्य किया है वह है बेईमान और अनैतिक व्यापारियों द्वारा आर०ई० पी० लाइसेंस आदि के माध्यम से इन योजनाओं और नकदी राजसहायता का लाभ उठाया गया है, उनमें से कुछ लोग इतने धनी हो गए हैं कि वे आज सरकार की भाषा में बात करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहनों का लाभ उठाया है और उन्हें नकदी धनराशि दी गई है और उन्होंने कथित निर्यात के आधार पर राजसहायता ली है जबकि उन्होंने कभी भी निर्यात नहीं किया है। अत: बेईमान लोगों को इस लाभ का फायदा उठाने से रोकने के बाद कि इसके लिए तन्त्र मौजूद है, तभी सरकार को सभी तरह के प्रोत्साहन देने चाहिएं, क्योंकि आज यह प्रोत्साहन अधिकतर उन लोगों को जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी कोई निर्यात प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, उनकी जांच का कोई तरीका नहीं है और मुझे यही बताया गया है। अब दोबारा क्या हुआ है कि सरकार ने अपने निर्यात प्रयासों द्वारा हमें दिखाया है कि निर्यात मूल्य 28 प्रतिशत तक बढ़ गया है। अत: पूर्ण रूप से वृद्धि 3000 करोड़ रुपए के लगभग हो सकती है। लेकिन यह 28 प्रतिशत क्या है। यह 28 प्रतिशत रुपयों में है। यह 28 प्रतिशत डालर नहीं है। यदि आप हमें यह हिसाब विदेशी मुद्रा में दें तो वह सही हिसाब होगा। अन्यथा संसद को गुमराह किये जाने का खतरा है।

वित्त मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): यह डालरों में 15 से 16 प्रतिशत है।

श्री अमल दत्ता : आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए थोड़े माफिक आंकड़े देने जा रहा था। मैं 17 से 18 प्रतिशत कहने जा रहा था। अत: 15 से 16 प्रतिशत अच्छा है। अर्थात मेरे विचार में निर्यात की धनराशि में प्रतिशत-वार यह वृद्धि हुई है और आयात की धनराशि में भी प्रतिशत-वार उससे थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है। अत: निश्चित रूप से व्यापार बढ़ा है। इसने हमें कहां पहुंचा दिया है ? सरकार के अनुसार, विदेशी ऋण आज 55 हजार करोड़ रुपए है। अन्य स्रोत के अनुसार, जोकि भारत से बाहर का है, लेकिन बाई०सी०डी० जैसे प्राधिकृत स्रोत हैं—उनके अनुसार 1988 के अन्त में, यह 90 हजार करोड़ रुपए है। कुछ अन्य स्रोत यह कहते हैं कि बाई०सी०डी० के 90 हजार करोड़ के आंकड़े में कुछ छुपाए गए आंकड़े शामिल नहीं हैं। सरकार ने रक्षा खरीद के लिए कुछ धनराशि ली है क्योंकि अनुमानत: लगभग 15 हजार करोड़ रुपए है। यह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बैठती है। सम्भवत: अब भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा ऋणी देश है और इसने गत एक वर्ष में इन्डोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। जो भी विदेशी ऋण आता है, जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है यह पूरे का पूरा ऋण चुकाने में चला जाता है। अत: सरकार को उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है जब तक कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में अतिरिक्त ऋण प्राप्त नहीं करती। अत: हमें फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगना पड़ेगा, जिसकी हमने 1981 अथवा 1982 में निन्दा की थी जब उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पहली बार ऋण लिया था। अब आपने फिर ऋण मांगा है। धन लेने के लिए आप हमेशा इन लोगों के पास हाथ फैलाकर मांगने जाएंगे। वे अपनी शर्तें रखेंगे। उन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं। सबसे पहले तो हम इच्छुक नहीं थे। लेकिन अन्त में गत पांच वर्षों के दौरान हम बहुत अधिक इच्छुक हो गए हैं। अत:

जो भी औद्योगिक नीति बदलती है, राज्य नीति बदलती है, वे चाहते है, प्रत्येक को हमने कार्यान्वित किया है। इसने हमें कहां खड़ा कर दिया है ? इसने हमे फिर से मांगने की स्थिति में ला दिया है जिससे हम उनसे और अधिक धन ले सकें और आज हमारे ऊपर पहले से कहीं अधिक विदेशी ऋण है। ऋण लेने के मामले में विश्व में हमारा दूसरा अथवा तीसरा स्थान हो जाएगा।

यह माना कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है लेकिन क्या इससे प्रगति हुई है ? सरकार ने खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता सहित बहुत से झूठे दावे किये हैं। खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता का क्या मानदंड है ? क्या ऐसा कोई मानदण्ड है कि प्रति व्यक्ति इतनी खाद्यान्न मात्रा से हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

खाद्यान्नों के अलावा, सरकार ने किसी अन्य कृषि उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है इस बात को नजरअन्दाज करते हुए जबकि हमें विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि तिलहनों के मामले में हुआ था। तब ही सरकार ने इस पर ध्यान दिया। यह देश ऐसा एक बड़ा देश है। यहां बहुत से विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। खाद्यान्नों के अलावा बहुत से अन्य किस्म के कृषि सम्बन्धी कच्चे माल यहां उगाए जाते हैं लेकिन सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। हमारा राज्य जूट और चाय का उत्पादन किया करता था और उसका सबसे अधिक निर्यात किया जाता था। इन दोनों वस्तुओं का निर्यात लगभग बन्द कर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चाय का निर्यात हो रहा है लेकिन इसमें वृद्धि नहीं हुई है। मात्रा के हिसाब से, यह उतना ही है जो आज से 40 वर्ष पहले था। स्वतन्त्रता के समय यह 200 मिलियन किलोग्राम था और आज भी यह 200 मिलियन किलोग्राम है। अन्य देश जिन्होंने चाय का नाम नहीं सुना था, वे भी इस क्षेत्र में आ गए हैं और उनसे हमें प्रतियोगिता करनी पड़ी है जबकि हम कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रतियोगिता में हम अपनी परम्परागत मदों को खो बैठे है। इस प्रयोजन के लिए हम अब केवल एक बड़े आयातक पर निर्भर हैं।

इसी प्रकार सरकार ने जूट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वर्ष 1970 में हमें बताया गया था कि ये जूट के उपयोग के अच्छे आसार नहीं हैं। लेकिन ऐसे बहुत से दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जिन्होंने वर्ष 1970 में जूट की खेती शुरू की और अब उनके यहां जूट मिलें हैं, जहां पर वे उसकी विभिन्न वस्तुएं बना रहे हैं। वे न केवल बेहतर जूट का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि वे उसकी विभिन्न वस्तुएं भी तैयार कर रहे हैं और उनका वे निर्यात कर रहे हैं। लेकिन हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। इसी प्रकार और बहुत सी बातें है।

मैं जिस बात पर बल देने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की है तथा इसके साथ कृषि क्षेत्र की भी उपेक्षा की है। यह उन कारणों में एक है कि हम उद्योगों में रोजगार देने के लिए लगातार नजर रखते हैं जबकि 800 मिलियन लोगों को रोजगार देना सम्भव नहीं है। नए उद्योगों की स्थापना के लिए हमें विदेशों में जाना पड़ेगा और उनसे ऋण मांगना पड़ेगा और तब हम ऋण के फन्दे में फंसते चले जाएंगे यह इसलिए क्योंकि सरकार ने इन तथाकथित धनी लोगों की ओर हमेशा अपना मुंह मोड़ा है। अर्थात सरकार जो सोचती है वही करती है। सरकार उनकी आवश्यकताएं पूरी करती है। इस रवैये में परिवर्तन लाना होगा अन्यथा इस स्थिति से छुटकारा नहीं मिलेगा।

केन्द्रीय सरकार ने कभी भी यह देखने का प्रयास नहीं किया है कि संविधान में राज्यों के लिए जो आधार भूत कार्य निर्धारित किए हैं वे उन्हें पूरा कर रहे हैं या नहीं। सर्वप्रथम तो उन्होंने आय के

स्रोत ले लिए हैं और उन्हें नए स्रोत प्रदान नहीं किए गए हैं। केन्द्रीय राजस्व अर्थात आय कर और सीमा शुल्क में से वे जितनी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं उसे कम कर दिया गया है। राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना ही अधिसूचनाओं द्वारा ही उत्पादन शुल्क में रियायतें दे दी गई हैं। हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये की रियायतें दी जाती हैं और यह कोई नहीं जानता कि ये रियायतें किसे दी गई हैं और क्यों दी गई हैं। इससे केवल केन्द्र सरकार को ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि राज्य सरकारों को भी नुकसान हो रहा है जिन्हें यह बताया जाना चाहिए कि इन रियायतों के कारण उन्हें इतना नुकसान होगा। उन्हें कभी यह नहीं बताया गया। परिणाम स्वरूप, जहां तक विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की स्थिति एक समान है। केन्द्र सरकार राज्यों को जो भी सहायता देती है वह राशि केन्द्र सरकार के कर्ज को पूरा करने में लग जाती है। अतः हम क्या करें ? राज्य उन आधारभूत कार्यों को जो करने में असमर्थ हैं जिनकी लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं। अब, हम यह देखते हैं कि सरकार न केवल निजी उद्योगों को बढ़ावा देने में सन्तुष्ट है बल्कि यह जोखिम पूंजी के नाम से बैंकिंग क्षेत्र में भी निजी पूंजी को ला रही है। आज के 'इकोनोमिक टाइम्स' में यह समाचार है कि सरकार ने निजी क्षेत्र में जोखिम पूंजी लगाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ऐसी योजना की अनुमति दी है। इस प्रकार, बैंकिंग व्यवस्था को चोर दरवाजे से निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। यह निजीकरण और यह नई आर्थिक नीति ही असफलता का मुख्य कारण है। इससे सरकार उद्योग के क्षेत्र में असफल हुई है और इससे ही सरकार बैंकिंग क्षेत्र में भी असफल होगी। यह नीति केवल कुछ धनी व्यक्तियों को और अधिक धनी बनाने में सहायक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, जो वित्त विधेयक सदन के सामने रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ, मैं अपने वित्त मन्त्री जी को कुछ सुझाव भी कंसीडरेशन के लिए रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने के लिए एक बिल पास करके परमीशन दी। बहुत सी स्टेटस ने अपने बजट में प्रोफेशनल टैक्स की लिमिट बढ़ाई और बढ़ाने के बाद, जो स्टेट को अपने फायनेंशयल रिसोर्सेस क्रिएट करने थे, वे किए, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स सैलरीड सैक्शन को लगाया है, उनको इनकम टैक्स के लिए उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको कंसीडर करना चाहिए। जो प्रोफेशनल टैक्स स्टेट्स के अन्दर बढ़ाया गया है वह प्रोफेशनल टैक्स सैलरी सैक्शन को इन्कम टैक्स पे करने के समय पर उसका डिडक्शन मिलना चाहिए।

दूसरी बात हम इन्कम टैक्स के ऊपर सरचार्ज बढ़ाते हैं। जो सरचार्ज इन्कम टैक्स के ऊपर लगता है, उसके ऊपर स्टेट का कोई शेयर नहीं रहता है। स्टेट को उसमें से कुछ हिस्सा मिलता नहीं है। इसलिए इन्कम टैक्स के ऊपर हम जो सरचार्ज लगाते हैं, उसकी वजह से स्टेट्स को बहुत नुकसान हो रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो कुछ भी सरचार्ज के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्कमटैक्स के ऊपर बढ़ाती है, उसका भी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हम इन्कम टैक्स का हिस्सा देते हैं उसी प्रकार से स्टेट को सरचार्ज में से भी हिस्सा देना चाहिए।

एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम ऑयल और नेचुरल गैस, जो ऑन शोर जाकर मिलता है, जैसे गुजरात, आसाम वगैरह स्टेट्स को रॉयल्टी देते हैं, लेकिन जिस

जगह पर, ऑफ शोर से ऑयल और नेचुरल गैस मिलती है, उस पर हम रॉयल्टी नहीं लेते हैं। खास तौर से मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। बम्बई हाई से हमें ऑयल और नेचुरल गैस का टैक्स प्राप्त होता है, लेकिन उसकी रॉयल्टी हम स्टेट को नहीं देते हैं। इसके लिए हम जो कुछ भी कार्यवाही वहां करते हैं, उसका बड़ा प्रभाव स्टेट के ऊपर पड़ता है। फिर भी स्टेट को हम रॉयल्टी नहीं देते हैं। ऑफ शोर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड रहती है, चाहे वह पानी के नीचे हो, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड होने की वजह से स्टेट के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके हम स्टेट को वह रिवायत देते ही नहीं हैं लेकिन हमें इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए कि हम स्टेट को इसमें मदद कर सकते हैं।

आपने सुना होगा, देखा होगा कि बम्बई में डायमंड मर्चेन्ट्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स और डायमंड में काम करने वाले कटर्स, इन सभी ने इनकम टैक्स के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बम्बई में निकाला, आपके सामने इसके बारे में रिप्रेजेन्टेशन्स आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इसके बारे में रिप्रेजेन्टेशन्स गए क्योंकि डायमंड ट्रेड हमें ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज देता है। लेकिन डायमंड ट्रेड में काम करने वाले और डायमंड के एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स की ओर से जो कुछ तकलीफें हो रही हैं, चाहे वे सर्वे के नाम से हों रेड के नाम से हों और चाहे किसी और तरीके से हों उसके बारे में अपनी फीलिंग्स और विचार रखने के लिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला। हमारे यहां से आफिसर्स बम्बई गए, उन्होंने उनके साथ बैठकर कुछ बातें कीं और एक वातावरण का निर्माण किया। इस डाइमंड ट्रेड और डायमंड एक्सपोर्टर्स की मांगों को आपने सहानुभूति से कुछ सोचा, समझा ऐसा मैं समझता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डायमंड, एक्सपोर्ट के लिए जब पहुंचता है, उसके पहले उस पर जो कार्यवाही होती है वह डायमंड कटर से होती है, उसकी पालिश से होती है। इसके लिए एक छोटी इण्डस्ट्री होती है जहां से डायमंड तैयार होकर ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के पास पहुंचता है।

जहां तक मेरी कांस्टीटुएंसी का सवाल है, हमारे यहां छोटे-छोटे उद्योग, कार्टेज इण्डस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर हैं, लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लायमैंट पा रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमैंट की ओर से और हमारी ओर से जो कुछ सहानुभूति रही है वह सिर्फ ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स की तरफ ही रही है। उसमें मेरा विरोध नहीं है लेकिन जो डायमंड को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर्स तक तैयार कर के पहुंचाते हैं उनमें काम करने वाले लाखों मजदूर, छोटी-छोटी कार्टेज इण्डस्ट्री वाले, जिनमें से 98 परसैंट तक इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको कोई इनकम टैक्स और रेड की तकलीफ नहीं है फिर भी उनको परेशान किया जाता है। उनका नेचर का काम है, कोई ट्रेडिंग नहीं करते उनकी कोई छिपाने की बात नहीं है, इसीलिए 98 परसैंट टैक्स पे करते हैं इसलिए उनकी कठिनाइयों के प्रति भी आप सहानुभूति से विचार करें और जो छोटी इण्डस्ट्री वाले डायमंड में काम करते हैं उनको भी आप देखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं।

हमारे बहुत से मेम्बरों ने एक बात आपके सामने रखी है लेकिन आप इनकम टैक्स की लिमिट 18 हजार के ऊपर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आपकी यह रिजिड पालिसी क्यों है, यह समझ में नहीं आता है। जब आपसे बात करते हैं, आफिसर्स से बात करते हैं, उनका कहना है कि 25 हजार तक इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप समझिए कि जिनकी इनकम 20, 22 हजार तक है क्या वह सेविंग कर सकते हैं? अगर कोई सेविंग करता है तो उसको बैनिफिट मिलता है और अगर सेविंग नहीं करता है तो बैनिफिट नहीं मिलता है। जब आप उत्तर दें तो फिर से इस बात को गौर करें और

इनकम टैक्स की लिमिट को 18 हजार से बढ़ाकर 25, 30 हजार तक करें, कम-से-कम 25 हजार तक तो करनी ही चाहिए। अगर आप यह 25 हजार तक की लिमिट कर देंगे तो मध्यम वर्ग के लोग आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इसकी अपेक्षा पिछले 2-3 साल से है।

मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं। आपका जो नया डायरेक्ट टैक्स बिल आया उसकी वजह से कुछ मिल ओनर्स को कुछ तकलीफ हुई। इस कारण उन्होंने प्रधान मन्त्री जी के पास जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और वही रिप्रेजेंटेशन आपके पास भी आया है। आप उस पर गौर से सोचें और उन्हें जो कुछ सुविधा दी जा सकती है, वह देने का प्रयत्न करें।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हैं उनका प्रभाव जो लास्टमैन है, जो कंज्यूमर हैं उन पर पड़ता है। आपके जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट हैं वह कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे टैक्स कंज्यूमर्स तक पास-ऑन हो जाते हैं। विजनसमैन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और इण्डस्ट्री के ऊपर जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगाते हैं तो उन पर वह टैक्स नहीं लग पाते हैं। हर चीज का प्रभाव कंज्यूमर्स पर ही पड़ता है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि कंज्यूमर्स पर उन टैक्सों का बोझ न पड़े।

अन्त में मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुसलदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम्) : महोदय, वित्त मन्त्री को वर्ष 1989-90 के लिए अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया है। वित्त मन्त्री ने और अधिक कर नहीं लगाए हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की प्रशंसा की जानी चाहिए। यह धनी व्यक्तियों से धन वसूलने और निर्धनों को सहारा देने की नीति है। हालांकि यह चुनावी वर्ष है फिर भी सरकार ने यह नीति अपनाई है। जो भी हो, इन योजनाओं और कार्यक्रमों की सभी को सराहना करनी चाहिए। वर्ष 1989-90 के बजट का सारे देश में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। वित्त मन्त्री को --

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है लेकिन हाउस में 2-3 मैम्बर ही बैठे हैं। हाउस मे कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है।

सभापति महोदय : अब कोरम पूरा है। माननीय सदस्य श्री कुसलदईवेलू अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी० कुसलदईवेलू : महोदय, जहां तक भुगतान सन्तुलन का सम्बन्ध है वित्त मन्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस समय मैं भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए विदेशी विनिमय के बारे में इसके एक पक्ष के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। विनिमय दर में लगातार हो

रही रिक्तता और अवमूल्यन होने की संभावना के डर के कारण अनिवासी भारतीय अपने निवेशों को बेच रहे हैं। देश में लगभग आतंक की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय अनिवासी भारतीयों ने करोड़ों रुपया कमाया है और इस धन को विभिन्न क्षेत्रों में लगाया है। किन्तु रुपये के मूल्य में हो रही लगातार गिरावट के कारण अनिवासी भारतीय अपने निवेशों को बेच रहे हैं। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अर्जित पूंजीगत लाभ के लिए निर्धारित की जाने वाली विदेशी विनिमय दर में हुई हानि की अनुमति नहीं देती। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनिवासी भारतीय वास्तविक रूप में लाभ नहीं कमाते हैं। किन्तु उन्हें कमाए गए लाभों पर भारत में कर का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, अनेक अनिवासी भारतीय जिन्होंने अपनी विदेशी मुद्रा प्रति अमरीकी डालर 11 रुपये परिवर्तन दर के हिसाब से निवेश की है वे कुछ वर्ष बाद इसे 16 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से अमरीकी डालरों में बदल रहे हैं। स्वभावत: उन्हें प्रति डालर 5 रुपये लाभ मिल रहा है। किन्तु साथ ही 11 रुपये के निवेश पर कमाये गये इस तथाकथित लाभ से विदेशी मुद्रा कोष में कमी आ जाएगी, यद्यपि वे इन 5 रुपयो पर कर का भुगतान कर चुके हैं। वे इस 5 रुपये का लगभग 20 प्रतिशत करके रूप में भुगतान कर रहे हैं। इसीलिए अनिवासी भारतीयों निवेशकर्ताओं में आतंकित कर देने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस बात का भय बना हुआ है कि इस जल्दबाजी की बिक्री से इस वर्ष लगभग 5 बिलियन डॉलर भारत से वापस भेज दिए जाएंगे। मुझे विदेशी निवेश समुदाय से विश्वसनीय सूचना मिली है। इससे हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। मैं माननीय मन्त्री से शीघ्र ही इस संकटकालीन स्थिति पर विचार करने की मांग करूंगा और मुझे आशा है कि जब वे उत्तर देने के लिए आएंगे तो उस समय वे इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं यह चाहता हूं कि वे सदन को इस बात का आश्वासन दें कि सरकार शीघ्र ही आय कर अधिनियम की धारा 48 में संशोधन करने के लिए राजी हो जाएगी।

सदन की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 43 (क) में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देयता के सम्बन्ध में समायोजनों की अनुमति दी गई है। विनिमय उतार-चढ़ाव के मामले में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में समायोजन करने के लिए भी ऐसा ही प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से ऐसा ही एक अध्यादेश लाने पर विचार करने की मांग करता हूं जैसा कि आर्मिनिया पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था और जिसे कर से मुक्त रखा गया था। इससे कम से कम विदेशी निवेशकर्ताओं में पुन: विश्वास जागेगा और इससे वे और अधिक धन निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से इस देश में और अधिक विदेशी मुद्रा आएगी।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। वित्त मन्त्री को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसात) : सभापति महोदय, उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में भारत की प्रगति वर्ष 1940 के बाद स्वतन्त्र हुए सभी राष्ट्रों से अधिक है। किन्तु फिर भी मैं सदन के समक्ष वित्त मन्त्री और सदन के लिए भी विचार करने योग्य कुछ टिप्पणियां रखता हूं।

सर्वप्रथम विश्व भर में एक नया विचार पनप रहा है कि अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से किस प्रकार विकसित किया जाए? यहां तक कि शक्तिशाली रूस भी जो श्री गोर्बाचोव द्वारा शासन संचा-

लने के बाद आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, वे भी इस बात पर पुन: विचार कर रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुचारू बनाया जाए। यही विचारधारा चीन और अनेक उन अन्य देशों में भी पनप रही है जिन्हें कम्यूनिस्ट देश कहा जाता है।

अभी मैं श्री अमल दत्ता का भाषण सुन रहा था। मैं यह विचार कर रहा था कि हम उस सिद्धान्त को कब महसूस करेंगे जो 50 वर्ष या 80 वर्ष पहले शुरू किया गया था। आज वह युक्ति-युक्त नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि देश और देश की जनता के लिए कौन-सी अर्थव्यवस्था अच्छी है। यदि हम निर्यात को लें तो भारत निश्चित रूप से बहुत सा माल और वस्तुएं निर्यात कर रहा है। किन्तु यदि हम यह विचार करें कि हम 1951 में क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम इस सम्बन्ध में वास्तव में इतने विकसित नहीं हुए हैं।

वर्ष 1951 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा एक प्रतिशत था आज भारत का हिस्सा आधा प्रतिशत है जबकि वर्ष 1951 में अनेक अन्य देश जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांग-कांग और सिंगापुर जो भारत से पीछे थे आज वे निर्यात व्यापार में भारत से आगे हैं।

2.00 म०प०

इतना ही नहीं : हांगकांग जो कि अपने आप में एक शहर और राष्ट्र भी है में 10% व्यापार भारतीयों द्वारा किया जाता है। इन भारतीयों की संख्या भी कुछ हजार ही है। आपको हैरानी होगी कि हांगकांग का 10% व्यापार भारत जैसे बड़े देश के कुल व्यापार से अधिक है।

यही स्थिति सिंगापुर की भी है यह भी अपने आप में एक शहर और राष्ट्र है, और यह भारत से अधिक निर्यात कर सकता है। इसका मूल कारण यह है कि भारत एक 'कैपिटिव मार्किट' है यहां पर उत्पादक भारत से बाहर प्रतियोगिता करने के बारे में कभी नहीं सोचते। यह उपभोक्ता का मार्किट नहीं है यह एक कैपिटिव मार्किट है; एक उत्पादक मार्किट है। अत: वे अपने मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं। कोई भी मूल्य ले सकते हैं और इस प्रकार वे बाहर प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते। भारत में भगवान् ने सभी प्रकार की प्राकृतिक सम्पदाओं को दिया है। हमारे यहां लौह अयस्क है, कोयला है। आजकल हर रोज हमें तेल और गैस के भण्डार मिल रहे हैं और कच्चा माल जिसकी आज हमें आवश्यकता है, हमें मिल रहा है। फिर भी हम अपना निर्यात व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत की अर्थ-व्यवस्था बहुत महंगी है।

मैं अपने वित्त मन्त्री और उनके राज्य मन्त्री, युवा श्री अजीत पांजा कुछ ऐसा करें जिससे ऊंची लागत वाली अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके। यहां पर विश्व में सबसे अधिक उत्पादन लागत है जैसा मैंने कई बार कहा है अमरीका में चाय का कप भारत में चाय के कप से सस्ता है। ऐसा क्यों है ? क्या हम इस महंगी अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ सकते। तभी भारत आगे बढ़ सकता है। आज हमारे उद्योगपति चाहे सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के हों, जानते हैं कि उनके पास भारत में सिले सिलाये परिधानों का बाजार है। यह एक कैपटिव मार्किट है। अत: वे यहां किसी को आने नहीं देंगे। अत: वे उपभोक्ताओं को आसानी से लूट सकते हैं अत: मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि उन्हें भारत में इस ऊंची लागत वाली अर्थव्यवस्था के कारणों का पता लगाना चाहिए और तभी वे सस्ती दर पर वस्तुएं बना सकते हैं और फिर हम विश्व में दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

हमारे श्रमिक कम कार्यकुशल नहीं हैं, हमारे तकनीकविदन कम कार्यकुशल नहीं हैं और हमारे यहां कच्चे माल की कमी नहीं है। हमारा देश सस्ती और अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता जैसे विश्व में अन्य देश करते हैं।

कृषि में, हमने तेजी से प्रगति की है इसका मुख्य कारण किसान स्वयं पर निर्भर है। हमने उन्हें निवेश दिया है और उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, और हम आगे प्रगति करने में समर्थ हुए हैं। लेकिन आज भारत में, विशेषतया सरकारी उपक्रमों जिन्हें रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन आज भारत में, विशेषतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रास्ता दिखाना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए, सरकार के अधिक नियन्त्रण के कारण या अन्य कारणों से जो चीजें उत्पादित कर सकते हैं नहीं कर पाते और विश्व बाजार में अन्य प्रतियोगियों की बराबरी नहीं कर पाते।

मैं एक समाचार पत्र से जुड़ा हुआ हूं। जो अखबारी कागज यहां उत्पादित किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष वे मांग करते हैं इसका मूल्य 1,000 रुपये या 2,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि वे उतने ही मूल्य पर अखबारी कागज का उत्पादन क्यों नहीं करते जितने मूल्य पर विश्व में अन्य देश करते हैं।

यही बात अन्य वस्तुओं पर लागू होती है जिनका हम उत्पादन करते हैं। अत: इस बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि अगर हम अपने देश में वस्तुओं में सुधार लाना चाहते हैं।

मैं हाल ही थाईलैंड गया था। मुझे विश्वास है वे लोग थोड़े समय में ही भारत के बराबर या आगे हो जायेंगे। एक भारतीय होने के नाते, उस देश के नागरिक के रूप में जिसकी आबादी 80 करोड़ है, यह एक विशाल देश है जिसमें भगवान् ने सभी प्रकार की सम्पदाएं दी हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि भारत विश्व में एक औद्योगिक राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता।

मैं अपने प्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को उनके द्वारा घोषित जवाहर रोजगार योजना के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष में यह योजना एक महत्वपूर्ण घोषणा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : चुनावों के अवसर पर।

श्री तरुण कांति घोष : यह चुनावों के अवसर पर किया गया है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? (व्यवधान) यह प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण घोषणा है (व्यवधान)।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : फिर नौकरियां चुनावों से पहले दी जायें। (व्यवधान)

श्री तरुण कांति घोष : आज बेरोजगारी हमारे युवाओं को खा रही है। अगर हम वास्तव में गरीबी दूर करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में अपनी कुंठा दूर करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो युवाओं को आशा दिलाई जानी चाहिए कि वे कुंठा महसूस न करें। मैं इस संसद के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को गैर-राजनीतिक, गैर-पार्टी योजना बनाना चाहिए इससे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या इस तरह की किसी बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यह बात मैं अपने विपक्ष के मित्रों को भी बता रहा हूं जब पंचायतें इस धन को खर्च करेंगी तो उन्हें युवाओं की अच्छाई के लिए खर्च करना चाहिए, कांग्रेस या कम्युनिस्ट युवाओं के लिए या इस युवा या उस युवा पर खर्च नहीं करना चाहिए। इस एक अनुरोध को मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : स्वीकार है।

श्री तरुण कांती घोष : बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया इसे अपने नेताओं को भी स्वीकार करवाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह आवश्यक नहीं है।

श्री तरुण कांति घोष। मेरा विचार यह है कि हमें अपने संविधान को बदलकर उसमें एक उपबन्ध शामिल करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी की गारन्टी दी जाये। लेकिन इसे करते हुए मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि समूचे देश के प्रत्येक स्कूल में टेक्नीकल शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू किया जाना चाहिए। हमें केवल क्लर्क नहीं बनाने चाहिएं बल्कि ऐसे लोग जो दोनों हाथों से काम कर सकते हों और देश के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हों।

अब मैं अपने राज्य की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहली समस्या जूट सम्बन्धी है। यह समस्या न केवल श्रमिकों की समस्या है, बल्कि यह किसानों की भी समस्या है। मेरे राज्य में आधे किसान जूट का उत्पादन करते हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अजीत कुमार पांजा इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस जूट उद्योग से न केवल श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है बल्कि बहुत से किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मूल्य घटक भी बहुत बड़ा कारण है। मैं नहीं जानता ये हमेशा घटते-बढ़ते क्यों रहते हैं और इनके घटने-बढ़ने से किसानों को नुकसान ही होता है। अत: मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में कुछ करें जिससे कि जूट उद्योग आत्मनिर्भर हो सके और किसानों को उनका ठीक मूल्य मिले।

पिछले 10 या 15 वर्षों से कुछ कारण हो सकते हैं, मैं राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहता, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास न केवल रुक गया है बल्कि उसको आघात भी पहुंचा है मैं यहां पर किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह सब मैं अपने माननीय मित्र और मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये जाने चाहिएं जिससे कि पश्चिम बंगाल जो 10 या 15 वर्ष एक सक्रिय औद्योगिक राज्य था पहले वाली स्थिति पर आ जाये। इसके लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ निर्धारित योजनाएं होनी चाहिएं जिसे हम उद्योगपतियों के लिए तैयार कर सकते हैं। हम उन्हें बिजली दे सकते हैं बिजली की काफी कमी है। हम उन्हें अन्य उपादान दे सकते हैं जिससे कि वे अपने उद्योग शुरू कर सकते हैं। मुझे खेद है आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते मुझे अपने राज्य के बारे में ऐसी कई बातें कहनी हैं, जिन्हें मैं यहां बताना चाहता हूं। मुझे आशा है हमारे मन्त्री जी जो कुछ मैंने कहा है, नोट करेंगे और कुछ सुनिश्चित कदम उठायेंगे जिससे कुछ समस्याओं को सुलझाया जा सके।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलांबा) : सभापति महोदय, पिछले वर्ष वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए उस समय के वित्त मन्त्री श्री एन०डी० तिवारी ने अपने बजट को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार बजट कहा था। हमने यह सोचा था कि अब कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाएगा और चूंकि सब कुछ कर दिया गया है अत: हर क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। यह वर्ष एक चुनाव वर्ष है और हमें विश्वास है कि वर्तमान बजट एक लोकप्रिय बजट होगा और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं क्योंकि इसी तरह के प्रयासों से लोगों की भलाई की जा सकती है।

आज 12.30 बजे प्रधान मन्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के बारे में था, उन्होंने नेहरू रोजगार योजना का वर्णन किया था और मुझे खुशी है कि इस प्रकार की योजनाएं घोषित की जा रही हैं लेकिन मुझे संदेह है कि क्या इस योजना को ईमानदारी से लाग किया जायेगा। मैंने ईमानदारी शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है। प्रधान मन्त्री जी ने दिसम्बर, 1987 में मद्रास में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में एक कार्यक्रम की घोषणा की थी कि उनकी सरकार ऐसे कार्यक्रम जैसे गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ की घोषणा करेगी।

मैं ऐसा नहीं सोचता और यह नहीं समझता कि वे निष्कपट भाव से ऐसा कह रहे थे अथवा वे निष्कपट का समर्थन कर रहे थे। बेकारी हटाओ अथवा गरीबी हटाओ के बारे नये नहीं हैं। हमारे देश में वर्ष 1951-52 में आयोजन के आरम्भ होने के समय से ही प्रत्येक योजना के अन्तर्गत यह योजना बनाई गई थी कि उस योजना के अन्त तक बेरोजगारी की संख्या योजना के आरम्भिक समय की अपेक्षा कम की जानी चाहिए। परन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि सभी योजनाओं के बाद बेरोजगारों की संख्या में असंगत रूप से वृद्धि हुई है तथा सरकार इस संबंध में बुरी तरह विफल रही है। और प्रधानमन्त्री महोदय ऐसी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या वह इस विफलता की बात जानते हैं अथवा नहीं। अन्यथा उन्हें इस नेहरू रोजगार योजना का विवरण देना चाहिए था।

अब मई का महीना है। उन्होंने यह कहा है कि चालू वर्ष के दौरान इस योजना पर 2,200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

2.13 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और वर्षा ऋतु आयेगी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है? इसे दिसम्बर तक अर्थात लोकसभा चुनाव से पहले कार्यान्वित करने की सम्भावना नहीं है। फिर वे इस स्थिति में इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है क्या उसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। मेरे अनुसार उसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। ये सभी नारे लोकप्रियता प्राप्ति के लिए हैं। हमें लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। गत चार वर्षों के दौरान ऐसा कार्य क्यों नहीं किया गया? यदि हम अपने अनुभवों की जांच और समीक्षा करते हैं तो गत चार वर्षों के दौरान इस दिशा में प्रयास किये गये हैं परन्तु इस बारे में सरकार पूर्णत विफल रही है। जहां तक इस उद्घोषणा का सम्बन्ध है इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है।

वित्त विधेयक को विचारार्थ रखते समय माननीय वित्त मन्त्री ने यह घोषणा की है कि कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं। ये रियायतें टी० वी० सैटों और दो पहिया वाहनों पर दी गई हैं। ये रियायतें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हैं, निर्धनों के लिए नहीं। जहां तक गरीबों का सम्बन्ध है उनके लिए प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर शुल्क को वापस लेकर कुछ रियायतों की घोषणा की गई है। मैं इन रियायतों का स्वागत करता हूं।

अब, मैं इन रियायतों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की बात पर आता हूं। गत वर्ष वित्त मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि यदि ये रियायतें उपभोक्ताओं को नहीं मिलेंगी तो इन रियायतों को वापस ले लिया जायेगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बात की जांच करने का प्रयास किया गया था कि ये रियायतें उपभोक्ताओं को दी गई हैं अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह जांच करने के लिए कोई एजेन्सी बनाई गई है जो कि पता लगा सके कि ये रियायतें उपभोक्ताओं को दी गई हैं अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि इस समय ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। वित्त मन्त्री यह पता लगाये बिना कैसे इन रियायतों को वापस ले सकते हैं कि उपभोक्ताओं को ये रियायतें दी गई हैं अथवा नहीं? माननीय मन्त्री महोदय उसी तर्क को दोहरा सकते हैं। परन्तु उन्हें इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस मुद्दे के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

अब मैं सम्पत्ति पर हदबन्दी की बात पर आता हूं। कृषि सम्पत्ति के सम्बन्ध में हद बन्दी कानून वर्ष 1960 से लागू है। हदबन्दी की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं। किसी भी किसान के पास हदबन्दी सीमा से अधिक भूमि नहीं हो सकती। परन्तु शहरी सम्पत्ति और औद्योगिक क्षेत्र के मामले में ऐसी हदबन्दी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितनी ही लागत के कितने भी मकान रख सकता है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है आजकल टाटा और बिरला की परिसम्पत्तियां लगभग 500 करोड़ रुपये है। इन बड़े उद्योगों और बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सम्पत्ति की कोई सीमा नहीं है। आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए।

जहां तक आय में असमानता का सम्बन्ध है आय में भारी असमानता है। सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने वाले लोगों को महगाई भत्ता देकर कुछ हद तक मूल्य वृद्धि से उनकी रक्षा की जाती है। संगठित क्षेत्र में 2 करोड़ और 50 लाख लोग हैं। इस समय हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है। इसका अभिप्राय यह है कि 77.50 करोड़ लोगों की मूल्य वृद्धि से रक्षा नहीं की जाती है। अब आप उनकी स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। संगठित क्षेत्र में मूल्य वृद्धि से रक्षा किये जाने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु सरकार का यह दायित्व है कि वह असंगठित क्षेत्र की भी मूल्य वृद्धि से रक्षा करें। ऐसा नहीं किया गया है।

अन्त में, मैं काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सरकार की ओर से काले धन का पता लगाने के लिए प्रयास किये गये हैं परन्तु उन्हें इन प्रयासों में वांछित सफलता नहीं मिली है। काले धन के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है और अन्ततः गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

महाराष्ट्र में मछुआरों की कुछ सहकारी समितियां हैं। अब आयकर अधिकारियों ने मछुआरों की इन सहकारी समितियों के सदस्यों को अलग-अलग नोटिस जारी किये हैं कि उन्हें अपने लेखाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे इस बारे में सन्देह है कि मछुआरों की समितियों के व्यक्तिगत सदस्यों की आय इतनी अधिक है कि उस पर आय कर लगाया जाए। अतः उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री इस मामले की जांच करें और आयकर अधिकारियों को यह हिदायत दें कि वे इन सहकारी समितियों के सदस्य मछुआरों को परेशान न करें।

[हिन्दी]

चौधरी लच्छी राम (जालौन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में वित्त मंत्री जी ने इस साल के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय है लेकिन हमारे विपक्ष के भाइयों को शायद एक आदत-सी बन गयी है कि हमारी ओर से चाहे कितने हितकारी प्रयास किये जाएं, लोगों की भलाई के लिये कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों न लागू किये जायें, वे हर प्रयास की निन्दा ही करते हैं। हमारा देश उपनिवेशवाद से निकल कर आया है। हमारे साथ संसार के जितने अन्य देश आजाद हुए, उनमें हुई प्रगति की तुलना में हमारे देश ने सबसे अधिक प्रगति की है, हमारा देश सबसे आगे है। हमारे देश में अनेकों प्राकृतिक विपदायें आयीं, मुसीबतें आयीं लेकिन इस सब के बावजूद हम उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जा रहे हैं। हमसे पहले आजाद हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं, अनुकरण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने गांवों के विकास के लिये घोषणा की है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस देश के जिस त्वरित विकास का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिये इस बजट में अनेकों प्रावधान किये गये हैं, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। हमारे गांव अभी अपेक्षाकृत पीछे हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। दरअसल, हमारे गांव दो भागों में बंटे हुए हैं : गांवों में कुछ लोग तो वे रहते हैं, जो अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के समर्थक रहे, उनकी हालत आज भी अच्छी है, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास पूंजी भी होती है और वे हर तरह की सहूलियतें प्राप्त करने में समर्थ हैं। इसके साथ-साथ गांवों में कुछ लोग पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग के भी रहते हैं, जिनके पास सदा से शिक्षा-दीक्षा का अभाव रहा है और वे हमेशा बेकारी की गर्द में दबे रहते हैं। स्वाभाविक है कि वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक कारण और भी है कि वे हमेशा से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते आये हैं, आज खेती के मामले में आधुनिक मशीनें प्रयोग में आने लगी हैं, खेती में यन्त्रीकरण के कारण भी उनमें से बहुत से खेतिहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिये अनेक योजनाएं चलायी, और उन कमजोर वर्ग के लोगों के अनेक बालक शिक्षित होकर बाहर निकले, लेकिन उनकी बड़ी तादाद ऐसी है जो हमसे काम मांगती है। खेतिहर मजदूरों के जो बच्चे पढ़-लिख कर बाहर निकले हैं, उनके लिए काम की अभी व्यवस्था नहीं हो पायी है।

मेरा एक सुझाव है कि हमारे देहातों में बेकारी की जो समस्या है उसको हल करने का एक ही रास्ता है, हमारी सरकार जो बड़े-बड़े कारखाने खोल रही है, वह शहरों में खोलती है। मेरा सुझाव है कि इन कारखानों को गांवों की ओर ले जाया जाए और उन कारखानों में प्राथमिकता दी जाए उन कमजोर वर्ग के लोगों को जो बेकार हैं जिनके पास काम नहीं है, जो खेती में यन्त्रीकरण होने के कारण बेकार हो गए हैं, मजदूरी ढूंढते फिरते हैं। बड़ी तादाद में लोग देहात से शहर में आ रहे हैं और उनको किन-किन मुसीबतों से निकलना पड़ रहा है, यह एक बड़ी दयनीय दशा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कारखानों के खोलने की जो नीति है वह ऐसी होनी चाहिए कि हर जनपद में दो-दो, चार-चार कारखाने ऐसे खोले जाएं जिससे वहां के बेकार लोग उनमें काम पर लगें और उनको शहरों में न दौड़ना पड़े।

महोदय, हमारे भाइयों ने जो इन्कमटैक्स की दर के बारे में बातें कहीं हैं, उनका भी मैं समर्थन करता हूं। 18 हजार की जो लिमिट रखी गई है वह लिमिट बहुत कम है। आज कल जो मंहगाई है, उसके आधार पर इसकी सीमा कम से कम 25 हजार रुपए होनी चाहिए। हमारे सभी साथियों ने 25 हजार के लिए जो विचार दिया है, मैं उनके उन विचारों का समर्थन करता हूं।

महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके सुरक्षित स्थानों को भरे; उसमें बड़ा कदाचार हो रहा है। आज 40 वर्ष हो गए और निरन्तर रिजर्वेशन की सीमा बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि जो उनके सुरक्षित स्थान थे, वे अभी तक भरे नहीं गए। इसलिए इस ओर कड़ाई का रुख अख्तियार करना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि जो नए कारखाने खुलें, उनमें कमजोर वर्गों के लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए जिन लोगों के पास अनेकों काम के साधन हैं, लम्बी खेती है, कारखाने हैं उनके परिवार के लोग नौकरियों में लगे हुए हैं और उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिलनी है। उसका कारण यह है कि वे रिश्वत दे कर, भ्रष्टाचार के द्वारा अपने लड़कों को भर्ती करवा देते हैं। कमजोर वर्ग के लोगों में आज इस बात का काफी रोष है कि सरकार ने वायदा किया था कि उनके सुरक्षित स्थानों को हम पूरा करेंगे, परन्तु आज 40 वर्ष के पश्चात् भी हम उनके सुरक्षित स्थान पूरे नहीं भर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कड़ाई के साथ इस ओर कदम उठाएं, क्योंकि कमजोर वर्ग में निरन्तर जो आक्रोश बढ़ रहा है वह आगे जा कर हमारे लिए बड़ा संकट पैदा करेगा और एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए इस बारे में खास तौर से प्रयास करना चाहिए।

महोदय, हमारे गांवों में सबसे बड़ी समस्या खेती की है और खेती के लिए चालीस साल की आजादी के बाद भारी प्रयास करने के बावजूद भी हमारी आधी से अधिक जमीन अभी सिंचित नहीं है। कुछ किसान जिनको सिंचाई के साधन मिल गए हैं, वे आज आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जिनको पानी नहीं मिलता है, वे परेशान और दुखी हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां 6 नदियां ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र में बहती हैं और 2,3 नदियां दूसरे प्रदेशों से आकर मिलती हैं, लेकिन उन सब का पानी बाहर चला जाता है, कहीं बांध की व्यवस्था नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां बांध योजना जरूर दी जानी चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार निवेदन किया कि हमारे यहां जो पचनद बांध है जहां 5 नदियां आकर मिलती है, वहां पर जल-भंडार बनाया जा सकता है, लेकिन प्रदेश सरकार अर्थाभाव के कारण उसमें काम नहीं कर पा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बांध जैसे अत्यावश्यक साधनों के लिए प्रदेश को विशेष रूप से धन देना चाहिए। हमारी आबादी प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ बढ़ती है और उसी तरह से हमको खेती में अधिक अन्न उपजाना है और उसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो।

हमारे यहां गैस का भारी भंडार है जो सारे देश भर में फैल रहा है और उस गैस के भंडार के उपयोग के लिए खाद के कारखाने दिए जाने चाहिएं। मेरे क्षेत्र से एक गैस-पाइप लाइन निकली है, उसके अन्दर कई आउट लैट खुले हैं, अगर वहां 2,3 कारखाने दे दिए जाएं तो हमारे इलाके की बेकारी दूर हो सकती है।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए वे अधिक धन दें ताकि उससे लोगों की बेकारी दूर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हेतराम (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत वित्त विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि इसमें कुछ रियायतें की गई हैं। परन्तु ये रियायतें किसे दी गई ? आजकल भारत में किन लोगों को रियायतों की जरूरत है। रियायतों की जरूरत गरीब लोगों को है। महोदय उत्पाद शुल्क

में 5 प्रतिशत रियायत दी गई है। परन्तु यह रियायत केवल पूंजीपति समाज अथवा भारत के पूंजीपतियों के लिए ही है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले रंगीन टी. वी० और स्कूटरों के मामले में उत्पाद शुल्क में छूट देने से कोई फायदा नहीं होगा। रंगीन टी. वी. देश के ग्रामीण भागों में रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए इस समय आवश्यक वस्तु नहीं है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1.20 रुपए से अधिक नहीं है। परन्तु आप टी० वी०, रंगीन टी० वी०, स्कूटर, कार इत्यादि पर उत्पाद शुल्क में कुछ छूट देने जा रहे हैं। हमारे देश के गरीब लोगों को इन वस्तुओं की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है।

महोदय, जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है वह दिशाहीन बन गई है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादियों के चंगुल में फंस गई है। जब भी उन लोगों को रियायतों की आवश्यकता होती है वे नियमों, विनियमों और कानूनों में परिवर्तन करवाकर अथवा उद्घोषणा द्वारा उन रियायतों को प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होता। अपनी दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली के कारण भारतीय समाज में घुन लग गया है। और इस आर्थिक प्रणाली से गरीब लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती है बजट से कुछ समय पहले ही दिल्ली के बाजार में गेहूं 350 रुपए प्रति क्विन्टल बिक रहा था और स्टील की लागत 500 रु० प्रति मीट्रिक टन थी। परन्तु अब इनके मूल्यों में कितना परिवर्तन हुआ है। गेहूं लगभग 80 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है और स्टील का भाव 1000 रु० प्रति मीट्रिक टन से भी अधिक होने जा रहा है। आप गरीब लोगों और किसानों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? जब एल्यूमिनियम बाजार में उपलब्ध नहीं है और स्टील के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आप कैसे यह आशा करते हैं कि गरीब लोगों के पास अपने मकान होंगे? और सीमेन्ट जो कि 52 रुपये प्रति बैग की दर से उपलब्ध था, बजट के बाद इसकी कीमत 82 रुपये प्रति बैग हो गई है। (व्यवधान) सरकार को यह देखना चाहिए कि गरीब लोगों के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था हो। परन्तु अब विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहूंगा कि भारत में मनुष्य के विकास तथा मानव संसाधनों के विकास की जरूरत है परन्तु हम क्या कर रहे हैं? प्रथम योजना में शिक्षा के लिए आवंटन कुल आवंटन का 7.3 प्रतिशत था जबकि अब सातवीं योजना में यह आवंटन कम हो कर कुल आवंटन 1.3 प्रतिशत मात्र ही रह गया है। आपने वैदिक काल के 4 वर्णों के आधार पर नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया है। उस समय समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग था। आजकल नव ब्राह्मण, अर्थात् धनवान व्यक्तियों के बच्चे शिक्षा का लाभ उठाते है। वे ऐसा कहां करते है। वे ऐसा पब्लिक स्कूलों में करते हैं। धनवान लोगों के लिए दून स्कूल है जहां प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है। वहां होस्टल, नौकर, तरण ताल, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और अन्य प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है जहां उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे प्राथमिक स्कूल अथवा सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें निम्न मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। जिनमें कम शिक्षित अध्यापक है और उनमें फर्नीचर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड आदि का अभाव है। अब हमारी एक नई शिक्षा नीति है जिसके अन्तर्गत अध्यापक तथा अन्य मूलभूत ढांचे के बिना खुले विद्यालयों और खुले विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है। यह नई शिक्षा नीति किन लोगों से लिए है? यह शिक्षा नीति उन अनुसूचित जातियों के लिए है जिनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है।

अब आप व्यावसायीकरण की बात कर रहे हैं। व्यवसायीकरण क्या है? भारतीय समाज में व्यावसायीकरण पहले ही था। मोची, सफाई करने वाले, नाई इत्यादि का ह्रास करने वाली व्यवस्था

में परिवर्तित कर दिया गया है और अब आप व्यावसायीकरण से क्या अपेक्षा करते हैं ? इससे फिर जाति व्यवस्था बलवती होगी । इसलिए आज उदार शिक्षा की जरूरत है । मुझे आशा है कि अनुसूचित जातियों को उदार शिक्षा दी जाएगी । अम्बेडकर उदार शिक्षा के कारण ही ऊंचे स्तर तक पहुंचे महात्मा गांधी को भी उदार शिक्षा मिली। लन्दन से स्नातक तथा विधि स्नातक करने के बाद उन्होंने जूते बनाने तथा बुनाई करने का कार्य प्रारम्भ किया । यदि आप शिक्षा के नाम पर गरीब लोगों पर व्यावसायीकरण थोपने जा रहे हैं तो आप उन्हें वास्तविक शिक्षा से वंचित रख रहे हैं सबसे अधिक गरीब को ब्लैकबोर्ड अध्यापक तथा अन्य बुनियादी जरूरतों सहित स्कूल उपलब्ध कराया जाए। यहां शिक्षा एक व्यवसाय बनती जा रही है और सभी अमीर लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा लोग, विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अन्य छोटी जातियों के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है ।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, भारत में यह 4.5 प्रतिशत है जबकि सरकार का कहना है कि हमारे पास सबसे अधिक प्रशिक्षित तथा शिक्षित मानव संसाधन हैं । यह 4.5 प्रतिशत विश्व में सबसे कम है । कोरिया और वियतनाम के पास भी पास के बराबर संसाधन नहीं हैं, लेकिन वहां पर उच्च शिक्षा का प्रतिशत भारत से अधिक है । अमरीका में यह 55 प्रतिशत है । यहां हम समझते हैं कि उच्च शिक्षा की जरूरत है । नई शिक्षा नीति इस प्रकार बनाई गई है कि एक लड़का स्कूल में प्रवेश लेगा और बिना किसी जांच और परीक्षा के स्कूल में 10 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद एक प्रमाणपत्र के साथ स्कूल से बाहर आएगा और वह शिक्षित कहलाता है। वे शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर देना चाहते हैं ताकि सबसे गरीब और अनुसूचित जाति के लोग समाज में ऊपर न उठ सके और श्री राजीव गांधी का विरोध करने के लिए कोई अम्बेडकर न बन सके । यदि हमारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत नहीं किया जाता आपकी सारी निर्यात और आयात नीति व्यर्थ रह जाएगी । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हम खनिज और अयस्क कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं और इनकी हमारे उद्योगों को जरूरत होगी । केवल मंत्रियों, राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों के लिए वस्तुओं का आयात होता है उन्हें अपने आलीशान मकानों के लिए वातानुकूलन यन्त्र, आयातित कार और आयातित साज सज्जा की जरूरत होती है । मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां पर कुछ भी आयातित नहीं है । हमारे आयात में वृद्धि क्यों हो रही है ? हम कृषि पर जोर नहीं दे रहे हैं, इसमें हमारे 77% लोग कार्यरत हैं । मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि ब्याज की दर आगम की दर पर आधारित होनी चाहिए । उद्योगपति सदैव 20% लाभ रखते हैं लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है । यदि उसे 12% ब्याज देना है तो उसे सूखे आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई भी आय नहीं हो सकती है । अभी किसान को 12% ब्याज देना पड़ता है लेकिन यह 6% से अधिक नहीं होना चाहिए । हमारे 77% लोग कृषि में लगे हुए हैं लेकिन बैंक ऋणों का केवल 17% ऋण कृषि के लिए रखा गया है । हमारी जनसंख्या का 17% भाग अनुसूचित जातियां हैं लेकिन उनके लिए डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत केवल 1% बैंक ऋण का प्रावधान है । मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमन्त्री ने नेहरू रोजगार योजना की घोषणा की है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम भी अन्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरह रहेगा क्योंकि सरकार इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए कोई जोर नहीं दे रही तथा इसमें इच्छा शक्ति नहीं है । इसी कार्यक्रम के लिए धनराशि आवंटित की गई है । धनराशि की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और कार्यान्वयन की कमी रही है । मुझे उम्मीद है

कि यह कार्यक्रम लोगों तथा राजनीतिज्ञों के लिए एक चुनाव पूर्व प्रचार या मजाक का कारण नहीं होगा और गरीब लोगों की कीमत पर धनराशि का दुरुपयोग नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा जो वित्त विधेयक सदन में पेश किया गया है और साथ में ही कल जब इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने 123 करोड़ रुपये की जो रियायतें घोषित कीं, उनका मैं स्वागत करता हूं।

यह बात सही है कि सदन के अन्दर जो विभिन्न डिमाण्ड्स थीं, मांगें थी, उन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन मैं इसके लिए खासतौर पर विपक्ष को दोषी ठहराता हूं कि उन्होंने इस सदन का बहुमूल्य समय जो बजट पर अनुदानों की मांगों की चर्चा में गुजारना चाहिए था, वह न गुजारकर यहां दूसरे मुद्दे उठाये और हम लोग और सदन के माननीय सदस्य बजट की इस बहुत ही जरूरी चर्चा से वंचित रहे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि हमारे संविधान के अन्दर जो समाजवाद लाने की नीति है और जिस प्रकार की नीति हमारे नेता राजीव गांधी जी ने और पहले हमारी नेता इन्दिरा जी ने कही थी कि गरीबी हटाकर लोगों को रोजगार देने की है, जिसके तहत जो स्कीम घोषित की गई, उसमें भी वह इसके बारे में निवेदन कर रहे थे लेकिन आज इस बात की खुशी है कि वह राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ तक की हो गई और पंचायतों के माध्यम से उसकी कार्यान्विति होगी जिससे कि हर एक परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार मिल सके।

मैं इस सम्बन्ध में खास करके निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर किसान रहते है, वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश करते हुए घोषणा की थी, वह घोषणा स्पष्ट नहीं थी इसलिए मै वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

गांवों के अन्दर जो किसान ऋण लेते हैं, जो प्रिंसिपल एमाउन्ट लेते हैं, उसका उनसे दुगुना, तिगुना और चौगुना वसूल किया जाता है। जो कलैमिटीज का समय है: जो अकाल और बाढ़ का समय है, उस वक्त का भी उनसे ब्याज लिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात की घोषणा करें कि जो गांवों के अन्दर ऋण दिया जाता है, वह प्रिंसिपल एमाउन्ट से दुगुना नहीं होगा और यह नियम हर एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होगा, तभी हम ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे। आजकल यह होता है कि बाढ़ और अकाल के समय का भी ब्याज लगा लिया जाता है। आज हम देखते हैं कि किसान बहुत कर्जे से दबे हुए हैं और खासकर राजस्थान जैसे इलाके के अन्दर जहां लोगों से बहुत ज्यादा वसूल किया जाता है। इस वजह से वहां बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है।

हमारे इस बजट के अन्दर खास कर जो मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर की डिमांड पेश की गई है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान रखा गया है और जिसमें यह भी बताया गया है कि उसके लिए पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रावधान है, लेकिन जब हम डिमांड को देखते हैं, तो मालूम होता है कि यह बात सिर्फ संकेत मात्र है, वास्तव में बैकवर्ड क्लास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर की डिमांड के पेज 23 और 27 इस बारे में बातें बताई गई है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण के लिए हम इतनी रकम देंगे,

लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं तो वैकवर्ड क्लास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर द्वारा सेवा संस्थाओं को भी मदद दी जाती है। उस के अन्दर इण्डियन रैड क्रास सोसायटी को जो मदद दी गई है, वह कम दी गई है। इण्डियन रैड क्रास सोसायटी एक ऐसी सेवा संस्था है, जो देश के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी मदद करती है। यह ठीक है कि मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर की डिमांड पर सदन में चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें।

जहां एक तरफ हम पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं वहीं हमें उनकी कुछ सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कई जगह पंचायत हैड क्वार्टर पर पोस्ट आफिस नहीं है। किसी किसी जगह तो पी सी ओ टेलीफोन की सुविधा तक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पंचायत राज के माध्यम से वास्तव करोड़ों रुपयों की योजनायें कार्यान्वित करने जा रहे हैं, उनको मजबूत करने जा रहे हैं तो देश के अन्दर प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की समस्या नहीं रहनी चाहिए। जहां पर पोस्ट आफिस न हो, जहां पर पीसीओ टेलीफोन की सुविधा न हो, वहां ये सुविधायें देनी चाहिए और कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए।

एक बात मैं नवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने राजस्थान राज्य की अवहेलना की है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस कमीशन की रिपोर्ट के 41 वें पेज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर विभिन्न राज्यों की दी गई मार्जिन का जिक्र किया गया है। और राज्यों की मार्जिन मनी में तो बढ़ोतरी की गई है, जब कि राजस्थान के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उदाहरण के तोर पर आन्ध्र प्रदेश के लिए जहां आठवीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 24.50 करोड़ रुपए दिए गए और नौवीं रिपोर्ट के अनुसार 43.25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, हरियाणा को 4.50 करोड़ रुपए और अब 5.75 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 7.25 करोड़ रुपए और अब 3 करोड़ रु० दिए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान को पहले भी 16.75 करोड़ रुपए दिए गए और अब भी 16.75 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों को जहां मार्जिन मनी की रकम बढ़ाने की सिफारिश की है, वहां राजस्थान के लिए अवहेलना की गई है। इसी प्रकार ग्रान्ट एण्ड एड्स का फार्मूला जो बताया गया है उसके अन्दर भी हम राजस्थान के लिए देखते हैं तो केवल 8.37 करोड़ रुपया दिया गया है, जब कि दूसरे राज्यों को ज्यादा दिया गया है। समय चूंकि कम है, इसलिए मैं आपको पूरे आंकड़े नहीं दे रहा हूं। फिर भी मैं मन्त्री जी का ध्यान नवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के 41 और 52 पेज की ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूं। वह राजस्थान केसाथ न्याय करें, जिससे राजस्थान, जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है और जहां पर डेजर्ट है, सूखा पड़ता है और फैमिन पड़ते हैं, की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकें।

एक और महत्वपूर्ण बात मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। उसके जरिये शिक्षा की बात कही गई है और मानव के उत्थान की बात कहीं जाती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जो हिन्दुस्तान है, हमारा जो भारत देश है, जो ऋषि-मुनियों का देश रहा है और विश्व के अन्दर शिक्षा देने के मामले में अगवा रहा है, उसको कल्चरल और मौरल एजूकेशन देने के विशेष प्रावधान रख कर विश्व के अन्दर आगे बढ़ना चाहिए। जहां एटामिक एनर्जी के जरिये एक दूसरे से प्रतिद्वंदता और साम्प्रदायिकता भावना की होड़ विश्व में लगी हुई है, उसको दूर करने के लिए भारत को आगे आकर मौरल एजूकेशन और कल्चरल एजूकेशन की पीच करने के लिए नवीन

बात रखनी चाहिए। वह जो मानव संसाधनों का नया महकमा बना है, उसके कुछ रिसोर्सेज का उपयोग इस के लिए किया जाना चाहिए।

मैं ट्रेड यूनियन की बात भी आप के सामने रखना चाहता हूं हमारे संविधान के अन्दर ट्रेड यूनियन और लेबर का विषय कान्करेन्ट लिस्ट में रखा हुआ है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पाली टैक्सटाइल मिल के अन्दर 5 हजार मजदूरों ने तीन महीने हड़ताल की और वर्कलोड बढ़ाने का जो मामला है, वह ट्रिब्यूनल में पेन्डिंग है लेकिन वर्कलोड का मामला पेन्डिंग होते हुए, जबकि मिल मालिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, वर्कलोड को उन्होंने चेन्ज कर दिया। मजदूर ने हड़ताल की और राज्य सरकार को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 10 (के) के अन्तर्गत आर्डर पास करना चाहिए था लेकिन वह उसने पास नहीं किया। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसकी जांच कराए क्योंकि हमारे देश के अन्दर किसानों और मजदूरों की सरकार है और हमारे राजीव जी के नेतृत्व में समाजवाद को वह लाना चाहती है। जहां पर मजदूरों के खिलाफ अन्याय होता है, किसानों के खिलाफ अन्याय होता है, वहां पर भारत सरकार को आगे आकर काम करना चाहिए।

अन्त में मैं और दूसरे मंत्रालयों के बारे में कुछ न कह कर, लॉ एण्ड जस्टिस मंत्रालय के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। ला एण्ड जस्टिस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में लीगल एण्ड टू दि पूअर की बात कही गई है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका विशेष फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि उसको न्याय मिले लेकिन आज हो यह रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है, उसको न्याय नहीं मिलता है और जिसके पास पैसा है, उस को न्याय मिल जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि लीगल प्रोफेशन का आप नेशनेलाइजेशन कर दीजिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। सरकार को गरीब लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इतना कहकर मैं फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*(श्री हरिहर सोरन क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक 1989-90 का समर्थन करता हूं। शुरू मे मैं एक सुनियोजित बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। यह गरीबों के पक्ष वाला बजट है। भारत सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कुछ राष्ट्रीय नीतियां अपनाई हैं। इन नितियों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना है। यदि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जाए तो इस देश के लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। वे गरीब और असहाय हैं। उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है। इसलिए हमें उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए जो ग्रामीण लोगों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए हैं। अभी तक गरीब लोगों का विकास नहीं हो रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि देश ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। महोदय सरकार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए काफी मात्रा में धनराशि आवंटित करती रही है। देश में संसा-

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

धनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह खेद पूर्ण है कि इस कार्य के लिए रखी गई सम्पूर्ण राशि को लोगों के कल्याण पर नहीं व्यय किया जा रहा। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए रखी गई धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के लिए इसका उपयोग हो रहा है। यह सच है कि ससाधनों की तंगी के कारण अनेक कार्यक्रम समय पर प्रारम्भ नहीं हो रहे हैं। मैं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वे कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देश कुछ मुख्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से ऋण ले रहा है। सरकार बांड इत्यादि माध्यमों से संसाधन जुटाने में भी अत्यधिक गंभीर है। मैं सरकार की नीतियों की प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह दुर्भाग्य-पूर्ण है कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि 1989-90 का बजट चुनावी बजट है। वे हर मुद्दे को राजनैतिक रूप दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों के कल्याण वाला बजट प्रस्तुत करने में क्या नुकसान है? क्या इस देश के गरीब लोगों का स्तर ऊंचा उठाना हमारा कर्त्तव्य नहीं है? यदि हां, तो उनके लिए बजट बनाने में क्या गलत है? महोदय, इस देश में सभी वर्गों के लोग रह रहे हैं इनमें अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। राष्ट्रीय राजकोष के लिए कुछ अंशदान करना मध्यम, उच्च-मध्यम और अमीर वर्ग का कर्त्तव्य है। यदि समृद्ध लोग कुछ त्याग करते हैं तभी गरीब लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने कृषि पर कुछ कर लगाए हैं। अधिक आय वाले वर्ग के लोगों पर धन कर लगाया गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है। इन करों की अदायगी अधिक आय वर्ग के लोगों द्वारा की जाएगी। इससे गरीब लोग प्रभावित नहीं होंगे। अमीर, उच्च मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ कर देने होंगे। यह धनराशि लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाई जाएगी। सरकार कानूनी रूप से कर एकत्र करना चाहती है। इसलिए कर लगाने के लिए सरकार की आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, कर एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों और कर दाताओं में पर्याप्त सहयोग का अभाव है। अधिकतर करदाता आयकर और धन कर से बच जाते हैं। कुछ सरकारी अधिकारी उनका किसी न किसी तरीके से बचाव करते हैं। इस कारण सरकार को हर वर्ष राजस्व की काफी मात्रा गंवानी पड़ रही है। आमतौर पर करदाता अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। वे सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करते हैं और उनके माध्यम से करों से बच जाते हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट मार्ग निर्देश दें। चाहे कर एकत्र करने वाले अधिकारी राज्य सरकारों के हों या केन्द्र सरकार के सभी को कहा जाए कि वे बेईमान करदाताओं के जाल में न फसें। इसके अलावा अनुचित तरीकों से कर दाताओं की सहायता करने का प्रयास करने वाले सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए। हम हर वर्ष आयकर और धन कर के माध्यम से उस वर्ष के लिए संसाधन अर्जित करने का अनुमान लगाते हैं। लेकिन जब वित्त वर्ष समाप्त होता है तो हमें पता लगता है कि हम अपने अनुमान से बहुत पीछे रह गए हैं। बजट प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय हर वर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उस वर्ष कितनी राशि खर्च की जाएगी, जब वर्ष समाप्त होता है तो हम पाते हैं कि हमने रखी गई राशि से कहीं अधिक व्यय कर दिया है। इसलिए मैं आय-कर और धन कर पर जोर देता हूं। उच्च आय वर्ग को वर्ष के दौरान अपने कर अवश्य ही देने चाहिएं। यदि कर निष्ठापूर्वक एकत्र किए जाएं और इनकी अदायगी ईमानदारी से हो तो हमें विभिन्न

कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। यदि घाटा है तो आवश्यक वाकि धनराशि बाहरी ऋणों द्वारा पूर्ण की जा सकती है। कुछ पूंजीपति हैं जिन्होंने अत्याधिक धन एकत्र कर लिया है। हमें कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करनी होंगी जिनके द्वारा उन्हें अपना कुछ धन देना होगा। इस देश के गरीब लोगों के लिए इस धनराशि को व्यय किया जाए। हमें यह धन उनसे लेना होगा और उसे गरीब जनता के कल्याण पर लगाना होगा। महोदय, हमने कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है। देश में अतिरिक्त खाद्यान है। परन्तु दुःख की बात यह है कि देश में प्रत्येक किसान और मजदूर की हालत में सुधार नहीं हुआ है। निहित स्वार्थ तत्व उनकी गरीबी का लाभ उठा रहे हैं। बिचौलिये गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। नियोजक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। हमें मजदूरों और किसानों को बिचौलियों और नियोजकों के चंगुल से मुक्त कराना है। उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने जवाहर रोजगार योजना को चालू करने के बारे में कुछ घोषणा की है। इस राष्ट्रीय योजना से समाज के निर्धनतम वर्ग को निश्चित रूप से लाभ होगा। इससे देश में बेरोजगारी की समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया जा सकेगा, परन्तु सवाल है इसका उचित कार्यान्वन कैसे किया जाए। राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना है बेरोजगार व्यक्तियों को इस योजना के माध्यम से किस प्रकार रोजगार मिलेगा।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ मामले उठाना चाहता हूं। मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि कृषि का विकास करना अति आवश्यक है। हम अपने उद्योगों का भी विकास करना है। मैं उड़ीसा के क्योंझर जिले से निर्वाचित सदस्य हूं। यह आदिवासी लोगों की आबादी वाला जिला है। यहां के अधिकांश लोग गरीब हैं। वे मुख्यतः छोटे और सीमांत किसान हैं। परन्तु यह दुःख की बात है कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में उन्हें विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वे वर्षा पर निर्भर रहते हैं। परन्तु कुछ वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण उन्हें अच्छी फसलें नहीं मिल रही है। मेरे जिले के चम्पुआ उपप्रभाग में कानपुर मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना को चालू करने का प्रस्ताव था। परन्तु उस परियोजना के लिए अभी तक धनराशि प्रदान नहीं की गयी है। इस परियोजना के चालू होने से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। पानी की समस्या के हल होने से इस सूखा पीड़ित उपप्रभाग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष यह परियोजना काफी समय से लंबित पड़ी है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान करें ताकि इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा सके।

3.00 म०प०

महोदय, क्योंझर जिले में खनिजों के विपुल भंडार हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि उस जिले में उपलब्ध खनिजों का उचित रूप से खनन किया जाए और खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए तो उससे स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। उन्हें उन खानों और खनिजों पर आधारित उद्योगों में काम करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं, हम क्योंझर जिले में उत्पादित खनिजों का निर्यात कर रहे हैं। कच्चे माल का निर्यात करने के बजाय हमें उनका उपयोग खनिजों पर आधारित उद्योगों में करना चाहिए। हम विदेशों से तैयार माल का आयात कर रहे हैं। यदि हम देश में उपलब्ध कच्चे

माल का उपयोग उन वस्तुओं के निर्माण में करें तो हम इनके आयात पर खर्च होने वाली धनराशि को कम कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने देश में विद्यमान निर्यात और आयात की स्थिति का उल्लेख किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए और आयात में कमी की जानी चाहिए। इसलिये खनिजों का निर्यात करने के बजाय हमें उनका अपने देश में ही उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम अपने लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और तैयार माल का निर्यात कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम आयात पर खर्च होने वाली राशि कम कर सकते हैं और तैयार माल का निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने देश के संसाधनों में वृद्धि कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपको बहुत अधिक धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर मैं एक विशेष मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टी वी पर एक्साइज ड्यूटी कम कर के उसके खर्चे को कम किया है। सिर्फ विपक्ष का होने के कारण यह बात कह दूं कि टी वी पर दी गई रियायत अमीरों को दी गई रियायत है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं श्री चव्हाण साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टेलीविजन पर रियायत दी है। टी वी आज हर आदमी की जरूरत है। यह सिर्फ संगीत सुनने की चीज नहीं है, इसके जरिए एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च जनरल नालेज, काफी कुछ जानने को मिलता है, इसलिए आज टी वी जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है।

जरूरी मुद्दा यह कहना है कि देखिए, पोजीशन यह है कि पंजाब समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, पिछले 9-10 वर्षों से सारे देश में फिरकावाराना फसाद हुए. दिल्ली, कानपुर, बोकारो में भी कुछ लोगों ने आगनाइज करके सिक्खों का कत्ल किया और हिन्दू मुस्लिम फसाद हुए, लेकिन पंजाब में हिन्दू सिक्ख फसाद आज तक जब से हिन्दू सिक्ख भाईचारे कायम हुआ है, कभी नहीं हुए। इसलिए जो कुछ हो रहा है वह टेररिस्ट्स बाहर से कर रहे हैं। मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं कि जब पंजाब के लोग झगड़ा नहीं करते पंजाब में वातावरण अच्छा है सद्भावना है सभी वर्गों में, हिन्दू सिक्ख में रोटी-बेटी का रिश्ता है तो हर 5-10 किलोमीटर के बाद वहां बी एस एफ है, पेरामिलट्री फोर्सेज और सी आर पी एफ है। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि जब पंजाब समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है तो पंजाब में पेरामिलट्री फोर्सेज और पुलिस का सारा खर्च चव्हाण साहब को उठाना चाहिए।

खुशी है कि चव्हाण साहब हंसे हैं, इसका मतलब है कि मानते हैं कि यह खर्च उनको उठाना चाहिए।

पंजाब में इतना खर्चा हो रहा है, सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों में जीपें, कारें सी. आर. पी. एफ. और बी. एस. एफ. को मूव करने के लिए लगी हुई हैं और सरकार की बसें भी उसके लिए लगी हुई हैं तो इसका खर्चा आप उठायें। यह साफ बात है कि विदेशी ताकतें इस मुल्क को डिस्टेब्लाइज करना चाहती हैं। जब विदेशी ताकतें, भारत के दुश्मन इस देश में, खासकर पंजाब में दखल दे रहे हैं तो उनको अकेले पंजाब के दुश्मन क्यों समझा जाये, खाली पंजाब को डिस्टेब्लाइज करना ही क्यों समझा जाये, इसलिए आपके खजाने से पैसा देने के लिए मैं पुरजोर अपील करता हूं। वैसी आर्थिक

स्थिति देश में है, उसमें थोड़े साधनों से इतना ही आप कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन और यत्न किया जाये जोर से कि जो किसान हैं उनको इनपुट्स को हम उसकी कीमत घटाने की कोशिश करें। हर साल हम 10-15 रुपये कीमत बढ़ा देते हैं किसी चीज की, फिर बोनस की मांग आ जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको निजी तौर पर बता दूंगा, पंजाब में एक ट्रैक्टर है, नाम लेने से उसकी मजदूरी ही होगी। वह ट्रैक्टर लाइनों में लगकर वहां मिल रहा है। हमारे पास रोज दो-चार आदमी आते हैं कि फलां ट्रैक्टर दिला दो, क्योंकि वह प्राइवेट है। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो ट्रैक्टर है, पानी की मोटरें हैं, ट्यूबवैल लगाने के लिए पी. वी. सी. पाइप्स हैं और जो दूसरी चीजें हैं, उनके लिए आप दो-चार दिन में सभी लोगों की एक कांफ्रेंस बुलाकर इस पर गम्भीरता से विचार करें कि कौन-कौन-सी चीजें किसान उपयोग करता है और हमें उन चीजों की कीमत कैसे घटानी है। यदि पूरा जोर इन पर हो जाये और विचार हो जाये तो 15-20 रुपये कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं, 30 रुपये क्विंटल किसान का खर्चा कम हो जायेगा।

जब हम विदेश से आते हैं, हम तो कोई चीज नहीं लाते, अगर लायें तो भूलकर भी ग्रीन चैनल से नहीं गुजरते। अगर साढ़े बारह सौ से कम की चीज हो तो साफ निकल आते हैं। यह साढ़े बारह सौ रुपये का क्या मतलब रह गया है। क्योंकि अगर साढ़े बारह सौ रुपये से ज्यादा की वस्तु होगी तो कस्टम लगेगा। मेरा आपसे यह कहना है कि इसको बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दें। क्योंकि बीस साल से यही साढ़े बारह सौ चला आ रहा है। एक बात और मैं आपसे कहूंगा पैसा बचाने की। मैंने जनाब को एक चिट्ठी लिखी थी 23 मार्च को। आपका एक आर्डर है 2 दिसम्बर, 1988 का नोटिस नम्बर 84। मैं आपके नोटिस में लाया था कि एक ग्लेक्सो कम्पनी है मल्टी नेशनल ड्रग फार्मास्टिकल कम्पनी है। उसको आपने सेफटाजिडम फोर्टम एक मेडिसन पर ड्यूटी फ्री ऑर्डर ओ. जी. एल. परमिट कर दी। यह दवाई सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग प्रयोग करते हैं। यह दवाई फिनिश्ड फार्म में आती है। मैं यह कहता हूं कि दूसरे लोग इसका रा मेटिरियल मंगाते हैं और यहां बनाकर बेचें तो उसको ड्यूटी लगती है, लेकिन ग्लेक्सो कम्पनी अगर सीधे लन्दन से यहां पहुंचाये तो उनको ड्यूटी फ्री है। अब इस पर भी ड्यूटी लगायें यह मैं आपको पैसा बचाने की बात कर रहा हूं। मैं आपकी जेब से पैसा निकाल नहीं रहा हूं, आपको देने की बात कर रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग, खास स्पेशलाइज्ड लोग इसको प्रयोग में लाते हैं···आपने घंटी बजा दी, मैं बैठ रहा हूं।

[अनुवाद]

*श्री राधाकांत डिगाल (फूलबनी) : महोदय, मैं उड़िया में बोलना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं हम वित्त विधेयक के बारे में बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, अनेक माननीय सदस्यों ने इस वित्त विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा साथ ही इस विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हमारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कृषि पर कर लगाये हैं। मैं कराधान का स्वागत करता हूं। क्योंकि इसका छोटे और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या गरीब लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महोदय, इस देश के 72 करोड़ लोग बजट का इन्तजार कर रहे थे। आपने बजट इस ढंग से तैयार किया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। यह बजट गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अन्य कमजोर वर्गों के हित है। देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगों ने बजट का स्वागत किया है। इसका कारण यह है कि आपने इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपना जीवन निर्वाह करती है। इसलिए कृषि के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। हमें उन क्षेत्रों का पता लगाना है जो कृषि उत्पादन में विकसित राज्यों से पिछड़ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि विगत चार या अधिक दशकों के दौरान कृषि पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गई है। परन्तु यह धनराशि कुछ क्षेत्रों में खर्च की गयी है, अधिकांश क्षेत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उड़ीसा के पिछड़े जिला फूलबनी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे 1984 में उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया गया। वित्त मन्त्री महोदय बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की स्थिति और वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हैं। माननीय प्रधान मन्त्री, जो इस सभा के नेता हैं, ने 1985 में मेरे जिले का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जिले के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा था कि फूलबनी और कालाहांडी जिलों के लोगों के विकास हेतु योजनाएं तैयार की जाएगी। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण मेरे जिले का कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। फूलबनी जिले में मुख्य सिंचाई की चार परियोजनायें हैं जो बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हैं। ये बाघा, सलग, बोडा पिपिली और संकफई सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और इनके अनुमानित खर्च का काम 1975 में पूरा किया जा चुका है परन्तु इन परियोजनाओं को अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। मैं नहीं जानता कि ये परियोजनायें बहुत दिनों से लम्बित क्यों हैं, क्या ऐसा उड़ीसा राज्य सरकार की भूल के कारण हो रहा है अथवा केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के कारण। यदि आप कृषि क्षेत्र के विकास के लिये प्रयास कर रहे हैं तो मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इन परियोजनाओं को चालू करने में विलंब के कारणों का पता लगायें साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें। महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जिला सूखा ग्रस्त जिला है। जिले में चार से अधिक ब्लाक सूखा से अत्यधिक प्रभावित हैं। वास्तव में इस वर्ष पूरे जिले में सूखा पड़ा है। आपने सूखा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अनेक कार्य किए हैं। परन्तु वे अपर्याप्त हैं। यदि आप वास्तव में मेरे जिले का कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे जिले की उन चार सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू कीजिए जिनका मैंने यहां उल्लेख किया है। महोदय मेरी दूसरी मांग अपने जिले में उद्योगों की स्थापना के बारे में है। जैसाकि आप जानते हैं कि वर्ष 1980 में मेरे जिले को उद्योग विहीन जिला माना गया। मेरे जिले में उद्योग की स्थापना करने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। वहां अभी तक किसी बड़े अथवा मध्यम उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है आज आप बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं। आपने आई० आर० डी० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं के द्वारा फूलबनी की जनता को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। महोदय, आपने उद्योगविहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। फूलबनी जिले के मानामुण्डा स्थान पर 150 करोड़ रुपए की लागत से उद्योगों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की वित्तीय अनुमति के लिए लम्बित पड़ा है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि उस परियोजना प्रस्ताव को शीघ्रता से वित्तीय स्वीकृति प्रदान कीजिए।

तीसरी बात मैं रेल संचार के बारे में कहना चाहता हूं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि रेल संचार के मामले में फूलबनी देश के अन्य जिलों से काफी पिछड़ा हुआ है। उस जिले में अत्यधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की है। यदि आप उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की चहुंमुखी उन्नति चाहते हैं तो हमें उन्हें उचित संचार सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि उस जिले में अभी रेल संचार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। 1947 में देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। उस जिले में रेल संचार सुविधा से वंचित होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई है। 1984 में जब मैं लोक सभा के लिए चुना गया तो मैंने यह मामला सभा में उठाया था। फूलबनी से होकर प्रस्तावित खुर्दारोड़—बोलनगीर लाईन के निर्माणकार्य को शुरू किए जाने के लिए मैं रेल मन्त्री के साथ-साथ प्रधानमन्त्री को भी पत्र लिखता रहा हूं। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि माननीय रेल मन्त्री श्री सिंधिया ने इस परियोजना को आरम्भ करने से मना कर दिया है। वे कहते हैं कि यह परियोजना आर्थिक दृष्टि कोण से व्यवहार्य नहीं है। महोदय, यदि इस परियोजना को लागू किया जाता है तो इससे एक पिछड़े हुए जिले की संचार व्यवस्था की समस्या का समाधान करने में बहुत मदद मिलेगी। अधिक संख्या में उस जिले में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय लोगों के संचार व्यवस्था की आवश्यकता को यह पूरा करेगी। अतः फूलबनी से होकर प्रस्तावित खुर्दारोड़-बोलनगीर लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। फूलबनी जिले में आपने कुछ आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास के भवनों का निर्माण कराया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका था कि यह उड़ीसा राज्य का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय बहुल लोगों का जिला है। इस समय वहां जितने विद्यालय और छात्रावास हैं वे उस जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त नहीं है। साथ ही राज्य हरिजन एवं आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा निर्मित कम लागत के छात्रावासों का निर्माणकार्य भी अच्छे स्तर का नहीं है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर भी बहुत अपर्याप्त है। मैं छात्रवृत्ति की दर में संशोधन का सुझाव देता हूं। सातवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को आप 60 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देते हैं।

इतनी कम छात्रवृत्ति की राशि से कैसे एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के व्यय पूरे कर सकता है। यह तो उन विद्यार्थियों को अर्थात् राष्ट्र के भविष्य को गरीबी भत्ता देने की तरह है। अतः मै छात्रवृत्ति की इस दर में संशोधन के लिये सरकार से पुरजोर सिफारिश करता हूं। मैं आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये 100 रुपए प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति देने की मांग करता हूं। हाई स्कूल के +2 कक्षा तक के विद्यार्थियों को 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए स्नातकोत्तर तक कालेज के विद्यार्थियों को कम से कम 250 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रत्येक विद्यार्थी को मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें तथा उसे पूरा कर सकें।

अन्त में मैं अपनी बातों को बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा और फिर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत फूलबनी से 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बोलनगीर से 2 तथा गंजम जिले से एक अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् भंजनगर है। माननीय श्री सोमनाथ रथ उस क्षेत्र से आते हैं।

बहुत दिनों से मैं और श्री रब एकीकृत्लम कमान क्षेत्र कार्यक्रम, नुआपारा और बिलुबालाइ परियोजनाओं को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए आपको इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करना होगा।

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) । आप कृपया 'उद्योगविहीन जिलों के सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री राधाकांत डिगाल : मैं पहले ही इस सम्बन्ध में कह चुका हूं। महोदय, सरकार के गरीबी हटाओ और रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों की आलोचना विपक्ष के माननीय सदस्यगण कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने श्रीमति इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश से गरीबी और बेरोजगारी हटाने का प्रयत्न किया है। अब एक होनहार मां के होनहार सपूत हमारे वर्तमान कुशल प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी इस देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। श्रीमति इन्दिरागांधी का सपना भारत को एक महान देश बनाने का था। उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास श्री राजीव गांधी पूरी तरह से कर रहे हैं। नेहरू रोजगार योजना निश्चित रूप से बेरोजगारी समाप्त कर देगी। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि फूलबनी को जवाहर रोजगार योजना शुरू किये जाने वाले जिले के रूप में चुन लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 16,400 करोड़ रुपया देश में खर्च करने के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है। यह संतोष की बात है, चर्चा होनी चाहिए। गरीबों, पिछड़े हुए लोगों, वनवासियों और आदिवासियों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह पैसा खर्च करना बहुत आवश्यक है, मगर जब केन्द्रीय सरकार योजना बनाती है तो योजनाओं के लिए पैसा बढ़ाने के लिए, बजट को लागू करने के लिए सिर्फ जो राजनीति में रहते हैं जो व्यापारी होते हैं, और कर्मचारियों के फायदे के लिए योजना बनाई जाती है, उनसे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, अगर आज उनका हिसाब बताएं और वह सही रूप मे खर्च किया गया होता तो आज देश में कोई गरीब नहीं रहता। जो करोड़ों रुपया हर साल बजट में एलोकेट करते हैं वह बराबर गरीबों के लिए खर्च नहीं हो रहा है। यह पैसा बड़े-बड़े कर्मचारियों के कारों में पेट्रोल डालकर पूरे देश में उनके परिवारों के साथ घूमने के लिए खर्च हो रहा है इस तरह से बहुत ज्यादा गरीब बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है।

मंत्री जी ने सदन में एक सवाल के जवाब में बोला था कि 37 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 37 परसेंट लोगों में किसी को गाय दी है भैंस दिया है या किसी को 100,200 रुपए की सब्सीडी दी है तो क्या इस तरह से आप उनको गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए। इस तरह से करना सरकार को शोभा नहीं देता।

मेरे क्षेत्र में सिंगरेनी कोयलरी है वहां पर एक-दो लाख के करीब लोग लेबर का काम करते हैं, माइन से कोयला निकालते हैं। वे लोग हमेशा अपनी डिमांड्ज कहते रहते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की

कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल नहीं है। इसके लिए वे अपना मांग करते है, आंदोलन करते है, सरकार को उनकी समस्याओं को देखकर उन्हें हल करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र तेलंगाना में इंचमपल्ली प्रोजेक्ट का फ्रांस वालों से सर्वे कराया गया था लेकिन अभी तक तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला कर मीटिंग नहीं की गई है। यह मीटिंग आप जल्दी से जल्दी करवायें ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। जिस स्थान में यह प्रोजेक्ट है वहां कम से कम 200 गांव है, लेकिन उन गांवों का विकास नहीं हो रहा है। गरीबों के घर बना कर नहीं दिये जा रहे हैं। आप उस तरफ ध्यान दें। इसके साथ ही आप इंचमपल्ली प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दा बनायें। मैं इतना ही कह कर के अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, यह जो फाइनांस बिल आया है उस पर सरकार ने कई करोड़ रुपये खर्च किये हैं। किसान और मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और गांवों और शहरों का अन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है? यह सभी जानते हैं कि 80 से 90 प्रतिशत तक लोग गांवों में खेती का काम करते हैं और उनके पास आय का दूसरा कोई साधन नहीं है। आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

मैंने कल एक प्रश्न के जवाब में साफ तौर से यह पूछा था कि कृषि मूल्य आयोग जो मूल्य निर्धारित करता है वह किस आधार पर वह मूल्य निर्धारित करता है और उसके क्या नॉर्म्स हैं। इसके साथ मैंने यह भी पूछा था कि क्या किसान को कम से कम 10 से 15 परसेंट तक लाभकारी मूल्य मिल रहा है या नहीं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने घुमा-फिरा कर मेरे प्रश्न का जवाब दिया। देहातों में रहने वाले किसानों की हालत को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और खेत मजदूरों की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। सरकारी कर्मचारी आपको जो प्रश्नों का जवाब बना कर दे देते हैं वही आप हमारे सामने दे देते हैं। मैंने आपको इस सम्बन्ध में एक लैटर भी लिखा था जिस का उत्तर मुझे आज ही मिला है, लेकिन उस लैटर का जवाब मैं घर में ही भूल आया हूं अगर उसका जवाब मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता। मैंने अपने उस लैटर में लिखा था कि ज्वार, बाजरा और पैड़ी का 10 से 15 परसेंट तक लाभकारी मूल्य आप क्या किसान को दे रहे हैं या नहीं। इसका जवाब आपने यह दिया कि उपभोक्ताओं के हित को दृष्टि में रखते हुए हम इसके मूल्य तय करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप किसानों को दबाना चाहते हैं। क्या आपने यह देखा कि किसानों को पहनने के लिये कपड़ा मिल रहा है या नहीं और क्या उनके बच्चों को बस या गाड़ी में यात्रा करने के लिये फ्री पास मिल रहा है या नहीं आपका कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अगर आपने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं दिया तो किसान अपने इस व्यवसाय से दूर भाग जायेंगे और लोगों को खाने के लिये अनाज भी नहीं मिल पायेगा। अभी आपने थाइलैंड से चावल मंगाया और दूसरी जगहों से गेहूं और अन्य कई चीजें मंगा रहे हैं। केरल में आपका चावल पड़ा-पड़ा बदबू मार रहा है और उसको कोई लेने वाला नहीं है। दो महीने से उसकी मार्किट बंद है। यही हालत मिर्च की है। आपका ट्रेडिंग कारपोरेशन हैदराबाद और वारंगल में मिर्च आदि चीजें खरीदने की कोई मार्किट क्यों नहीं खोलता है। चाहे आन्ध्र प्रदेश सरकार हो, चाहे आप हों। परसों किसान लोग ट्रक में मिर्च ले जा रहे थे तो ट्रक उलट गया, 10 लोग मर गये, वारंगल से नागपुर जा रहे थे, वारंगल और नागपुर के बीच 250-300 किलोमीटर का अन्तर है, उस 250 किलोमीटर में ही पर क्विंटल 500 रुपये कम है,

सरकार क्या कर रही है, सरकार इतने कम पैसे देकर क्या करना चाहती है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हैण्डलूम वाले आत्महत्या कर रहे हैं, कल आपके ही किसी सदस्य ने बताया कि सरकार की हैण्डलूम पालिसी के कारण हैण्डलूम वीवर आत्महत्या कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में हैण्डलूम वीवर भूखे मरकर आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसकी जांच कराई, वह तो मानते ही नहीं कि मर गये।....(व्यवधान)....रामाराव सरकार नहीं, राजीव गांधी की टैक्सटाइल पॉलिसी के कारण हैण्डलूम वीवर काम नहीं मिलने के कारण, उनका कपड़ा मार्केट में नहीं बिकने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सूत का भाव बढ़ गया, कपास का भाव गिर गया, कपड़े का दाम बढ़ गया, कपास का दाम गिर गया, यह क्या अन्तर है, मुझे समझ में नहीं आया, आप इसमें कुछ तालमेल बनाइये। आप जो फर्टिलाइजर किसान को देते हैं, उसके रेट में तालमेल बनाओ, उसका अनुपात लगाओ और किसान की उपज का अनुपात लगाओ। यह भी सोचिये कि इण्डस्ट्रियल गुड्स में इतना अन्तर क्यों होता है, कोकाकोला 70 पैसे में बनता है और बाहर तीन रुपये में मिलता है, उसी प्रकार बजाज स्कूटर साढ़े सात हजार में बनता है और बाहर 13 हजार रुपये में मिलता है, इतना क्या अन्तर है। किसान को क्या मिलता है, इसकी आप परवाह नहीं करते, उसकी उपज का कोई लेने वाला नहीं, कोई मार्केट नहीं, इतने पैसे लेकर भी आप लोग उसे तंग कर रहे हैं।

मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया है कि बताइये, दिल्ली सरकार अपने आफिसरों के मकानों के लिए, बाबू लोगों के मकानों के लिए या पढ़े लिखे लोगों की सोसायटी के लिए घर बनाने के लिए किसान की जमीन लेती है तो लेने के 5 साल के बाद पैसा देती है और उसके साथ 6 परसेंट या 4 परसेंट इन्टरैस्ट देती है। जमीन लेने के 10 साल के बाद या 5 साल के बाद डेट ऑफ एक्यूजेशन से पैसा देती है तो मार्केट वैल्यू 5 साल पहले की देती है और कुछ इन्टरैस्ट ब्याज देती है तो उस पर आपकी सरकार उससे इन्कम टैक्स वसूल करती है, 194 (सी) के तहत, यह क्या जुल्म है किसान के ऊपर। श्रीसेलम प्रोजैक्ट बने 15 साल हो गये, उसके अन्दर आप पैसा दे रहे हैं 15 साल के बाद, 15 साल में लोग कोर्टों में गये और तब भी वास्तव में जिस जमीन की कीमत 50 हजार रुपये एकड़ है उसका आप 10 हजार रुपये दे रहे हैं। दस हजार रुपये पर 10 साल का जो सूद होता है उस पर आप इन्कम टैक्स वसूल कर रहे हैं, मंत्री जी सोचिये, यह क्या क्रिमनल कार्यवाही है। किसानों को इससे मुक्त कीजिए, सेक्शन 194 (सी) के तहत, इसके लिए मैं मंत्री जी को लिखकर दे चुका हूं। श्रीसेलम प्रोजेक्ट में कुरनूल जिले में, महबूब नगर जिले में लाखों रुपया वसूल अभी तक हो चुका है, यह क्या जुल्म होता है। आप किसान से जबरदस्ती जमीन लेते हैं और बाद में पैसा देते हैं और उसको सूद का पैसा नहीं देकर उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। गवर्नमेण्ट के पास पैसे नहीं हैं, आपकी लैण्ड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स में देर होने के कारण उनको पैसे लेट मिल रहे हैं।

[अनुवाद]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

[हिन्दी]

इसलिए इन्टरेस्ट के ऊपर इन्कम टैक्स वसूल करना क्रिमीनल है, फाइनेंस डिपार्टमैण्ट वाले क्रिमीनल हैं, यह किसानों की खुली चोरी है, किसानों का खून चूसने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी उनको इन्कम टैक्स से मुक्त कीजिए।

साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. बेकार स्कीम्स हैं, इन स्कीमों में पैसा खराब हो रहा है, उसमें जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। आप पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : दो रुपये किलो चावल देने की स्कीम अच्छी है?

श्री सी० जंगा रेड्डी : एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. में मस्टररोल होता है, 10 लोग काम करते हैं तो बाबू लोग 15 लोगों का अंगूठा लगा लेते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि उस पैसे के लिए जांच होनी चाहिए, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रूरल डवलपमेंट के लिए आप पैसा दे दीजिए लेकिन यदि आप समझ रहे हैं कि पैसा सीधे मजदूर को पहुंच रहा है तो यह बिल्कुल गलत बात है। आर. एल. ई. जी. पी. और मजदूर के बीच में विलेज डवलपमेंट आफिसर होता है, उनको वहां लगाया जा रहा है, वह चोरी करते हैं। आप कहीं भी, किसी भी राज्य में जाइये, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, मैंने सुना, हर राज्य में इसका दुरुपयोग हो रहा है जितना पैसा आप यहां से दे रहे हैं उतने पैसे का काम नहीं हो रहा है। अगर आप एन. आर. ई. पी. या आर. एल. ई. जी. पी. में मजदूर को 6 रुपये, 10 रुपये देते हैं तो उसको कितना काम करना चाहिए, इसका कोई यूनिट नहीं है इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि राज्य सरकारें वोट प्राप्त करने के लिए जन-कर्षक के कार्यक्रम को महत्व दे रही हैं। हमारे आन्ध्र प्रदेश में एनटी रामा राव ने दो रुपए किलो दिया है और उससे 13 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। ऐसे कार्यक्रमों से डवेलपमेंट का काम स्थगित हो गया है। इस 13 करोड़ रुपए से दो प्रोजैक्ट बन सकते थे। ऐसी चीजों को रोकने के लिए आपको लगाम लगाना जरूरी है कि राज्य सरकारें वोट कमाने के लिए रुपए का इस तरह से बंटवारा न करें। इसलिए आपको उस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

3.36 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

65वां प्रतिवेदन

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 26 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए पैंसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विनांक 26 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.37 म०प०

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : 31 मार्च, 1989 को डा० कृपासिन्धु भोई द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प पर हम आगे चर्चा करेंगे।

श्री मनोज पांडे अपना भाषण जारी रख सकते हैं। वे इस सभा में उपस्थित नहीं है। अब श्री सोमनाथ रथ अपनी बात कहें।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अनुरोध करता हूं कि अन्य संकल्पों पर भी साथ चर्चा की जाए। अन्यथा उन पर चर्चा करने का समय हमें नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है उसके लिये सिर्फ 40 मिनट रह गये हैं। मन्त्री जी द्वारा अन्तिम उत्तर दिये जाने के पश्चात् निश्चित रूप से हम अन्य संकल्पों पर आज ही चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइये।

श्री डाल चन्द्र जैन। धन्यवाद महोदय।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मेरा यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों से सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत करने के लिये अपने मित्र डा० कृपासिन्धु भोई को बधाई देता हूं। महोदय, इस सभा में सभी दलों ने स्वास्थ्य नीति के प्रति तथा हमारी स्वास्थ्य नीति के दो लक्ष्यों—2000 ईस्वी तक सबके लिये स्वास्थ्य तथा 2000 ईस्वी तक एक बच्चे के मानदंड को स्वीकारने की नीति के प्रति उत्सुकता दिखाई है।

इस नीति को लागू करने के लिये हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा चलाये गये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक कदम उठाये गये हैं। हमारे परिवार नियोजन के लक्ष्य विशेष रूप से बंध्याकरण; आई यू डी और खाने की गोलियां, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के कार्यक्रमों आदि को उचित महत्व दिया गया है। प्रति एक हजार आबादी पर मृत्यु दर 27.7 से घट कर 14.8 हो गई है तथा शिशु के जन्म पर अनुमानित जीवनकाल 32.7 वर्ष से बढ़कर 52 वर्ष हो गया है।

इस शानदार प्रगति के बावजूद अभी भी देश की आबादी और लोगों का स्वास्थ्य गम्भीर चिंता का विषय बने हुए हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के जीवन पर तथा देश के विकास पर जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर लगातार प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास

और हमारी सम्पूर्ण उपलब्धियों को इसने सदा कर दिया है। औरतों और बच्चों की मृत्युदर अभी भी अधिक है। मृतकों का एक तिहाई भाग पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। शिशुओं की मृत्युदर 129 प्रति हजार के करीब है। कुपोषण की वही स्थिति है। ग्रामीण आबादी के केवल 31 प्रतिशत को ही पेय जल की सप्लाई हो पाती है। पूरी आबादी का 0.5 प्रतिशत ही आरोग्य सेवकों का लाभ उठा पाते हैं। इस बढ़ती हुई आबादी का कारण गरीब और अज्ञानता है।

अब इस बात की आवश्यकता है कि इन उपायों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें शीघ्रता-पूर्वक लागू किया जाए ताकि जैसी कल्पना की गई है इस शताब्दी के अन्त तक हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। आज सभ्य की मांग है कि गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम लोगों का कार्यक्रम होना चाहिए और विशेष रूप से आदिवासी, पहाड़ी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में इसे स्वेच्छा के आधार पर कार्यान्वित किया जाए।

हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को दबाव द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इसे लोगों में विश्वास उत्पन्न करके कार्यान्वित करना चाहिए। यही हमारी नीति है। भारत पहला देश है जहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकार द्वारा अपनाया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया गया है।

सभी गांवों में छोटे परिवार का प्रचार हो और लोगों को शिक्षित किया जाए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत देश के सभी भाग आने चाहिए और इसके लिए सभी पार्टियों के सहयोग की जरूरत है।

1977 के बाद क्या हुआ ? इससे पहले परिवार नियोजन का एक ढांचा था। लेकिन राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इस ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसकी काफी आलोचना हुई, बल्कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को हतोत्साहित किया गया। वास्तव में चुनावों के समय, उस समय की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। सत्ता में आने वाली पार्टी ने सभी बुनियादी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। इसलिए जन्म दर कम होने की बजाय बढ़ गई। इस प्रकार अब उन गलतियों को सभी पार्टियों ने महसूस किया है। सभी पार्टियों को अपनी पार्टी से परे होकर एक साथ सहयोग करते हुए यह घोषणा करनी चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय नीति है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में परिवार नियोजन पूरी तत्परता से लागू हो; और इस उद्देश्य हेतु सम्बन्धित सभी पार्टियां ईमानदारी और निष्ठापूर्वक प्रयास करें।

अब बाल-श्रम को लेते हैं। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार कि भारत में 17-36 मिलियन बच्चे काम करते हैं जबकि गैर सरकारी स्रोतों के अनुसार यह संख्या 44 मिलियन और 100 मिलियन के बीच है। बाल-श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। एक औद्योगिक क्षेत्र में किये गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी वर्ग में बच्चे विशेषकर लड़कियां अत्यधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार बसबन्दी के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन

में कमी हुई है। यह तो स्वास्थ्य विभाग को देखना है कि यह कमी क्यों है। 'लेप्रोस्कोपी' में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गर्भपात के लिए भी ऐसे ही उपाय किए जाएं।

मैं चीन गया था। हमने चीन में पाया कि दो दशक में जनसंख्या वृद्धि दर को 3% से घटा कर 1-2% कर दिया गया। भारत में थोड़ी कमी आई है और यह कम होकर 2% रह गई है। हम भारत में हर वर्ष परिवार कल्याण के अन्तर्गत योजनाओं पर काफी धनराशि खर्च करते हैं लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक नहीं मिले हैं, यह अभी भी 2% है।

भारत की योजना की सफलता परिवार नियोजन के प्रयासों पर निर्भर करती है। यदि हमें देश में गरीबी और बेरोजगारी को हटाना है तथा सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो जनसंख्या में इस अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक बच्चे क्यों पैदा करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका एक कारण तो निरक्षरता है, अन्य कारण जल्दी विवाह तथा अन्य सामाजिक और धार्मिक मुद्दे भी इसका कारण हैं। लेकिन हम एक और मुद्दा अर्थात गरीबी को भूल जाते हैं। गरीब मां-बाप को बुढ़ापे में सुरक्षा के रूप में अधिक बच्चों विशेषकर पुत्रों की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम लोगों के दिमाग में यह बात डाल सकें कि एक बच्चा भी लम्बी आयु जी सकता है और यदि हम लोगों को उनकी वृद्धावस्था में बेहतर देखभाल और सुरक्षा दे सकें तो मेरे विचार से उनका रवैया बदल जाएगा।

हम चीन में भी अनेक बूढ़े लोगों से मिले। वहां भी ऐसी ही स्थिति थी। वहां भी बूढ़े लोग पुत्र चाहते हैं।

निःसन्देह, भारत में स्थितियां भिन्न हैं; मां-बाप की मृत्यु के बाद पुत्र धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसलिए एक पुत्री होने के बावजूद मां-बाप पुत्र की कामना करते हैं। लेकिन चीन में बहुत अच्छा कार्य हुआ है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, मैं समझता हूं जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं इस मुद्दे पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि चीन में इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य हुआ है; ऐसी व्यवस्था है कि 20 परिवारों के लिए एक समिति है और उस समिति के सदस्य उन 20 परिवारों की देखभाल करते हैं और उन्हें परिवार नियोजन की शिक्षा देते हैं। यदि एक महिला एक बार से अधिक गर्भवती हो जाती है तो वे उसे गर्भपात के लिए राजी करते हैं। चीन में एक बच्चे का नियम है जबकि भारत में दो बच्चों का नियम है। चीन में एक बच्चे का नियम है और संकल्प में भी इस पर जोर दिया गया है। इसलिए भारत में जरूरत इस बात की है कि हम इस आन्दोलन को लोकप्रिय बनाएं। चीन में ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी नीति को पूर्णतया सही रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार हमें साक्षरता, शिक्षा पर जोर देना चाहिए और परिवार नियोजन के मानदण्डों को क्रियान्वित करने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग भी होना चाहिए। सन् 1947 में हमारी जनसंख्या 342 मिलियन थी जो 1988 में 800 मिलियन हो गई। विश्व का 2.4 प्रतिशत भू-भाग हमारे देश में है

जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भाग यहां पर है अर्थात हमारे देश में हर वर्ष 15 मिलियन की वृद्धि हो जाती है। हम आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या और बढ़ा देते हैं तथा क्षेत्र वही रहता है।

शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है हालांकि 1977 में 140 प्रतिशत की तुलना में अब यह कम होकर 95 प्रतिशत है। सभी परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा विशेष रूप से ग्रामीणों को प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस समस्या का यही समाधान है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कड़ाई से लागू हो। एक छोटे परिवार के प्रति विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में प्रोत्साहन की कमी इस समस्या का वास्तव में मुख्य कारण है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सेवा और निष्ठा की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। भारत सरकार परिवार कल्याण पर शतप्रतिशत खर्चा वहन कर रही है।

खण्ड स्तर पर दो डाक्टर और अनेक अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ता इस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। लेकिन क्या वे निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं? विभाग उन्हें सेवा की भावना सिखाए। जब तक वे परोपकारी भावना से कार्य करके लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो यह नीति कैसे कार्यान्वित हो सकती है?

जन्म दर में निश्चित रूप से कमी हुई है लेकिन यह बहुत मामूली है क्योंकि परिवार नियोजन को अपेक्षा के मुताबिक स्वीकारा नहीं गया है। जैसाकि मैंने कहा है, ऐसा कम उम्र में विवाह, सामाजिक रवैया, धार्मिक विश्वास और निरक्षरता के कारण है। लेकिन यदि सभी राजनैतिक पार्टियों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाएं तो इन पर काबू पाया जा सकता है। मैं सभी राजनैतिक पार्टियों और स्वैच्छिक संगठनों तथा लोगों से अपील करता हूं कि वे इस विषय में सरकार की मदद करें। जनसंख्या में वृद्धि अधिक है इसलिए जन्म देने की दर पर नियन्त्रण की जरूरत है। हर वर्ष परिवार नियोजन पर अत्यधिक निवेश करने के बावजूद जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर खतरनाक रूप से अत्यधिक है। ऐसी परिस्थितियों में यदि हमें अच्छा आर्थिक विकास प्राप्त करना है तो जरूरत इस बात की है कि जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियन्त्रण किया जाए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं डाक्टर ओझे ने जो यह रिजोलुशन रखा है यह इस साल के रिजोलुशंस में सबसे महत्वपूर्ण है। देश को यदि सबसे ज्यादा जरूरत किसी बात की है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने की है। अपना दुर्भाग्य है कि इस समस्या पर लोग गम्भीरता से नहीं सोचते हैं। जैसा कि अभी रथ साहब ने कहा कि 1977 के अनुभव के बाद लोगों में एक दहशत सी फैल गई है कि जो राजनीतिक पार्टी या सरकार इसमें पहल करेगी वह कठिनाई में पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। 1975 से 77 के दौरान कुछ ज्यादतियां हुई थीं, उसमें कुसूर फैमिली प्लानिंग का नहीं था, कुसूर उन लोगों का था जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट कराया था, जिन्होंने जोर जबर्दस्ती नसबन्दी कराई थी। वक्त आ गया है कि पूरे मसले पर बिलकुल ठीक ढंग से सोचा जाये, नये सिरे से सोचा जाये। मैं करीब डेढ़ साल पहले चीन गया था। वहां पर एसिया के सभी देशों के प्रतिनिधि आये थे और पापुलेशन कंट्रोल की कांफ्रेंस हुई थी, पांच-छः दिन तक यह चली।

मैंने उसमें भाग लिया था और बड़े गौर से मैंने सारी प्रोसिडिंग को सुना और देखा था। मुझे लगा कि बिना किसी कठिनाई के अपने देश में पापुलेशन कंट्रोल हो सकता है। एशिया और देशों की तुलना में बेहतर है। लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बंगला देश और नेपाल को छोड़कर एशिया के सभी देशों में पापुलेशन कंट्रोल के प्रति बड़ी सजगता है। लोग इसके प्रति बड़े जागरूक हैं। लोगों ने सही अर्थ में चीन से सीखा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन में शुरू में थोड़ी-सी जोर-जबर्दस्ती भी हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, लेकिन आज की तारीख में चीन में इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव के बल पर पापुलेशन कंट्रोल की जा रही है। वहां पर वन चाइल्ड नार्म है। जो लोग इस नार्म को अपनाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधायें दी जाती हैं जैसे रियायती तौर पर फ्लैट दिया जाता है। चीन में भी निजीकरण हो रहा है।

4.00 म० प०

या छोटा सा फार्म दे दिया जाता है, या कुछ दूसरी सुविधायें दे दी जाती हैं, जिससे उस आदमी क अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने में सहायता मिलती है। वहां एक और बात है। जैसे हमारे देश में छोटे-छोटे ब्लाक्स होते हैं, वैसे ही चीन में समूचे एरिया को छोटे-छोटे एरियाज में बांट दिया गया है और उस एरिया में एक लेडी डाक्टर अप्वाइंट की हुई है जो अपने एरिया मे घूम-घूमकर यह पता लगाती है कि उसके क्षेत्र में किसी महिला ने गर्भ तो धारण नहीं किया है। हर महीने वह अपनी

4.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके पास अपने एरिया के हर सम्पत्ति का फूलप्रूफ रिकार्ड मौजूद रहता है। यदि किसी सम्पत्ति को पहले से कुछ इन्सेंन्टिव मिल रहे होते हैं और लेडी डाक्टर को पता चल जाये कि महिला फिर से मां बनने वाली है तो उस सम्पत्ति को मिलने वाले तमाम इन्सेंन्टिव्स समाप्त कर दिये जाते हैं। समाज में रहने वाले बाकी लोगों के लिये यह एक प्रकार की वार्निंग है। सुनने में तो बहुत अटपटा-सा लगता है परन्तु अब वहां ऐसी प्रथा बन गयी है। जैसा कि अभी कहा गया, चीन में रेट ऑफ पोपूलेशन 3 परसेंट से घटकर 1.2 परसेंट पर आ गया है। फिर अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि केवल मात्र स्ट्रांग विल की आवश्यकता है। पोपुलेशन कन्ट्रोल के लिये हमने कितने उपाय किये, कितना खर्च किया, लेकिन क्या वह खर्च सही तरीके से किया गया क्या उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचा, जिन के लिये हमने प्रयास किये या खर्च किया। मैं खुद घूमता हूं और मैंने स्वयं देहातों में जाकर देखा है कि 20 वर्ष पुरानी परिपाटी को आधार बनाकर मम्मी-पापा के लिये कुछ ऐसे अनाप-शनाप स्लोगन लिखे रहते हैं और नीचे लिखा होता है परिवार सीमित कीजिये, जिसका कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था गांव के लोग हमारे प्रचार को बड़ा बेहूदा मानते हैं। उनका कहना है कि फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन केवल मम्मी-पापा जैसे लोगों के लिये है, गरीब लोगों के लिये नहीं है। इट इज मैंट फार एफ्लूऐंट प्यूपल ओनली। हमारे देश में फैमिली प्लानिंग के लिये जो पब्लिसिटी मैजर्स अपनाये जाते हैं, वे एकदम इफैक्टिव नहीं हैं। आपके टेलीविजन पर न्यूज के बाद फैमिली प्लानिंग से सम्बन्धित जो एडवर्टाइजमैंट आता है, सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा है कि वह बड़ा वाहियात एडवर्टाइजमैंट है और परिवार के लोगों के बीच बैठकर देखने लायक नहीं है, क्योंकि परिवार में सब लोग मिलकर ही टेलीविजन देखते हैं। तो उसे दूसरी तरह से दिखाया जा सकता है। यह उससे भी अच्छा है कि आप इसे लेट आवर्स में दिखाएं। इसका एक और तरीका है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था,

उस समय लाइफ इंश्योरेंस नया-नया चला था, शायद नैशनलाइजेशन हुआ था, तो सरकारों ने एक एडवर्टाइज़मेंट बहुत अच्छा चलाया था—दो एक तरह के परिवार हैं, एक परिवार ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, एक व्यक्ति ने, एक इंडीविजुअल ने. दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार को एक लाख रुपया मिला और वह अच्छी तरह से जीवनयापन करने लगा। दूसरे परिवार ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया। उसके हैड आफ दि फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और वह मिट्टी में मिल गया। अगर आप इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट टी० वी० पर दिखा सकें—एक परिवार ने जिसने फैमिली प्लानिंग करवाया, वह जीवन में कैसे बढ़ता गया और दूसरे ने जिसने बच्चे पैदा किए वह मिट्टी में मिल गया। इसका अच्छा असर पड़ेगा। टालस्टॉय ने भी कहा था कि किसी बात को आप कहानी बनाकर कहिए, तो उसका अच्छा असर पड़ता है। एक एडवर्टाइजमेंट आपने दे दिया वह किसी के दिमाग के ऊपर से निकल गया, उसका कहीं कोई असर नहीं पड़ सकता है। तो फैमिली प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा पब्लिसिटी का मीडिया है। फैमिली प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे आवश्यक है पब्लिसिटी। संयोग से यह मीडिया अब बड़ा शक्तिशाली हो गया है। आज से दस साल पहले हमको यह मीडिया इतने शक्तिशाली रूप में प्राप्त नहीं था। 1977 में यह हमको प्राप्त नहीं था। आज टी० वी० गांव-गांव में पहुंच गया है। हम टी० वी० के माध्यम से लोगों को एजूकेट कर सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग से क्या लाभ है। पापुलेशन एक्सप्लोजन की जब हम बात करते हैं, तो मेरा ध्यान बरबस माल्थस की पापुलेशन थ्योरी पर चला जाता है। माल्थस ने कहा था कि यदि जनसंख्या को नियन्त्रित नहीं किया गया, तो प्रकृति, नेचर खुद जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी। अकाल होगा, बाढ़ आएगी या दंगे होंगे, बीमारी होगी। लोग घट जाएंगे, आज वही हो रहा है। माल्थस ने यह भी कहा था कि लोगों को यह समझाना होगा कि आपको एक बच्चा चाहिए या चार चाहिए। यदि लोगों को एजूकेट किया जाए, अपने परिवार को आप सीमित करेंगे, तो 10-15 साल के पश्चात् आपके पास एक मारुति कार भी हो सकती है और यदि परिवार को बढ़ाया तो आप मिट्टी में मिल सकते हैं। तो यह बात लोगों के दिमाग में बैठाई जा सकती है और मैं तो यह कहूंगा कि अब समाज का स्ट्रक्चर बदल रहा है। आप समाज के अलग-अलग तबके के लोगों से पूछिए—किसी का बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं खिला पाता है। इसलिए यह विचारधारा कि लड़का पैदा होगा तो बाप को बुढ़ापे में सहारा देगा, खिलाएगा आदि। अब यह विचारधारा पुरानी होती जा रही है। लोग अब उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों को एजूकेट कीजिए कि फैमिली प्लानिंग करने से उनका बुढ़ापा सक्सेसफुल होगा, उन्हें जीवन में आराम मिलेगा, तो जरूर लोग इस पर ध्यान देंगे।

यह सारा प्रोग्राम आपका सफल हो सकता है, कोअर्शन के बिना आपको इसमें रिजल्ट मिल सकता है। आप फैमिली प्लानिंग पर जो खर्च करते हैं, उसका आधा पैसा यदि आप वीमेन्स एजूकेशन पर खर्च कर दें तो इसका समाधान हो सकता है। आजकल देहातों में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं हैं, गर्ल्स के स्कूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बहुत अच्छा किया, अभी जैसा उन्होंने जवाहर रोजगार योजना में कहा कि 30 प्रतिशत रिजर्वेशन औरतों के लिए होगा, उसी तरह मैं कहता हूं कि यदि सब जगह 30 प्रतिशत रिजर्वेशन हो और ज्यादा ही होने लगता है उसके लिए स्वाभाविक है कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। मेरा कहना यह है कि इस देश में प्राइमरी लेवल से ग्रेजुएट लेवल तक मुफ्त शिक्षा कर देनी चाहिए खासकर रूरल एरिया में तो बिल्कुल मुफ्त कर देनी चाहिए। जब तक आप लड़कियों को एजूकेट नहीं करेंगे, आपका फैमिली

प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। लड़कियों को यह अहसास दिलाना होगा कि बच्चे पैदा करना उसका अधिकार है, मर्दों की मोनोपली नहीं है, तब समाज में सोच में बदलाव आएगा, नहीं, तो नहीं होगा। अगर पोपूलेशन ग्रोथ का यही रवैय्या रहा तो हमारी इकनामिक डेवलपमेंट समाप्त हो जाएगी।

मैं यही कहूंगा कि यह समस्या उससे ज्यादा गंभीर है जितना हम सोचते हैं। केरल ने बहुत हद तक इस समस्या का समाधान किया है जिसका एक खास कारण है कि केरल में वीमेन एजूकेशन बहुत ज्यादा है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा था कि कहीं पर पानी बहुत ज्यादा जमा था, वहां के रहने वालों को मलेरिया हो जाता था। डाक्टर ने कहा कि दोष तुममें नहीं है, दोष पानी के गड्ढे में है जो बराबर मलेरिया के कीड़े पैदा करता है। आप उस गड्ढे को भरवा दो, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से लोगों की गरीबी का कारण उनकी अज्ञानता है जिसकी वजह से वह बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। जिस दिन लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि बच्चों की पैदावार बन्द की जाए उसी दिन लोगों की आर्थिक उन्नति हो जाएगी इकनामिक डेवलपमेंट हो जाएगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, मैं अपनी परिवार कल्याण राज्यमंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि प्रचार उनके द्वारा करने से ज्यादा होता है, जिनके बच्चे न हों। चीफ हमारे चीफ मिनिस्टर के 12 बच्चे हैं। अगर वह परिवार नियोजन के बारे में बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि इसके खुद के तो 12 बच्चे हैं और हमको दो बच्चों के लिए कहता है। उनकी तस्वीर परिवार नियोजन के प्रोग्राम में देखकर कौन उसे लागू करेगा इसलिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देता हूं।
(व्यवधान)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो परिवार नियोजन की बात करते हैं, वे पहले खुद अपना परिवार नियोजित कर लें। दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहियें। अगर सरकारी कर्मचारियों के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हों तो उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिये। अभी आप सरकारी कर्मचारियों को दो बच्चे होने पर दो इन्क्रीमेंट देते हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपके चीफ मिनिस्टर के 12 बच्चे हैं। क्या ऐसे में उन्हें चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहिये या नहीं ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होने पर इलैक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये।

कुमारी सरोज खापर्डे : आप यह बात उनको कहो।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप पहले ऐसा कानून बनाओ. दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होने पर आप उस व्यक्ति को सब सुविधाओं से वंचित कर दो—जैसे कि पानी, दूध, इलैक्ट्रिसिटी आदि सुविधायें देनी बंद कर दो। जैसे कि राजहंस जी ने बताया कि अगर चीन में कोई स्त्री दूसरी बार गर्भवती होती है तो सरकार की तरफ से उसे सारी सुविधायें मिलनी बंद हो जाती हैं। ऐसा ही प्रावीजन यहां भी होना चाहिये।

देखने में यह आया है कि कुछ लोग 2-3 बीवियां रखते हैं। हमारे हैदराबाद में एक ही परिवार में 100 लोग हैं। हमें ऐसी चीज को खत्म करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि जिस के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे हों उनका राशन कार्ड उनसे ले ले और एक राशन कार्ड में कुल सदस्यों की संख्या चार हो ऐसा ध्यान रखे।

आप जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को दो बच्चे होने पर इनक्रीमेंट आदि देते हैं ऐसी ही स्कीम आपको गांवों के लिये भी चलानी चाहिये। किसी-किसी जगह में आप देहातों में रहने वालों को 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देते हैं आप इस राशि को थोड़ा और बढ़ायें। मैं पुनः वही कहूंगा कि जिनके दो बच्चों से अधिक बच्चे हों उन्हें सभी सुविधाओं से वंचित कर दें।

कुमारी सरोज खापर्डे : आपने अपने मेनिफेस्टो में यह सब चीजें रखी।

श्री सी. जंगा रेड्डी : यही तो चक्कर है। हम लोग कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं और देश की भलाई के लिये गम्भीरता से सोचते नहीं हैं। अगर आप ऐसा प्रावीजन करेंगे तो हम भी ऐसा प्रावीजन करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को मिल कर इस पर एक निर्णय लेना चाहिये। अभी चव्हाण साहब ने कहा कि हम करोड़ों रुपये विभिन्न कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। मगर देखने में यह आया है कि गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, किसान भूखों मर रहे हैं और हैंडलूम वीवर्स मर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हमें आबादी को कंट्रोल में करना चाहिये और इसको कंट्रोल करने के लिये कोई कानून बनाना चाहिये। हम ऐसा कानून इस कारण नहीं बना रहे हैं क्योंकि मजहबी तौर पर डर रहे हैं। इसके लिये आप कहते हैं कि यह पसंनल मैटर हो जायेगा। समय आ गया है और हमें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। विभिन्न राजनीतिक दलों को इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिये अगर हम कोई कानून नहीं बनायेंगे तो आप चाहे कितना ही पैसा खर्च करो गांवों में पानी नहीं मिलेगा। अनाज नहीं मिलेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा तो देश की एकता के लिए और देश की स्वतन्त्रता के लिए भी खतरा पैदा होने की आशंका है। चीनी लोगों ने जो काम किया, वही काम हमको भी करना चाहिए लेकिन हम डरते हैं। वैसा सोज साहब बता रहे थे कि इण्डोनेशिया में कम्पलसरी है, यह सच है या झूठ हैं, मैं नहीं जानता, मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हों तो मुझे पता नहीं लेकिन अन्य देशों में कम्पलसरी कानून है तो हमें भी कानून बनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सुविधा दी है, उसको घटाना चाहिए और उनको कम्पलसरी बोलना चाहिए, राशनकार्ड बन्द करो, शुगर बन्द करो अनाज बन्द करो। पीपुल्स रिप्रेजेण्टेज एक्ट में भी बदलना चाहिए कि जिसके दो बच्चे से ज्यादा हैं वह इलेक्शन में कण्टेस्ट नहीं कर सकता, चाहे पचायत का मेम्बर हो या सरपंच हो या कोई भी हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने से ही स्थिति में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। हम पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, मैडीसन में, नये-नये तरीके अपनाने में लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। आप देश में कितनी भी योजनाएँ बनाये, कितना भी पैसा खर्च करें लेकिन देश की उन्नति नहीं होगी। 22 सालों के बाद आज हमारा अनाज का उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। इसका कारण बच्चे ज्यादा होना है, जनसंख्या ज्यादा होना है। दूसरे, मरने वालों की संख्या कम होती जा रही है इसलिए पोपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसके लिए समग्र रूप से कानून लाना मैं आवश्यक मानता हूं। आप कानून लाइये, मैं भी अपनी पार्टी की ओर से कोशिश करता हूं कि हम सब आपके साथ आयें, चाहे इसी सदन में या इससे अगले सदन में।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि इस चर्चा के समय में और वृद्धि कर दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : कितने घंटे?

डा० कृपासिन्धु भोई : तीन घण्टे और वृद्धि कर दें।

जल-भूतल मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, एक घण्टा और बढ़ा दें।

डा० कृपा सिंधु भोई : कम से कम दो घण्टे बढ़ाएं।

सभापति महोदय : अब डेढ़ घण्टा ठीक है। इस चर्चा के लिए हम डेढ़ घण्टा और बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अब प्रो० पी० जे० कुरियन बोलें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। मैं सोच रहा था कि यदि हम पिछले चालीस वर्षों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सफल होते तो कृषि, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हमने जो उन्नति की है उसे देखते हुए यह देश सभी क्षेत्रों में विश्व में सबसे शक्तिशाली देश होता। कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र अथवा रोजगार उत्पन्न के क्षेत्र में हमने जो कुछ कार्य किया है वह सम्भवतः इस जनसंख्या वृद्धि से बेकार हो गया है इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार के सम्मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है। इतना ही महत्वपूर्ण अथवा इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि गरीबी उन्मूलन की प्राप्ति हो। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे स्वतः ही गरीबी का उन्मूलन होता है। यदि हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं तो इससे स्वतः ही बेरोजगारी में कमी आएगी। यदि हम जनसंख्या नियंत्रित रखते हैं तो ही सामाजिक-आर्थिक विकास स्वतः होगा। अतः इस जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को किसी भी रूप में कम महत्व नहीं दिया जा सकता है और भारत जैसे देश के लिये तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन जो कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश था, पहले तो वह अपनी जनसंख्या के बारे में डींग हाँका करता था लेकिन बाद में इसने अपनी गलती को समझा तथा अब यह दृढ़ता पूर्वक इस जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लागू कर रहा है। बलपूर्वक ही सही वे लोग अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में अपने माननीय मित्र श्री गंगा रेड्डी द्वारा उठाये गये अनेक मुद्दों से मैं सहमत हूं। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सम्बन्ध है मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं। अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य के करीब भी हम नहीं है। हम जन्म वृद्धि दर कम कर 1.87 करना चाहते थे। अभी हमारी जन्म वृद्धि 2.11 और 2.12 के बीच है। केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में निर्धारित लक्ष्य को नहीं कर सके हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किये जाने के सन्दर्भ में यह एक असमानता है मैं इसके लिये दो कारणों को जिम्मेदार मानता हूं। नम्बर 1 तो यह है कि लोगों द्वारा इसे गंभीरता से न किया जाना जो कि हम सब द्वारा स्वीकारा जा चुका है। जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध लोगों के बहुत ही दृढ़ धार्मिक भावना भरी हुई है। फिर सामाजिक आर्थिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। सभापति महोदय इस संकल्प पर चर्चा करते समय आपने स्वयं कहा है कि लोग सोचते है कि यदि उनके अधिक बच्चे होंगे तो वृद्धावस्था में उनकी देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। इस प्रकार की भावनायें भी लोगों में है। मुख्य सवाल इसे गंभीरतापूर्वक न किया जाना है और इसी कारण हम असफल हुए हैं। राष्ट्रीय भावना से लोगों को सही राह दिखाने, साहसिक कदम उठाने तथा लोगों की विचारधारा को सही

करने के बजाये हम शायद भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। यहां मैं और कुछ नहीं बस आपतकाल के दौरान 1977 में हुई घटनाओं का जिक्र करता हूं। अनेक लोगों का भिन्न-भिन्न मत हो सकता है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि आपत्काल के दौरान पूरे जोर-शोर से लागू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम सही कार्यक्रम था। स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने आवाम के लिये दो मुख्य कार्यक्रमों को शुरू किया था—एक तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा दूसरा जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कार्यक्रम। महोदय, जब आप भी कार्यक्रम कड़ाई से लागू करते हैं तो कुछ असफलतायें भी हाथ लग सकती हैं। परिवार नियोजन के अन्तर्गत किये गए आपरेशनों में कुछ आपरेशन असफल हुए हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में ऐसा होता है। लेकिन राजनीतिक कारणों से इन असफलताओं के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया और इसलिये करीब एक दशक से भी अधिक समय से लोग इस परिवार नियोजन से दूर हट चुके थे। 1977-80 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी असफलता हुई और शायद कुछ भी नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए हम उन मुद्दों का उपयोग करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके लिये मैं पूरे विपक्ष दल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या हुआ ? मत प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी ने इस मुद्दे का उपयोग किया।

आप यह तथ्य भूल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कार्यान्वित किया जाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह बात आपको नहीं भूलनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : जनता पार्टी फैमीली प्लानिंग के पक्ष में थी लेकिन जोर-जबरदस्ती के विरुद्ध थी। आज भी हमारी पार्टी इसके पक्ष में है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के मेरे मित्रों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि चीन में जोर-जबरदस्ती द्वारा ही परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

श्री राम बहादुर सिंह : नहीं, नहीं आप वास्तविक तथ्य नहीं जानते हैं।

प्रो पी० जे० कुरियन : मैं आपको स्पष्ट करूंगा। जोर जबरदस्ती का अर्थ यह नहीं है कि बन्दूकों के बल पर इसे लागू किया गया है। यदि कोई प्रोत्साहन और दण्ड दिया जाता है तो यह भी जोर जबरदस्ती करना ही है।

श्री राम बहादुर सिंह : नहीं।

सभापति महोदय : यह आपका दृष्टिकोण है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी हां, यह मेरा दृष्टिकोण है।

सभापति महोदय : यह उनका दृष्टिकोण है। आप इस बात पर उनसे चर्चा करना बन्द कर दें। कृपया अपनी बात जारी रखें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह कह रहा हूं कि राष्ट्रीय महत्व के इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिकरण द्वारा हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते अतः समस्त क्षेत्रों की

भावना से सभी दलों को ऊपर उठाना चाहिए तथा इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये लोगों की सहमति प्राप्त करने के लिये सामने आना चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनेक कदम उठाये जाने चाहिएं। मेरा तो यह विचार है कि परिवार नियोजन का महत्व देश के विकास और भविष्य में देश के होने वाले विकास से सम्बन्धित है। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में यह पाठ पढ़ाया जाना चाहिए यह मेरा विचार है। सरकारी ऐजेन्सियों के अतिरिक्त उन सभी स्वैच्छिक समूहों को, जो इस सम्बन्ध में लोगों की सहमति लेने के कार्य में सहायता करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में बड़े पैमाने पर प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने कहा है कि इस कार्यक्रम को हमें निश्चित रूप से गम्भीरता पूर्वक लेना चाहिए। एक ओर तो हम लोगों की सहमति प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें हम इस कार्यक्रम को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। वास्तव में, हम लोग ही इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं।

वे लोग जो परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार कर रहे हैं स्वयं उनके आधे दर्जन से अधिक बच्चे हैं। सभी राजनीतिक नेताओं, एक मुख्यमन्त्री तथा सांसदों के अनेक बच्चे हैं।

मंत्रियों के भी अनेक बच्चे हैं।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। यह न्यायोचित नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया इसे गंभीरतापूर्वक मत लीजिए। अतः दूसरी ओर इस परिवार नियंत्रण कार्यक्रम के प्रति हमें गंभीरता दिखानी चाहिए। इस प्रकार की गंभीरता हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? सबसे पहले इसे लागू करने वाली समस्त मशीनरी सभी सरकारी अधिकारियों को इसे लागू करने के योग्य बनाया जाना चाहिए और परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उन्हें एक आस्था स्थापित करना चाहिए इसके लिये सरकार को कुछ करना चाहिए। चाहे प्रोत्साहन द्वारा या दण्ड द्वारा या फिर कानून बनाकर ही सरकार को यह देखना चाहिए कि परिवार नियोजन को लागू करने वाले सभी अधिकारी इस मापदण्ड को अपनाएं क्योंकि इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान की गई है।

मैं श्री जंगा रेड्डी के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि इस प्रकार का कानून बनाने में कोई हानि नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले सभी व्यक्तियों को दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपना लेना चाहिए और उनके दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अतः मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक नेताओं और परिवार नियोजन को लागू करने वाले अधिकारियों को सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में गंभीरता प्रकट करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं देखा गया है।

यहां उपस्थित मंत्री महोदया को मैं बधाई देता हूं। परिवार नियोजन के कार्यान्वयन का वे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अतः वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री बनने के सर्वथा योग्य हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मंत्री महोदया को एक लम्बे वर्ष तक इस मंत्रालय में बने रहने की मैं कामना करता हूं।

अन्य दूसरी बात यह है कि परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विकास, पर्यावरण सभी अन्तर-सम्बन्धित हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में साधारण पाठ्यक्रम में इस प्रकार का कोई भी

विषय सम्मिलित नहीं है। हम भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी और हिन्दी आदि विषय ही पढ़ाते है। उच्च विद्यालयों और महाविद्यालयों से पास करने वाले हमारे बच्चों और युवाओं को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। यदि पाठ्यक्रमों में इन विषयों को शामिल कर लिया जाये तो इन सब बातों की कुछ जानकारी विद्यार्थियों को हो जाएगी और वे इस बात को महसूस करेंगे कि किस प्रकार देश के विकास से वे सम्बन्धित हैं। लाखों बेरोजगार युवा हमारे देश में हैं। इन बेरोजगार युवाओं का, इनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए और इस सन्दर्भ में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए मेरा यह परामर्श है कि प्रत्येक गांव के बेरोजगार युवाओं को बुलाया जाना चाहिए और उनमें से कुछ जो इसके प्रचार में अच्छे साबित हो सकते हैं उनका चुनाव कर लेना चाहिए। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह काम सरकार को करना चाहिए। सरकार इसे कर सकती है। राजनीतिक दल यह कार्य कर सकते हैं। सभी स्वैच्छिक संगठन यह कर सकते है। इस देश में अनेक नामी स्वैच्छिक संगठन है। वे यह कार्य कर सकते हैं। मुख्य बात सिर्फ यह है कि सरकार द्वारा उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। प्रत्येक गांव के बेरोजगार युवाओं में से इस कार्यक्रम के सफल प्रचारकों का पता सरकार को लगाना चाहिए। वेतन उठाने वाले सरकारी अधिकारी अभी किसी दम्पत्ति के पास जाते हैं और इनसे परिवार नियोजन अपनाने का आग्रह करते हैं। वे इसे गंभीरतपूर्वक नहीं लेते। मैं यह परामर्श दूंगा कि सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त इन बेरोजगार युवाओं अथवा सफल प्रचारकों को गांवों में जाना चाहिए और प्रत्येक घर में जाकर लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कुछ घरों की एक निश्चित संख्या इन युवाओं में बांट देनी चाहिए। बेरोजगार युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करते हुए पूरे देश में यह योजना लागू करनी चाहिए। यदि हम इसके बारे में सोच सकते हैं तो इस सम्बन्ध में हम बहुत कुछ कर सकते है। परन्तु यह सब हम राजनीतिक दलों की सहायता से कर सकते हैं। अतः यदि सरकार इसके बारे में सोचती है तो मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम इस सरकारी ढांचे से अलग हटेगा और यह एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन जायेगा। सभी राजनीतिक दलों के समर्थन द्वारा तथा परिवार नियोजन में लोगों की पूरी सहमति द्वारा एक लोक प्रियकार्यक्रम बना कर ही हम इस सन्दर्भ में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस समस्या के प्रति सरकार को भी कुछ अधिक गंभीरता दिखानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ डा० भोई द्वारा प्रस्तावित संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : सभापति महोदय, मुझे अपने भाषण के आरम्भ में ही, हमें एक ऐसे विषय पर जोकि देश के लिए महत्व पूर्ण है, चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए अपने अच्छे मित्र डा० भोई का धन्यवाद करना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी है और यदि जनसंख्या वृद्धि की इस दर को नियन्त्रित नहीं किया जाता है और प्रभावशाली तकीकों को नहीं अपनाया जाता है तो हमें एक भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा जो कि हमारे देश के विकास में बाधक होगी। हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। यह दर सम्भवत 2.25 है। हमने यह ध्यान दिया है कि जन्म दर स्थिर रहते हुये जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है। परन्तु मृत्यु दर के आंकड़ों में बहुत कमी आई है। इस शताब्दी के आरम्भ में हमारी जन्म दर बहुत अधिक थी परन्तु हमारी मृत्यु दर भी अधिक होने के कारण हमारी जनसंख्या वृद्धि दर दर शून्य के आसपास थी। मृत्यु दर में भारी कमी होने के कारण अब हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अधिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। अब हमारे देश में अधिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल और डिस्पेन्सरीयां हैं, जोकि चिकित्सा

सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अब वे महामारियां नहीं फैलती, जोकि विगत में तबाही कर देती थीं। हमें यह भी पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर में भारी कमी हुई है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर को नियन्त्रित नहीं किया जाता है तो सम्भवत इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या लगभग एक बिलियन हो जायेगी जोकि एक बहुत बड़ी संख्या है।

हम जानते हैं कि जब जनसंख्या को नियन्त्रित करने के हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं और जब हम इसे नियन्त्रित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसे नियन्त्रित करने का प्रकृति का अपना तरीका है। परन्तु ये प्राकृतिक तरीके बहुत पुराने हैं। उदाहरण तया जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है और उसके अनुसार हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो भुखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे मानव जीवन की तबाही होगी और हमें वर्ष 1942-43 का अकाल अब भी याद है जिसमें लगभग 25 लाख लोग मारे गये थे। परन्तु ऐसा घटित होने पर हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। मृत्यु दर, और मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी की जा सकती है। परन्तु यदि हमारी जन्म दर स्थिर रहती है तो हमारे जीवन-स्तर में गिरावट आयेगी और नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं में भारी कमी होगी और इससे हमारे देश के सामने भारी आर्थिक समस्यायें उत्पन्न होंगी।

हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ग्रामीण किसान यह सोचता है परिवार में वृद्धि होने से उस पर अधिक बोझ नहीं पड़ता है क्योंकि जीवन स्तर निम्न होने से परिवार पर होने वाला व्यय बहुत अधिक नहीं होता और जब उनके बच्चे स्कूल जाने लायक होते हैं अथवा स्कूल में पढ़ते हैं तो वे खेतों में भी कुछ काम करते हैं। हम देखते हैं कि किसानों के लड़के और लड़कियां स्कूल जाने के बजाय खेतों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं और इससे परिवार की आय में अतिरिक्त वृद्धि होती है। परिवार में लड़कों की संख्या अधिक होने पर उनमें सुरक्षा का भाव होता है, वे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लड़के परिवार की आजीविका कमाने वाले सदस्य बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी। यही कारण है कि हमारे देहाती किसान, जिनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता, परिवार में वृद्धि के विरुद्ध नहीं हैं।

दूसरे, कुछ सामाजिक अवरोध भी परिवार नियोजन के मार्ग में बाधायें हैं। ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति यह सोचते हैं कि परिवार में लड़के पैदा होने पर वे परिवार की शक्ति और स्थायित्व का साधन बनते हैं क्योंकि वे धन कमाने वाले सदस्य बनते हैं। यदि उनके परिवार में लड़कियां होती हैं तो वे समझते हैं कि अगली सन्तान लड़का होगा। परिवार में दो-तीन लड़कियां पैदा होने पर भी वे सदैव यही चाहते हैं उनके परिवार में लड़का पैदा हो। कि वह मां जिसके दो-तीन लड़के होते हैं बहुत खुश और गर्वान्वित होती है। गांव के लोग भी दो-तीन अथवा अधिक बच्चों की मां होने के नाते उसका बहुत सम्मान करते हैं। यह रुकावट भी हमारी जनसंख्या नियन्त्रण में एक बहुत बड़ी बाधा है।

फिर इस बारे में धार्मिक बाधायें भी हैं। हम समझते हैं कि परिवार में लड़का पैदा होने पर वह धार्मिक अनुष्ठान करेगा जोकि परिवार के धार्मिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं और जिन्हें पर-म्परागत रूप से किया जाता है। माता-पिता सोचते हैं कि लड़का उनका श्राद्ध करेगा ताकि उनकी आत्मायें स्वर्ग में जायें। हम अनुभव करते हैं कि धार्मिक बाधायें रूढिवादिता और परम्परागत विचार भी जनसंख्या नियन्त्रण के विरुद्ध हैं।

हमें इस मामले में एक निर्णय लेना पड़ेगा। क्या हम इन धार्मिक विचारों सामाजिक रिवाजों और बाधाओं को जनसंख्या नियन्त्रण के मार्ग में बाधक बनने दें। हमें इस बारे में एक कड़ा व सुस्पष्ट निर्णय लेना होगा।

इसका समाधान शिक्षा का प्रसार है। यदि तर्क संगत और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार किया जाता है और ग्रामीण व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है तो वे लोग अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, अपने परिवार को सीमित रखेंगे और जनसंख्या को नियन्त्रण में ले आयेंगे। अत: परिवार को सीमित करने और अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के बारे में शिक्षा का प्रसार एक बेहतर महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करेगा।

जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही उल्लेख किया है जब महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाती हैं तो वे 15-25 वर्ष की आयु की अवस्था को पार कर लेती हैं—जोकि प्रजनन के लिए महिला की सर्वोत्तम आयु होती है। केरल में जनसंख्या नियन्त्रण की सफलता का यह भी एक कारण है कि वहां महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। इस बात को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सरकार इस कार्यक्रम पर अधिकतम बल और महत्व दे रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित की जा रही है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि परिवार नियोजक के लिए न केवल अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में समबन्दी और परिवार नियोजन की अन्य सुविधायें बढ़ाई जायें अपितु एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण भी तैयार किया जाये जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक इस बारे में अपने दायित्व के प्रति सचेत बन सके। इस बारे में पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि लोग इस कार्यक्रम को अपनायें।

चीन में लगभग 70% विवाहित महिलाओं ने परिवार नियोजन के तरीकों और एक बच्चे के मानदण्ड को अपना लिया है जबकि हमारे देश में केवल 35 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा किया है। अत: यह आवश्यक है कि इस बारे में कुछ प्रचार कार्यक्रम होने चाहिएं ताकि लोग इस बारे में अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें विशेष रूप से जबकि यह उनके अपने परिवार से सम्बन्धित है। निश्चित रूप से इससे देश की समस्याओं अधिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गत चार दशकों से देश में आर्थिक विकास और सम्पन्नता के दौर से गुजर रहा है। परन्तु यह सम्पन्नता आभासी नहीं है क्योंकि हमारी जनसंख्या में ज्योमितीय वृद्धि हुई है। अत: इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इससे न केवल सम्पूर्ण देश की समस्या का समाधान होगा अपितु हमारी उन पारिवारिक समस्याओं का भी समाधान होगा जिनका हमसे गहरा सम्बन्ध है। यदि वे लोग भारत की सभी मूल आवश्यकताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वे बेहतर और आरामदायक जीवन के लिए अधिक सुविधायें चाहते हैं तो परिवार को नियोजित करना आवश्यक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, डा० कृपासिन्धु भोई ने सदन के समक्ष बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है और मैं उन्हें अपना समर्थन दे सकता हूं क्योंकि इस विषय के बारे में कुछ मतभेद रहा है। परन्तु जहां तक इस देश का सम्बन्ध है इसकी जनसंख्या को नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष के मेरे मित्र अर्थ शास्त्री हैं क्योंकि उन्होंने माल्थस और लोगों की ज्योमितीय वृद्धि और संसाधनों की अंकगणितीय वृद्धि के माल्थस के फार्मूले को याद किया है। उन्होंने बहुत निराशाजनक चित्रण किया है। माल्थस अब जीवित नहीं हैं। परन्तु यदि वे जीवित भी होते तो उन्हें यह जानकर हैरानी होती कि इतनी अधिक जनसंख्या होने पर भी भारत सक्षम कैसे है। इतनी अधिक जनसंख्या के बावजूद हमने इतनी प्रगति की है। परन्तु इससे माल्थस को हैरानी होती। माल्थस ने जो कुछ कहा है संभवत यह आजकल पूर्णत: संगत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ

संसाधन है। हमने उन संसाधनों को उपयोग में नहीं लाया है। भविष्य में माल्थस का चित्रण सच होगा क्योंकि हम अपने संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं और जैसा कि श्री मिश्र ठीक ही कह रहे थे कि हमने जो कुछ प्रगति की थी वह हमारी जनसंख्या वृद्धि से समाप्त हो चुकी है। मेरी असहमति के बावजूद भी इसमें सहमति की गुंजाइश है। हम अपनी भारी जनसंख्या का भरण-पोषण नहीं कर सकते इसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि जनसंख्या नियन्त्रण सकारात्मक तरीकों से किया जाना चाहिए, नकारात्मक तरीकों से नहीं। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई सजा दी जाये क्योंकि भारत चीन से भिन्न है। जिन लोगों ने चीन का उदाहरण दिया है मैं उन्हें एक लेखक-डेविड सलबोरने का नाम बताऊंगा। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी। एक एन आई टू इंडिया' और दूसरी 'एन आई टू चाइना' वह भी मेरे मित्रों की भाँति चीन वासियों के स्तर पर मोहित हैं किन्तु चीन की सामाजिक व्यवस्था भिन्न है; उसकी शासन व्यवस्था भिन्न है। भारत में धर्म की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यद्यपि जब श्री डेविड सलबोरने ने दो तस्वीरों का चित्रण किया है और मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि चीन की तस्वीर मन को प्रसन्न करने वाली है। भारत में बहुत से लोग बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं; वे दक्ष नहीं हैं। किन्तु उन्होंने कहा कि चीन में लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं; वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति बहुत सचेत हैं। उन्होंने चीन की बहुत अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है। किन्तु जब मैं इन दो स्थितियों की तुलना करता हूं तो मुझे यह लगता है कि भारत के लिए हमें चीन से भिन्न रूप अपनाना चाहिए। कहीं-कहीं हम चीन से कुछ शिक्षा भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन के कारखानों में विशेषज्ञ श्रमिकों के साथ बैठता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए टेलिविजन पर एक मिनट का कार्यक्रम होता है। किसी ने यह सुझाव दिया है कि दूरदर्शन पर कहानियाँ दिखाई जानी चाहिएं। यह अच्छी विधि है। चीन में यह सुगठित प्रयास है। आपके सामने दस हजार श्रमिक बैठे होंगे और आप उन्हें फिल्म दिखाएंगे और इसके बाद आप उन्हें यह बताएंगे कि चीन का जीवन स्तर कैसा था और रक्षा, आर्थिक विकास आदि के क्षेत्र में इसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके बाद वे श्रमिकों को यह बताएंगे कि वे भविष्य में वह किस प्रकार की जीवन शैली चाहते हैं। ये विशेषज्ञ श्रमिकों के साथ कारखानों में घंटों बिताएंगे। इसमें बातचीत और प्रश्न-उत्तर सत्र भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले हमारे डाक्टर वहां अनिच्छा से जाते हैं। वस्तुत सरकार ने बहुत सी प्रशंसनीय योजनाएं शुरू की हैं किन्तु इनमें अपव्यय बहुत अधिक है। यदि हम भारत की केवल अपव्यय समस्या का समाधान कर लें तो यहां का जीवन सार आज के जीवन सार से कहीं अच्छा हो जाएगा। यहां संसाधनों का बहुत अधिक अपव्यय होता है। हमारे डाक्टर वहां अनिच्छा से जाते है। इसी प्रकार परिवार नियोजन की युक्तियाँ व्यवहार्य नहीं। आप निवेशों का उचित ढंग से उपयोग नहीं करते है और लोगों तक सही ढंग से विचारों को नहीं पहुंचाते हैं और इसके बजाय आप यह आदेश देकर कि एक ही बच्चा पैदा करें और यदि अधिक बच्चे होंगे तो उस व्यक्ति विशेष को दण्ड दिया जाएगा, नकारात्मक मानदण्ड अपनाते हैं। यह प्रक्रिया भारत में कार्य नहीं करेगी। यदि आप उन्हें यह बताएं कि परिवार नियोजन अनिवार्य है और इस शताब्दी के बाद हमारी जनसंख्या अरबों में पहुंच जाएगी तब ही वे इस पर ध्यान देंगे। आप लोगों से सकारात्मक रवैया अपनाकर बातचीत करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ गरीबी, अज्ञानता और अन्ध विश्वासों का दुश्चक्र है। आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाइए। आप इस दुश्चक्र में फंस जाएंगे। इस दुश्चक्र को खत्म करना होगा। अज्ञानता, गरीबी और अन्ध विश्वास से लड़ना होगा। एक नागरीय

सदस्य धर्म का जिक्र कर रहे थे। हममें से अधिकांश लोग जो आचरण करते हैं वह वास्तव में धर्म नहीं है। शायद अन्धविश्वास पैदा करने वाले अनेक विचार ही धर्म के नाम पर प्रचलित होते जा रहे हैं।

इसके बाद कुछ सकारात्मक प्रेरणा स्रोत भी हैं। डा० राजहंस ने कहा है कि लड़कियों के लिए शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे राज्य में शेख साहिब और उनके सहयोगियों ने एक काम यह किया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर पी. एच. डी. (आचार्य) स्तर तक सभी के लिए शिक्षा नि:शुल्क कर दी है। आप कह सकते हैं कि लड़कियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए किन्तु कुछ समय बाद आपको यह देखना होगा कि शिक्षा सभी के लिए नि:शुल्क हो जाए। संभवत: भारत में चिकित्सा सबकी देख भाल और शिक्षा दोनों ही नि:शुल्क होनी चाहिएं।

महोदय, मैं अभी हाल ही में हैदराबाद में जनसंख्या पर हुई एक कार्यशाला में गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने किया था। वहां महानिदेशक श्री कपूर को जन-संख्या वृद्धि पर भाषण देना था।

5.00 म०प०

मैं हैदराबाद में श्री कपूर द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीर से आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सुझाव यह है कि उन्हें राज्यों में जाकर हमें उन क्षेत्रों के बारे में बताना चाहिए जहां अत्यधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। पहली बार मुझे हैरानी हुई थी और डा० भोई ने भी यही बात कही।

उन्होंने जो ग्राफ और पारदर्शी चित्र हमें दिखाए थे उनसे यह सिद्ध होता है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थिति बहुत ही भयंकर है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि 2.9 प्रतिशत है। उन्होंने विशेष प्रश्न उठाए। हमें इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा वह सब ठीक था। जो आकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए वे केवल सैद्धान्तिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए, मेरा विचार है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं डा० भोई द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं। हिन्दी भाषी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारणों का पता लगाना चाहिए। वास्तव में हमें पुनर्निवेशन करना चाहिए क्योंकि भारत मे जनसंख्या का अधिकांश भाग हिन्दी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसकी जनसंख्या 13 करोड़ है। यहां जनसंख्या वृद्धि भी अधिकतम है। वास्तव में मुझे इसके कारणों का पता नहीं है। माननीय मन्त्री को इनका पता होना चाहिए। जब वे उत्तर देने आए, शायद अगले सप्ताह, तब उन्हें इस समस्या और हिन्दी क्षेत्र, जहां भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रहता है, में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की असफलता के कारणों का उत्तर देना चाहिए। इस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अपने मित्र की एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने सर्वमान्य सिविल कोड का सुझाव दिया। मैं यह कह सकता हूं कि भारत के संविधान ने हमें इस स्थिति पर विचार करने का अवसर दिया है। यहां भी विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए और इसमें कोई जोरजबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में अनेक ऐसे मामले हैं जहां हम सर्व-मान्य सिविल कोड बना सकते हैं। किन्तु यदि आप विवाह के मामले में सिविल कोड लाना चाहते हैं तो इससे तनाव उत्पन्न हो जाएगा। यह विवादास्पद मुद्दा है। हमें इस समस्या पर चर्चा और वाद-विवाद करना चाहिए। स्वभावत: संसद इस विषय पर निर्णय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। इस

मुद्दे को यहां उठाना कहीं बेहतर होगा किन्तु जब हम निर्णय लें तब हमें काफी समय लगाना होगा और इसके विस्तार में जाना होगा। शायद मेरा डर इसलिए है कि विवाह एक ऐसा प्रश्न है जो 'पर्सनल लॉ' का हिस्सा है। हम विवाह को इसमें कैसे ला सकते हैं? किन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हम सभी के लिए सर्वमान्य सिविल कोड बना सकते हैं। शेष संकल्प बहुत ही संतुलित है। मैं एक और मुद्दे पर अपना समर्थन दे रहा हूं। वह आयुर्वेदिक चिकित्सा (आयुविज्ञान) का विकास करना चाहते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी है। हम उनका यह सुझाव स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? माननीय मन्त्री को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। नरसिंह राव के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अनुसन्धान केन्द्र की सहायता की जानी चाहिए और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। वास्तव में हमारे पास बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटियां हैं। हमें केवल एलोपैथिक औषधियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें यूनानी और आयुर्वेदिक ओषधियों का भी विकास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री): सभापति महोदय, इस देश में गरीबी हटाने के लिए जनसंख्या पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। सरकार को परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

महोदय, फिलहाल परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन अत्यधिक दोषपूर्ण है। अच्छे कार्य निष्पादन का रिकार्ड दिखाने की चिन्ता में पति और पत्नी दोनों का ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसे तरीके का इस सम्पूर्ण कार्यक्रम पर उल्टा असर पड़ेगा। यदि पति का पहले ही ऑपरेशन किया जा चुका हो तो पत्नी का ऑपरेशन कराना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार यदि पत्नी का आपरेशन हो चुका हो तो पति का आपरेशन करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार आंकड़े बढ़ाने के लिए पति और पत्नी दोनों का ऑपरेशन किया जाना तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

महोदय हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। जनसंख्या में 67 प्रतिशत से अधिक वृद्धि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों से ही होती है। हमारी जनसंख्या में 33 प्रतिशत वृद्धि गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों से होती है। इस सबसे यह पता चलता है कि गरीब लोगों में ही जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसलिए जनसंख्या के इस वर्ग के लिए ही अधिक परिवार कल्याण योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन लोगों के उत्थान के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं की भांति ही इन गरीब वर्गों के गरीब लोगों के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए जो कि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभभोगी हैं। इस तरीके से उन्हें छोटे-परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है। अन्यथा, मात्र दबाव डालने से यह परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। गरीबों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित हो सकें। जो लोग सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी के लिए परिवार नियोजन को अपनाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मात्र जोरजबरदस्ती से इस कार्य में सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। यह तरीका परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देगा।

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, जनसंख्या को नियंत्रित करने में शिक्षा की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। जब देश में हर आदमी, स्त्री और पुरुष, शिक्षित होंगे तो उनमें स्वयं के प्रति और देश के प्रति अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। वे अपनी इच्छा शक्ति से छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए स्वयं आगे आएंगे। इस प्रकार अनिवार्य परिवार नियोजन से अनिवार्य शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षित लोग परिस्थितियों को अच्छी तरह समझकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। महोदय, जनसंख्या में वृद्धि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। पीने के पानी की कमी और अधिक हो जाएगी। आवास की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवासीय स्थलों की समस्या और भी बढ़ जाएगी और स्वभावतः इससे भी अधिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की समस्या बढ़ जाएगी। सफाई, वस्त्र आदि की भी समस्या होगी। इस प्रकार हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हो जाएंगी। गरीबों का जीवन और अधिक कष्टमय हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या पर नियन्त्रण का अर्थ है अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान।

हमारे समाज के मध्यवर्गीय और धनी वर्ग के लोग परिवार नियोजन को स्वेच्छा से अपना रहे हैं। वे छोटे परिवार के मानदण्डों को केवल सरकार द्वारा रेडियो और टेलीविजन पर किए जा रहे प्रचार के कारण नहीं अपना रहे हैं बल्कि इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वे अपनी आर्थिक हैसियत और धन के बारे में अधिक चिन्तित हैं। वे महसूस करते हैं कि यदि वे परिवार नियोजन को नहीं अपनाते तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इन वर्गों में इस कार्यक्रम की सफलता सरकार के प्रयासों के कारण नहीं है। गरीब लोगों को आपरेशन के लिए राजी करने में प्रचार माध्यम बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं। केवल वे लोग जो पहले ही आपरेशन करा चुके हैं उन्हें ही दोबारा कुछ लाभ मिलते हैं। तथा ऐसे लोग जो बच्चा पैदा करने के आयु वर्ग में नहीं है वे कुछ लाभों की खातिर आपरेशन करा रहे हैं। यह एक सच्ची बात है।

वर्तमान तरीके परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। अब समय है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ नए और अनूठे तरीके शुरू किये जाये। महोदय सरकार टी०वी० और रेडियो के माध्यम से केवल धनी लोगों के एक छोटे से वर्ग तक पहुंच सकती है। देश में निर्धन लोग टी०वी० नहीं खरीद सकते और इसीलिए दूरदर्शन पर दिए गए सभी प्रचार कार्यक्रम हमारे समाज के केवल एक बहुत ही सीमित वर्ग तक ही पहुंच जाते हैं। अतः यह समय है कि कुछ अन्य तरीकों पर विचार किया जाए जिससे हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की आशा कर सकें चाहे वह कितना भी निर्धन क्यों न हो। महोदय, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि सिनेमा अभी भी निर्धन लोगों के लिए आकर्षक का माध्यम है यह अभी भी उनके लिए मनोरंजन का मुख्य तरीका है धनी लोग अपने कमरों में बैठते हैं और दूरदर्शन पर फिल्में देखते हैं क्योंकि वे नई फिल्मों की कैसेटें ले सकते हैं। लेकिन निर्धन लोग फिल्म देखने के लिए अभी भी सिनेमाघरों में जाते हैं। अतः परिवार नियोजन पर वृत्तचित्र या तो फिल्म के शुरू में अथवा इन्टरवेल के दौरान दिखाया जा सकता है। इस तरह लोगों को कार्यक्रम के बारे में बेहतर शिक्षित किया जा सकता है। इससे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिलेगी। अतः मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि शीघ्र ही इस दिशा में प्रयास किये जाए। इन तरीकों में परिवर्तन और नए तरीकों को अपनाना जैसाकि उपर्युक्त एक सुझाव दिया गया है, अब अनिवार्य है।

वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करके कालेजों से बाहर आते हैं और समाज में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें भी छोटे परिवार के फायदों की जानकारी होनी चाहिए। परिवार नियोजन शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। जब तक वे कालेजों से बाहर आते हैं, वे विवाह के योग्य होंगे और इसीलिए परिवार कल्याण के बारे में उनका ज्ञान अपने परिवार को नियोजित करने और जीवन को सफल बनाने में सहायता करेगा। उन्हें देश की स्थिति को बेहतर समझना चाहिए। उन्हें इस तरह शिक्षित किया जाना चाहिये जिससे कि वे जनसंख्या वृद्धि के खतरों को महसूस कर सकें। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था जनसंख्या पर निर्भर है। इसी प्रकार गांवों में निर्धन लोगों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य शिक्षा अवश्य अपनाई जाए। इस अनिवार्य शिक्षा से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी। विशेषकर गरीब लोगों में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विभिन्न नए तरीके अपनाने होंगे। जनसंख्या में 67 प्रतिशत वृद्धि केवल 50 प्रतिशत लोगों के कारण हुई है जोकि गरीबी की रेखा से नीचे हैं। अतः इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैं एक बार सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि इस समस्या पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाए और इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाएं :

इन टिप्पणियों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय चेयरमैन साहब, मैं डा. भोये को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वे बहुत ही अच्छा प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाये हैं।

स्वतन्त्रता के पहले देश की आबादी 35 करोड़ के करीब लेकिन अब हमारी आबादी 80 करोड़ के करीब पहुंच गई है। यह हमारे देश के अन्दर बड़ी गम्भीर समस्या है कि हम किस तरह से इस आबादी को कन्ट्रोल कर सकें इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की गई है और एनोवेंची डाक्टरों ने भी फैमिली प्लानिंग के लिए गांवों में लोगों को शिक्षित करने में काफी काम किया है, उससे काफी राहत मिली है। हमारे राज्यवार टार्गेट्स को कई राज्यों ने एचीव किया है जिससे राष्ट्र को काफी फायदा पहुंचा है। अगर यह नहीं होता तो अब तक हमारी आबादी एक अरब से भी ऊपर चली जाती।

इमरजेंसी के दौरान काफी ज्यादा लोगों के आपरेशन हुए, अब लोग यह महसूस करने लगे हैं कि हमारे राष्ट्र को इससे बड़ा लाभ पहुंचा है, इसमें हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने और संजय गांधी जी ने एक कदम उठाया था कि ज्यादा दरख्त लगाये जायें और ज्यादा फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को अपनाकर राष्ट्र को मजबूत किया जाय ताकि देश के लोगों को हर तरह से राहत पहुंच सके, इस पर सोच विचार करके राष्ट्र में प्रोग्राम बनाकर इसको लागू किया था लेकिन कुछ लोगों ने उस समय इसको खत्म करने के लिए या देश को अन्धेरे में रखकर इस प्रोग्राम को न बढ़ाकर यह कोशिश की कि हम इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाहर कर दें। देश में और कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनीं और उन्होंने नौजवानों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में यह प्रचार किया कि यह प्रोग्राम तो नौजवानों की सेहत को खराब करने के लिए है और आपको इसको लोगों

यह पहुंचाना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आने वाली जेनरेशन को खत्म करने के लिए सरकार चला रही है, इस तरह का बेहूदा प्रचार विपक्ष की तरफ से किया गया लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि वह सरकार ढाई साल चलने के बाद अपने आप खत्म हो गई और उसके बाद हमारी सरकार ने जो कदम उठाया, उसको सराहनीय कदम मैं इसलिए कह सकता हूं कि लोगों ने यह महसूस किया कि उनको जो गुस्सा दिलाया गया था वह गुस्सा बिल्कुल गलत था या थोड़ी-सी देर के लिए उनको भड़काने के लिए उन्होंने जनता को एक्सप्लाइट किया है और यह प्रोग्राम आगे जाकर राष्ट्र की बेहतरी के लिए अच्छा है इसलिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया। यह सारे राष्ट्र की आबादी कम होने की निशानी थी कि पहले 3 बच्चों पर आये, अब दो पर आ गये और जोशी साहब ने उसको एक कर दिया। अब हमको लोगों को शिक्षित करना है कि एक बच्चा ही देश के विकास को देखते हुए काफी है ताकि हमारा राष्ट्र और तरक्की कर सके, मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, इस पर बड़ी भारी रिसर्च की गई है उन्होंने बड़ा भारी काम किया है और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक आयुर्वेद की बात है डा. मोदी ने उड़ीसा में नरसिंह नाथ के नाम से एक इन्स्टीचूट बनाया है। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह की संस्थाओं को वित्तीय सहायता दें, ताकि उनका काम ठीक तरह चल सके। हमारे देश के लोगों में एक यह भी भावना है कि जड़ी-बूटियों से ज्यादा इलाज कराना पसन्द करते हैं। आयुर्वेदिक तरीके से वे ज्यादा महसूस करते हैं कि हमको फायदेमन्द है। गांवों में जाते हैं, तो पता लगता है कि लोग कहते हैं इन्जैक्शन लगाने से दर्द होता है. कहीं हम मर ही न जायें। इसलिए यह जरूरी है कि आयुर्वेदिक सिस्टम जो कि एक बहुत पुराना सिस्टम है, उसके लिए हमको मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो इन्स्टीचूशन हैं, उनको आप सहायता दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग के लिए बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए। यदि राज्य सरकारें फैमिली प्लानिंग के टारगेट को अचीव नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाए। आपने फैमिली प्लानिंग का पैसा हरियाणा सरकार को दिया उसने उसको दूसरे कामों में प्रचार करने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर कहें कि हम राहत दे रहे हैं और यह फैमिली प्लानिंग हमारी सरकार का है। इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार जो पैसे का दुरुपयोग होता है, राष्ट्र के पैसे का दुरुपयोग होता है, जो मुख्यमन्त्री इस तरह की कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनके ऊपर यह पाबंदी होनी चाहिए कि वे दूसरे राज्यों में जाकर सरकार के कार्यक्रम को फेल करने के लिए और अपनी छवि को उजागर करने के लिए तथा जो कुछ करते हैं हम करते हैं और बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज को भारत सरकार को उठने नहीं देना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, आप देख रहे हैं कि राष्ट्र में शिक्षा के बड़े-बड़े इन्स्टीचूशन बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, कालेज बने हुए हैं, लेकिन बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है। गांव के स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि विरोध पक्ष के लोग इस बात का महसूस करें कि हमारा राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है

जब हम फैमिली प्लानिंग की भावना को जगायें और उसका कार्यान्वयन करने के लिए पूरे तरीके से राष्ट्र को मार्ग दर्शन दें। तब जाकर हमारा काम हो सकता है।

राज्य सरकारों ने टारगेट बनाया है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनायें, सब सैन्टर्स बनायें, उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। वहां के डाक्टरों के लिए जीप की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे घूमकर इलाके में इलाज तो कर सकें। आपने हास्पिटल तो खोल दिया लेकिन वहां पर एक्स रे का इन्तजाम नहीं है, मकान का इन्तजाम नहीं है, दवा का इन्तजाम नहीं है। उतनी ही व्यवस्था की जाए, जितनी कि आप दे सकते हैं। अगर वे पूरे तरीके से अनुपालना नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत बात होगी। इस तरह से राज्य सरकारों को पैसा देकर दूसर कामों में वे खर्च कर दें तो यह हमारे लिए बड़ा भारी अपराध होगा। अपराध यह इसलिए होगा कि हम लोगों की जिन्दगी से खेलते हैं। लोगों के इलाज के लिए सुविधायें मुहैया नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप को इस पर विशेषतौर पर ध्यान देना होगा। जहां-जहां आपने सैन्टर खोले हैं, वहां कुछ इलाकों में डाक्टर्स के लिए नर्सेज के लिए और कंपाउन्डर आदि लोगों के लिए ठहरने की पूरी सुविधा होनी चाहिए, ताकि गांवों में लोग जायें और जोरदार तरीके से काम कर सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें और हमारे राष्ट्र का जो फैमिली प्लानिंग में कार्यक्रम है, वह ज्यादा अच्छी तरह से चल सकें।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति बिलकुल कमजोर होती जा रही है। अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती गई, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वह और खराब हो जाएगी और किसी जगह भी चाहे हम कारखाने में जाएं या कहीं सरकारी नौकरी में जाएं, जहां हम देखते हैं कि सब लोग अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं अगर उनको अच्छी तनख्वाह मिलती हो वरना सारे लोगों की हालत कमजोर होती जा रही है चाहे वह अफसर है, चाहे वह गांव का आदमी है और चाहे वह नेता है, उसकी हालत कमजोर होती जा रही है। इसको मजबूत करने के लिए यही एक तरीका है कि या तो हम उनके लिए सुविधाएं बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा और फैमिली प्लानिंग को छोड़ दें या फिर फैमीली प्लानिंग करें। फैमीली प्लानिंग के लिए यह जरूरी है कि इसको हम ज्यादा बजट रखें और इसके लिए लगन के साथ काम करने की जरूरत है ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। हमारे प्रधान मंत्री जी ने पंचायत लेविल तक अधिकार देने की बात कही है। पंचायतों को इसके लिए जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। जवाहर रोजगार योजना के तहत इनको एक लाख रुपये या 80 हजार रुपये से कम नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग का बजट भी पंचायतों को मिलना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव में जो फैमिली प्लानिंग हो, उसका सर्वे होना चाहिए हर पंचायत का और जो पंचायत टाप पर आती है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जो पंचायत सेन्ट पर सेन्ट इस काम को अपने इलाके में करती है, तो उस पंचायत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जिस ब्लाक में या जिस तहसील में पूरी फैमिली प्लानिंग हो, जिसने फैमिली प्लानिंग को अपनाया हो, उसको स्पेशल केटेगिरी में रखा जाना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया राज्यों को पैसा देती है मगर वे टार्गेट कैसे पूरे होते है यह सब जानते है। विपक्ष के एक भाई ने जो कहा, वह बिलकुल सही बात कही है। उन्होंने यह बात कही है कि जिस जगह फैमिली प्लानिंग होती है, पुरुष का आपरेशन होता है या महिला का होता है, तो वहां पर हमको देखना चाहिए कि आपरेशन में कोई गलती तो नहीं रह गई क्योंकि कई जगह हमारे नोटिस में यह बात आई

है कि आपरेशन हो गया लेकिन फिर भी बच्चे हो गये, एक की जगह दो बच्चे हो गये। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और इसको हमें देखना चाहिए। जब हमारा यह विश्वास है कि फैमिली प्लानिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है, तो इस किस्म के केसेज दोबारा न हों, यह हमें देखना चाहिए। गांव में महिला का आपरेशन होता है और वह बीमार हो जाती है, तो उसकी देखभाल होनी चाहिए। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आपरेशन करवाने के बाद अगर बीमार हो जाता है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपना इलाज करा सके। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिसका आपरेशन होता है, उसकी देखभाल पूरी तरह से होनी चाहिए और लेडीज जो हैं, वे अपना काम कर सकें और जिन्दा रह सकें, यह हमको देखना चाहिए।

डा० भाई बहुत ही अच्छी प्रस्ताव यहां पर लाए हैं और इस पर हमें बोलने का मौका मिला और मैं समझता हूं कि सरकार को पूरा ध्यान देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ऐसे अनिवार्य और संगीन विषय पर विशेषकर विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के सबसे बड़े विधानी मंच पर ऐसा व्यापक प्रस्ताव लाने के लिए डा० कृपासिन्धु भोई को धुवारकवाद देना चाहता हूं।

महोदय, यह केवल जनसंख्या विस्फोट का प्रश्न नहीं है। हम अन्तः स्फोटो, विस्फोटो और परमाणु विस्फोट जैसे विभिन्न विस्फोटो के बारे में सुनते रहे हैं और उनके बारे में चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन मेरे विचार में जनसंख्या विस्फोट भी उतना ही भयानक है जितना कि परमाणु विस्फोट और यह बहुत ही संगीन मामला है।

यह ऐसी बात नहीं है कि जिसे केवल मैं ही कह रहा हूं। मैं भारतीय सांसद एसोसिएशन द्वारा लिखित पापूलेशन एण्ड डेवलपमैंट नामक पुस्तक से उद्धृत करना चाहता हूं। यही बात श्रीमती इन्दिरागांधी को 14 अक्तूबर, 1981 को कहनी पड़ी :

> "यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका नहीं गया तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में धीमी पड़ जाएगी। प्रगति के फायदों और सीमित संसाधनों के लिए तब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में खींचातानी होगी। जब हर व्यक्ति अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो किसी को भी पर्याप्त नहीं मिलेगा। अतः इससे देश को नुकसान होगा प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान होगा सभी बच्चों को नुकसान होगा। छोटे परिवार के मानदण्ड को उच्च प्राथमिकता लक्ष्य बनाया जाए, और बेहतर भविष्य के लिए परिवार नियोजन लोगों के आन्दोलन का एक हिस्सा होना चाहिए।
>
> 'राष्ट्र के जीवन' के प्रति मेरी शुभकामनाएं है जिसके लिए मेरी आशा है कि इस उद्देश्य के के लिए संसद और विधायक अधिक से अधिक हिस्सा लेंगे।"

महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सोचा था कि जनसंख्या का प्रश्न और जनसंख्या को सीमित करना और जनसंख्या नियंत्रण "राष्ट्र के जीवन का प्रश्न है।

अब, डा० भोई ने अपने व्यापक प्रस्ताव में एक बच्चे के मानदण्ड को अपनाने, तथा अन्य बात के लिए और सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के लिए

राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार करने के बारे में उल्लेख किया है । । डा० भोई ने जब यह प्रस्ताव रखा तो मुझे आशा है कि वह इसे भविष्य से प्रभावी बनाना चाहते हैं, अन्यथा माननीय मंत्री को छोड़कर हम में से अधिकतर इस प्रस्ताव पर बोलने अथवा टिप्पणी करने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे । श्रीमती गांधी ने एक बार कहा था :

'यदि कोई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में राष्ट्रीय सर्वसमति बहुत ही आवश्यक है, तो यह विषय निश्चित रूप से परिवार नियोजन है ।"

जनसंख्या और विकास के प्रश्न के अलावा, जिसको इस सदन में डा० भोई ने उठाना चाहा है, वह राष्ट्र के जीवन का प्रश्न भी है, जैसाकि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था । अतः हमारे सामने विभिन्न चुनौतियां हैं, मानवीय आधार सम्बन्धी चुनौतियां, जैसाकि आधार सम्बन्धी, चिकित्सा आधार सम्बन्धी वैज्ञानिक आधार सम्बन्धी, मनोवैज्ञानिक आधार सम्बन्धी चुनौतियां जैसाकि कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है, क्योंकि यह दृष्टिकोण विकास, कानून तथा सांस्कृतिक आधारों से सम्बन्धित प्रश्न है ।

हमारा देश एक विशाल देश है, वास्तव में, यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों, संस्कृतियों, परम्पराओं कार्यों, भाषाओं वाला उप-महाद्वित है और यहां विभिन्न परम्पराओं का गत 5000 वर्षों से अधिक समय से अर्थात अति प्राचीन काल से पालन किया जा रहा है । अतः शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार प्रेरणा द्वारा और सम्पर्क द्वारा क्या करना चाहती है और वे लोगों से क्या करने की आशा करते हैं, यदि हम राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार करना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्रीय वचनबद्धता तैयार करना चाहते हैं, एक आन्दोलन जो लोगों का हो, लोगों द्वारा हो और लोगों के लिए हो, तो हमें उन्हें साथ लेकर चलना होगा । प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह एक शादीशुदा जोड़ा है अथवा गैर-शादीशुदा जोड़ा, क्या उनको बच्चा पैदा करने की आयु है अथवा वे उस आयु को पार कर चुके हैं यह इस देश के नागरिकों का प्रश्न है, जिन्हें संविधान के अन्तर्गत कुछ अधिकार और विशेषाधिकार मिले हुए हैं उनको राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही भी अवश्य होनी चाहिए, और जनसंख्या विस्फोट का यह प्रश्न राष्ट्र के जीवन के लिए अनिवार्य है । मेरा विनम्र मत है कि इसे इस तरह सुलझाया जाए जिसमें निवारक, आरोग्यकर, दण्डात्मक पहलुओं को सुलझाया जाता है— यद्यपि मेरे माननीय मित्र, प्रो० सोज दण्डात्मक पहलु पर सहमत नहीं हैं अन्तरण, प्रोत्साहन, गैर-प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना होगा, सजा और पुरस्कार जिन्हें अति प्राचीनकाल से अपनाया जा रहा है और जो विभिन्न संगठनों में अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने उच्च अनुशासन बनाया हुआ है और इन सभी पहलुओं को सुलझाना होगा ।

विशेषाधिकारों के साथ-साथ पुरस्कार और सजा, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए । महोदय मुझे और अधिक खुशी हुई होती यदि डा० भोई ने जनजातियों के प्रश्न का भी उल्लेख किया होता । जनजातियों के लोग समाज का एक हिस्सा हैं जो कि विकास की परिधि में हैं, उनकी अपनी संस्कृति है उनका अपना अलग समाज है और वे अपनी जनजाति के नियमों जनजाति के रिवाजों के विभिन्न दिखावों से दुखी हैं वहां स्वास्थ्य स्वच्छता और कुपोषण उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और लोग रूढ़िवादी हैं, जिनके बारे में एक माननीय सदस्य मेरे सामने उल्लेख कर रहे थे । समाज का एक अन्य हिस्सा विकलांग व्यक्ति हैं यहां 50 लाख अथवा उससे अधिक विकलांग व्यक्ति हैं । मैं केवल समाचार पत्रों से उल्लेख कर सकता हूं । मेरे पास तथ्य और आंकड़े नहीं हैं । लेकिन यहां बधिर,

अन्ध और मूक लोग हैं जो कि हमारी जनसंख्या का तीन प्रतिशत हैं। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा। ये वे लोग हैं जिनके बारे में इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

यदि कोई व्यक्ति वास्तव में डा० भोई के प्रस्ताव का विश्लेषण करे तो वह यह देख सकता है कि वर्ष 1985 के बाद हर वर्ष जनसंख्या में 15 मिलियन से थोड़ी अधिक की वृद्धि हो जाने से राष्ट्रीय रजिस्टर और पोपूलेशन क्लोक जो कि बम्बई में लगाया गया है, के अनुसार भारत की जनसंख्या 80 करोड़ तक पहुंच गई है—यह पहले के ही दर्ज है यह जनसंख्या एशिया की जनसंख्या का 27 प्रतिशत और विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत बैठती है। और 2000 ईसवी तक यह बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 20-25 तक यह 120 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। जनसंख्या में इतनी अधिक वृद्धि अधिक प्रजनन के परिणामस्वरूप है जो कि मृत्यु दर कम होने तथा इसके अनुरूप जन्म दर को कम करने में असफल रहने के कारण पैदा हुई है अब इसका अभाव क्या है? जीवन की बुनियादी जरूरतों, जिन्हें हमने लोगों को प्रदान करने का वचन दिया है, की उपलब्धता के क्या गंभीर परिणाम हैं?

इसके आंकड़े विलक्षण हैं मैं उद्धृत करता हूं :

"एक अनुमान के अनुसार, लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दैनिक रूप से 63,000 मकानों, 6750 टन खाद्यान, 97000 रोजगार, 4,60,000 मीटर कपड़ा, 360 विद्यालय, और 1000 अध्यापकों की आवश्यकता है।

यह कुल आवश्यकता है।

इसलिए आयोजकों और नीति निर्धारकों को इस पहलू के बारे में सोचना होता है शायद हमारे देश में युवकों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है तथा 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों की जनसंख्या, जो श्रमजीवी हैं, आज 54 प्रतिशत है, तथा जो 2000 में 63 प्रतिशत तथा 2025 तक 70 प्रतिशत से भी अधिक हो जायेगी इसका देश में रोजगार की आवश्यकताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

हमारे यहां मृत्यु तथा विकृति की उच्च दर की समस्या भी है तथा हमने सुना है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी विकृति तथा मृत्यु दर बहुत अधिक है।

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : आपको मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी पड़ेगी मेरे पास उल्लेख करने के लिये अनेक तथ्य और आंकड़े हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं संक्षेप में नहीं कह सकता।

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : कृपया प्रयास कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : जन्म-पर जीवित बच्चों की मृत्यु दर 95 प्रति हजार है जो बहुत अधिक है तथा पर्यावरण संबंधी स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की खराबी के कारण कुपोषण और

संक्रमण के रोग बढ़ गए हैं हालांकि हमने बड़े पैमाने पर सार्वभौमिक परिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। परन्तु फिर भी तथ्य यह है कि हमारी जन्म दर बहुत अधिक है तथा यह भी तथ्य है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण पर्यावरण बिगड़ गया है, आवास की अत्यधिक कमी हो गई है और शहरों में गन्दी बस्तियां बन गयी हैं। इतना ही नहीं आज कलकत्ता और दिल्ली विश्व में सबसे दूषित शहर माने जाते हैं।

मैं एक बार पुन: अपनी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी की उसी पुस्तिका में लिखी बात उद्धृत करना चाहता हूं :

"सन् 2000 में 25 सबसे बड़े शहर विकासशील देशों में होंगे।

सम्पूर्ण दुनिया में इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि हमें अपनी जनसंख्या कम करनी चाहिए ताकि विकास का प्रभाव सभी वर्गों में पहुंच सके। परन्तु छोटे परिवार योजनायें तभी सफल हो सकी हैं जब सामान्य जनता उनके कार्यान्वयन में सक्रियता से भाग लें। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास अधिक समय नहीं है।

विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं जैसे बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और औसत आयु में वृद्धि के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों को अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बावजूद प्राप्त अपनी कुछ शानदार उपलब्धियों का लाभ जनसंख्या वृद्धि के कारण कम मिल पाता है। एक अनुमान से सन 7000 में विश्व के सबसे 25 बड़े नगर विकासशील देशों में होंगे। शहरी सुविधाओं के व्यापक विस्तार और अधिक सम्पन्नता के बिना ये शहर अपने निवासियों पर आश्रित राक्षस का रूप धारण कर लेंगे।"

उन्होंने हमें क्या सलाह दी है ?

"इस समस्या का समाधान जनसंख्या नियन्त्रण और ग्रामीण विकास से किया जा सकता है।"

अब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आर्थिक विकास में जनसंख्या की विकास दर में कितनी वृद्धि हुई है तथा हमारी नीति इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला कर सकी है। जनसंख्या की दर में 1951 में वृद्धि होनी शुरू हुई। तथा आधुनिक भारत के निर्माताओं ने अनुभव किया कि विकास सम्बन्धी आयोजन के भाग के रूप में एक जनसंख्या नीति निर्धारित की जानी चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 65 लाख रुपये की अल्प धनराशि से इसे शुरू किया गया और वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 3,256 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। मेरी बात में संशोधन किया जा सकता है।

1951-61 के दौरान जनसंख्या में 1.96% वार्षिक विकास दर से बढ़ोतरी हुई जबकि योजना आयोग का 1.25% का अनुमान था। 1971 की जनगणना के भी परिणाम और भी भयंकर थे। तब विकास दर 2.24% था। 1981 की जनगणना के अनुसार 1971 से 1981 के दौरान यह विकास बढ़कर 2.28% होगा। मैं इसके कारण का आरोप दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहता।

महोदय, भारत के आयु ढांचे को देखने से यह पता चलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के युवकों की जनसंख्या बहुत अधिक है। यह 1951 में 37.5% थी जो बढ़कर 1961 में 41.1%

हुई तथा 1971 में और बढ़कर 42% हो गई। लेकिन 1981 में यह घटकर 39.6% रह गई तथा 1991 में 35.6% रह जाने की सम्भावना है। इससे स्पष्ट होता है कि जन्म दर में घटाव की गति धीमी और मृत्यु दर में घटाव की गति तेज है।

यदि हम जन्म और मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों पर बारीकी से ध्यान दें तो स्पष्ट है कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का घटक अर्थात् जन्म दर पिछले दशक से 33 ही है। भारतीय ग्रामीण महिलायें औसतन 4.8 बच्चों को जन्म देती हैं जो उत्तर प्रदेश में 6.2 तथा बिहार और राजस्थान में 6 है। हमारी आबादी में वर्तमान विवाहित महिलाओं का आयु ढांचा भी बहुत अधिक है। 1971 में 94 मिलियन दम्पति प्रजनन आयु के थे जो 1981 में बढ़कर 116 मिलियन हुए आशा है कि अब 135 मिलियन होंगे। इनमें से 12% दम्पति 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के हैं यद्यपि विवाह के समय आयु जो 1971 में 17.2 वर्ष थी 1981 में बढ़कर 18.3 वर्ष हो गई। फिर भी ये आंकड़े आश्चर्य-चकित करने वाले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि अकेले कानून से काम नहीं चलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक अर्थात् 107 है। यह उत्तर प्रदेश में 154 उड़ीसा में 137 मध्य प्रदेश में 131 तथा राजस्थान में 114 है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों की संख्या बहुत अधिक है।

यदि आप विगत चार दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की तुलना में अर्थव्यवस्था में विकास के कार्यों की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास हुआ है, कृषि में लचीलापन आया है तथा मानसून और खराब मौसम का कम प्रभाव पड़ा है। 1950-51 से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग तिगुनी अर्थात् साढ़े तीन गुना वृद्धि हुई है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 1974-75 और 1984-85 के बीच की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 5-6 प्रतिशत की समान दर से वृद्धि हुई थी जबकि 1964-65 से लेकर 1974-75 तक अर्थात् विगत दस वर्षों के दौरान यह 3.7 प्रतिशत थी। सकल घरेलू बचत 1950-51 में 10 प्रतिशत थी जो बढ़कर आज 24 प्रतिशत हो गई है तथा योजना अवधि के अन्त तक इसके और बढ़ने की सम्भावना है। इसमें घरेलू क्षेत्र का हमेशा काफी योगदान रहा है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का अंशदान 1950-51 में लगभग तीन-पांचवां था जो घटकर 1984-85 में दो-पांचवें से कम रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में उद्योग भी योगदान दे रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में बेरोजगारी 18 मिलियन से बढ़कर 24 मिलियन हो गई है।

मैं ये आंकड़े क्यों दे रहा हूं इसका कारण यह है कि यद्यपि हम कृषि, उद्योग, पैट्रोलियम, विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर रहे हैं तथापि प्रतिव्यक्ति उपलब्धता अभी भी गुजारे से कम है। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश और अन्य सार्क देशों की भी समस्या है। इसलिए जैसे हमने नाभिकीय और अन्य मामलों, जो भू-सामरिक और भू-राजनीतिक मामलों से टकरा रहे हैं, का समाधान मिलजुल कर किया है वैसे ही हमें इसका समाधान करना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और इस पर नाभिकीय, निरस्त्रीकरण और तैनाल-शैथिल्य की समस्या के समान गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि आज ऐसे कठिन विषय पर गम्भीर चर्चा हो रही है यहां केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के माननीय राज्य मन्त्री उपस्थित

है। इसमें योजनाबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ही जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अभी तक यह मन्त्रालय की ही जिम्मेदारी रही है। न तो उचित उपकरण दिये जाते हैं न ही पर्याप्त संख्या में कर्मचारी दिये जाते हैं और न ही ये कर्मचारी गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करता है कभी-कभी वे पुलिस की सहायता लेते हैं; कभी वे राजस्व अधिकारियों की सहायता लेते हैं अत मैं जो दलील दे रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं कि एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जहां न केवल सभी सरकारी एजेंसियां बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेता, समाज के नेताओं को मिलकर एक सर्वसम्मत प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे कि डा० भाई के संकल्प में उठाए गए मुद्दों को हल किया जा सके।

डा० मोर्ड ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं जैसे परिवार कल्याण और प्रतिरक्षण के कार्यक्रमों में उत्साहहीनता दूर की जाए और लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करने और महिलाओं को इसका मार्गदर्शन करने दिया जाए। मैं यहां भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। 35 लाख भूतपूर्व सैनिक उच्च रूप से प्रशिक्षित; अनुशासित और प्रेरित किये गये हैं। उनमें से कुछ सेना चिकित्सा कोर के हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उनकी सहायता भी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ऐसे संस्थाओं की सहायता कर सकती है जैसे एक बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर जो वरनिगवाय के पास है जिसे डा० मोर्ड ने स्थापित किया था, जिससे कि वे इस विषय पर अनुसन्धान और अध्ययन का एक केन्द्र बन जायें।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : डा. मोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गये संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

अपने सभी मित्रों की तरह मैं भी सहमत हूं कि किसी तरह इस देश की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस देश में और मानव के इतिहास में हमने देखा है कि कई तरीके अपनाये थे महाभारत में जब कुछ लोग भीष्म पितामह की सन्तान और संतति नहीं चाहते थे तो उन्हें विवाह न करने के लिए राजी किया गया। हम जानते हैं कि ग्रीक और रोमन के लोगों ने परिवार नियन्त्रण के लिए कृत्रिम तरीके अपनाए थे।

तत्पश्चात् हम माल्थस पर आते हैं; जिसने गणितीय अनुक्रम के एक नये सिद्धांत को प्रस्थापित किया था कि जनसंख्या ज्यामितिक अनुक्रम से बढ़ती है और संसाधन केवल अंकगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं।

इसके बाद हमने दो महान महिलाओं सैंगर्स और स्टोप्स द्वारा पूरे विश्व में शुरू किए गए, वादविवाद के बारे में जाना। इसका हमारे देश में महात्मा गांधी ने विरोध किया था और उन्होंने निवेदन किया था कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन महोदय, हमें यथार्थवादी होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं है। अत: कुछ व्यावहारिक समाधान, ढूंढे गये थे और वे ही भारत सरकार द्वारा अपनाए गये हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व नेहरू जी सहित अन्य नेतागण जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सहमत नहीं हुए थे फिर भी इस देश में वैयक्तिक संगठन थे जिनका नेतृत्व कार्वे, लेडी रामाराव टाटा और अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्होंने परिवार नियन्त्रण का निवेदन किया था प्रथम योजना में हमने इसके लिए धन दिया था और अब भी हम इस बारे में सोच रहे हैं। अत: जो कुछ बातें मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है

कि अगर आप सोचे कि केवल आपरेशनों का लक्ष्य निर्धारित करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो यह आपकी भूल है। मथुरा में मुझे एक लेडी डाक्टर द्वारा बताया गया था कि भगवान के लिए उन पुरुषों और महिलाओं के आपरेशन मत कीजिए जिससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है आपको देखना होगा कि क्या उसकी उम्र प्रजननयोग्य है अगर उनकी उम्र प्रजननयोग्य नहीं है तो आप उनका आपरेशन क्यों करते हो। क्या केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ? उनका ऑपरेशन करने के बजाय अगर आप उस धन को अन्य महिलाओं में बांटे तो हो सकता है वे महिलाएं आगे आयेंगी और अपना आपरेशन करवाएं या उनके आदमी उनको आपके पास आपरेशन के लिए भेजें। बी. आर. डी. टाटा ने सुझाव दिया था कि इन लोगों को कम से कम 5,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या हमने प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि की है जो भारत सरकार और राज्य सरकारें पिछले पांच या छः वर्षों, से दे रही है। अगर नहीं तो हम उन्हें अधिक धन क्यों नहीं देते जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए बहुत जरूरी है।

मुझे वास्तव में बहुत हैरानी होती है जब मेरे कुछ मित्र कहते है कि गरीबी जनसंख्या विस्फोट के कारण है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि हम बहुत से क्षेत्रों में असफल रहे है और उनमें से एक वित्तीय क्षेत्र है। हमें लोगों को धन जमा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे कि अन्य लोग धन से वंचित न रहे। अगर हम इसे रोकते है, अगर किसी सीमा के बाद धन जमा करने से रोकते है तो मुझे विश्वास है इससे परिवार नियोजन में काफी सीमा तक सहायता मिलेगी

आज मैं महसूस करता हूं कि इन तरीकों के अलावा जिनका मैंने सुझाव दिया है, अगर हम पुरुष और महिलाओं को इस बारे में शिक्षा देते है तो निश्चय ही इससे सहायता मिलेगी। मेरे विचार से पिछली बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने चीन तरीकों की प्रशंसा की है। बहुत पहले की बात मुझे याद है मैंने श्रीमती सेठ का एक लेख पढ़ा था श्रीमती से० अपने पति की चीन में नौकरी के कारण वहां गयी। उन्होंने कहा था कि चीन में असभ्य तरीके अपनाए गये थे। भारतीयों के लिए यह बहुत असभ्य था लेकिन उनके द्वारा अपनाये गये थे निसंदेह हम उस हद तक नहीं जा सकते लेकिन कुछ तो किया जाना चाहिए। लोगों की विचारधारा को भी प्रभावित किया जाना चाहिए कल्पना कीजिए कि इस देश में हम हिन्दुओं को 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया गया हैं जब लड़की की शादी होती है तो उसे आशीर्वाद देते है 'अष्ट पुत्र सौभाग्यवती'। मेरे विचार से महोदया जानती होगी कि यह आशीर्वाद महाराष्ट्र में आमतौर पर दिया जाता हैं हम उन्हें यह कह कर आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे आठ बच्चे हों। वे बातें रोकनी होगी। क्या यह समय इस देश में प्रोत्साहन देने या न देने के बारे में सोचने का है' महोदय, बहुत पहले, महाराष्ट्र में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पारित किया गया था। लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अधीन केवल एक या दो बच्चों की अनुमति दी जाए और उसके बाद के बच्चों के लिए हतोत्साहित किया जायेगा। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? यदि आप इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे है तो आपको उन तरीकों को अपनाना होगा यदि आप पूरे दिल से यह काम नहीं करेंगे तो आपको कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी और दुर्भाग्य से पिछले 40 वर्षों से हम इसी दिशा की ओर जा रहे है। आपरेशन कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है किन्तु उन्हें उसके लिए पिछले छः—आठ वर्षों से दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि नहीं की गई है। अतः यदि आप उन्हें प्रोत्साहन देने से मना नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अधिक आर्थिक प्रोत्साहन दीजिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से हमें इस विषय पर समयावधि एक घंटा और बढ़ानी चाहिए। मेरे विचार से आप सब इसके लिए सहमत होंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित समय है कि हमें इसके लिए अधिक बच्चों प्रोत्साहन देने से मना करना चाहिए यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर उन्हें अधिक प्रोत्साहन दीजिए। आप गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारा धन उपलब्ध करा रहे हैं क्या आप ऐसा पहले नहीं कर सकते थे। क्या आप इसका कुछ अंश परिवार नियोजन के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के लिए नहीं दे सकते। कई अवसरों पर, सरकार उन तथ्यों को समझने में असमर्थ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट हैं। मैंने देखा हैं कि इनाम एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को काफी हद तक प्रोत्साहित करता है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री इस दिशा में विचार करेंगे और देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता देंगे।

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोडी [बस्तर] : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय डा० भोई के संकल्प का समर्थन करता हूं। देश की आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार इस संकल्प पर बहुत सोचने और चर्चा करने का समय आया हुआ है। जनसंख्या की वृद्धि ने जिस गति से आज देश को भयावह स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है उसके हिसाब से देश को सोचने का समय अब आया गया है। यदि इस पर नहीं सोचा गया तो जिस ढंग से दुनिया को देखते हम देश के विकास को गति देना चाह रहें हैं, उसमें जनसंख्या की बहुत बाधक है इसलिए यह जरूरी है कि देश इस गम्भीर समस्या पर विचार करे।

ऐमर्जेन्सी के समय जिस ढंग से गाँव खेड़े में परिवार-नियोजन का कार्यक्रम दिया गया था; उससे लोग काफी भयभीत हो गए थे। जितनी आस्था और लगाव उसमें लोगों का होना चाहिए था उसके बदले वे डर से भयभीत थे। लेकिन आज की देश की स्थिति को देखते हुए गांव खेड़े के रहने वाले हमारे हरिजन आदिवासी भी जो उस समय इस परिवार नियोजन से भयभीत हो गये थे, वे आज स्वतः अपने मन से इस योजना की तरफ अपना झुकाव बनाये हुए हैं। यह इसलिए भी हो रहा क्योंकि गांव में खेती के अलावा जीवन के लिये उपार्जन का और कोई साधन नहीं है। वह खेत जो उनको अपने बाप-दादाओं से प्राप्त हुआ था वह टुकड़े-टुकड़े होता जा रहा है और बहुत कम रह गया है और उस खेत का छोटे टुकड़ों में बंटवारा हो रहा है।

श्री मानकू राम सोडी : उस परिस्थिति में आज गांवों के आदिवासी और हरिजन इस प्रोग्राम की तरफ अपना विचार बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी। यह जो हम कार्य कर रहे हैं वह कार्यक्रम उन जगहों पर ज्यादा लें जहां पर हम आधुनिक किस्म की व्यवस्था कर सके हैं। जैसे डाक्टर साहब ने एक परिवार में एक बच्चे वाला जो सिद्धान्त रखा है हमको यह कार्यक्रम वहां ज्यादा जोर से चलानी चाहिये जहां पर सब आधुनिक व्यवस्था है। जिस में आज 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं और जहां पर डाक्टर या दूसरा स्टाफ नहीं है अगर वहां···· परिवार नियोजन वाला कोई केस बिगड़ जाएगा तो वहां के लोगों में जरूर असन्तोष पैदा होगा और वह इन कार्यक्रमों में भयभीत भी हो जावेंगे।

हमारे यहां देखने में आया है कि 50-100 किलोमीटर की दूरी पर जहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर होता है वहां आने का कोई साधन मुहैय्या नहीं हो पाता है। यदि ऐसे में हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग नहीं मिला तो केस बिगड़ने पर उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी स्थिति आज आपको बहुत सी जगहों पर बैठी को मिल जायेगी। इतना ही नहीं कई जगहों में अस्पतालों की व्यवस्था बहुत कमजोर होती है। जहां डाक्टर होते हैं वहां दवा-दारू की व्यवस्था नहीं होती है और अगर दवादारू की व्यवस्था होती है तो स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी जगहों में परिवार नियोजन को उस ढंग से करना चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंच सके।

हम परिवार नियोजन को सुदृढ बनाने के लिए आपने कई जगहों में आंगनवाडी और बालवाड़ी चला रखी हैं वहां इन कार्यक्रमों को काफी जोर से लिया जाना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा उन गांव वालों को उनकी पूरी सहायता मिल सकेगी और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग परिवार नियोजन की तरफ आकर्षित होंगे। डा० समय-समय पर मरीजों को देखने के लिए और उनकी पूरी तरह से चैकिंग करने के लिये जायें ऐसी आप कोई व्यवस्था करें। आज आपके जितने भी आंगनवाड़ी के कार्यक्रम चल रहे हैं वहां डाक्टर ही उपलब्ध नहीं होते हैं। वह 15-15 दिन तक चैकिंग करने के लिये उन इलाकों में नहीं जाते हैं जबकि उनको समय-समय पर वहां जाना चाहिए।

अक्सर गरीब हरिजन और आदिवासी प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ाई करते हैं। वह मीडिल स्कूल में जाना उसके बाद पसन्द नहीं करते हैं। मिडिल स्कूल में लड़कियों के लिए खास तौर से छात्रावास होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लड़कियां छात्रावास में रह कर पढ़ें और एक बार वह मीडिल पास कर लेंगी तो फिर आगे पढ़ने की उनमें रुचि अपने आप ही पैदा हो जायेगी।

उन जगहों में जहां बच्चे मलेरिया, पेचिश और डायरिया आदि खतरनाक बीमारियों से मर जाते हैं वहां का आप हर दो साल के बाद सर्वे कराएं कि कितने बच्चे मरते हैं और कितने पैदा होते हैं। फिर उसके अनुसार ही आप टारगेट बनायें और निश्चित संख्या में उनका आपरेशन करावें पटवारी, फारेस्टगार्ड और पुलिस आरक्षक आदि लोगों द्वारा अगर टार्गेट पूरा नहीं किया गया तो अगले महीने तनख्वाह बन्द हो जाती है इसलिए छोटे कर्मचारी लोगों पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनसे हमेशा उनका काम रहता है इसलिए जबरदस्ती स्थिति आ जाती है। छोटी जगह में इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जबरदस्ती न हो और कर्मचारी के लिए टारगेट फिक्स न किये जायें क्योंकि छोटे कर्मचारी किसानों को ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो लाते नहीं हैं इसलिए जरूरी है कि ऐसी जगह में जहां अस्पतालों की पूरी तरह से आधुनिक व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, वैसी जगह में सोच और समझ कर टार्गेट फिक्स करने चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अगली बार बोलेंगे। सभा मंगलवार, 2 मई, 1989 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 2 मई, 1989/12 वैशाख, 1911 (शक) को 11 ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एंड संस, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6